

P ०००३८

१७०



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
की निष्पादन लेखापरीक्षा




संघ सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

2012-13 की प्रतिवेदन संख्या-15
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

००३५


भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन
की निष्पादन लेखापरीक्षा



संघ सरकार
शहरी विकास मंत्रालय
आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

2012-13 की प्रतिवेदन संख्या-15
(निष्पादन लेखापरीक्षा)




विषयसूची

प्राक्कथन	iii
कार्यकारी सार	v
1 प्रस्तावना	1-8
2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण	9-10
3 जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत परियोजना कार्यान्वयन के लिए संरचना	11-16
4 सुधारों को लागू करना	17-36
5 शहरी विकास योजनायें एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन	37-40
6 आवासीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन	41-58
7 शहरी अवसंरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन	59-78
8 वित्तीय प्रबंधन	79-92
9 अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन	93-100
10 निश्कर्ष एवं अनुशंसाएं	101-103
परिशिष्ट	A1-A20
शब्दावली	G1-G2

प्राककथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 'जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास नवीनीकरण मिशन' की मार्च, 2012 तक के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत, भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन, अप्रैल 2011 से नवम्बर 2011 के बीच, शहरी विकास मंत्रालय, शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय तथा 25 राज्यों तथा 5 केन्द्रशासित प्रदेशों की विभिन्न एजेंसियों के अभिलेखों की जाँच के द्वारा किया गया। लेखापरीक्षा में 2005–06 से 2010–11 के समयकाल को लिया गया।



कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का आरम्भ सुधार लाने, देशभर के शहरों में तेज़ी से विकास करके शहरी अवसंरचना की दक्षता पर ध्यान देने, सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया, सामुदायिक सहभागिता तथा यू.एल.बी./पैरास्टेटल¹ को नागरिकों के प्रति जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से दिसम्बर 2005 में हुआ। इसमें ₹ 1,00,000 करोड़ से अधिक का कुल निवेश प्राक्कलित किया गया, जिसमें केन्द्र सरकार का भाग ₹ 50,000 करोड़ था। केन्द्रीय सरकार के भाग को 2009 में संशोधित करके ₹ 66,084.65 करोड़ किया गया। मिशन का समयकाल सात वर्षों (2005–2012) का था। मिशन के अंतर्गत 65 शहरों की, मिशन शहरों के रूप में पहचान की गई थी। पहचाने गए 65 शहरों के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत दो उप-मिशन थे : 'शहरी अवसंरचना तथा शासन (यू.आई.जी.)' (उप-मिशन I) तथा 'शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं' (बी.एस.यू.पी.) (उप-मिशन II)। अन्य शहरों तथा कस्बों के संदर्भ में, दो घटक थे जिनके नाम हैं (i) 'छोटे तथा मध्यम स्तरीय शहरों तथा कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एम.टी.)' तथा (ii) एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम' (आई.एच.एस.डी.पी.)।

शहरी विकास मंत्रालय (एम.ओ.यू.डी.) 'शहरी अवसंरचना तथा शासन (यू.आई.जी.)' तथा 'छोटे तथा मध्यम स्तरीय कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना' के लिए नोडल मंत्रालय है। जल-आपूर्ति (जिसमें सैनिटेशन समिलित है), सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, सड़क नेटवर्क, शहरी परिवहन, शहर के आतंरिक (प्राचीन) क्षेत्रों का पुनःविकास आदि से संबंधित शहरी अवसंरचना योजनाओं पर यू.आई.जी. तथा यू.आई.डी.एस.एम.टी. के अंतर्गत कार्य किया गया था। शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय (एम.ओ.एच.यू.पी.ए.) 'शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं' तथा एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) का नोडल मंत्रालय है। ये योजनाएं आवासीय तथा स्लम विकास के लिए आश्रय, बुनियादी सेवाएं तथा अन्य संबंधित नागरिक सुविधाएं प्रदान करने से संबंधित हैं।

(पैरा 1.2)

मिशन के समय काल 2005–06 से 2011–12 के दौरान, योजना आयोग के द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए परिकलिप्त ₹ 66,084.65 करोड़ के आबंटन के विरुद्ध उस समय ₹ 45,066.23 करोड़ का बजटीय आबंटन हुआ। इस आबंटन के विरुद्ध, यू.आई.जी., यू.आई.डी.एस.एम.टी., बी.एस.यू.पी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. के संदर्भ में 2011–12 तक केवल ₹ 40,584.21 करोड़ ही जारी हुआ।

(पैरा 1.5)

योजना के पूर्ण होने के लिए औसतन लगभग दो वर्ष का समय दिया गया था। यद्यपि 31 मार्च, 2011 तक अनुमोदित हुई 2815 परियोजनाओं में से केवल 253 (8.9 प्रतिशत) परियोजनाएं ही 31 मार्च, 2011 तक पूर्ण हो पायी थीं।

(पैरा 1.6)

यद्यपि भीड़ को कम करने के लिए, शहरी नवीकरण अर्थात् शहरों के आतंरिक (प्राचीन) क्षेत्रों का पुनर्विकास करना, जे.एन.एन.यू.आर.एम. का एक उद्देश्य था, शहरी नवीकरण के लिए 532 परियोजनाओं में से 11 तथा 766 परियोजनाओं में से केवल 10 ही क्रमशः यू.आई.जी. तथा यू.आई.डी.एस.एम.टी. के अंतर्गत 2010–11 तक एम.ओ.यू.डी. द्वारा अनुमोदित हुईं।

(पैरा 1.7)

¹ राज्य सरकारों की संवैधानिक एजेंसियां जोकि सुविधाएं जैसे जल, सीवरेज आदि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस संबंध में यह मद शहरी एजेंसियों हेतु प्रयोग किया गया है।

लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्र तथा नमूना

निष्पादन लेखापरीक्षा में समयकाल 2005–06 से 2010–11 के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना का कार्यान्वयन सम्मिलित है। लेखापरीक्षा का संचालन 28 में से 25 राज्यों तथा सात यू.टी. में पांच यू.टी. में किया गया। लेखापरीक्षा में शहरी विकास मंत्रालय तथा 'शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन' मंत्रालय के रिकॉर्डों, 65 मिशन शहरों में से 39 शहरों तथा 46 अन्य शहरों एवं कस्बों की 216 परियोजनाओं (82 आवासीय परियोजनाओं तथा 134 शहरी अवसंरचना परियोजनाओं) की जाँच सम्मिलित थी।

(पैरा 2.2)

लेखापरीक्षा जाँच परिणाम

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन की संरचना

कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयों (पी.एम.यू.) की स्थापना, यू.एल.बी./पैरास्टेटल एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं की समीक्षा करने तथा उत्तरदायित्व निभाने में उनकी भूमिका योजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति अनुवीक्षण करने, सुधारों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण करने, तकनीकी तथा सलाहकार समिति का विस्तार करके एस.एल.एन.ए. की क्षमता को बढ़ाने आदि में, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी की मदद करने के लिए की गई थी। यहाँ तक कि नौ राज्यों/यू.टी. में पी.एम.यू. की स्थापना नहीं की गई थी। जिन राज्यों/यू.टी. में पी.एम.यू. की स्थापना की गई है वहाँ इनके कार्य में पाया गया है कि यह इनको दिए गए विभिन्न कार्य नहीं कर रही है। झारखण्ड, उत्तराखण्ड तथा ओडिशा में तकनीकी तथा अन्य पदों में रिक्तियां थीं।

(पैरा 3.2.2)

परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों (पी.आई.यू.) की रचना आपैरेटिव इकाइयों के रूप में यू.एल.बी. की कमी की पूर्ति एवं कौशल को बढ़ाने के लिए की जानी थी। 10 राज्यों में पी.आई.यू. की स्थापना नहीं की गई थी। वे राज्य अरुणाचल प्रदेश, विहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू तथा कश्मीर, ओडिशा, पुडुचेरी तथा सिक्किम थे। यद्यपि जहाँ पी.आई.यू. की स्थापना की गई थी, वे कुशलता से कार्य नहीं कर रहे थे। पी.आई.यू. में रिक्तियां थीं।

(पैरा 3.2.3)

सुधारों का कार्यान्वयन

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशानिर्देशों तथा जी.ओ.आई. राज्य सरकार तथा शहरी स्थानीय निकाय द्वारा हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के अनुसार, राज्यों तथा यू.एल.बी. को 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के द्वारा एक रेखा में सुधार आरम्भ करने की आवश्यकता थी। सुधारों को आवश्यक तथा वैकल्पिक सुधारों में वर्गित किया गया था। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत शहरों में वैकल्पिक सुधारों को कार्यान्वित करने के लिए प्रत्येक वर्ष में, वैकल्पिक वर्ग में से कोई दो सुधारों को चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त थी।

शहरी विकास मंत्रालय सभी सुधारों की स्थिति का अनुवीक्षण करने के लिए उत्तरदायी था। शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय विशेषतः तीन गरीब अनुकूल² सुधारों का अनुवीक्षण करने के लिए उत्तरदायी था।

यू.एल.बी. के लिए पांच वर्ष में एक बार नियमित रूप से चुनाव संचालित कराना आवश्यक सुधार के रूप में प्रबलित किया गया। हमने पाया कि छ: राज्यों में, यू.एल.बी. के लिए नियमित रूप से चुनाव नहीं हुए। इसी प्रकार शहरी विकास मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार यह पाया गया कि 31 राज्यों/यू.टी. में से 11 ने सुधारों द्वारा आवश्यक बनाए गए 18 कार्यों को यू.एल.बी. को हस्तांतरित किया था। शेष राज्यों में यू.एल.बी. को हस्तांतरित

² तीन सुधारों, जो स्लम सुधार के लिए अत्यावश्यक हैं एम.ओ.एच.यू.पी.ए. द्वारा उप मिशन बी.एस.यू.पी. हेतु जारी दिशानिर्देशों में, को गरीब अनुकूल सुधार नाम दिया गया।

किए गए कार्यों की संख्या भिन्न-भिन्न थी। यहाँ तक कि शहरी योजना कार्य भी 16 राज्यों/यू.टी. में कार्यान्वित नहीं हो सका था।

(पैरा 4.1.1)

यह पाया गया कि 66 यू.एल.बी./पैरास्टेटल जिनको 2010–11 तक एकुअल बेस दोहरी लेखा एंट्री प्रणाली में सुधार को कार्यान्वित करना था उनमें से केवल 44 यू.एल.बी./पैरास्टेटल में ही सुधार कार्यान्वित किया गया।

(पैरा 4.1.3)

यू.एल.बी./पैरास्टेटल के लिए अनुदान के स्त्रोतों को बढ़ाने के लिए कई सुधार किए गए थे। हमने पाया कि 51 यू.एल.बी./पैरास्टेटल में से 27 ने 2010–11 तक 85 प्रतिशत सम्पत्ति कर सुधार का कवरेज़ किया। इसी प्रकार चुने गए 39 शहरों में से केवल 10 (विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चंडीगढ़, फरीदाबाद, बैंगलोर, मुम्बई, पुणे, शिलांग तथा लखनऊ) ने 90 प्रतिशत या अधिक वसूली की सूचना दी है। उपभोक्ता शुल्क के प्रथम संग्रहण पर, हमने पाया कि लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 39 शहरों में से, जलापूर्ति तथा ठोस कचरा प्रबंधन की उपभोक्ता शुल्क संग्रहण प्रक्रिया की स्थापना क्रमशः सात तथा पाँच शहरों में हुई थी।

(पैरा 4.1.4)

अधिक पारदर्शिता तथा उत्तरदायिता लाने के लिए कुछ सुधारों का कार्यान्वित किया जाना आवश्यक था। इन सुधारों में 'लोक प्रकटीकरण कानून', ई-शासन प्रणाली की रचना, सम्पत्ति प्रमाणीकरण, भवन के पुनरावलोकन उपनियम, भूमि व सम्पत्ति का कम्प्यूटरी पंजीकरण आदि। हमने पाया कि 20 राज्यों/यू.टी. ने लोक प्रकटीकरण कानून के विधिकरण सुधार का कार्यान्वयन किया। ई-शासन प्रणाली को 2010–11 तक कार्यान्वित करने का कार्य दी गई 62 यू.एल.बी./पैरास्टेटल में से 27 ने यह सुधार किया। शहरी विकास मंत्रालय के अभिलेखों से हमने पाया कि किसी भी शहर ने सम्पत्ति प्रमाणीकरण का कार्यान्वयन नहीं किया है। भवन के पुनरावलोकन उपनियम से संबंधित, स्वीकृति प्रक्रिया को प्रवाह में लाने के लिए जिन 21 यू.एल.बी. ने 2010–11 तक इस सुधार को कार्यान्वयन करना था, उन्होंने वह नहीं किया था। हमने यह भी पाया कि 63 यू.एल.बी./पैरास्टेटल में से केवल 49 ने ही सुधारों में परिकल्पित भूमि व सम्पत्ति के कम्प्यूटरी पंजीकरण कार्यान्वित किया था।

(पैरा 4.1.5)

राज्य स्तरीय आवश्यक सुधारों के संबंध में, 2010–11 तक 'किराया नियंत्रण कानून का संशोधन' सुधार का कार्यान्वयन करने के लिए वचनबद्ध 16 राज्यों ने, तब तक कार्यान्वयन नहीं किया था। इसी प्रकार 13 राज्यों/यू.टी. में स्टांप ड्यूटी शुल्क पाँच प्रतिशत से ऊपर जारी रहा।

(पैरा 4.1.7)

शहरी विकास योजना तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य पहचाने गए शहरों जिसमें परिशहरी क्षेत्रों, बाहरी विकास³, शहरी गलियारा शामिल हो का सुनियोजित विकास था ताकि शहरीकरण विस्तृत रूप में हो सके। अन्य उद्देश्य, शहरों में बुनियादी सेवाओं का संबद्ध विकास था। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु, प्रत्येक पहचाने गए मिशन शहर के लिए राज्य/यू.टी./यू.एल.बी. या पैरास्टेटल के द्वारा एक शहर विकास योजना (सी.डी.पी.) को तैयार किया जाना था। सी.डी.पी. को योजित शहरी सापेक्ष ढाँचे के लिए 20–25 वर्षों (5 वर्षों की अद्यतनीकरण) के समय के लिए जिसके अंतर्गत परियोजनाएँ पहचानी जानी थीं, का विस्तृत प्रलेख होना था।

अगला कदम परियोजनाओं का उत्तरदायित्व उठाने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना था। केन्द्रीय स्तर पर परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान सी.डी.पी. के साथ डी.पी.आर. की भी जाँच की जानी थी। यह भी उल्लिखित किया गया था कि सी.डी.पी. की महत्वता को देखते हुए डी.पी.आर. को इसके बिना अनुमोदित नहीं किया जाना था। इस प्रकार शहर के द्वारा मिशन अनुदान प्राप्त कर पाने से पूर्व सी.डी.पी. तथा डी.पी.आर. को तैयार करना आवश्यक था।

³ शहरी समूह, एक निरंतर शहरी विस्तार है जो कि एक शहर तथा इससे जुड़ी शहरी अधिवृद्धि से मिलकर बना है। अधिवृद्धि के उदाहरण रेलवे कॉलोनियाँ, विश्वविद्यालय परिसर, बंदरगाह क्षेत्र, सेना कैम्प आदि हैं, जो कि वैधानिक कर्त्तव्य या शहर के समीप बस जाते हैं परंतु कर्त्तव्य या शहर के समीप वाले गाँव या गाँवों की राजस्व सीमा के भीतर होते हैं।

चुने हुए कुछ राज्यों/यूटी. में हमने पाया कि कुछ मामलों में व्यक्तिगत परियोजनाओं के डी.पी.आर का सी.डी.पी. से कोई संबंध नहीं था।

(पैरा 5.1)

हमने डी.पी.आर में अन्य कमियां भी पायी जैसे भूमि-उपलब्धता के विषय में विस्तृत जानकारी न होना, अपूर्ण डी.पी.आर. आदि।

(पैरा 5.2)

आवासीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन

आवासीय परियोजनाओं का उत्तरादायित्व, 65 मिशन शहरों के लिए शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं (बी.एस.यू.पी.) तथा मिशन शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों व कस्बों के लिए एकीकृत स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.डी.पी.) के अंतर्गत किया गया था।

प्राथमिक तौर पर बी.एस.यू.पी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं में आवास इकाईयों की रचना शामिल थी, जबकि कुछ परियोजनाओं में ही आधारभूत सुख-सुविधाओं का सुधार शामिल है।

बी.एस.यू.पी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत 1517 परियोजनाओं में से 82 परियोजनाओं का चयन लेखापरीक्षा जाँच के लिए किया गया जिनमें से 53, बी.एस.यू.पी. तथा 29 आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत थीं। यह देखा गया था कि इन चुनी गई परियोजनाओं में से सात आरम्भ भी नहीं हुई तथा एक परियोजना को छोड़ दिया गया था। केवल एक ही चुनी हुई परियोजना अर्थात् बवाना, नरेला तथा भोरगढ़, बी.एस.यू.पी., दिल्ली में शहरी गरीबों के लिए आवासीय परियोजना जोकि 2007–08 में अनुमोदित हुई, पूर्ण हुई। शेष 73 परियोजनाएं अपूर्ण थीं।

अनुमोदित हुई 16.07 लाख डी.यू. में से केवल 4.18 लाख डी.यू. (26 प्रतिशत) 31 मार्च 2011 तक पूर्ण हुई थीं। पूर्ण हुई डी.यू. में से केवल 2.21 लाख डी.यू. (53 प्रतिशत) अधिग्रहीत हुई।

(पैरा 6.1)

लेखापरीक्षा के जाँच परिणामों ने अपात्र लाभार्थियों के इस योजना, शहरी गरीबों के लिए बनी योजना, से लाभ प्राप्त करने के खतरे की ओर संकेत किया है। लेखापरीक्षा में लाभार्थियों की पहचान करने में हुई कमियों के 11 मामले पाये गए। उदाहरणतः बी.एस.यू.पी. के अंतर्गत कोच्चि फेस-II व्यक्तिगत आवास, केरल जहाँ निगम के कर्मचारियों जिनकी नियमित आय थी जो बी.एस.यू.पी. के अंतर्गत सहायता के पात्र नहीं थे, को तीन कॉलोनियों के लाभार्थियों में शामिल किया गया।

(पैरा 6.3)

परियोजनाओं के बिल्कुल भी आरम्भ न होने तथा प्रगति में देरी होने के पीछे मुख्य कारण समय पर भूमि उपलब्ध न होना पाया गया है। कुछ मामलों में भूमि, आंशिक रूप से ही उपलब्ध करायी गयी थी। कुछ राज्यों/यूटी. में यह भी देखा गया कि चुनी गई भूमि पहले से ही अन्य लोगों के द्वारा घेरी जा चुकी थी तथा उपलब्ध नहीं थी। लेखापरीक्षा के सामने ऐसे मामले भी आए जहाँ आवास परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी का कारण भूमि अधिग्रहण में देरी था।

(पैरा 6.4)

कुछ राज्यों/यूटी. में लाभभोगी अंशदान संग्रहित ही नहीं किया गया था या फिर जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशानिर्देशों से विचलन में संग्रहित करने के लिए प्रस्तावित किया गया।

(पैरा 6.8)

हमने ऐसे मामले भी पाए जहाँ जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत स्वीकार्य उद्देश्यों से अलग उद्देश्यों तथा यहाँ तक की कुछ मामलों में गैर-जे.एन.एन.यू.आर.एम. उद्देश्यों के लिए भी अनुदान वितरित किया गया था।

(पैरा 6.9)

आवासीय तथा स्लम विकास पैरोल (करुआ), आई.एच.एस.डी.पी. जम्मू तथा कश्मीर में, नगर निगम समिति, पैरोल के कार्यकारी अधिकारी ₹ 2.12 करोड़ की धनराशि, असत्यापित लाभभोगियों के बीच ₹ 30000/- प्रति लाभभोगी की दर से वितरित की। बी.एस.यू.पी. आंध्र प्रदेश में हमने पाया कि आंध्र प्रदेश आवासीय बोर्ड को मई 2010 तक ₹ 72.72 करोड़ का जे.एन.एन.यू.आर.एम. अनुदान दिया गया, जोकि राज्य सरकार योजना (राजीव गृह कल्प) को विपरित किया गया था। इसमें से ₹ 32.78 करोड़ का उपयोग लाभभोगियों को योगदान वापस करने में किया गया।

(पैरा 6.10)

शहरी अवसंरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन

हमने यूआई.जी. के अंतर्गत 532 योजनाओं में से 97 तथा यूआई.डी.एस.एस.टी. के अंतर्गत 766 परियोजनाओं में से 37 का जाँच करने के लिए चयन किया।

उत्तर प्रदेश के सात मिशन शहरों में एक भी शहरी अवसंरचना परियोजना पूर्ण नहीं हुई, जबकि दिल्ली में, अनुमोदित हुई 28 परियोजनाओं में से केवल चार परियोजनाएं ही पूर्ण हुई थीं। तुलनात्मक रूप से, गुजरात (71 परियोजनाओं में से 33), कर्नाटक (46 परियोजनाओं में से 16) तथा आंध्र प्रदेश (50 परियोजनाओं में से 17) में अधिक परियोजनाएं पूर्ण हुईं।

(पैरा 7.1)

हमने पाया कि चयनित 37 जल आपूर्ति परियोजनाओं (यूआई.जी. के अंतर्गत 21 परियोजनाएं तथा यूआई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत 16 परियोजनाएं) में से पाँच आरम्भ ही नहीं की गई थी तथा एक परियोजना को वापस ले लिया गया था। चयनित परियोजनाओं में से केवल तीन ही पूर्ण हुईं। शेष 28 परियोजनाएं पूर्ण होने के विभिन्न स्तरों पर थीं। कई चयनित जल आपूर्ति परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी का कारण विभिन्न एजेंसियों से अनुमति न मिलना या समय रहते अनुमति न मिल पाना था। भूमि अधिग्रहण तथा धीमी निविदा प्रक्रिया भी देरी का कारण थी, परियोजनाओं के अपूर्ण रह जाने के कारण, जल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए खरीदी गई मशीनें/उपकरण व्यर्थ ही रहे।

(पैरा 7.2)

11 चयनित ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं (यूआई.जी. के अंतर्गत 6 परियोजनाएं तथा यूआई.डी.एस.एम.टी. के अंतर्गत 5 परियोजनाएं) में, हमने पाया कि दो आरम्भ ही नहीं की गई तथा 9 परियोजनाएं पूर्ण नहीं हुईं थीं। हमने पाया कि भूमि की अनुपलब्धता, पर्यावरण तथा वन हटाने हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुमति तथा भूमि की सफाई तथा जन-विरोध के समाप्त न होने के कारण परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी हुई। चार मामलों में हमने पाया कि ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पहले ही खरीदी गई मशीनें एवं उपकरणों के कारण ₹ 3.41 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध हुई। रोहतक, हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा स्थल परिवर्तन के कारण ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना पर ₹ 1.76 करोड़ का व्यर्थ खर्च हुआ।

(पैरा 7.3)

56 चयनित सीवरेज परियोजनाओं में, हमने पाया कि तीन आरम्भ ही नहीं की गई, एक परियोजना बंद कर दी गई तथा पाँच परियोजनाओं को स्थगित किया गया था। केवल चार चयनित परियोजनाएं ही पूर्ण हुई तथा शेष 43 परियोजनाएं, पूर्ण होने के विभिन्न स्तरों पर थीं। हमने पाया कि बिलासपुर में स्वच्छता एवं सीवरेज तंत्र के लिए दो ठेकेदारों को ₹ 26.15 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया तथा यद्यपि सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अग्रिम अनुबंध के नियमानुसार भुगतान नहीं किया गया।

(पैरा 7.4)

चयनित 19 एम.आर.टी.एस., सड़क एवं फ्लाईओवर तथा अन्य परिवहन परियोजनाओं (यूआई.जी. के अंतर्गत दस तथा यूआई.डी.एस.एस.एम.टी. के अंतर्गत नौ) में, हमने पाया कि एक परियोजना को छोड़ दिया गया तथा दो परियोजनाओं को वापस ले लिया गया था। केवल तीन परियोजनाएं पूर्ण हुई तथा शेष 13 परियोजनाएं पूर्ण होने के विभिन्न चरणों पर थीं। दो परियोजनाओं में, लोक निर्माण विभाग ने दो ठेकेदारों को निर्माण स्थल पर

बैरीकेटर उपलब्ध कराने के लिए ₹ 1.52 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया गया था। संयोगवश, कार्यपूर्ण होने के पश्चात् पी.डब्ल्यू.डी. ने ठेकेदारों को बैरीकेटर अपने साथ ले जाने की अनुमति दी, यद्यपि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सम्पत्ति थी क्योंकि इनकी लागत, पहले ही ठेकेदारों को भुगतान कर दी गई थी।

(पैरा 7.6.1 तथा 7.6.3)

जैसे कि आवासीय परियोजनाओं में था वैसा ही शहरी अवसंरचना परियोजनाओं में हमने पाया कि 8 मामलों में जहाँ जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत स्वीकृत उद्देश्यों के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों तथा कुछ गैर—जे.एन.एन.यू.आर.एम. उद्देश्यों के लिए ₹ 114.68 करोड़ की निधियां दी गयी।

(पैरा 7.8)

असम, गुवाहाटी में जल आपूर्ति परियोजना के संदर्भ में, हमने पाया कि परियोजना की कार्यकारी एजेंसी गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण (जी.एम.डी.ए.) ने मार्च 2011 तक ₹ 2.62 करोड़ की राशि भूमि-क्षतिपूर्ति के लिए भुगतान की है जबकि डी.पी.आर. की अनुमानित लागत में भूमि-क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं था।

(पैरा 7.8.1)

वित्तीय प्रबंधन

मिशन के अंतर्गत निधियां, राज्य सरकार या नामित एस.एल.एन.ए. को अतिरिक्त केन्द्रीय सहयोग (ए.सी.ए.) के रूप में दिया जाना था। राज्य सरकार/एस.एल.एन.ए. को ए.सी.ए. इसकी आनुपातिक हिस्सों के साथ कार्यान्वयन एजेंसियों को देना था।

निर्देशों में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि परियोजना अनुमोदित होने के पश्चात् किस समय तक अनुदान दिए जाने हैं। शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय के प्रलेखों और भौतिक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट की (31. 03.2011 तक) जाँच करने पर यह सामने आया कि केन्द्रीय सरकार से संबंधित एस.एल.एन.ए. को अनुदान प्राप्त होने में देरी हुई थी।

(पैरा 8.2)

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशा निर्देशानुसार, राज्य सरकार द्वारा यू.एल.बी./कार्यान्वयन एजेंसियों को तुरन्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहयोग (वित्त मंत्रालय/एम.एच.ए. से प्राप्त) इसके आनुपातिक हिस्सों के साथ दिया जाना था। हमने पाया कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को आनुपातिक हिस्सा देने में देरी की गई थी। इसी प्रकार, हमने पाया कि यू.एल.बी. को परियोजना संचालन के लिए दिए जाने वाले आनुपातिक हिस्सों में कमियां/देरी थीं।

(पैरा 8.3)

हमने पाया कि आवर्ती कोष, (यू.आई.जी./यू.आई.डी.एस.एस.टी.) के मामले में अवसंरचना में अतिरिक्त निवेश के लिए लीवरेज बाजार अनुदान) एस.एल.एन.ए. द्वारा 25 राज्यों में तैयार नहीं किया गया था। तीन राज्यों (आंध्र प्रदेश, तमिलनाडू तथा पश्चिम बंगाल) में यह आंशिक रूप से तैयार किया गया था। दो राज्यों (असम तथा उत्तर-प्रदेश) में यह तैयार किया गया यद्यपि इसका उपयोग क्रमशः डी.पी.आर. को तैयार करने/परियोजना प्रबंधन सलाहकारी शुल्क तथा सङ्करण-कार्य के खर्च उठाने के लिए किया गया था।

(पैरा 8.5)

राज्य सरकार के लिए आवश्यक था कि वह कार्यान्वयन एजेंसियों को तुरन्त ए.सी.ए. के साथ इसका आनुपातिक हिस्सा प्रदान करें। परियोजनाओं के अभिलेखों की जाँच ने यह दर्शाया कि कई मामलों में एस.एल.एन.ए. या यू.एल.बी. ने अनुदान अवरुद्ध किए।

(पैरा 8.6)

हमने पाया कि बैंक में जमा की गई धनराशि पर अर्जित ब्याज के उपयोग के संदर्भ में कोई विशेष निर्देश नहीं दिए गए थे। यह पाया गया कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 30 राज्यों/यू.टी. में से 22 ने बैंक में जमा धनराशि पर 31 मार्च 2011 तक ₹ 210.35 करोड़ ब्याज अर्जित किया।

(पैरा 8.7)

हमने पाया कि ₹ 2436.78 करोड़ (यू.आई.जी), ₹ 2036.66 करोड़ (यू.आई.डी.एस.एस.टी.), ₹ 3054.05 करोड़ (बी.एस.यू.पी.) तथा ₹ 2504.64 करोड़ (आई.एच.एस.डी.पी.) उपयोग प्रमाणपत्र राज्य/यूटी. से मई 2012, मार्च 2011, मार्च 2012 तथा मार्च 2012 को क्रमशः शहरी विकास मंत्रालय तथा शहरी आवास गरीबी उपशमन मंत्रालय में बकाया थे।

(पैरा 8.11)

अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन

योजना के नियमानुसार, प्रत्येक राज्य/यूटी. के लिए नामित अधिकारियों के द्वारा शहरी विकास मंत्रालय तथा शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय को अपने घटकों का क्रमानुसार अनुवीक्षण करना था।

हमने पाया कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. निदेशालय की स्थापना के समय कोई अतिरिक्त स्टाफ की भर्ती नहीं की गई थी (क्योंकि कार्मिक ढाँचा कार्य नहीं कर रहा था) तथा निदेशालय में कर्मचारी को शहरी विकास मंत्रालय की आंतरिक सहमति के अनुसार पद-नियुक्त किया गया। हमने महसूस किया कि ऐसी बड़े पैमाने की योजना को संभालने के लिए मंत्रालय को अपनी भूमिका को ठीक से प्रत्याशित करना चाहिए।

(पैरा 9.1.1)

अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति को अनुवीक्षण करने के लिए यह अनुबद्ध किया गया था कि परियोजना के पूर्ण होने पर, राज्य सरकार के द्वारा नोडल एजेंसी को इस संदर्भ में पूर्णता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए जबकि लेखापरीक्षा जाँच के दौरान, यह पाया गया कि यह शहरी विकास मंत्रालय को नहीं भेजा गया था। मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार यू.आई.जी. के अंतर्गत 2010–11 तक 105 परियोजनाएं पूर्ण हुई जबकि 10 परियोजनाओं के लिए तीन राज्यों से ही पूर्णता प्रमाणपत्र, मंत्रालय में प्राप्त किये गये (मई 2010)।

(पैरा 9.1.3)

शहरी शासन प्रणाली में सुधार हेतु, सलाहकार ग्रुप को राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जाना था जिसका नेतृत्व नागरिक समाज से मोबिलाईजिंग संग्रहण में अनुभव प्राप्त तकनीकी अधिकारी करें। हमने पाया कि मार्च 2006 से मार्च 2011 के बीच होने वाली 61 बैठकों में से, टी.ए.जी. के द्वारा केवल 37 बैठकों का ही आयोजन किया गया था।

(पैरा 9.1.4)

परियोजना विकास जीवनचक्र (पूर्व-निर्माण, निर्माण, कमीशनिंग तथा ट्रायल रन तथा पोस्ट-निर्माण) की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति को जानने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने तृतीय दल अनुवीक्षण तथा समीक्षा के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. उप-मिशन-। के अंतर्गत राज्य स्तरीय प्रक्रिया विकसित की, एस.एल.एन.ए. के द्वारा एक स्वतंत्र समीक्षा तथा अनुवीक्षण एजेंसी को नियुक्त किया जाना था। इसी प्रकार शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय ने भी ऐसी प्रक्रिया से बी.एस.यू.पी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं के संदर्भ में समीक्षा तथा अनुवीक्षण के लिए तृतीय दल निरीक्षण तथा अनुवीक्षण एजेंसियों (टी.पी.आई.एम.ए.) को नियुक्त किया था। प्रत्येक परियोजना को एक आई.आर.एम.ए./टी.पी.आई.एम.ए. के द्वारा कवर किया जाना था तथा शहर, राज्य तथा केन्द्रीय स्तर पर संबंधित सभी पण्डारियों को सम्पूर्ण परियोजना विकास जीवनचक्र की निचले स्तर की प्रतिक्रिया प्रदान की गई है।

शहरी विकास मंत्रालय की लेखापरीक्षा जाँच के दौरान यह पाया गया था कि केवल 27 राज्यों/यूटी. ने परियोजनाओं की तृतीय दल अनुवीक्षण के लिए आई.आर.एम.ए. नियुक्त किए थे। शहरी विकास मंत्रालय यह संकेत नहीं दे सका कि इन 27 राज्यों/यूटी. में सभी परियोजनाओं को शामिल किया गया था या नहीं। शहरी विकास मंत्रालय ने आई.आर.एम.ए. के चुनाव हेतु प्रस्ताव देने के समय, 'आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति के संदर्भ में केवल टूल किट के निर्देशों के अनुपालन की जाँच की तथा प्रतिवेदनों की पत्रिका समीक्षा द्वारा अन्य निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित नहीं किया। जैसा कि इसने परियोजना के चारों स्तरों अर्थात् टूलकिट के अनुसार

पूर्व-निर्माण स्तर, निर्माण स्तर, कमीशनिंग, ट्रायल रन, जाँच स्तर तथा पोस्ट निर्माण स्तर, पर आई.आर.एम.ए. की गतिविधियों को सुनिश्चित नहीं किया।

फरवरी 2012 तक 30 राज्यों/यू.टी. में से 21 के द्वारा टी.पी.आई.एम.ए. की नियुक्ति की गई थी। यह नियुक्ति अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादरा व नागर हवेली, दमन व द्वीप, झारखण्ड, मेघालय, पंजाब तथा सिक्किम में नहीं की गई।

(पैरा 9.2.1)

अनुशंसाएं

- भारत सरकार उन राज्यों को उचित प्रोत्साहन देने की सोचे जो सुधारों को लागू कर रहे हैं जैसा कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. के मार्गदर्शन और एम.ओ.ए. में परिकल्पित था। इसके अलावा, वित्त व मानव संसाधन क्षमता निर्माण को बढ़ावा दे ताकि राज्य लम्बित सुधारों को विस्तारित समय सीमा में (31 मार्च 2014 तक) प्राप्त कर लें।
- स्थानीय अखबार एवं स्थानीय केवल नेटवर्क द्वारा ऐसी योजनाओं को व्यापक प्रचार देने के प्रयास करने चाहिए ताकि पात्र लाभार्थी इन आवासीय परियोजनाओं में शामिल हो सकें।
- भारत सरकार को सभी आवासीय परियोजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए और पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटन के प्रयत्नों को बढ़ाना चाहिए। भारत सरकार को उन राज्यों को भी प्रोत्साहन देने पर विचार करना चाहिए जहाँ पर सृजित परिसम्पत्तियां अतिशीघ्र उपयोग में लाई गई हैं।
- भारत सरकार को परियोजनाओं के निष्पादन के अनुवीक्षण को बढ़ाना चाहिए ताकि अपात्र लाभार्थियों/योजनाओं हेतु विपथन न हो।
- भारत सरकार द्वारा देरी और उसके कारणों का सूक्ष्मता से अनुवीक्षण किया जाना चाहिए और परियोजनाओं के समय पर पूर्ण करने को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।
- शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय दोनों को वित्तीय अनुशासन के माध्यम से अनियमित व्यय और निधियों के विपथन के संदर्भ में एक शून्य सहनशीलता की नीति को लागू करना चाहिए।
- निधि प्रवाह वितरण व्यवस्था, अर्थात् केन्द्र से एस.एल.ए./राज्यों/यू.टी. के माध्यम से कार्यान्वयन एजेन्सियों को उनकी परियोजनाओं की भूस्तरीय स्थिति के समय और मात्रा के अनुसार, युक्तिसंगत बनाया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि न्यूनतम अव्ययित/अतिरिक्त राशि सरकारी खातों से बाहर रहे।
- समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के प्रावधानों का बार बार ध्यान दिलाया जाना चाहिए और भारत सरकार द्वारा राज्यों/यू.टी. को उसका कड़ाई से पालन करने का परामर्श दिया जाना चाहिये।
- सरकार जी.ओ.आई. एवं राज्य/यू.टी. दोनों स्तरों पर योजना के अनुवीक्षण की खामियों की पहचान करे तथा उनका अगले दो वर्षों के दौरान समाधान करें।

अध्याय 1 प्रस्तावना

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) का आरम्भ सुधार प्रेरित उद्देश्य से सम्पूर्ण देश के शहरों को द्रुतगामी प्रगति देने, शहरों में अवसंरचना की दक्षता पर ध्यान देने के साथ, सेवाएँ प्रदान करने वाले तंत्र, सामुदायिक सहभागिता और नागरिकों के प्रति यू.एल.बी./पैरास्टेटल¹ एजेंसियों को उत्तरदायी बनाने के लिए 3 दिसम्बर 2005 को किया गया। मिशन में वर्ष 2005–06 से 2011–12 तक सात वर्षों की अवधि के दौरान ₹ 1,00,000 करोड़ से अधिक का निवेश परिकल्पित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा ₹ 50,000 करोड़ के अंशदान की प्रतिबद्धता थी। राज्य सरकारों और यू.एल.बी. द्वारा शेष ₹ 50,000 करोड़ के सहयोग की आशा थी। 2009 में केंद्रीय सरकार का अंशदान ₹ 66084.65 करोड़ संशोधित कर दिया।

मिशन की योजना इस तथ्य पर आधारित थी कि संविधान के (चौहत्तरवाँ) संशोधन अधिनियम 1992² का उदासीन कार्यान्वयन तथा भूमि और आवासीय उद्योग के संचालन वाले कानून, तंत्र और प्रक्रिया के जारी रहते हुए अधिकतर शहरों और कस्बों में अवसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता तथा उनकी वृद्धि और विकास पर अत्यन्त बल दिया जाये। यह भी महसूस किया गया कि शहरों को कुशलता और समान रूप में कार्य करने हेतु प्रोत्साहन उत्पन्न करना और राज्यों और शहरों के स्तर पर शहरी सुधार कार्यों को सहयोग देना, समुचित योग्य और नियंत्रक ढांचे का विकास करना, निगमों की विश्वसनीयता को बढ़ाना और गरीबों को सेवा प्रदान वाले तंत्र के द्वारा सशक्त करना आवश्यक था।

1.1 मिशन के उद्देश्य एवं अपेक्षित परिणाम

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उद्देश्य थे :

- क) मिशन के अंतर्गत शामिल शहरों में अवसंरचना सेवाओं के एकीकृत विकास पर केंद्रित ध्यान देना।
- ख) दीर्घकालीन परियोजना की निरंतरता के लिए सुधारों को बलपूर्वक चलाने के द्वारा परिसंपत्ति-निर्माण और परिसंपत्ति-प्रबंधन के बीच संबंध स्थापित करना।
- ग) शहरी अवसंरचना सेवाओं में कमियों को पूरा करने के लिये पर्याप्त निधियां सुनिश्चित करना।
- घ) बिखरे हुए शहरीकरण³ की दिशा में सीमा से लगे शहरी क्षेत्रों⁴, सीमा के बाहर के क्षेत्रों तथा शहरी गलियाँ सहित चुनिंदा नगरों का नियोजित विकास
- ड) शहरी गरीबों की सार्वजनिक पहुंच पर बल देने के साथ नागरिक सुविधाओं की आपूर्ति तथा उपयोगिताओं के प्रावधान को बढ़ाना।
- च) भीड़भाड़ को कम करने हेतु पुराने नगरीय क्षेत्रों के लिए शहरी नवीनीकरण कार्यक्रम पर विशेष बल देना और

¹ राज्य सरकारों की संवर्धीनिक एजेंसियां जोकि सुविधाएँ जैसे जल, सीवरेज आदि प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस संबंध में यह मद शहरी एजेंसियों हेतु प्रयोग किया गया है।

² संविधान में जोड़ी गई बारहवीं अनुसूची जिसमें राज्य विधान मंडल की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ निगमों पर सौंप दी गई।

³ शहरीकरण, शहरी क्षेत्रों की भौतिक वृद्धि है जोकि वैश्विक परिवर्तन के या कुल जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि के फलस्वरूप कस्बों में केंद्रित हो गई है (विकिपीडिया के अनुसार—निःशुल्क विश्वकोष वेबसाइट)।

⁴ शहर की सीमा से लगा हुआ उपनगर एवं देहात का क्षेत्र।

- छ) वहनीय मूल्यों पर पढ़े की प्रतिभूति, विकसित आवास, जल आपूर्ति एवं सफाई सहित शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं का प्रावधान तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार की अन्य विद्यमान सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करना।

मिशन की अवधि 2005–06 से 2011–12 तक, सात वर्ष की थी। योजना के दिशा-निर्देशों के अवलोकन के अनुसार, मिशन की समाप्ति पर यूएल.बी. और पैरास्टेटल एजेंसियों द्वारा प्राप्त होने वाले आशयित परिणाम इस प्रकार थे :

1. सभी शहरी सेवाओं तथा शासन निकायों के लिए तैयार की गई और अपनाई गई आधुनिक एवं पादशी बजट, लेखा, वित्तीय प्रबन्ध प्रणालियाँ।
2. आयोजना एवं शासन हेतु नगर स्तरीय रूप रेखा तैयार की जाएगी एवं क्रियात्मक बनाई जाएगी।
3. सभी शहर निवासी शहरी सेवाओं के बुनियादी स्तर की पहुंच को प्राप्त करने के योग्य होंगे।
4. मुख्य राजस्व विलेखों में सुधार के द्वारा शहरी विकास एवं सेवा आपूर्ति के लिए वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर एजेंसियों की स्थापना की जाएगी।
5. स्थानीय सेवाओं और शासन की व्यवस्था इस प्रकार की जाएगी कि वह नागरिकों के प्रति पारदर्शिता रखती हो तथा जवाबदेही हो।
6. यूएल.बी./पैरास्टेटल के मूल-कार्यों में ई-शासन अनुप्रयोगों को शुरू किया जायेगा जिसके परिणामस्वरूप सेवा वितरण की कार्यविधियों में लागत एवं समय में कमी होगी। शहरी स्थानीय निकायों/अर्द्ध-सरकारी एजेंसियों के मुख्य क्रियाकलापों में ई-गवर्नेंस एप्लिकेशन आरम्भ की जाएगी ताकि सेवा आपूर्ति प्रक्रिया की लागत और समय में कमी हो सके।

1.2 जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उप-मिशन

जे.एन.एन.यू.आर.एम. में दो उप-मिशन शामिल थे। शहरी विकास मंत्रालय (एम.ओ.यू.डी.) द्वारा प्रशासित शहरी अवसंरचना एवं शासन (यू.आई.जी.) के लिए (उप मिशन-I)। इस उप-मिशन का मुख्य बल जल आपूर्ति और सफाई, सीवरेज, ठोस कचरा प्रबंधन, सड़क संजाल, शहरी यातायात और पुराने शहरी क्षेत्र के पुनः विकास की अवसंरचना परियोजना पर था।

उप मिशन-II, शहरी गरीबों के लिये बुनियादी सेवायें (बी.एस.यू.पी.) का संचालन आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (एम.ओ.एच.यू.पी.ए.) द्वारा किया गया। इस उप-मिशन का मुख्य बल आश्रय, बुनियादी सेवायें और अन्य नागरिक सुविधायें प्रदान करने की परियोजनाओं के द्वारा स्लम बस्तियों का एकीकृत विकास करना था।

65 मिशन-शहरों को यू.आई.जी. और बी.एस.यू.पी. के तहत शामिल किया गया। शेष शहरों और कस्बों के लिए दो संघटक, छोटे तथा मध्यम कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) और एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) उन्हीं व्यापक व्यापक उद्देश्यों के साथ जो यू.आई.जी. और बी.एस.यू.पी. से संबंधित थे, परिकल्पित किये गये।

अवसंरचना और आवास परियोजनाओं के अतिरिक्त, जे.एन.एन.यू.आर.एम. का उद्देश्य प्रभावी शहरी सेवा वितरण को बढ़ाकर, शहरों के विकास तथा शहरी प्रबंधन, भूमि प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन एवं स्थानीय शासन में हितधारकों के योगदान में सुधार के द्वारा नागरिक अवसंरचना के लिये सक्षम वातारण प्रदान

करना था। अतः राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को सुधारों की कार्य सूची⁵ को स्वीकृत करना था।

यद्यपि मिशन की अवधि मार्च 2012 तक अपेक्षित थी, योजना आयोग ने जनवरी 2012 में परियोजनाओं की पूर्ति हेतु मिशन की अवधि के दो वर्ष बाद तक बजट प्रावधान करने की सहमति दी।

1.3 मिशन शहर

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उपमिशन यू.आई.जी. और बी.एस.यू.पी. के अंतर्गत 65 शहरों का मिशन शहरों के रूप में चयन किया गया। इन्हें जनगणना 2001 के अनुसार तय किया गया और इनके मानदंड और मापदंड निम्न हैं:

तालिका संख्या 1.1: राज्यवार और श्रेणीवार 65 मिशन शहरों/शहरी समुदायों (यू.ए.) की सूची जनगणना 2001 के अनुसार

क्रम सं.	राज्य/केन्द्र भासित प्रदेश का नाम	श्रेणी क—मेगा शहर/यू.ए. (4 मिलियन से अधिक जनसंख्या)	श्रेणी ख—मिलियन से अधिक मिलियन से कम जनसंख्या)	श्रेणी ग—चयनित भासी/यू.ए. (एक मिलियन से कम जनसंख्या धार्मिक/ऐतिहासिक और पर्यटक महत्व के साथ)
1.	आंध्रप्रदेश	हैदराबाद	विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा	तिरुपति
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	ईटानगर
3.	অসম	-	-	গুৱাহাটী
4.	बिहार	-	পटনা	বোধ গয়া
5.	चंडीगढ़	-	-	চণ্ডীগঢ়
6.	छत्तीसगढ़	-	-	রায়পুর
7.	दादर एवं नागर हवेली	-	-	-
8.	दमन एवं दीव	-	-	-
9.	दिल्ली	दिल्ली	-	-
10.	गोवा	-	-	পণ্ড়ী
11.	ગुજરાત	અહમદાਬાદ	વડોદરા સૂરત, રાજકોટ	પોરબંદર
12.	হরিয়ানা	-	ফরীদાబાદ	-
13.	হিমাচল प्रदेश	-	-	শিমলা
14.	জમ्मू एवं कश्मीर	-	-	জম্মু শ্রীনগর
15.	झারখণ্ড	-	জমশেদપুর, ધનબાદ	রঁচী
16.	কর্ণাটক	ಬಂಗಲೂರು	-	ಮैಸूর
17.	কেরল	-	কোচ্চী	তিরുവനંતപুরম
18.	मध्य प्रदेश	-	भोपाल, જવલપુર, ઇંದौર	ઉজ্জैন
19.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	नासिक, પुणे, નागपुર	নাংಡেড়
20.	मणिपुर	-	-	ইম্ফাল
21.	মেঘালয়	-	-	শিলাঁগ
22.	মিজোরাম	-	-	আইজাল
23.	নাগালেণ্ড	-	-	কোহিমা
24.	ଓডିଶା	-	-	ভুবনেশ্বর, পুরী
25.	পুঁজুয়েরী	-	-	পুঁজুয়েরী
26.	পंজाब	-	ਲੁਧਿਆਨਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ	-
27.	রাজस্থান	-	জয়পুর	অজমের-পুঞ্জি
28.	সিকিম	-	-	গংগটোক
29.	তമில்நாடு	வேந்நீ	மதுரை, கோயம்புதூர்	-

⁵ संस्वीकृत समयानुसार सुधारों का कार्यान्वयन

30.	त्रिपुरा	-	-	अगरतला
31.	उत्तर प्रदेश	-	लखनऊ, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा	मथुरा
32.	उत्तराखण्ड	-	-	देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार
33.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	आसनसोल	-
34.	लक्ष्यद्वीप	-	-	-
35.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	-	-
कुल		7	28	30

स्रोत : शहरी विकास मंत्रालय का वर्ष 2009–10 का वार्षिक प्रतिवेदन

यू.आई.जी. और बी.एस.यू.पी. परियोजना के अंतर्गत निधि—आवंटन प्रतिरूप :

तालिका संख्या 1.2: यू.आई.जी. और बी.एस.यू.पी. परियोजनाओं के अंतर्गत निधि आवंटन प्रतिरूप

(आंकड़े प्रतिशत में)

श्रेणी भाहर/कस्बा/यू.ए.	यू.आई.जी.			बी.एस.यू.पी.	
	अनुदान केंद्र अंश	राज्य अंश	यू.एल.बी. या पैरास्टेटल अंश/वित्तीय संस्थायों से ऋण	अनुदान केंद्र अंश	राज्य/यू.एल.बी. /पैरास्टेटल अंश, लाभकारी योगदान सहित
2001 जनगणना के अनुसार 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले भाहर/यू.ए.	35	15	50	50	50
2001 जनगणना के अनुसार 1 मिलियन से अधिक तथा 4 मिलियन से कम जनसंख्या वाले भाहर/यू.ए.	50	20	30	50	50
उत्तरी पूर्वी राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर में भाहर/कस्बे/यू.ए. कपर उल्लेखित भाहरों के अतिरिक्त भाहर/यू.ए. डी-सैलिनेशन प्लांट को स्थापित करने के लिए 20 कि.मी. के क्षेत्र में समुद्रतट और अन्य भाहरी क्षेत्रों मुख्यतः जल की कमी खारा पानी और स्थल स्रोत की अनुपलब्धता से प्रभावित	90	10	.	90	10
	80	10	10	80	20
	80	10	10		

स्रोत : यू.आई.जी. और बी.एस.यू.पी. के दिशानिर्देश

1.4 मिशन शहरों के अतिरिक्त शहर और नगर

मिशन शहरों के अतिरिक्त शहरों और नगरों को शामिल करने के लिये दो संघटक—यू.आई.डी.एस.एस. और आई.एच.एस.डी.पी. को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत परिकल्पित किया गया। यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. परियोजनाओं के संबंध में निधि—आवंटन 80:10 के अनुपात में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य था तथा शेष 10 प्रतिशत नोडल/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दिया जाना था। कार्यान्वयन एजेंसियां, आतंरिक संयंत्रों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राप्त निधियों से प्रतिस्थापित कर सकती थीं।

आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना में निधियों का अनुपात 80:20, केंद्र और राज्य सरकार/यू.एल.बी./पैरास्टेटल के मध्य था। यह भी परिकल्पित किया गया कि राज्य/कार्यान्वयन एजेंसियां अपने संसाधन, लाभकारी योगदान/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त कर सकती थीं।

1.5 केंद्र सरकार द्वारा निधियों का आबंटन और ए.सी.ए. को जारी करना

योजना आयोग ने मूलतः अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) ₹ 50,000 करोड़ का आबंटन सात वर्षों (2005–06 से 2011–12 तक) के लिये किया। वर्ष 2008–09 के दौरान ₹ 66,084.65 करोड़ (बी.एस.यू.पी.– ₹ 16,356.35 करोड़, आई.एच.एस.डी.पी. – ₹ 6,828.031 करोड़, यूआई.जी. – ₹ 31,500.00 करोड़ और यूआई.डी.एस.एम.टी. – ₹ 11,400.00 करोड़) संशोधित किये गये। सात वर्ष की अवधि में 2005–06 से 2011–12 के दौरान, भारत सरकार ने पहले ही ₹ 40,584.21 करोड़ (बी.एस.यू.पी. – ₹ 8,605.64 करोड़, आई.एच.एस.डी.पी. – ₹ 4,941.69 करोड़, यूआई.जी. ₹ 18,543.66 करोड़ और यूआई.डी.एस.एम.टी. ₹ 8,493.22 करोड़) मिशन के अंतर्गत जारी कर दिये थे।

2005–06 से 2011–12 के दौरान आवंटन निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका संख्या 1.3: अतिरिक्त केंद्रीय सहायता का आबंटन और वास्तविक जारी करना

(₹ करोड़ में)

वर्ष	यूआई.जी.		यूआई.डी.एस.एम.टी.		बी.एस.यू.पी.		आई.एच.एस.डी.पी.		कुल आबंटन	कुल जारी	कमी की प्रतिशतता
	आबंटन	वास्तविक जारी	आबंटन	वास्तविक जारी	आबंटन	वास्तविक जारी	आबंटन	वास्तविक जारी			
2005–06	500.00	90.11	90.00	87.47	0.00	72.14	0.00	0.00	590.00	249.72	57.67
2006–07	2500.00	1262.96	900.00	1248.97	761.00	901.78	362.00	492.62	4523.00	3906.33	13.63
2007–08	2541.08	2529.84	1204.00	1204.00	1195.05	1192.80	789.96	792.24	5730.09	5718.88	0.20
2008–09	4455.37	4544.47	3279.69	3280.26	1813.38	1582.92	1113.88	1296.20	10662.32	10703.85	(-) 0.39
2009–10	3921.97	3977.88	494.15	298.82	1344.36	1338.37	786.74	780.72	6547.22	6395.79	2.31
2010–11	5291.63	1930.93	1508.71	1223.44	1629.75	1925.40	587.43	880.25	9017.52	5960.02	33.91
2011–12	4259.41	4207.47	1315.67	1150.26	1721.00	1592.23	700.00	699.66	7996.08	7649.62	4.33
कुल योग	23469.46	18543.66	8792.22	8493.22	8464.54	8605.64	4340.01	4941.69	45066.23	40584.21	9.95

स्रोत : एम.ओ.यू.डी. और एम.ओ.एच.यू.पी.ए. से प्राप्त आंकड़े

तालिका संख्या 1.4: 2005–06 से 2011–12 की अवधि के दौरान योजना आयोग द्वारा राज्यवार आबंटन और जारी ए.सी.ए.

(₹ करोड़ में)

राज्य/यू.टी.	ए.सी.ए. आबंटन/जारी 2005–06 से 2011–12 के दौरान								कुल	
	यूआई.जी.		यूआई.डी.एस.एम.टी.		बी.एस.यू.पी.		आई.एच.एस.डी.पी.		कुल आबंटन	कुल जारी
	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी		
आंध्र प्रदेश	2118.45	1643.58	490.31	1951.94	1547.42	1287.61	764.57	579.90	4920.75	5463.03
अरुणाचल प्रदेश	107.40	112.42	7.46	35.42	43.95	12.67	24.52	4.48	183.33	164.99
অসম	273.20	269.46	101.29	123.65	121.94	48.80	67.25	35.11	563.68	477.02
বিহার	592.41	112.98	254.78	106.74	531.54	78.19	168.07	105.35	1546.80	403.26
চhattisgarh	248.03	224.56	134.78	134.73	385.21	169.29	158.83	118.31	926.85	646.89
গোৱা	120.94	6.22	22.11	11.05	11.43	1.15	35.79	0.00	190.27	18.42
ગુજરાત	2578.81	1878.44	351.82	328.67	1015.56	680.09	256.25	145.75	4202.44	3032.95
হরিয়ানা	323.32	253.27	195.59	96.28	57.31	31.18	209.70	153.86	785.92	534.59
হিমাচল প্রদেশ	130.66	38.10	17.44	32.79	31.29	7.37	37.07	24.39	216.46	102.65

जम्मू एवं कश्मीर	488.36	236.67	35.45	183.54	140.18	47.15	117.34	71.66	781.33	539.02
झारखण्ड	941.20	201.64	114.52	40.03	351.09	82.18	136.00	65.66	1542.81	389.51
कर्नाटक	1524.59	1084.55	443.14	489.31	407.97	316.75	222.69	218.60	2598.39	2109.21
केरल	674.76	273.20	232.82	173.41	250.00	132.83	198.83	143.83	1356.41	723.27
मध्य प्रदेश	1328.50	727.55	438.43	485.94	351.10	226.47	276.64	133.96	2394.67	1573.92
महाराष्ट्र	5505.55	4149.64	664.76	1825.20	3372.56	1749.47	1130.60	726.61	10673.47	8450.92
मणिपुर	152.87	58.46	12.60	28.45	43.91	32.93	32.35	32.35	241.73	152.19
मेघालय	156.68	129.38	7.19	6.45	40.35	26.12	28.97	11.21	233.19	173.16
मिजोरम	148.22	12.82	8.24	7.00	80.11	40.06	29.78	29.78	266.35	89.66
नागालैण्ड	116.28	35.86	10.28	1.91	105.60	79.20	44.14	29.92	276.30	146.89
ओडिशा	322.35	240.76	181.79	91.70	78.74	31.20	176.33	115.70	759.21	479.36
पंजाब	707.75	171.36	226.60	179.36	444.46	26.39	172.56	66.77	1551.37	443.88
राजस्थान	748.69	482.60	401.43	284.22	383.46	85.47	424.56	317.65	1958.14	1169.94
सिविकम	106.13	41.94	1.20	36.17	29.06	21.79	20.90	8.96	157.29	108.86
तमिलनाडु	2250.66	1578.71	705.97	566.90	1107.80	649.36	349.38	328.14	4413.81	3123.11
त्रिपुरा	140.18	74.53	13.76	63.42	23.66	13.96	28.36	34.55	205.96	186.46
उत्तर प्रदेश	2769.41	2183.20	947.92	843.82	1165.22	823.49	854.41	683.22	5736.96	4533.73
उत्तराखण्ड	405.34	208.24	46.70	24.69	97.84	18.90	63.58	62.75	613.46	314.58
पश्चिम बंगाल	3218.40	1167.73	315.25	301.30	2126.98	1000.46	681.04	646.36	6341.67	3115.85
दिल्ली	2823.18	815.33	1.12	0.00	1481.28	473.24	0.00	0.00	4305.58	1288.57
पुर्णचौरी अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	206.80	78.25	5.57	31.34	83.20	29.94	26.95	2.74	322.52	142.27
चंडीगढ़	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	27.29	5.53	31.77	5.53
लक्ष्यद्वीप	270.87	52.23	0.00	0.00	446.13	374.28	0.00	0.00	717.00	426.51
दमन एवं द्वीप	0.00	0.00	1.04	0.00	0.00	0.00	21.03	0.00	22.07	0.00
दादर एवं नागर हवेली	0.00	0.00	2.20	0.31	0.00	0.00	21.97	0.29	24.17	0.60
कुल ⁶	31499.99	18543.68	6399.97 ⁷	8493.20	16356.35	8597.99*	6828.31	4905.10*	66084.66	40584.08

स्रोत : एम.ओ.यू.डी. और एम.ओ.एच.यू.पी.ए. द्वारा उपलब्ध सूचनायें

नोट *: अतिरिक्त ₹ 44.15 करोड़ डी.पी.आर. तैयारी शुल्क, पी.एम.यू./पी.आई.यू., टी.पी.आई.एम.ए. और क्षमता निर्माण हेतु जारी किये गये जिसके बारे में कोई भी राज्यवार आंकड़े लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किये गये।

⁶ सारणी 1.3 और 1.4 में दोनों मंत्रालयों द्वारा दिए गए डाटा में आँकड़ों को पूर्णक में बदलने आए अंतर का कुल।

⁷ फरवरी 2009 में यूआई.डी.एस.एस.एम.टी. के लिये कुछ आंकड़े लेखापरीक्षा को ₹11,400 करोड़ बढ़ाया गया था जोकि राज्य के अनुसार अलग नहीं किया गया था।

ऊपर दी गई तालिका से यह देखा जा सकता है कि यू.आई.जी. बी.एस.यू.पी. तथा आई.एच.एस.डी.पी⁸ के संदर्भ में योजना आयोग द्वारा संशोधित विनियोजन के विरुद्ध ए.सी.ए. जारी करने में महत्वपूर्ण कमियाँ थीं। उदाहरण के लिए, यू.आई.जी. के मामले में, गोवा में कमियाँ 94.86 प्रतिशत तक थीं तथा 14 राज्य/यू.टी. ऐसे थे जहाँ 50 प्रतिशत से भी अधिक निधियाँ जारी होने में कमी थीं। इसी प्रकार बी.एस.यू.पी. परियोजनाओं के मामलों में, सभी राज्यों बिहार (85.29 प्रतिशत), गोवा (89.94 प्रतिशत), हिमाचल प्रदेश (94.06 प्रतिशत) तथा राजस्थान (77.67 प्रतिशत) कमियाँ थीं, जो कि 75 प्रतिशत से अधिक कमियों को दर्शाता है। आई.एच.एस.डी.पी. में भी निधियाँ जारी होने में यथेष्ट कमियाँ थीं, जिसमें गोवा तथा लक्ष्मीप के संदर्भ में कुछ भी जारी नहीं हुआ था।

1.6 परियोजना की स्थिति

अनुमोदित परियोजनाओं का वर्षावार और संघटकवार ब्यौरा निम्न तालिका में दिया गया है :

तालिका संख्या 1.5: अनुमोदित परियोजनाओं का वर्ष और संघटकवार ब्यौरा

संघटक	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09	2009–10	2010–11	कुल
यू.आई.जी.	23	181	117	130	65	16	532
बी.एस.यू.पी.	10	149	113	186	14	27	499
यू.आई.डी.एस.एम.टी.	26	307	98	316	6	13	766
आई.एच.एस.डी.पी.	3	194	223	406	118	74	1018
कुल परियोजनाएं	62	831	551	1038	203	130	2815
संवित कुल जोड़	.	893	1444	2482	2685	2815	.

स्रोत : एम.ओ.यू.डी. और एम.ओ.एच.यू.पी.ए. से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार

परियोजनाओं की समाप्ति के लिये समय अवधि की अनुमति औसतन दो वर्ष के लगभग थी। 31 मार्च 2011 तक 2815 अनुमोदित परियोजनाओं में से, 2482 परियोजनायें (लगभग 88 प्रतिशत), 31 मार्च 2009 तक अनुमोदित की गई। यद्यपि यह निम्न तालिका से देखा जा सकता है कि 31 मार्च 2011 तक कुल परियोजनाओं का केवल 8.98 प्रतिशत ही पूर्ण किया जा सका।

तालिका संख्या 1.6: 31 मार्च 2011 तक परियोजनाओं की स्थिति

संघटक	परियोजना की स्थिति			
	कुल	अभी आरंभ नहीं	प्रगति पर	पूर्ण (प्रतिशत)
यू.आई.जी.	532	65	362	105 (19.73)
यू.आई.डी.एस.एम.टी.	766	42	598	126 (16.44)
बी.एस.यू.पी.	499	84	407	8 (1.60)
आई.एच.एस.डी.पी.	1018	91	913	14 (1.37)
कुल	2815	282	2280	253 (8.98)

स्रोत : एम.ओ.यू.डी. और एम.ओ.एच.यू.पी.ए. से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार

⁸ क्योंकि यू.आई.डी.एस.एम.टी. का संशोधित राज्य-वार आबंटन उपलब्ध नहीं था अतः कमियों का विश्लेषण नहीं किया गया।

1.7 शहरी नवीकरण परियोजनाएं

मिशन के उद्देश्यों में से एक उद्देश्य शहरी नवीकरण कार्यक्रम चलाना जैसे कि भीड़ को कम करने के लिये आंतरिक (पुराने) शहरी क्षेत्रों का पुनः विकास करना था। यद्यपि यह पाया गया कि यूआई.पी. के अंतर्गत 532 अनुमोदित परियोजनाओं में से केवल 11 परियोजनाएं शहरी नवीकरण से संबंधित थीं। ये परियोजनाएं केवल आठ शहरों (हैदराबाद, दिल्ली, अजमेर, पुष्कर, कोचीन, जयपुर, भुवनेश्वर, भोपाल और कोलकाता) के लिये अनुमोदित थीं। इन ग्यारह परियोजनाओं में से केवल दो परियोजनाएं, जो भोपाल में थीं, पूर्ण की गई थीं। आठ परियोजनाएं अभी भी प्रगति में थीं जबकि कोचीन की एक परियोजना जो 2009–10 में अनुमोदित हुई थी, अनुमोदन को एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर भी शुरू नहीं हुई।

यूआई.डी.एस.एस.एम.टी. के संदर्भ में वर्ष 2010–11 तक, 766 अनुमोदित परियोजनाओं में से अपर्याप्त केवल 10 शहरी नवीकरण परियोजनाएं, दस शहरों के लिये अनुमोदित हुईं। इन दस परियोजनाओं में से केवल कोल्हापुर, महाराष्ट्र की एक परियोजना पूर्ण हुई और शेष नौ परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर था।

एम.ओ.यू.डी. के उत्तर के अनुसार यह राज्यों पर था कि वे परियोजनाओं को अग्रता के आधार पर चयन करके मंत्रालय को विचार/अनुमोदन के लिये प्रस्तुत करें।

उत्तर तथ्यों के विपरीत माना जाना चाहिए क्योंकि शहरी नवीकरण परियोजनाओं को लेना मिशन के मुख्य उद्देश्यों में से एक था तथा मंत्रालय को शहरों के आन्तरिक (पुराने) क्षेत्र के पुनर्विकास हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए।

अध्याय 2 लेखापरीक्षा दृष्टिकोण

2.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना तथा निश्चित रूप से पता लगाना था कि :

- सुधार कार्यक्रम जो पूरा किया जाना था पूरा किया गया।
- शहरी विकास योजना (सी.डी.पी.) व्यापक थी और आवश्यकताओं के विस्तृत मूल्यांकन तथा पण्डारियों से प्राप्त सर्वेक्षण एवं सूचनाओं पर आधारित थी।
- सी.डी.पी के अनुसार एकांकी परियोजनाओं को सही रूप से चुना एवं योजनागत किया गया।
- परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक एवं किफायती रूप से क्रियान्वित किया गया ताकि अवसंरचनात्मक सेवाओं का एकीकृत विकास प्राप्त किया जा सके और शहरी गरीबों की बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित किया जा सके।
- निर्मित सम्पत्ति के संचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त प्रबन्ध किये गये।
- वित्तीय प्रबंधन नियंत्रण पर्याप्त रूप से प्रयोग किया गया।
- पर्याप्त एवं प्रभावी अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए एक तंत्र था।

2.2 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र व नमूना

निष्पादन लेखापरीक्षा जे.एन.एन.यू.आर.एम योजना के कार्यान्वयन की 2005–06 से 2010–11 अवधि को कवर करती है। लेखापरीक्षा को 25 राज्यों⁹ व 5 केन्द्रशासित प्रदेशों¹⁰ में संचालित किया गया।

लेखापरीक्षा नमूना में 39 मिशन शहरों में 216 परियोजनाओं और मिशन शहरों के अलावा 46 शहरों और कस्बों को शामिल किया गया। इन 216 परियोजनाओं में 82 आवासीय परियोजनाएं एवं 134 शहरी अवसंरचना परियोजनायें थीं। इन परियोजनाओं में लेखापरीक्षा का ध्यान जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन पर केन्द्रित था। शहरी परिवहन के अंतर्गत बसों की खरीद को लेखापरीक्षा द्वारा कवर नहीं किया गया क्योंकि यह एक खरीददारी का मुद्दा था न कि परियोजना से संबंधित।

तालिका संख्या 2.1: विभिन्न घटकों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा के लिए चयनित और मंजूर की गई कुल परियोजनाएँ:-

घटकों के नाम	शहरी अवसंरचना/परियोजनाएं		आवासीय परियोजनाएं		कुल
	यू.आई.जी.	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी	बी.एस.यू.पी	आई.एच.एस.डी.पी	
परियोजनाओं की कुल संख्या ¹¹	532	766	499	1018	2815
चयनित परियोजनाओं की संख्या	97 ¹²	37	53	29	216

⁹ गोवा, मणिपुर व त्रिपुरा के अलावा

¹⁰ अङ्गमान एवं निकोबार द्वीप व लक्षद्वीप के अलावा

¹¹ 31 मार्च 2011 तक अनुमोदित

¹² चार वापिस ली गई परियोजनाओं को भी चुना गया

2.3 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा मापदंड के मुख्य स्रोत थे—

- एम.ओ.यू.डी., एम.ओ.एच.यू.पी.ए., वित्त मंत्रालय एवं योजना आयोग, द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के संदर्भ में जारी दिशानिर्देश, निर्देश/परिपत्र/आदेश
- राज्य/यू.टी., भारत सरकार एवं यू.एल.बी. के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन।
- चयनित शहरों की शहर विकास योजना।
- चयनित परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट।
- जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत विभिन्न मुद्दों के लिए एम.ओ.यू.डी./एम.ओ.एच.यू.पी.ए. द्वारा जारी टूलकिट।
- केन्द्रीय मंजूरी व निगरानी समितियों की बैठकों के कार्यवृत।

2.4 लेखापरीक्षा पद्धति:

निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारंभ से पहले, एक पायलट अध्ययन जून/जुलाई 2010 देहरादून में संचालित किया गया। इस पायलट अध्ययन के साथ-साथ जे.एन.एन.यू.आर.एम के अध्ययन के आधार पर, संबंधित योजना के दिशानिर्देशों सहित संबंधित दस्तावेजों को भाग लेने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित राज्यों में लेखापरीक्षा संचालन करने के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देश जारी किए गए थे। राज्यों में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा अप्रैल 2011 एवं नवंबर 2011 के बीच की गई।

शहरी आवासीय गरीबी उपशमन मंत्रालय व शहरी विकास मंत्रालय के साथ क्रमशः 23 जून 2011 एवं 9 सितंबर 2011 को प्रवेश सम्मेलन किये गये। ये प्रवेश सम्मेलन लेखापरीक्षा पद्धति, कार्यक्षेत्र, उद्देश्य और मानदंड पर चर्चा व स्पष्ट करने के लिये आयोजित किये गये थे। चयनित राज्यों और यू.टी. ने भी प्रवेश सम्मेलनों का आयोजन किया।

भारत सरकार के स्तर पर लेखापरीक्षा में शहरी विकास मंत्रालय एवं शहरी आवासीय गरीबी उपशमन मंत्रालय और अन्य स्टेकहोल्डर जैसे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय व योजना आयोग के साथ हुई पारस्परिक क्रिया शामिल की गयी।

राज्य स्तर पर क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में राज्य सरकार के विभागों, राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों और यू.एल.बी./पैरास्टेटल एजेंसियां शामिल थीं जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार थीं। चयनित परियोजनाओं के स्थल के दौरे भी किये गये। कुछ मामलों में, लेखापरीक्षा दलों के साथ संबंधित विभाग के अधिकारी साथ थे। चिन्हित लाभार्थियों का सर्वेक्षण भी किया गया।

मसौदा लेखापरीक्षा निष्कर्ष संबंधित राज्यों को तथ्यों और आंकड़ों की पुष्टि और लेखापरीक्षा टिप्पणी हेतु जारी किये गये थे। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा के लिए निकासी सम्मलेन सभी चयनित राज्यों/यू.टी. (दादर व नागर हवेली को छोड़कर) में आयोजित की गई। राज्य/यू.टी. की सरकारों द्वारा जहां कहीं उत्तर दिये गये पर विचार किया तथा उचित रूप से प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया।

मसौदा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 16 मार्च 2012 को शहरी विकास मंत्रालय व शहरी आवासीय गरीबी उपशमन मंत्रालय को जारी किया गया। दोनों मंत्रालयों के जवाबों को उपयुक्त रूप से इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया। शहरी विकास मंत्रालय एवं शहरी आवासीय गरीबी उपशमन मंत्रालय के साथ निकासी सम्मेलन क्रमशः 20 जून 2012 तथा 21 जून 2012 को लेखापरीक्षा निष्कर्ष पर चर्चा हेतु आयोजित किये गये।

2.5 अभिस्वीकृति

निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान एम.ओ.यू.डी., एम.ओ.एच.यू.पी.ए., एम.ओ.एफ., एम.एच.ए, योजना आयोग, राज्य सरकारें, शहरी स्थानीय संस्थाओं व अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा दिये गये सहयोग व सहायता को लेखापरीक्षा स्वीकार करता है।

अध्याय 3 जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए संरचना

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत यद्यपि सुधारों को परिकल्पित किया गया है, जबकि मिशन के बुनियादी दबाव परियोजना संचालित थे। मिशन के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित रणनीति को अपनाये जाने के माध्यम से प्रस्तवित किया गया :

- (i) प्रत्येक शहर से, एक शहरी विकास योजना (सी.डी.पी) जिसमें सुविधाओं सहित एकीकृत भूमि उपयोग, शहरी परिवहन और पर्यावरण प्रबंधन तैयार करने की उम्मीद थी। सी.डी.पी. में 20–25 वर्षों की अवधि (पंचवर्षीय अद्यतन के साथ) के लिए एक शहरी सापेक्ष ढांचा प्रदान करना था जिसमें प्रत्येक चयनित शहर के द्वारा नीतियों, कार्यक्रमों और निधि की आवश्यकता की रणनीति को तैयार करना था।
- (ii) शहरों/शहरी समूहों/पैरास्टेटल को सी.डी.पी के आधार पर पहचाने गये क्षेत्रों की परियोजनाओं के लिये विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) तैयार करनी थी। जे.एन.एन.यू.आर.एम की सहायता प्राप्त करने के लिए, परियोजनाओं को इस रूप में विकसित करने की आवश्यकता है कि परियोजना का योजना क्षितिज पर जीवन चक्र लागत को सुनिश्चित और प्रदर्शित किया जा सके। एक आवर्ती कोष जो संपत्ति के संचालन व रखरखाव (ओ. एण्ड एम) योजना क्षितिज को पूरा करने के लिए आवश्यक थी, को बनाना था।
- (iii) विकास, प्रबन्धन, शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी की परिकल्पना भी की गई थी।
- (iv) केन्द्रीय व राज्य सरकार द्वारा धन को प्रत्यक्ष अनुदान के रूप में राज्य सरकार द्वारा नामित राज्य स्तर की नोडल एजेंसी (एस.एल.एन.ए.) को जारी करने की आवश्यकता थी। शहरों में पहचान की गई परियोजनाओं के लिए निधियों को शहरी स्थानीय निकायों (यू.एल.बी)/पैरास्टेटल एजेंसी के माध्यम से नामित एस.एल.एन.ए. द्वारा सुलभ ऋण या अनुदान कम ऋण या अनुदान के रूप में संवतरित किया जाना था। एस.एल.एन.ए./यू.एल.बी. अन्य साधनों अर्थात् वित्तीय संस्थानों/निजी क्षेत्रों/पूँजी बाजार जैसे अन्य स्रोतों से अतिरिक्त संसाधन का लाभ उठा सकते थे।

3.1 केन्द्र सरकार की भूमिका

जे.एन.एन.यू.आर.एम., शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता और शहरी गरीबी उपशमन राज्यमंत्री की सहअध्यक्षता वाले एक राष्ट्रीय निगरानी समूह (एन.एस.जी.) के मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण के तहत कार्य करता है। एन.एस.जी के अन्य सदस्य संबंधित मंत्रालयों अर्थात् (एम.ओ.यू.डी व एम.ओ.एच.यू.पी.ए) के दो सचिव, सचिव (व्यय) सचिव (योजना आयोग) और राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार हैं। एन.एस.जी., भारत सरकार का एक समन्वय तंत्र है, जो नीतिगत परिदृश्य और योजना को विकसित करता है ताकि जे.एन.एन.यू.आर.एम के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता मिल सके। यह कार्यान्वयन हेतु नीतियां निर्धारित करने, प्रगति की समीक्षा व संवीक्षा और जहां आवश्यक हो उचित कदम उठाने की सलाह देता है।

राष्ट्रीय स्तर पर मिशन के लिए दो मिशन निदेशालयों एक एम.ओ.यू.डी और एक एम.ओ.एच.यू.पी.ए में, की संस्थागत व्यवस्था है।

3.1.1 परियोजनाओं के मूल्यांकन में केन्द्र सरकार की भूमिका

बी.एस.यू.पी और यू.आई.जी के लिये क्रमशः एम.ओ.यू.डी व एम.ओ.एच.यू.पी.ए. के संबंधित सचिवों द्वारा प्रधानित दो केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समितियां हैं जिन्हें मंजूरी व संबंधित सुधारों और परियोजनाओं का अनुमोदन व निगरानी सौंपी गई। यू.आई.जी के अन्तर्गत परियोजना का आंकलन, केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरण अभियांत्रित संगठन (सी.पी.एच.ई.ई.ओ), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी) एम.ओ.यू.डी को परिवहन मंडल और जल एवं विद्युत परामर्श सेवाएं (डब्ल्यू.पी.सी.ओ.एस), जबकि बी.एस.यू.पी के अन्तर्गत परियोजना का आंकलन भवन सामग्री एवं परिवहन समिति (बी.एम.टी.पी.सी) और आवास एवं शहरी विकास निगम (एच.यू.डी.सी.ओ) द्वारा किया जाएगा।


यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी परियोजनाओं के मूल्यांकन में, सी.एस.एम.सी की कोई भूमिका नहीं है। इसके बदले एम.ओ.यू.डी में राज्य स्तरीय मंजूरी समिति में अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जहां यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी परियोजनाओं अनुमोदित होगी। अतः एस.एल.एन.ए को आकलित परियोजनाओं को एम.ओ.यू.डी, योजना आयोग, शहर एवं देश योजना समूह को भेजना था, जो राज्य स्तरीय मंजूरी समिति की बैठक से 15 दिन पहले पहुंचना चाहिए ताकि बैठक में उनके प्रतिनिधि अपनी टिप्पणियां/विचार देने में सक्षम हो सके।

सचिव एच.यू.पी.ए. की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंजूरी समिति, (सी.एस.सी) को आई.एच.एस.डी.पी के अन्तर्गत परियोजनाओं की जांच व अनुमोदन करना था। यू.एल.बी और कार्यान्वयन एजेंसियों को अपने डी.पी.आर संबंधित एस.एल.एन.ए को आंकलन के लिए देने होंगे। केन्द्रीय मंजूरी समिति को राज्य स्तरीय समन्वय समिति की सिफारिश पर राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों द्वारा भेजी गई परियोजनाओं की जांच व अनुमोदन करना था।

3.1.2 वित्त प्रबंधन में केन्द्र सरकार की भूमिका

केन्द्र सरकार को जे.एन.एन.यू.आर.एम के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/एस.एल.एन.ए को किश्तों में ए.सी.ए जारी करना था। इस संबंध में विस्तृत जानकारी अध्याय आठ में दी गई है। इस प्रक्रिया से संबंधित निधि-प्रवाह चित्र 3.1 में दिया गया है।

चित्र 3.1: यू.आई.जी. और बी.एस.यू.पी. परियोजनाओं के लिए प्रक्रिया, मंजूरी और संवितरण



*एम.ओ.एफ एवं एम.एच.ए. क्रमशः राज्यों एवं यू.टी. के लिए निधियों के संवितरण के लिए जिम्मेवार है।

3.2 राज्य सरकारों की भूमिका

राज्य स्तर पर, एक राज्य स्तरीय संचालन समिति (एस.एल.एस.सी.) तथा एक राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी को गठित किया जाना था। एस.एल.एस.सी. की भूमिका चिन्हित परियोजनाओं को छांटना और प्राथमिकता देना तथा यू.आई.जी. एवं बी.एस.यू.पी. हेतु परियोजना को स्वीकृत करने के लिए संबंधित सी.

एस.एम.सी. को सिफारिश करना था। राज्य में एस.एल.एस.सी. का कार्य परियोजनाओं के कार्यान्वयन और सुधारों की निगरानी तथा शहरी सुधारों की प्रगति की समीक्षा करना था।

राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी द्वारा एस.एल.एस.सी. को सहायता दी जानी थी जिसकी मुख्य भूमिका जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अंतर्गत परियोजनाओं को प्राथमिकता देना तथा उनका कार्यान्वयन करना था। एस.एल.एन.ए. के मुख्य कार्य विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का मूल्यांकन करना, एस.एल.एस.सी. का अनुमोदन प्राप्त करना, राज्य एवं केन्द्रीय अनुदान का प्रबंधन करना, पैरास्टेटल / कार्यकारी एजेंसियों को निधियां प्रदान करना, निगरानी करना तथा मंत्रालयों को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना थे। योजना में प्रावधान किया गया कि निधियां, केन्द्रीय तथा राज्य सरकार से सीधे एस.एल.एन.ए., जो राज्य द्वारा नामित हैं, तक पहुंचे, शहरों में चिन्हित परियोजनाओं हेतु निधियां एस.एल.एन.ए. के द्वारा सुलभ ऋण या अनुदान एवं सहायता या अनुदान के रूप में यू.एल.बी./ पैरास्टेटल एजेंसी को संवितरण किया जाना था। बदले में एस.एल.एन.ए./यू.एल.बी. द्वारा अन्य स्रोतों जैसे वित्त संस्थानों/निजी क्षेत्र/पूँजी बाजार से निधियां बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने थे।

कार्यक्रम में राज्य स्तर पर एक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) के साथ साथ यू.एल.बी. स्तर पर परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.), भी परिकल्पित की गई।

3.2.1 राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी

यद्यपि एस.एल.एन.ए. प्रत्येक राज्य में नियुक्त किया गया लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि पुडुचेरी और उत्तराखण्ड में एस.एल.एन.ए. को काफी बाद में क्रमशः 2007 एवं 2008 में नियुक्त किया गया। अधिकांश राज्यों में एस.एल.एन.ए. में कर्मचारियों की कमी जारी थी। दिल्ली में तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण, केन्द्रीय सहायता निधियां एस.एल.एन.ए. को जारी न करके सीधे कार्यकारी एजेंसियों को जारी की गई। उत्तराखण्ड में तकनीकी कर्मचारियों की कमी के कारण एस.एल.एन.ए. द्वारा परियोजना मूल्यांकन नहीं किया गया। चंडीगढ़ में एस.एल.एन.ए. को नजरअंदाज किया गया और यू.एल.बी. द्वारा डी.पी.आर. सीधे शहरी विकास मंत्रालय को अनुमोदन हेतु भेज दिये गये। इसके जवाब में एस.एल.एन.ए. ने कहा कि भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों की निगरानी उसी के द्वारा की जा रही थी लेकिन परियोजनायें सीधे शहरी विकास मंत्रालय को क्यों भेजी गयी इसका कोई कारण नहीं बताया। झारखण्ड में, एस.एल.एन.ए. के बदले, शहरी विकास विभाग के तकनीकी सेल द्वारा डी.पी.आर. की संविक्षा की गई थी।

एम.ओ.यू.डी. ने माना (अप्रैल 2012) कि कुछ राज्य एस.एल.एन.ए. के गठन में पीछे थे जिसका कारण क्षमता बाधा या जरूरतों की समझ की कमी थी और कहा कि मंत्रालय ने शहरी क्षेत्रों के लिए एक व्यावसायिक संवर्ग बनाने की आवश्यकता महसूस की। एम.ओ.यू.डी. ने यह भी कहा कि राज्य स्तर पर कोई भी ए.सी.ए., एस.एल.एस.सी./एस.एल.सी.सी. के अनुमोदन के बिना जारी नहीं किया गया।

एम.ओ.यू.डी. ने आगे कहा (मई 2012) कि वर्तमान में, विभिन्न राज्यों में 31 एस.एल.एन.ए. कार्यरत हैं एवं कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (राज्य स्तर) तथा परियोजना कार्यान्वयन इकाई (शहरी स्तर) से सहयोग प्राप्त करते हैं।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. (अप्रैल 2012) ने कहा कि बहुत सारे राज्य मिशन के शुरुआती सालों के दौरान अपेक्षित संरचनाओं के निर्माण में पीछे रह गये। कारणों में मिशन की 2012 के बाद की निरंतरता के बारे में अस्पष्टता, राज्य स्तरीय तकनीकी कर्मचारियों की कमी और इन संरचनाओं की स्थापना के बारे में स्पष्टता की कमी थी। तथापि, यह कहा गया कि जब तक राज्य स्तर पर परियोजना प्रस्ताव को एस.एल.एस.सी. की सहमति नहीं मिली तब तक ए.सी.ए. को किसी भी परियोजना के लिए निर्गत नहीं किया गया भले ही तकनीकी मूल्यांकन कुछ एस.एल.एन.ए. के द्वारा नहीं किया जा सका।

3.2.2 राज्यों/यू.टी. में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) का उद्देश्य यू.एल.बी./पैरास्टेटल एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का मूल्यांकन करने में एस.एल.एन.ए. को उसकी भूमिका और जिम्मेदारी के निर्वहन में सहायता प्रदान करना, परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय विकास, सुधारों के कार्यान्वयन की निगरानी करना और तकनीकी तथा सलाहकारी समर्थन देकर एस.एल.एन.ए. की क्षमता को बढ़ाना आदि था। लेखापरीक्षा ने पाया कि विभिन्न चयनित राज्यों/यू.टी. में पी.एम.यू. की सहभागिता निम्नतम थी। यहाँ तक कि नौ¹³ राज्यों/यू.टी. में पी.एम.यू. ही स्थापित नहीं किये गये। इनमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शामिल है। राज्यों/यू.टी. में पी.एम.यू. के क्रियाकलाप के संबंध में, जहाँ इसे गठित किया गया था, यह पाया गया कि वह विविध कार्य पूर्णरूप से नहीं कर रही थी जो उसे सौंपे गये थे। राज्यों जैसे झारखण्ड, उत्तराखण्ड, और उड़ीसा में तकनीकी और विभिन्न पद रिक्त थे।

कुछ राज्यों में पी.एम.यू. के गठन का प्रयास योजना के अंत के समय में किया गया जो कि विवेकहीन एवं लापरवाह तरीके से जे.एन.एन.यू.आर.एम. के कार्यान्वयन को दिखाता है।

एम.ओ.यू.डी. ने स्वीकार किया (अप्रैल 2012) कि पी.एम.यू. के गठन में राज्य धीमे रहे हैं।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने जवाब दिया (अप्रैल 2012) कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. दिसम्बर 2005 में शुरू की गई और मिशन के दौरान विभिन्न सहायक संरचना दिशानिर्देशों के अनुसार परिकल्पित की गई थी। इन सहायक संरचनाओं के बनाने में संरचनाओं, नियमों और टूलकिट¹⁴ ने काफी समय लिया और अंततः मंत्रालय ने इस संबंध में 2007 में दिशानिर्देशों को लागू किया। दिशानिर्देशों के अनुसार यह समर्थन 3 वर्षों के लिए था। टूलकिट के अस्तित्व में आने के बाद राज्यों ने पी.एम.यू. के गठन की शुरूआत की। क्योंकि यह सहायता सिर्फ 3 वर्षों के लिए थी, बहुत सारे राज्यों ने बाजार से श्रमशक्ति को किराये पर लेने में दिक्कत महसूस की चूंकि इस तरह की संरचना/समर्थन की निरंतरता तीन वर्षों के बाद अनिश्चित थी। ये सभी कारक, क्षमता की कमी के कारण राज्य स्तर पर या यू.एल.बी. स्तर पर संरचना को गठित करने के लिए पी.एम.यू. में अपर्याप्त जनशक्ति, इस विलम्ब का कारण बने।

3.2.3 परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) को परिचालन इकाई के रूप में गठित किया गया ताकि यू.एल.बी. में निपुणता संवर्धन किया जा सके। पर्यवेक्षी तंत्र होने के बजाय, इससे यह उम्मीद की जाती है कि मौजूदा कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करें और जे.एन.एन.यू.आर.एम के कार्यान्वयन में मजबूती लाये। पी.आई.यू. का लक्ष्य मिशन के क्रियाकलापों के कार्यान्वयन की गति और गुणात्मक सुधार में वृद्धि करना था।

जैसा कि पी.एम.यू. के बारे में हुआ पी.आई.यू. के बारे में भी वही कमियां सामने आयीं। 10 राज्यों यू.टी. में पी.आई.यू. गठित नहीं किये जा सके। ये राज्य अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा पुदुचेरी और सिक्किम थे। आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल, के कुछ शहरों में पी.आई.यू. गठित किये गए। झारखण्ड, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश में पी.आई.यू. के गठन में विलंब हुआ। तमिलनाडू, उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेश और नागालैण्ड में इसे मिशन के शुरू होने के तीन से पाँच सालों के बाद गठित किया गया। दादर नागर हवेली, दमन एवं द्वीप और पंजाब के संबंध में सूचना लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध नहीं थी।

जहाँ भी पी.आई.यू. की स्थापना की गई वह क्षमता अनुरूप काम नहीं कर रही थी। पी.आई.यू. में रिक्तियाँ थीं। झारखण्ड में, पी.आई.यू. के अधिकांश कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य उनके कार्यक्षेत्र से

¹³ अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, नागालैण्ड, पुदुचेरी तथा सिक्किम

¹⁴ जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत नियम, विनियम, निदेश आदि से संबंधित विविध मामलों हेतु एम.ओ.यू.डी./एम.ओ.एच.यू.पी.ए द्वारा जारी टूलकिट

बिल्कुल अलग थे। राँची नगरपालिका/धनबाद नगरपालिका द्वारा पी.आई.यू. कर्मचारियों को उन कार्यों में व्यस्त किया गया जोकि उनके कार्यक्षेत्र से अलग थे। ग्वालियर, मध्य प्रदेश में पी.आई.यू. सदस्यों ने तीन बार परियोजना स्थल का दौरा किया लेकिन परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में उनके द्वारा कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई।

जम्मू कश्मीर में भारत सरकार द्वारा ₹ 0.82 करोड़ (मार्च, 2009) जिसमें एक पी.एम.यू. (₹ 0.20 करोड़) तथा पी.आई.यू. (₹ 0.62 करोड़) की स्थापना के लिए निर्गत किये गये थे जोकि गठित नहीं हुईं।

पी.एम.यू. और पी.आई.यू. के गठन के पीछे यूएलबी. को तकनीकी और प्रबंधन विशेषज्ञों के द्वारा पेशेवर सहायता प्रदान करने का इरादा था। तथापि परियोजनाओं को पेशेवर विशेषज्ञता का यह लक्षित लाभ नहीं मिल पाया। जी.ओ.आई. द्वारा एस.एल.एन.ए., पी.एम.यू. और पी.आई.यू. के गठन और कार्यान्वयन को पूर्वशर्त के रूप में परियोजना की शुरूआत और पूँजी निर्गत करने के पहले करना चाहिए था। इसके द्वारा परियोजना का समापन लक्षित परिणाम के साथ समय रहते किया जा सकता था।

एम.ओ.यू.डी. ने अपने जवाब (मई, 2012) में कहा कि मिशन शहर में पी.आई.यू. का गठन जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। शहरी स्तर पर इनके गठन की प्रक्रिया जे.एन.एन.यू.आर.एम. के निगरानी/कार्यान्वयन को मजबूती प्रदान करने के लिए किया गया था। मंत्रालय ने आगे कहा कि पी.एम.यू. और पी.आई.यू. के गठन को ए.सी.ए. की दूसरी एवं अनुवर्ती किस्तों को जारी करने के दौरान निरंतर निगरानी की गई। मंत्रालय ने स्वीकार किया कि राज्यों में पी.आई.यू. की नियुक्ति धीमी थी। मंत्रालय ने आगे कहा कि पी.एम.यू./पी.आई.यू. के संदर्भ टिप्पणी को जे.एन.एन.यू.आर.एम की अगले चरण के दौरान अच्छे ढंग से अनुपालन करने के लिए नोट कर लिया है।

अध्याय 4 सुधारों को लागू करना

1992 में भारतीय संसद द्वारा पारित 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन से भारत में स्थानीय स्वशासन को बल मिला। इन एकटों ने ग्रामीण भारत में पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी भारत में शहरी स्थानीय निकाय (यू.एल.बी.) को शासन प्रणाली के विकेन्द्रीकरण के माध्यम से स्वायत्ता प्रदान की।

राज्यों एवं यू.एल.बी. को संविधान संशोधन, जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशा-निर्देशों एवं त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन, जो जी.ओ.आई., राज्य सरकारे एवं शहरी स्थानीय निकाय के बीच हुआ, के अनुसार सुधारों को प्रारंभ करना था।

23 सुधार जोकि राज्य/यू.एल.बी./पैरास्टेटल द्वारा मिशन अवधि के अन्तर्गत लागू होने थे को 13 अनिवार्य और 10 ऐच्छिक सुधारों में बांटा गया। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत शहरों को कार्यान्वयन के प्रत्येक वर्ष में ऐच्छिक कैटेगरी में से किन्हीं 2 सुधारों को अपनाने की स्वतंत्रता थी।

एम.ओ.यू.डी. सभी सुधारों की स्थिति की निगरानी के लिए जिम्मेदार थी। निम्नलिखित तीन गरीब-अनुकूल¹⁵ सुधारों की निगरानी के लिए एम.ओ.एच.यू.पी.ए. भी जिम्मेदार थी।

1. बुनियादी सेवाओं के लिए यू.एल.बी. के बजट में निधियों का आन्तरिक निर्धारण।
2. शहरी गरीबों के लिए किफायती कीमतों में टेन्योर की सुरक्षा सहित बेहतर आवास, जल आपूर्ति, सफाई एवं अन्य मौजूदा सार्वभौमिक सेवायें जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा एक समय निर्धारित तरीके से व्यवस्था सुनिश्चित करना।
3. क्रोस सब्सिडाइजेशन प्रणाली से सभी आवासीय परियोजनाओं (निजी एवं सार्वजनिक एजेंसियों दोनों) में विकसित भूमि का 20–25 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/कम आय वर्ग के लिए निर्धारित करना।

4.1 सुधारों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा

राज्यों/यू.टी. में सुधारों की स्थिति, जो एम.ओ.यू.डी. द्वारा लेखापरीक्षा को बतायी गई, से यह पाया गया कि सुधारों की रफतार विविध थी और सुधार पूर्णता से कहीं दूर थे।

लेखापरीक्षा विश्लेषण के उद्देश्य से, सुधारों को लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया :

- यू.एल.बी. की शक्तियों का प्रत्यायोजन एवं दायित्वों में सुधार
- जिला योजना समितियों का महानगरीय योजना समितियों का गठन
- यू.एल.बी. की परिचालन दक्षता की उन्नति के लिए सुधार
- निधियों के स्रोत के विस्तार के लिए सुधार
- पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी लाने के लिए सुधार
- गरीबों के अनुकूल सुधार
- अन्य राज्य स्तरीय अनिवार्य सुधार
- अन्य यू.एल.बी./पैरास्टेटल स्तरीय सुधार

¹⁵ तीन सुधारों, जो स्लम सुधार के लिए अत्यावश्यक हैं एम.ओ.एच.यू.पी.ए. द्वारा उप मिशन बी.एस.यू.पी. हेतु जारी दिशानिर्देशों में, को गरीब अनुकूल सुधार नाम दिया गया।

4.1.1 यू.एल.बी. की भावितयों एवं दायित्वों के प्रत्यायोजन के लिए सुधार

4.1.1.1 यू.एल.बी. में चुनाव होना

संविधान के अनुच्छेद 243यू के अनुसार यू.एल.बी. में प्रत्येक 5 वर्ष में एक बार चुनाव अनिवार्य है। यदि एक नगरपालिका विघटित होती है तो विघटन तिथि से 6 महीने के अंदर नई नगरपालिका के गठन के लिए चुनाव कराने होंगे।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत संविधान में उपरोक्त प्रावधान एक अनिवार्य सुधार था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 30 चयनित राज्यों/यू.टी. में से 23 में चुनाव समय पर हुये। छह राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर, झारखण्ड, मेघालय एवं नागालैण्ड) में चुनाव नियमित रूप से नहीं हुये। सिक्किम में 2010 में पहली बार चुनाव हुए।

एम.ओ.यू.डी. ने अपने जवाब (अप्रैल 2012) में कहा कि झारखण्ड, सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर आदि में चुनाव का होना जे.एन.एन.यू.आर.एम. की एक उपलब्धि थी, अन्यथा इनके होने की संभावना नहीं थी।

4.1.1.2 12वीं अनुसूची के कार्यों का स्थानांतरण

74वां संविधान संशोधन यू.एल.बी. को उनकी संरचना, गठन, वित्त संसाधन, कार्य एवं शक्तियों को मजबूत करने के लिए प्रस्तावित था। परम्परागत सेवा सुपुदर्गी कार्य के अतिरिक्त यू.एल.बी. को अतिरिक्त सामाजिक एवं विकासपरक योजना की जिम्मेदारियों का उत्तरदायित्व सौंपा गया। 74 सी.ए.ए. ने विकेन्द्रीकृत एवं विचारणीय निर्णय क्षमता, अधिक पारदर्शिता, मजबूत वित्तीय संसाधन एवं अधिक परिशुद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से लोगों की भागीदारी को उद्देशित किया।

74वां सी.सी.ए. योजना, विनियमन, बुनियादी सेवाओं के प्रावधान इत्यादि के संदर्भ में 18 कार्यों, जो 12वीं अनुसूची में सूचीबद्ध थे, को यू.एल.बी. को स्थानांतरित किये जाने का प्रावधान करता है। ये 18 कार्य हैं:

1. कर्स्बे योजना सहित नगरीय योजना।
2. भूमि उपयोग का विनियमन एवं भवनों का निर्माण।
3. आर्थिक एवं सामाजिक विकास की योजना।
4. सड़क एवं पुल।
5. घरेलू औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये जल आपूर्ति।
6. सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता संरक्षण एवं ठोस कचरा प्रबंधन।
7. अग्निशमक सेवाएं।
8. नगरीय वानिकी वातावरण की सुरक्षा, एवं पारिस्थितिक पहलुओं को प्रोत्साहन।
9. समाज के कमजोर वर्ग के हितों की सुरक्षा, जिसमें विकलांग एवं मानसिक कमजोर शामिल हैं।
10. स्लम सुधार एवं उन्नति।
11. शहरी गरीबी उपशमन।
12. शहरी सुख-सुविधाओं का प्रबंध, बागान, बगीचे, खेल के मैदान जैसी सुविधाएं।
13. सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं सौन्दर्यपरक पहलुओं को प्रोत्साहन।
14. शवकक्ष एवं कब्रिस्तान, दाहसंस्कार, शमशान एवं विद्युत शव दाहगृह।

15. पशु अवरोध शाला; पशुओं पर निर्दयता रोकना।
16. जन्म—मरण के आँकड़े जिनमें जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण सम्मिलित है।
17. जन सुविधाएं जिनमें स्ट्रीट लाइटिंग, पार्किंग लॉट्स, बस स्टॉप्स तथा जन सुविधाएं सम्मिलित हैं।
18. बूचड़खानों तथा चर्मशोधनालयों का नियमन।

यू.एल.बी. की शक्तियों और जिम्मेदारियों के प्रतिनिधित्व के सभी सुधार राज्य स्तर पर क्रियान्वित किए जाने थे।

एम.ओ.यू.डी. द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों में देखा गया कि 31 राज्यों/यू.टी. में से 11 ने सभी 18 कार्य यू.एल.बी. को स्थानांतरित कर दिए। ये आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल थे। शेष राज्यों में, स्थानांतरित किए गए कार्यों की संख्या में भिन्नता थी। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर और मेघालय में एक भी कार्य स्थानांतरित नहीं किया। हिमाचल प्रदेश में आठ कार्य, मणिपुर में तीन कार्य स्थानांतरित किये गए जबकि सिक्किम और नागालैण्ड में केवल एक कार्य पूरी तरह से स्थानांतरित किया।

एम.ओ.यू.डी. (मई 2012) ने जवाब दिया कि राज्य या तो सभी कार्य यू.एल.बी. को सौंप रहे हैं या यू.एल.बी. के संबंधित पैरास्टेटल एजेंसियों के साथ संबंध की प्रक्रिया विकसित कर रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि यू.एल.बी. के शहरी आयोजना, शहरी वानिकी तथा अग्निशमन सेवाओं जैसे कार्यों के पालन के सामर्थ्य के अभाव में ज्यादातर दूसरा विकल्प इस्तेमाल किया गया है। एम.ओ.यू.डी. ने यह भी बताया (मई 2012) कि राज्य सरकारों को सुधार के अक्षरशः क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

4.1.1.3 शहरी योजना कार्यों का अंतरण

संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के अनुसार राज्य कानून को नगर पालिकाओं को ऐसी शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान करने चाहिए कि वो स्वःशासी सरकारी संस्थाओं की तरह कार्य कर सकें।

शहरी योजना कार्यों के राज्य से यू.एल.बी. को स्थानांतरण के जरिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. सुधार कार्यसूची ने संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू को लागू करने की माँग की। ये कार्य स्थानीय नगरीय सेवाओं से संबंध रखते हैं और इसलिए यू.एल.बी. इसे सबसे ठीक तरीके से संभाल सकते हैं। ऐसा करने से उन क्षेत्रों में निर्वाचक के लिए यू.एल.बी. की स्थानीय जवाबदेही बन जाती है जहाँ नागरिक यह अपेक्षा करते हैं कि उनकी स्थानीय सरकार काम करें। यह यू.एल.बी. को ऐसे साधन भी उपलब्ध कराता है जो शहर के विकास तथा प्रबंधन को प्रभावित करता है।

एम.ओ.यू.डी. के दस्तावेजों के अनुसार, 15 राज्यों/यू.टी.(आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडू, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल) में शहरी योजना कार्यों एवं शहरी बुनियादी विकास का वितरण तथा प्रबंधन कार्य यू.एल.बी. को स्थानांतरित किए गए। यह सुधार 16 राज्यों/यू.टी.में क्रियान्वित नहीं हुआ (अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गोआ, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पुडुचेरी, पंजाब, सिक्किम, उत्तराखण्ड तथा उत्तर प्रदेश)।

एम.ओ.यू.डी. ने अपने जवाब (अप्रैल/मई 2012) में कुछ राज्यों की स्थिति उपलब्ध कराई। राज्य के साथ फरवरी 2012 में की गई समीक्षा बैठक के अनुसार, मेघालय में शहरी योजना कार्य यू.एल.बी. के द्वारा किए जा रहे हैं। दिसम्बर 2011 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अनुसार, पुडुचेरी में भी शहरी योजना

कार्यों के स्थानांतरित होने की बात की गई। आगे, तमिलनाडू में भी निर्वाचित यूएल.बी. के भी नगर नियोजन कार्यों के साथ संयुक्त/एकीकृत होने की बात सितंबर 2011 में की गई।

4.1.2 जिला योजना समितियों तथा महानगर योजना समितियों का गठन

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जैड.डी. के अनुसार, प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर जिला योजना समिति का गठन किया जायेगा जो जिलों की पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजनाओं को समेकित करेगी तथा पूरे जिले के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी।

शहरी योजना एवं सुपुर्दगी कार्य के एकीकरण हेतु जे.एन.एन.यू.आर.एम. प्राइमर्स¹⁶ के अनुसार, स्थानीय सरकारों, लाइन डिपार्टमेंट्स, सिविल सोसायटी, शैक्षणिक समुदाय और अन्य विकास भागीदारों के बीच सामंजस्य के आधार पर डी.पी.सी. का गठन किया जाना था ताकि जिला योजना प्रक्रिया को संपूर्ण नेतृत्व प्रदान किया जा सके। डी.पी.सी. को स्थानीय सरकारों तथा विकास विभागों के मास्टर प्लान की समीक्षा भी करनी थी, विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना कि यह बिना किसी अतिव्यापन या द्विरावृत्ति के पूर्णरूपेन जिला दूरदर्शिता को उजागर करता है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबाड़) की सहायता से जिले के लिए संभावित लिंकड क्रेडिट प्लान तैयार करना तथा जिला विकास योजना के सहभागी नियोजन प्रक्रिया का निरीक्षण करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह यथासमय हो रहा है।

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि 30 राज्यों/यू.टी.में से 22 में चुने हुए मिशन शहरों में डी.पी.सी. का गठन किया गया। 5 राज्यों यू.टी. में कोई डी.पी.सी. गठित नहीं कि गई (अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, मेघालय और पुडुचेरी) दिल्ली के लिए यह लागू नहीं था क्योंकि यह महानगर है। मुख्य टाउन प्लानर, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, मणिपुर ने बताया कि स्थानीय प्रतिनिधियों की नियुक्ति के अभाव में डी.पी.सी. कार्यरत नहीं है। पुडुचेरी में राज्य निर्वाचन कमिशनर के फरवरी 2007 से रिक्त पद के कारण डी.पी.सी. के सदस्य नहीं चुने जा सके। नागालैण्ड में डी.पी.सी. का गठन अंशतः था। इस बारे में दादरा और नागर हवेली की जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

मंत्रालय ने अपने जवाब (मई 2012) में बताया कि जो एम.ओ.ए. साइन किया गया है उसके अनुसार डी.पी.सी. के गठन का घटनाक्रम राज्यों के लिए भिन्न था। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 2011 लागू किया गया है। आसाम और मेघालय में डी.पी.सी. का गठन किया गया है। पुडुचेरी में पुडुचेरी डी.पी.सी. अधिनियम, 1994, 2007 के अधिनियम नं. 3 से संशोधित किया गया है तथा संशोधित अधिनियम में डी.पी.सी. गठित करने का प्रावधान सम्मिलित किया गया है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जैड.ई. के अनुसार, प्रत्येक महानगर क्षेत्र में एक महानगरीय योजना समिति (एम.पी.सी.) का गठन किया जाएगा जो संपूर्ण महानगरीय क्षेत्र के विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। एम.पी.सी. का गठन, डी.पी.सी. के समान उद्देश्य से, 10 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले महानगरीय शहरों (दो और अधिक नगरपालिकाओं की और या पंचायतों या राज्यपाल द्वारा उल्लेखित अन्य निकटवर्ती क्षेत्र) के लिए किया जाना था।

यद्यपि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि यह 6 राज्यों/यू.टी.(बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल) में गठित की गई थी और 8 राज्यों/यू.टी.(आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, और तमिलनाडू) में अभी गठित की जानी थी। अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, पुडुचेरी, ओडिशा, सिक्किम और उत्तराखण्ड के लिए एम.पी.सी. के गठन की आवश्यकता लागू

¹⁶ जे.एन.एन.यू.आर.एम. पराईमर में प्रकाशन अनुसार सुधारों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में एम.ओ.यू.डी. के निर्देश/स्पष्टीकरण

नहीं थी। भारतीय संविधान के अनुसार दिल्ली को भी एम.पी.सी. के गठन से छूट प्राप्त थी। लेखापरीक्षा के पास जम्मू और कश्मीर के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं थी।

एम.ओ.यू.डी. ने जवाब दिया (मई 2012) कि यह सुधार हरियाणा में पूरा हो चुका है तथा तमिलनाडू में एम.पी.सी. एक्ट, जुलाई 2009 में पारित हो चुका है तथा तमिलनाडू सरकार के राजपत्र में एक अधिसूचना सं. 211 दिनांक 17.8.09 प्रकाशित की गई। उन्होंने यह भी बताया कि आंध्र प्रदेश में एम.पी.सी. एक्ट, दिसम्बर 2007 में पारित हो चुका है।

4.1.3 यू.एल.बी. की परिचालन क्षमता में उत्कृष्टता के लिए सुधार

नीचे दी गई तालिका यू.एल.बी. की परिचालन क्षमता में उत्कृष्टता के लिए सुधार के क्रियान्वयन की स्थिति बताती है।

तालिका संख्या 4.1: 31 मार्च 2011 को यू.एल.बी. की परिचालन क्षमता में उत्कृष्टता के लिए सुधार की स्थिति

क्रम संख्या	सुधार	यू.एल.बी./पैरास्टेटल की संख्या जो 2010–11 तक सुधार क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है	यू.एल.बी./पैरास्टेटल की संख्या जिन्होंने सुधार कार्यान्वित किया।
1.	शिफ्ट टू एक्युएल बेस्ड डबल एन्ट्री अकाउंटिंग	66	44
2.	प्रशासनिक सुधार	48	23
3.	संरचनात्मक सुधार	52	31

स्रोत : एम.ओ.यू.डी. द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी

4.1.3.1 लेखांकन पद्धति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. सुधार शर्तों के लिए “डबल एन्ट्री” तथा एक्युएल सिद्धांतों पर आधारित आधुनिक लेखाप्रणाली के उद्देश्य से उत्कृष्ट म्यूनिसिपल अकाउंटिंग जो बेहतर वित्तीय प्रबंधन, पारदर्शिता और आत्म निर्भरता की ओर अग्रसर” है, जो स्थानीय निकायों के लिए अनिवार्य सुधार है।

मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार 66 यू.एल.बी./पैरास्टेटल जो 2010–11 तक एक्युएल बेस्ड डबल एन्ट्री अकाउंटिंग पर शिफ्ट करने के सुधार कार्यान्वयन के लिए प्रतिबद्ध थे में से 44 यू.एल.बी.एस./पैरास्टेटल ने सुधार कार्यान्वित किया।

एम.ओ.यू.डी. ने अपने जवाब (मई 2012) में कहा कि जिन शहरों ने सुधार कार्यान्वित नहीं किया उनकी समय–समय पर समीक्षा की गई तथा राज्यों को सुधार में तेजी लाने के लिए सलाह दी गई।

राज्यों/यू.टी.में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान, सुधार कार्यान्वयन के प्रयासों के कुछ मामले निम्नानुसार थे:

- आंध्र प्रदेश में, हालाँकि सभी नमूना जाँच यू.एल.बी. (साथ ही साथ एस.एल.एन.ए.) ने एक्युएल बेस्ड डबल एन्ट्री सिस्टम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन की रिपोर्ट दी, लेकिन वास्तव में, केवल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन (जी.एच.एम.सी.) ने ही एक्युएल बेस्ट डबल एन्ट्री सिस्टम में लेखे फाइनल किए थे। अन्य नमूना जाँच यू.एल.बी. के लेटेस्ट अकाउंट्स (ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कारपोरेशन (जी.वी.एम.सी.) – 2009–10, विजयवाड़ा म्यूनिसिपल कारपोरेशन (वी.एम.सी.) – 2009–10, तिरुपति म्यूनिसिपल

कारपोरेशन (टी.एम.सी.) और वारंगल म्यूनिसिपल कारपोरेशन) से उजागर हुआ कि उन्होंने अपने लेखे एक्रुएल डबल एन्ट्री सिस्टम से फाइनल नहीं किए थे।

लेखापरीक्षा एक्रुएल पर आधारित डबल एन्ट्री सिस्टम की तरफ स्थानांतरण में शामिल विशाल चुनौतियों एवं इस दिशा में राज्य द्वारा उठाये गये कदमों की सराहना करता है परन्तु इन सुधारों को उद्देश्य प्राप्ति की सफलता के रूप में रिपोर्ट करना उपयक्त नहीं मानता है।

- ii. चंडीगढ़ में यद्यपि डबल एन्ट्री सिस्टम को लाया गया एवं नगर वित्तीय लेखाविधि मैनुअल बनाया गया, पूर्णरूप से डबल एन्ट्री सिस्टम (इंकम—एक्सपेन्डीचर एकाउन्ट एवं बैलेंस सीट) की तरफ स्थानांतरण, चंडीगढ़ नगर निगम द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सका।
- iii. बिहार ने 2008–09 तक (ऑल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंट) एक्रुएल पर आधारित डबल एन्ट्री सिस्टम में परिवर्तित करने पर व्यस्त रही। हालांकि लेखाविधि सिस्टम को अब तक विकसित नहीं किया जा सका।
- iv. असम में गुवाहाटी विकास विभाग (जी.डी.डी.) ने कहा कि “झाफ्ट एकाउटिंग मैनुअल को राज्य सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया था एवं डबल एन्ट्री सिस्टम पर आधारित लेखाओं की तैयारी यू.एल.बी. स्तर पर गुवाहाटी नगर निगम (जी.एम.सी.) में प्रक्रियारत थी। एम.ओ.यू.डी. ने उत्तर (अप्रैल 2012) में कहा कि जी.एम.सी. ने डबल एन्ट्री एकाउटिंग को प्राप्त कर लिया था और एक्रुएल पर आधारित लेखाविधि की तरफ उन्नति करनी थी।
- v. पुल्लुचेरी में यद्यपि अक्टूबर 2009 में नगरीय लेखाविधि मैनुअल बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया जो कि एक्रुएल पर आधारित डबल एन्ट्री सिस्टम को तैयार करती, अक्टूबर 2011 तक सुधारों को प्राप्त न कर सका।
- vi. झारखंड में, मार्च 2011 में, मैसर्स प्राइस वाटर हाउस कूपर्स प्राइवेट लिमिटेड गुडगांव के साथ डबल एन्ट्री एक्रुएल लेखा विधि सिस्टम के लिए एक सहमति हुई। इस सिस्टम को वित्त वर्ष 2012–13 से प्रयोग में लाना था।
- vii. छत्तीसगढ़ में ऐसा कहा गया कि एक्रुएल पर आधारित डबल एन्ट्री सिस्टम को प्राप्त कर लिया गया है परन्तु लेखापरीक्षा को कोई समर्थक दस्तावेज सत्यापन के लिये नहीं दिया गया।

4.1.3.2 प्रशासनिक सुधार

प्रशासनिक सुधारों से नगर निगमों के संपूर्ण मानव संसाधन विकास व्यवहार एवं प्रवीणता को मजबूत करने में मदद करने की आशा थी जो कि बढ़ी हुई प्रशासनिक कुशलता में परिणित होनी थी। मंत्रालय के ऑकड़ों के अनुसार 48 यू.एल.बी./पैरास्टेटल जो प्रशासनिक सुधार लागू करने को 2010–11 तक कठिबद्ध थे, 23 यू.एल.बी./पैरास्टेटल ने सुधार लागू किये थे।

ऐसा पाया गया कि लेखापरीक्षा द्वारा चयनित 39 मिशन शहरों में से, 13 शहरों (अहमदाबाद, अजमेर–पुष्कर, बैंगलोर, चैन्नई, ग्रेटर मुम्बई, फरीदाबाद, कानपुर, लखनऊ, मदुरई, पुणे, रायपुर, शिमला एवं विशाखापट्टनम) में प्रशासन से संबंधित सुधार कार्यान्वित किये थे।

एम.ओ.यू.डी. ने चंडीगढ़ के संबंध में (अप्रैल/मई 2011) में उत्तर दिया कि इसने कर्मचारी तर्कसंगतीकरण एवं प्रशिक्षण को संबोधित किया था परन्तु स्थापना के खर्चों में अभी तक कमी नहीं हो

पाई। एम.ओ.यू.डी. ने यह भी कहा (मई 2012) कि राज्यों को सुधारों को जल्दी कार्यान्वित करने के लिये एक सलाह जारी की गई है।

4.1.4 कोष के स्रोतों को बढ़ाने के लिये सुधार

इस संवर्ग के आधीन आने वाले सभी सुधारों को यू.एल.बी. स्तर पर कार्यान्वित करना था।

नीचे दी गई सारणी इन चार सुधारों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका सं. 4.2 : 31 मार्च 2011 को कोष के स्रोतों को बढ़ाने के लिए सुधारों की स्थिति

क्र. सं.	सुधार	2010–11 तक सुधार को कार्यान्वित करने के लिये वचनबद्ध यू.एल.बी./पैरास्टेटल की संख्या	सुधार को कार्यान्वित करने वाले यू.एल.बी./पैरास्टेटल की संख्या
1.	सम्पत्ति कर (85 प्रतिशत कवरेज के साथ)	51	27
2.	सम्पत्ति कर (90 प्रतिशत जमा क्षमता)	42	23
3.	100 प्रतिशत लागत वसूली (जल आपूर्ति)	47	12
4.	100 प्रतिशत लागत वसूली (ठोस क्षति)	35	8

स्रोत : शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना

प्रत्येक सब सैक्टर के आधीन सुधारों की स्थिति आगामी पैराग्राफों में दी गई है।

4.1.4.1 सम्पत्ति कर (85 प्रतिशत कवरेज)

एक यू.एल.बी. के लिये सम्पत्ति कर, सबसे महत्वपूर्ण एकल कर राजस्व स्रोत हैं। इस प्रकार सम्पत्ति कर प्रणालियों का सुधार जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत एक वैधानिक सुधार है। दिशानिर्देशों ने निम्नलिखित जरूरतों पर जोर दिया :

- क) भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस.) को अपनाते हुए सम्पत्तियों की उचित पहचान करना, ताकि यू.एल.बी. शहर की सम्पत्तियों का पूरा बौरा रखने में सक्षम हो और उसे टैक्स नैट के तहत ला सके।
- ख) पद्धति को स्व आंकलन लायक बनाना (एक ऐसी पद्धति जो फार्मूला पर आधारित हो और जहां सम्पत्ति का मालिक देय कर की गणना कर सके)
- ग) सम्पत्ति कर का कम–से–कम 85 प्रतिशत की कवरेज क्षमता को प्राप्त करने के साथ–साथ उसी की 90 प्रतिशत तक जमा क्षमता प्राप्त करना।

राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की लेखापरीक्षा के दौरान लेखा जांच के लिए चुने गए 39 मिशन शहरों में से, केवल सात शहरों में जी.आई.एस. डाटाबेस लागू किया गया (रांची, बैंगलूर, इन्दौर, पूणे, शिलांग, कानपुर और लखनऊ)। शहरी विकास मंत्रालय ने कहा (मई 2012) कि इस बिन्दु को नोट कर लिया गया था।

एम.ओ.यू.डी. के आँकड़े के अनुसार 51 यू.एल.बी./पैरास्टेटल, जो 2010–11 तक संपत्ति कर की 85 प्रतिशत के कवरेज के सुधार को कार्यान्वित करने के लिये वचनबद्ध थे, उनमें से 23 यू.एल.बी./पैरास्टेटलों ने ही सुधार को कार्यान्वित किया। यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि चार यू.एल.बी./पैरास्टेटलों को, जिन्हें कार्यान्वित करने के लिये वचनबद्धता भी नहीं थी, इस सुधार को लक्षित वर्ष से पहले ही कार्यान्वित कर दिया। जबकि 28 यू.एल.बी. (गोवाहाटी, पटना, बोधगया, चण्डीगढ़, दिल्ली, फरीदाबाद, शिमला, राँची, कोच्ची, भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, उज्जैन, नागपुर, अमृतसर, लुधियाना, भुवनेश्वर, पुरी, जयपुर, अजमेर, अगरतला, देहरादून, हरिद्वार, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ व

वाराणसी) जिन्हें 2010–11 तक इस सुधार को कार्यान्वित करने की वचनबद्धता की थी, कार्यान्वित न किये जा सके।

एम.ओ.यू.डी. ने अपने उत्तर में सूचित (मई 2012) किया कि रिफार्म ऐप्रेजल एजेंसी की प्रथम चक्र की रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद ने सम्पत्ति कर सुधार प्राप्त किया। जबकि, मिशन निदेशालय की उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार चंडीगढ़, नागपुर, लुधियाना, धनबाद, हरिद्वार और नैनीताल ने 85 प्रतिशत कवरेज प्राप्त नहीं किया।

4.1.4.2 सम्पत्ति कर (90 प्रतिशत जमा क्षमता)

दिशानिर्देशों में सम्पत्ति कर की 90 प्रतिशत की जमा क्षमता के सुधार को कार्यान्वित करने की जरूरत पर जोर दिया गया।

एम.ओ.यू.डी. के आँकड़ों के अनुसार, 42 यू.एल.बी./पैरास्टेटलों जिन्होंने कि इस सुधार की वचनबद्धता दिखलाई थी, केवल 19 यू.एल.बी./पैरास्टेटलों ने ही सुधार को कार्यान्वित किया। जबकि चार यू.एल.बी./पैरास्टेटलों ने इसे बढ़ाने के लिए वचनबद्धता दिखाई भी नहीं थी, इस सुधार को लक्षित वर्ष से पहले ही कार्यान्वित कर दिखाया। लेखापरीक्षा ने पाया कि 39 चुने गए शहरों में से, केवल 10 (विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चंडीगढ़, फरीदाबाद, बैंगलोर, मुम्बई, पूणे, शिलांग, और लखनऊ) ने सुधार को कार्यान्वित करने में सफलता हासिल करने की रिपोर्ट दी। पांच शहरों (अहमदाबाद, कोचीन, इंदौर, राजकोट और रायपुर) के संबंध में, सम्पत्ति कर की जमा क्षमता 75 प्रतिशत से ज्यादा सूचित की गई।

एम.ओ.यू.डी. ने अपने जवाब में कहा (मई 2012) कि जैसाकि राज्य द्वारा संचारित किया गया कि फरीदाबाद में जमा क्षमता 58.71 प्रतिशत थी जून 2011 की क्यू.पी.आर.¹⁷ के अनुसार बैंगलोर ने ब्रूहाट बैंगलूरु महानगर पालिका क्षेत्र में 91 प्रतिशत का जमा अनुपात प्राप्त किया था। फिर भी, पूरे म्यूनिसिपल क्षेत्र की जमा क्षमता अंक की रिपोर्ट नहीं दी गई थी। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि रिफार्म ऐप्रेजल रिपोर्ट की चौथे चक्र की रिपोर्ट के अनुसार अहमदाबाद और राजकोट ने 90 प्रतिशत जमा क्षमता प्राप्त की।

4.1.4.3 100 प्रति तत लागत वसूली (जल आपूर्ति और ठोस कचरा प्रबन्धन)

स्थानीय निकाय/शहरी स्तर पर एक वैधानिक सुधार यू.एल.बी. और पैरास्टेटल द्वारा यथोचित प्रयोग भार को इस उद्देश्य के साथ भारित करना था ताकि अगले सात वर्षों के भीतर संचालन और रख-रखाव (ओ एंड एम) या आवर्ति लागत प्राप्त की जा सके।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि लेखापरीक्षा जाँच के लिये चुने हुए 39 मिशन शहरों में से प्रक्रिया लागत व रख-रखाव को प्राप्त करने के उद्देश्य से जलपूर्ति के प्रयोगात्मक भार को जमा करने की क्रियाविधि को सात शहरों (विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, पूणे, इम्फाल, रायपुर, लखनऊ और हरिद्वार) द्वारा इसे प्राप्त करने की रिपोर्ट दी।

लेखापरीक्षा द्वारा पुनः यह पाया गया कि ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए, प्रक्रिया लागत व व्यवस्था को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रयोगात्मक भार को जमा करने की प्रणाली के लिए, जिन 39 मिशन शहरों को लेखापरीक्षा जाँच के लिये चुना गया था, उनमें से पाँच शहरों (अहमदाबाद, इंदौर, नागपुर, पूणे, और लखनऊ) द्वारा इसे प्राप्त करने की रिपोर्ट दी।

शहरी विकास मंत्रालय ने जवाब दिया (मई 2012) कि 20 शहरों ने सुधार प्राप्त किया। यद्यपि, सुधार प्राप्त करने वाले शहरों के नामों की, मंत्रालय द्वारा सूचना नहीं दी गई। यह कहा गया कि हरिद्वार ने जलपूर्ति के संदर्भ में 100 प्रतिशत की लागत वसूली प्राप्त नहीं की जबकि उत्तराखण्ड जल संस्थान के अनुसार कुल प्रक्रिया लागत का 102.79 प्रतिशत वसूल किया जा चुका था (मई 2011)। शहरी विकास

¹⁷ तिमाही प्रगति रिपोर्ट

मंत्रालय ने अपने अगले जवाब में कहा (जून 2012) कि 19 यू.एल.बी. ने जलापूर्ति लागत वसूली प्राप्त कर ली थी।

शहरी विकास मंत्रालय ने जवाब दिया (मई 2012) कि ठोस कचरा प्रबन्धन के मामले में, चण्डीगढ़, अहमदाबाद, इंदौर, नागपुर, कानपुर, और लखनऊ ने 100 प्रतिशत वसूली की प्राप्ति नहीं की थी, जबकि हैदराबाद, विशाखापट्टनम, सूरत, पूणे, ग्रेटर मुम्बई, पिंपरी चिंचवड, शिलांग और वैन्नई ने इस सुधार को प्राप्त किया।

4.1.5 पारदर्शिता और जबावदेही लाने के लिए सुधार

कुछ आदेशात्मक एवं वैकल्पिक सुधारों की प्रकृति दर्शाती है कि उन्हें पारदर्शिता लाने के लिए इसे कार्यान्वित करने की आवश्यकता थी। इन सुधारों में 'सार्वजनिक प्रकटन कानून', ई-गवर्नेंस का गठन, प्रापर्टी टाईटल प्रमाणीकरण की प्रस्तावना, गृह उपनियमों में संशोधन और कम्प्यूटर द्वारा जमीन जायदाद का पंजीकरण को लागू करना सम्मिलित था।

नीचे दी गई तालिका शहरी विकास मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार, पारदर्शिता और जबावदेही लाने के लिए यू.एल.बी. स्तर सुधार की अवस्था दर्शाती है।

तालिका सं. 4.3 : 31 मार्च 2011 को पारदर्शिता और जबावदेही लाने के लिये सुधारों की स्थिति

क्र. सुधार सं.	2010–11 तक सुधार कार्यान्वित करने के लिए वचनबद्ध यू.एल.बी./ पैरास्टेटलों की संख्या	सुधार कार्यान्वित करने वाले यू.एल.बी./ पैरास्टेटलों की संख्या
1. ई-प्रशासन का गठन	62	27
2. प्रापर्टी टाईटल प्रमाणीकरण प्रणाली की प्रस्तावना	28	0
3. गृह उपनियमों में बदलाव—अनुमोदन प्रक्रिया को व्यवस्थित करना	63	43
4. कम्प्यूटर द्वारा जमीन जायदाद के पंजीकरण की प्रक्रिया की प्रस्तावना।	63	49

स्रोत : शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना

4.1.5.1 सार्वजनिक प्रकटन कानून को लागू करना

सार्वजनिक प्रकटन कानून को लागू करना, राज्यस्तर के आदेशात्मक सुधारों में से एक प्रकटन का लक्ष्य था कि म्यूनिसिपल शासन के विभिन्न रूपों जैसे, कार्मिक प्रशासनिक ढाँचे के विवरण, राजस्व और प्रचालन की सूचना के प्रकाशन के जरिये नगर पालिका के कार्य में पारदर्शिता और जबावदेही को स्थापित करना है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. ने सभी हितधारकों को तिमाही निष्पादन सूचना देना सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वजनिक प्रकटन कानून (पी.डी.एल.) को लागू करने का वर्णन किया।

शहरी विकास मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार, 31 राज्य/यू.टी. ने इस सुधार को लागू करने की वचनबद्धता दी। 20 राज्यों/यू.टी. ने इस सुधार को 2010–11 तक लागू किया। विभिन्न राज्यों में सुधार की प्रकृति एवं लागू करने की प्रक्रिया में विविधता थी।

उदाहरणस्वरूप, केरल में, केरल म्यूनिसिपल एक्ट में सार्वजनिक प्रकटन के प्रावधान हैं। मध्य प्रदेश में, इस बारे में अलग कानून बनाने की बजाय कुछ व्यवस्था म्यूनिसिपल एक्ट में ही कर कर दी गई।

पुड्डचेरी में, पुड्डचेरी म्यूनिसिपल (संशोधन) एक्ट 2010 में समय-समय पर पारदर्शिता एवं जबावदेही सुनिश्चित करने के लिये म्यूनिसिपैलिटी के कार्य पर जनसाधारण में सूचना के प्रकाशन की व्यवस्था है। यद्यपि म्यूनिसिपैलिटी ने अपने कार्यों पर अभी तक कोई सूचना प्रकाशित नहीं की है। (अक्टूबर 2011) इसी प्रकार, कर्नाटक में, आर.टी.आई. एक्ट 2005 के अन्तर्गत दिनांक 26 नवम्बर 2009 की सरकारी

अधिसूचना में, सर्विस लेवल इंडिकेटरों का सार्वजनिक प्रकटन राज्य में यूएल.बी. के लिये आदेशात्मक बनाया गया। इस प्रकार सार्वजनिक प्रकटन कानून को प्रभावी बनाने के लिये राज्य आर.टी.आई. में संशोधन किया गया।

उत्तराखण्ड में, सभी यूएल.बी. को अखबारों इंटरनेट और मीडिया (प्रिंट के साथ-2 वैब) के जरिये अपनी कार्यप्रणाली को उद्घाटित करके सार्वजनिक प्रकटन प्रणाली को सुनिश्चित करने के निर्देश दिये (जून 2009)। उत्तराखण्ड स्वायत्त निकाय एकट में पी.डी.एल. को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा गया।

आंध्रप्रदेश में, हैदराबाद म्यूनिसिपल कारपोरेशन एकट में अप्रैल 2008 में एक छूट प्रोग्रामों तथा कल्याण प्रोग्रामों के अंतर्गत संशोधन हुआ। फिर भी, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि छूट प्रोग्रामों तथा कल्याण प्रोग्रामों के अंतर्गत लाभान्वित व्यक्तियों की पहचान से संबंधित सूचना सरकार से प्लान एवं नॉन प्लान में जो अनुदान प्राप्त हुए थे, की सूची एवं वार्षिक लेखें यूएल.बी. वेबसाइट में मौजूद नहीं थे।

ओडिशा में भी, सार्वजनिक प्रकटन पर्याप्त नहीं था। पब्लिक डिस्कलोज़र कानून अधिसूचित हुआ (फरवरी 2009) और बजट, स्कीम, सेवाओं एवं जारी किये गये सभी पत्रों को म्यूनिसिपल कारपोरेशन, कटक और भुवनेश्वर द्वारा वेबसाइट पर दर्शाया गया। यद्यपि, इस प्रकार की सूचना बरहामपुर म्यूनिसिपल कारपोरेशन में नहीं डाली गई।

शहरी विकास मंत्रालय ने उत्तर दिया (मई 2012) कि मिशन मुख्यतः कानून की अधिसूचना पर जोर देता है। नागालैण्ड, सिक्किम, छत्तीसगढ़, दिल्ली एवं उत्तराखण्ड में सुधार मूल्यांकन रिपोर्टों के अनुसार पी.डी.एल. को कार्यान्वित किया गया। बिहार में, राज्य सरकार द्वारा कार्यपालक आदेश जारी किये गये। पुड्ढूचेरी में, 21 फरवरी 2011 को पी.डी.एल. को लागू करने हेतु म्यूनिसिपल एकट में संशोधन हुआ और दिनांक 10 मार्च 2011 को पुड्ढूचेरी के गजट संख्या 11 में जारी हुआ। इसके अतिरिक्त, सारे यूएल.बी./राज्य सूचना के अधिकार 2005 के अन्तर्गत आते थे। शहरी विकास मंत्रालय ने बताया कि राज्यों को परामर्श जारी कर दिये गये थे।

पी.डी.एल. को लागू करने की लेखापरीक्षा की टिप्पणी के जबाव में, आर.टी.आई.एकट 2005 का संदर्भ, पी.डी.एल. की महत्ता को कम करता है, जोकि एक आदेशात्मक सुधार था। आर.टी.आई. एकट एक व्यैक्तिक यूजर द्वारा सूचना प्राप्त करने पर आधारित प्रणाली है, जब कि पी.डी.एल. म्यूनिसिपल शासन के पार्ट पर सार्वजनिक प्रकटन के द्वारा पारदर्शिता लाना है।

जैसाकि जे.एन.एन.यू.आर.एम. में मुख्यतः वर्णित किया गया कि सार्वजनिक प्रकटन आर.टी.आई. एकट 2005 का पूरक है, जिसके द्वारा यूएल.बी. क्रियाओं, प्रकृति, साधन की अपने आप ही लगातार सूचना मिलती रहती है और विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक प्रकटनों के इस तरह के कार्यान्वयन का विस्तार को यह सुनिश्चित करने के लिये देखा जाये कि वे नियमों के अनुसार सूचना उद्घाटित कर रहे हैं।

4.1.5.2 ई-शासन

यूएल.बी. और पैरास्टेटलों में ई-गवर्नेंस लाने के इस सुधार का उद्देश्य गवर्नेंस की प्रणाली को, यूएल.बी. को नागरिकों को सेवायें प्रदान करने में ज्यादा सक्षम और प्रभावी बनाने के लिये आई.टी. प्रणाली के प्रयोग में सुधार करना था। म्यूनिसिपैलिटी में ई-गवर्नेंस लागू करने के लिए जे.एन.एन.यू.आर.एम. प्राइमरों का मुख्य उद्देश्य था :

- चिन्हित नागरिक सेवाओं को फोकस करना, जोकि स्पष्टता निर्धारित सेवा स्तरों और प्राप्त करने वाले निष्कर्षों को कवर करें।
- स्थानीय सरकार एवं नागरिकों और दूसरे हित धारकों के बीच विचार-विमर्श करके क्षमता और प्रभावकारिता में सुधार ला सकें।

- अच्छे शासन को समर्थन देने और प्रोत्साहित करने हेतु आन्तरिक स्थानीय सरकार प्रचालन और प्रबंधन सूचना प्रणालियों की गुणवत्ता में सुधार लाना।
- शहरी स्थानीय प्रचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना।
- नागरिक सेवाओं की सुपुर्दगी में सुधार लाने में मदद।

ई—गवर्नेन्स के अन्तर्गत सेवाएं जैसे मौलिक नागरिक सेवाएं (जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण तथा स्वास्थ्य कार्यक्रम); राजस्व अर्जित करने की सेवाएं (लाइसेंस तथा सम्पत्ति कर); विकास सेवाएं (पानी वितरण तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं, भवन निर्माण योजना स्वीकृति); योग्यता सुधार सेवाएं (खरीद तथा परियोजनाओं की निगरानी); बैंक कार्यालय में सुधार (लेखांकन और कार्मिक प्रबन्धन) तथा निगरानी (नागरिक शिकायत निवारण) शामिल किया जाना था।

शहरी विकास मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010–11 तक 62 यू.एल.बी./पैरास्टेटल यह सुधार कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध थी जबकि 27 यू.एल.बी./पैरास्टेटल ने इस सुधार को कार्यान्वित किया। जबकि लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि लेखापरीक्षा के लिए चुने गये 39 मिशन शहरों में से, 14 शहरों (विजयवाड़ा, लुधियाना, ईटानगर, पटना, फरीदाबाद, जम्मू धनबाद, नागपुर, इम्फाल, कोहिमा, तिरुवंतपुरम, कोच्चि, पुडुचेरी, गंगटोक) में ई—गवर्नेन्स को अमल में नहीं लाया गया, 14 शहरों (हैदराबाद, विशाखापट्टनम, रायपुर, दिल्ली, शिमला, रांची, शिलांग, भुवनेश्वर, मदुरै, चेन्नई, नैनीताल, हरिद्वार, कोलकाता, आसनसोल) में यह आशिंक रूप से कार्यान्वित किया जा रहा था। ई—गवर्नेन्स व्यवहार में केवल 11 शहरों (चंडीगढ़, बंगलौर इंदौर, मुंबई, पुणे, अजमेर—पुष्कर, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी और राजकोट) में रखा गया था।

एम.ओ.यू.डी. (अप्रैल 2012) ने जवाब दिया कि सुधार मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार विजयवाड़ा, हैदराबाद और विशाखापट्टनम ने ई—गवर्नेन्स में सुधार पूरी तरह हासिल किये। यह भी कहा कि फरीदाबाद ने ई—गवर्नेन्स के सभी आठ मॉड्यूल लागू किये तथा फरवरी 2012 की समीक्षा बैठकों के दौरान बताये गये ई—गवर्नेन्स सुधार दिल्ली तथा भुवनेश्वर में भी लागू किये गये। मंत्रालय ने आगे कहा कि मदुरै और कोलकाता में भी सितम्बर 2011 की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट के अनुसार सुधार हासिल किये गये। एकिजट सम्मेलन के दौरान एम.ओ.यू.डी. ने कहा कि 35 यू.एल.बी. में सुधार को हासिल किया गया।

4.1.5.3 यू.एल.बी. में संपत्ति शीर्षक प्रमाणीकरण प्रणाली का परिचय

जे.एन.एन.यू.आर.एम. ने मैनुअल प्रणाली के प्रतिकूल प्रभाव को मान्यता दी। यू.एल.बी. में संपत्ति शीर्षक प्रभावीकरण प्रणाली की शुरुआत पर सुधार करने का उद्देश्य, शहरों को गारंटी शीर्षक सिस्टम की ओर बढ़ने में सक्षम करना था। सार्वजनिक रिकार्ड बनाने की मांग ऐसी हो जोकि सही मायने में सम्पत्ति के साथ—साथ शीर्षक का वर्णन करे तथा वास्तविक समय में किसी भी लेन—देन को दर्शाने की प्रणाली हो।

एम.ओ.यू.डी. के रिकार्ड के अनुसार यह सुधार किसी भी शहर में नहीं किया गया। एम.ओ.यू.डी. (मई 2012) ने कहा है कि यह जटिल सुधारे में से एक था, जबकि भूमि राज्य का विषय है। मंत्रालय ने आगे कहा कि भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जोकि इसके लिए जिम्मेदार थे इस सुधार के लिए कदम उठाये।

4.1.5.4 अनुमोदन प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए भवन—उपनियमों का संशोधन

राज्यों/शहरों द्वारा, अनुमोदन प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए भवन उपनियमों में संशोधन करने के लिए सुधार की आवश्यकता थी जिससे एक सरल, पारदर्शी और कम समय लेने वाली प्रक्रिया स्थापित की जाए जोकि विकास को प्रोत्साहित करे।

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010–11 तक, 63 यू.एल.बी./पैरास्टेटल अनुमोदन प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के लिए भवन उपनियमों में संशोधन के लिए सुधार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थे। 42 यू.एल.बी./पैरास्टेटल ने इस सुधार को लागू किया।

एम.ओ.यू.डी. द्वारा दी गई सूचना का विश्लेषण करने पर ज्ञात हुआ कि 21 यू.एल.बी. (चंडीगढ़, दिल्ली, पट्टियां, फरीदाबाद, शिमला, जम्मू श्रीनगर, धनबाद, रांची, आईजोल, पुड्डवेरी, गंगटोक, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ, मथुरा, मेरठ तथा वाराणसी) ने सुधारों को लागू नहीं किया जोकि वर्ष 2010–11 तक सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध थे।

4.1.5.5 भूमि तथा सम्पत्ति के पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया का परिचय

अन्य बातों के साथ–साथ जे.एन.एन.यू.आर.एम. का उद्देश्य भूमि और सम्पत्ति के पंजीकरण प्रक्रिया को कम्प्यूटरीकृत करना था, जिससे कि कुशल विश्वसनीय, त्वरित और पारदर्शी सेवाएं नागरिकों तक पहुंचाई जा सके। पंजीकरण प्रक्रिया को कम्प्यूटराइज़ करने हेतु राज्य/शहरों को उचित कदम उठाने चाहिए थे ताकि वास्तव में एक प्रभावी प्रक्रिया अर्थात् सम्पत्ति के विक्रय एवं क्रय की प्रक्रिया को सुचारू रूप से, बिना किसी बाधा और पारदर्शी तरीके से लागू किया जा सके। अनेक अवरोधों में से एक अवरोध, सदियों पुरानी पंजीकरण की हस्त–विधि है, व रहेगी जिसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार और विलम्ब होता है।

वर्ष 2010–11 तक एम.ओ.यू.डी. के आंकड़ों के अनुसार, 63 यू.एल.बी./पैरास्टेटल सुधार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थे, जिनमें से 49 यू.एल.बी./पैरास्टेटल ने इस सुधार को लागू किया।

4.1.6 गरीब अनुकूल सुधार

इस श्रेणी के अंतर्गत, शहरी गरीबों की सेवाओं के लिए धन निर्धारित करने, आवासीय परियोजनाओं में भूमि का निर्धारण और शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के प्रावधान से संबंधित सुधार आते हैं।

तालिका संख्या 4.4: 31 मार्च 2011 तक गरीब अनुकूल सुधारों के कार्यान्वयन की स्थिति

क्रम संख्या	सुधार	वर्ष 2010–11 तक सुधार को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध यू.एल.बी. /पैरास्टेटल की संख्या	सुधार लागू करने वाले यू.एल.बी. /पैरास्टेटल की संख्या
1.	शहरी गरीबों की सेवाओं के लिए धन का आंतरिक निर्धारण	64	55
2.	'क्रोस सब्सिडी प्रणाली' के साथ आर्थिक रूप से कमजोर/निम्न आय समूह श्रेणी के लिए 20 से 25 प्रतिशत सभी आवास परियोजनाओं (दोनों सार्वजनिक और निजी एजेंसियाँ) में विकसित भूमि निर्धारित करना।	54	39

स्रोत: सूचना एम.ओ.यू.डी. द्वारा प्रदान की गई

4.1.6.1 शहरी गरीबों की सेवाओं के लिए धन का आंतरिक निर्धारण

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत एक अनिवार्य सुधार, यू.एल.बी. द्वारा अपने बजट में विशेष रूप से गरीबों को बुनियादी सेवाओं के लिए धन का आंतरिक निर्धारण किया जाना था। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों के लिए नागरिक सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच पर जोर देने के साथ–साथ सेवाएं प्रदान करना था।

एम.ओ.यू.डी. के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2010–11 तक, 64 यूएल.बी./पैरास्टेटल इस सुधार को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थे जिसमें से 55 यूएल.बी./पैरास्टेटलों ने इस सुधार को लागू किया।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने बताया कि सभी 65 मिशन शहरों द्वारा इस सुधार को हासिल कर लिया गया।

4.1.6.2 ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के लिए सभी आवासीय परियोजनाओं में भूमि का निर्धारण

राज्यों/शहरों में, जे.एन.एन.यू.आर.एम. के उपमिशन-II के हिस्से के रूप में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं (बी.एस.यू.पी.) हेतु सभी आवास परियोजनाओं (सार्वजनिक और निजी एजेंसियों द्वारा विकसित) में विकसित भूमि का कम से कम 20–25 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमज़ोर (ई.डब्ल्यू.एस.) और निम्न आय समूह वर्ग¹⁸ (एल.आई.जी.) के लिए क्रोस–सब्सिडी प्रणाली के तहत निर्धारण आवश्यक था। इस सुधार को राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति 2007 (एन.यू.एच. एवं पी) में सभी के लिए किफायती आवास के लक्ष्य हेतु रखा गया। नई सार्वजनिक/निजी आवासीय परियोजनाओं में 10–15 प्रतिशत भूमि या फलोर ऐरिया अनुपात¹⁹ का 20–25 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. आवास के लिए एन.यू.एच. और ए.पी. के जनादेश में समुचित कानूनी निर्धारण एवं विशेष कदमों के माध्यम से आरक्षित थे।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. (अप्रैल 2012) ने बताया कि 65 शहरों में से 62 में, ई.डब्ल्यू.एस. के लिए विकसित भूमि के आरक्षण के लिए राज्यों द्वारा निर्देश जारी किये गये थे। एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने आगे बताया कि 29 राज्यों²⁰ (62 मिशन शहरों सहित) ने इस सुधार को लागू किया था।

4.1.6.3 शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं के प्रावधान संबंधित सुधार

जे.एन.एन.यू.आर.एम. समर्थन के तहत सभी यूएल.बी. के लिए शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं का प्रावधान एक अनिवार्य शहरी गरीबी सुधार था। इसका लक्ष्य गरीब लोगों की बुनियादी सेवाओं (जल आपूर्ति और स्वच्छता सहित) के साथ सामाजिक सुरक्षा, सस्ती कीमतों पर बेहतर आवास तथा शिक्षा स्वास्थ्य और सामजिक सुरक्षा की सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि लेखापरीक्षा के लिए चयनित 39 मिशन शहरों में से 22 शहरों में (चंडीगढ़, नुधियाना, चेन्नई, मदुरै, विशाखापट्टनम, गुवाहाटी, रायपुर, दिल्ली, राजकोट, अमहादाबाद, फरीदाबाद, शिमला, धनबाद, बैंगलौर, इन्दौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, इंफाल, भुवनेश्वर, पुडुचेरी और अजमेर–पुष्कर) शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के प्रावधान पाये गये।

‘बुनियादी सेवाओं के प्रावधान’ के बारे में एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने (अप्रैल 2012) बताया कि यह बड़े पैमाने पर जे.एन.एन.यू.आर.एम. का एक परिणाम था और इसे एक विचलित तरीके में लागू किया जाना था। इस सुधार की उपलब्धि, योजनाओं और परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन पर निर्भर थी।

¹⁸ आई.एन.आर. 2100 से कम मासिक आय वाले परिवार को सरकारी तौर पर ई.डब्ल्यू.एस. परिभाषित किया गया है। आई.एन.आर. 2000 या कम मासिक आय वाले परिवार को बी.पी.एल. परिवार परिभाषित किया गया है। ई.डब्ल्यू.एस. की परिभाषा में बी.पी.एल. वर्ग शामिल हैं। हालांकि यह एक बड़ा अश है, बी.पी.एल. को अलग श्रेणी में रखना जरूरी है। आई.एन.आर. 2100 और 4500 के बीच की मासिक आय वाले परिवार को एल.आई.जी. सरकारी तौर पर परिभाषित किया गया है।

¹⁹ फलोर स्पेस इन्डैक्स (एफ.एस.आई.) या फलोर ऐरिया रेशो (एफ.ए.आर.) भूखंड तथा फलोर के कुल जगह जिस पर घर बनाया जाता है, का अनुपात है। उदाहरण के तौर पर दो एफ.एस.आई के साथ 1000 वर्ग मीटर भूखंड पर, 2000 वर्ग मीटर का ढांचा बनाने दिया जायेगा। निर्धारित पीठ तथा उच्चाईयों की आवश्यकताओं की अनुपस्थिति में दो मंजिल की सरचना, पूरे भूखंड, की जा सकती है, उदाहरण के तौर पर चार मंजिल की सरचना करने के लिए 500 वर्ग मीटर को क्षेत्र प्रति मंजिल, किसी अन्य के जोड़ से जिसका नतीजा क्षेत्र में एक समान कुल मंजिल के गुणनफल के द्वारा भूमि क्षेत्र पार्सल जबकि एफ.एस.आई के अन्तर्गत है।

²⁰ गोवा और केरल ने सुधारों को लागू नहीं किया।

हालांकि यह बताना उचित है कि जिन शहरों ने सुधार की उपलब्धियां दर्शाई हैं, वहाँ भी कई आवासीय और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं अधूरी हैं जैसा अध्याय 6 में सविस्तार बताया गया है। इसलिए यह समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इन शहरों ने सूचना दी थी कि शहरी गरीबों को बुनियादी सेवायें उपलब्ध करा दी गई हैं।

4.1.7 अन्य राज्य स्तरीय अनिवार्य सुधार

नीचे दी गई तालिका अन्य राज्य स्तरीय अनिवार्य सुधारों की स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 4.5: 31 मार्च 2011 तक अन्य राज्य स्तरीय अनिवार्य सुधारों की स्थिति

क्रम संख्या	सुधार	वर्ष 2010–11 तक राज्यों / यूटी. की संख्या जो सुधार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थे	सुधार करने वाले राज्यों / यूटी. की संख्या
1.	किराया नियंत्रण कानून का सुधार	26	10
2.	पांच प्रतिशत स्टाम्प युक्तिकरण ड्यूटी	20	16
3.	सामुदायिक भागीदारी कानून का अधिनियमन	31	17

श्रोतः एम.ओ.यू.डी. द्वारा प्रदान की गई सूचना

4.1.7.1 किराया नियंत्रण कानून का सुधार

किराया नियंत्रण कानून का संशोधन, अनिवार्य सुधारों में से एक है। राज्यों से मिशन अवधि के भीतर सुधार लागू करने की उम्मीद की गई थी। किराया नियंत्रण कानून में सुधार के लिए निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने की जरूरत थी:

1. किराये के आवासों की आपूर्ति को बढ़ावा देना।
2. मकान मालिकों और किरायेदारों के हितों के बीच एक बेहतर संतुलन की स्थापना।
3. किराया नियंत्रण अधिनियम के तहत मुकदमों को कम करना।
4. किरायेदारों के वैद्य हितों की रक्षा के लिए किराया नियंत्रण अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाना।
5. अधिनियम की जटिलता को कम करना।

किराया नियंत्रण कानून के नकरात्मक प्रभाव तथा सामाजिक तनाव का अहसास करते हुए वर्ष 1992 में भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा एक माडल किराया विधान (एम.आर.एल.) लाया गया।

एम.ओ.यू.डी. द्वारा दी गई जानकारी का विश्लेषण करने से पता चला कि वर्ष 2010–11 तक, 16 राज्यों/यूटी. (आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखण्ड, मेघालय, पुडुचरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडू, त्रिपुरा और उत्तराखण्ड) जो सुधार लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थे, इसे लागू करने में विफल रहे।

4.1.7.2 पांच प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी का युक्तिकरण

भारत में रीयल इस्टेट बाजार संकीर्ण और अत्यंत दुष्कर था। हस्तांतरण लेन-देन पर स्टाम्प शुल्क की उच्च दर-रीयल इस्टेट बाजार के कुशल संचालन में आने वाली बाधाओं में से एक था। हालांकि कुछ राज्यों ने स्टाम्प ड्यूटी को कम करने लिए कदम उठाये, कई राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी की दर 10 प्रतिशत से अधिक थी, जो व्यक्तियों, व्यवसायों और उद्योगों की सम्पत्तियों को वास्तविक अथवा बाजार दर से पंजीकृत कराने में हतोत्साहित करती है।

मिशन अधिकारी के दौरान, जे.एन.एन.यू.आर.एम. द्वारा स्टाम्प ड्यूटी की दर पांच प्रतिशत या इससे कम (सरचार्ज सहित जो कई राज्यों के यू.एल.बी. द्वारा लगाया जाता है) करने की आवश्यकता थी। यह उम्मीद की गई थी कि दर में कमी होने से स्वस्थ रीयल इस्टेट के बाजार में विकास होगा जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा तथा काले धन के आकार को कम करने में मदद मिलेगी। यह भी उम्मीद की जाती थी कि स्टाम्प ड्यूटी की दरों में कमी होने से राज्यों तथा यू.एल.बी. के राजस्व में वृद्धि होगी।

तथापि, लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 30 राज्यों/यू.टी. में से केवल 16 राज्यों/यू.टी. (आंध्र प्रदेश, चण्डीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम²¹, उत्तर प्रदेश, दादर व नागर हवेली) ने अपनी स्टाम्प शुल्क दर 5 प्रतिशत तक घटाई। दादरा व नागर हवेली में, स्टाम्प शुल्क दर परिकाल्पनिक 5 प्रतिशत की दर से भी कम थी अर्थात् एक प्रतिशत।

शेष 13 राज्यों/यू.टी. (अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, दमन व द्वीप, केरल, मणिपुर व तमिलनाडू) में दरें 5 प्रतिशत से अधिक रहीं। हरियाणा में स्टाम्प शुल्क दर पुरुषों के लिए 7 प्रतिशत (5 प्रतिशत जमा 2 प्रतिशत यू.एल.बी. अधिभार) एवं शहरी क्षेत्र में महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत (3 प्रतिशत जमा 2 प्रतिशत यू.एल.बी. अधिभार) थीं।

एम.ओ.यू.डी. ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश व मणिपुर में, रिफार्म अपरेजल एजेंसी रिपोर्ट के अनुसार स्टाम्प शुल्क का युक्तिकरण 5 प्रतिशत की दर से हासिल कर लिया गया है। मंत्रालय ने यह भी सूचित किया कि उत्तराखण्ड में, मई 2011 में, स्टाम्प शुल्क पुरुषों के लिए 5 प्रतिशत और महिलाओं के लिए 3.75 प्रतिशत तक घटा दिया गया। पुडुचेरी में भी, अक्टूबर 2011 से स्टाम्प शुल्क का युक्तिकरण 5 प्रतिशत की दर से कर दिया गया है।

दिल्ली के संदर्भ में यह जवाब कि स्टाम्प शुल्क की दर महिलाओं के लिए 4 प्रतिशत तथा पुरुषों के लिए 6 प्रतिशत, अतः औसतन 5 प्रतिशत, मिशन दिशानिर्देशों के अनुसार है, लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है क्योंकि दरें सामान्य 5 प्रतिशत तक घटानी थी और औसतन घटाने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं थी।

4.1.7.3 'सामुदायिक भागीदारी कानून' का अधिनियमन

सामुदायिक भागीदारी कानून (सी.पी.एल.) के लक्ष्य है:

- निगम सरकारों को मजबूत करना:
 - नागरिक भागीदारी संस्थान बनाना।
 - शहरी क्षेत्र में एरिया सभा (पोलिंग बूथ के सभी पंजीकृत मतदाता) की संकल्पना को प्रस्तुत करना।
- निगम के कार्यों जैसे—प्राथमिकताएं निर्धारित करना, बजट प्रावधान, वर्तमान नियमों की अनुपालना के लिए दबाव बनाना आदि में नागरिकों की भागीदारी।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत यह अनिवार्य है कि राज्य या तो एक अलग सी.पी.एल. व्यवस्थापित करें अथवा वर्तमान निगम कानूनों में उचित संशोधन करें। इन नियमों में प्रत्येक वर्ग के कार्यों, जिम्मेदारियों व शक्तियों को सुनिश्चित रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है और धन कार्यों व पदाधिकारियों का उचित हस्तांतरण करना होगा।

लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावी व मजबूत बनाने के लिए नागरिक भागीदारी आवश्यक है। यह नागरिकों को नीतियों व कार्यों के विकास व कार्यान्वयन पर प्रभाव डालनें के लिए एक मंच देता है। हालांकि

²¹ फरवरी 2011 की अधिसूचना के अनुसार, सिक्किम राज्य के लोगों के लिए स्टाम्प ड्यूटी पांच प्रतिशत थी परंतु अन्य के लिए यह 10 प्रतिशत थी।

नागरिक भागीदारी के कई मंच एवं व्यवस्थाएं विकसित हो चुकी हैं लेकिन उन्हें प्रभावी और जारी रखने के लिए उनका संस्थापन जरूरी है। सी.पी.एल. का उद्देश्य ऐसे मंच व्यवस्थाओं को संस्थापित करना है। वैसे भी जे.एन.एन.यू.आर.एम. को स्थायी सरकारों के साझा भागीदारी से शहरों के विकास के लिए समर्थ वातावरण प्रदान करना था।

एम.ओ.यू.डी. ने कहा (अप्रैल 2012) कि सितम्बर 2011 की रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू व कश्मीर में सी.पी.एल., निगम कानून (दूसरा संशोधन) बिल 2010 का हिस्सा है जिसे विधानसभा पारित कर चुकी है। एम.ओ.यू.डी. ने कहा कि दिल्ली की "भागीदारी व्यवस्था" सी.पी.एल. के यथेष्ट ही है। तथापि यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे यह व्यवस्था सी.पी.एल. अधिनियमत सुधार के कार्यक्रम का स्थानापन्न है।

मई 2012 में एम.ओ.यू.डी. ने जवाब दिया कि नागालैंड, सुधार मूल्यांकन रिपोर्ट के चरण 4 के अनुसार, सी.पी.एल. प्राप्त कर चुका है। एम.ओ.यू.डी. ने कहा कि इस संदर्भ में राज्यों को निर्देश जारी कर चुके हैं। एकिजट कानूनें (जून 2012) में एम.ओ.यू.डी. ने बताया कि 23 राज्य यह सुधार ला चुके हैं। तथापि राज्यों के नाम नहीं बताये गए।

4.1.8 अन्य यू.एल.बी./पैरास्टेटल स्तरीय अनिवार्य सुधार

नीचे दी गई तालिका, 31 मार्च 2011 तक, अन्य यू.एल.बी./पैरास्टेटल स्तरीय अनिवार्य सुधार लागू होने की स्थिति दर्शाती है।

तालिका संख्या 4.6: मार्च 2011 तक अन्य यू.एल.बी./पैरास्टेटल स्तरीय के अनिवार्य सुधारों की स्थिति

क्रम संख्या	सुधार	वर्ष 2010–11 तक यू.एल.बी./पैरास्टेटल की संख्या जो सुधार लागू करने लिए प्रतिबद्ध थे	वर्ष 2010–11 तक सुधार लागू करने वाले यू.एल.बी./पैरास्टेटल की संख्या
1.	भवन उपनियमों का परिशोधन – सभी इमारतों में वर्षा जल संचयन अनिवार्य	67	61
2.	कृषि भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तन करने के लिए कानूनी और प्रक्रियात्मक रूपरेखा का सरलीकरण	61	50
3.	परिशुद्ध पानी का फिर से उपयोग करने पर उपनियम	61	43
4.	सार्वजनिक – निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना	63	55

स्रोत: यह सूचना एम.ओ.यू.डी. द्वारा प्रदान की गई।

4.1.8.1 वर्षा जल संचय अनिवार्य बनाने में उपनियमों में संशोधन

भवन निर्माण उपनियमों में संशोधन का मुख्य उद्देश्य गिरते भू-जल स्तर की समस्या से निपटना एवं जल संरक्षण को बढ़ावा देना है। संरक्षित वर्षा जल को प्रत्यक्ष खपत या साधारण फिल्टर उपकरणों द्वारा भू-जल की पुनःपूर्ति के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए वर्षा जल संरक्षण के अनिवार्य खंडों के उपनियमों का प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता और वर्तमान कानूनों को संशोधित करके उसमें नए उपनियमों को प्रस्तुत करना, जिसके बाद नए उपनियमों को इन्टरनेट के माध्यम से प्रसारित करना है। तत्पश्चात् नए उपनियमों के अनुसार स्वीकृति दी जानी थी।

एम.ओ.यू.डी. आंकड़ों के अनुसार 67 यू.एल.बी./पैरास्टेटल, इस सुधार को 2010–11 तक लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थे, उनमें से 61 यू.एल.बी./पैरास्टेटल इसे लागू कर चुके थे और 6 यू.एल.बी. (चण्डीगढ़, पंजाब, इम्फाल, आईजोल, कोहिमा व गंगटोक) इसे 2010–11 तक लागू करने में असफल रहे।

एम.ओ.यू.डी. ने उत्तर दिया (अप्रैल 2012) कि यू.एल.बी. की सम्बन्धित तिमाही प्रगति रिपोर्टों के अनुसार चंडीगढ़ तथा गंगटोक ने वर्षा जल संचयन की अनिवार्यता के लिए भवन उप-नियमों में संशोधन कर दिया है। एम.ओ.यू.डी. ने आगे उत्तर दिया कि सुधार का लक्ष्य उप-नियमों में संशोधन था तथा इन्हें राज्यों तथा शहरों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। तथापि मंत्रालय को जांच के लिए उप-नियमों के संशोधन की प्रकृति, तरीका और सीमा को देखना चाहिये था जिससे यह सत्यापित किया जा सके कि क्या सुधारों के इच्छित/सम्भावित परिणाम प्राप्त किये जा सके।

4.1.8.2 कृषि भूमि को गैर कृषि उद्देश्यों के लिए परिवर्तन करने हेतु कानूनी तथा प्रक्रियात्मक रूपरेखा का सरलीकरण

कृषि भूमि के परिवर्तन हेतु कानूनी तथा प्रक्रियात्मक रूपरेखा का सरलीकरण के लिये सुधार भूमि तथा सम्पत्ति बाजारों में संपूर्ण सुधारों के पैकेज का एक अंग था। परिवर्तन प्रक्रिया के सरलीकरण का प्रभाव दूसरे सुधारों पर भी पड़ेगा एवं स्वयं भी प्रभावित होगा (जे.एन.एन.यू.आर.एम. में भी विचारणीय) जैसे स्टांप शुल्क युक्तिकरण, सम्पत्ति कर सुधार, सम्पत्ति स्वामित्व, प्रमाणीकरण, गरीब लोगों के लिए भूमि निर्धारण, सम्पत्तियों का कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण तथा शहरी योजना का एकीकरण तथा यू.एल.बी. के साथ वितरण कार्य।

एम.ओ.यू.डी. के आंकड़ों के अनुसार 61 यू.एल.बी./पैरास्टेटलों जो सुधारों को 2010–11 तक क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध थे, उनमें से 50 यू.एल.बी./पैरास्टेटल ही इस सुधार को अब तक क्रियान्वित कर पाए तथा 11 यू.एल.बी./पैरास्टेटल (ईटानगर, पटना, बोधगया, दिल्ली, शिमला, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, इम्फाल, शिलांग तथा पुडुचेरी) इस सुधार को पूरा नहीं कर पाये। शहरी विकास विभाग (यू.डी.डी) ने झारखण्ड सरकार के राजस्व व भूमि सुधार विभाग को कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। रांची के मामले में, कृषि भूमि पर भवन योजनाओं के अनुमोदन हेतु शहरी विकास विभाग से अनुमति ली गई।

एम.ओ.यू.डी. ने उत्तर दिया (अप्रैल 2012) कि चंडीगढ़ सुधारों के लिए प्रतिबद्ध नहीं था और कृषि भूमि का अन्य उद्देश्यों के लिए परिवर्तन अलग कानूनों से संचालित होता है। यद्यपि, फरीदाबाद ने कानूनी एवं कार्यविधिक ढांचे की क्रिया को सरलीकृत किया था, यू.एल.बी. ने अनुमोदन के लिए दिनों की संख्या को 60 दिन से नहीं घटाया। एम.ओ.यू.डी. ने यह भी सूचित किया कि रांची ने सुधारों को पूरा नहीं किया। एम.ओ.यू.डी. ने एकिजट कान्फ्रैंस के दौरान बताया (जून 2012) कि भूमि राज्य का विषय था और सम्पत्ति का पंजीकरण अलग—अलग विधियों द्वारा नियमानुसार किया जाता था।

4.1.8.3 पुनर्चक्रित पानी का पुनः उपयोग करने पर उप नियम

जल के पुनःउपयोग के सुधार के अन्तर्गत यू.एल.बी. को यह सुनिश्चित करना था कि समुदायों को विश्वसनीय एवं पर्यावरण अनुकूल लागत प्रभावी जल आपूर्ति स्थायी तौर पर हो सके। बढ़ती आबादी की जल की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु तथा सूखे के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने हेतु स्थानीय सरकारों को अपने जल संसाधनों का कुशल प्रयोग करना चाहिये। जल पुनर्चक्रीकरण तथा पुनःउपयोग लागत प्रभावी व परिस्थितिक लाभायक समाधान प्रदान करते हैं। जल के पुनःउपयोग के अन्तर्गत बाथरूम, रसोई, वस्त्र धोने तथा प्रसाधन से निकला हुआ घरेलू अपशिष्ट जल का उचित उद्देश्य हेतु पुनःउपयोग प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय उपचार के बाद प्रयोग में लाना है। यह व्यक्तिगत सम्पत्ति स्तर पर या समूह गृह स्तर पर जैसे अपार्टमेन्ट कॉम्प्लैक्स या सामुदायिक स्तर पर हो सकती है।

एम.ओ.यू.डी. द्वारा दी गई सूचना के विश्लेषण से यह पाया गया कि 61 यू.एल.बी. में से 19 यू.एल.बी./पैरास्टेटल (रायपुर, पणजी, पोरबन्दर, जम्मू श्रीनगर, धनबाद, जमशेदपुर, रांची, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, नागपुर, इम्फाल, भुवनेश्वर, जयपुर, अजमेर, गंगटोक, देहरादून, हरिद्वार तथा नैनीताल) जो 2010–11 तक सुधार को लागू करने हेतु प्रतिबद्ध थे, इन्हे लागू नहीं कर पाये। इसके अलावा, 61 यू.एल.

बी/पैरास्टेटल जोकि इस सुधार को 2010–11 तक लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थी में से, 42 यू.एल.बी./पैरास्टेटल इस सुधार को तब तक लागू कर पाई।

4.1.8.4 सार्वजनिक, निजी भागीदारी से संबंधित सुधार

बहुत से शहरों में क्षमता नहीं है कि वे जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, विद्युत सड़कें और ठोस कचरा प्रबन्धन इत्यादि की बढ़ती मांग को पूरा कर सकें। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) को इसका व्यवहार्य विकल्प सोचा गया ताकि सर्वांगी मुश्किलों पर काबू पाया जा सके तथा पूरक लोकनिधि में अत्यावश्यक पूंजी लाते हुए बुनियादी सुविधाओं के प्रचलन व रख रखाव में दक्षता लाई जा सके। पी.पी.पी. परियोजना का अर्थ है ऐसी परियोजना जो एक ओर सरकार या संविधानिक निकाय तथा दूसरी ओर एक निजी क्षेत्र कम्पनी के साथ संविदा या छूट समझौते पर आधारित हो, जो प्रयोगकर्ता के शुल्क प्रदान करने पर बुनियादी सुविधाओं को प्रदान करे।

एम.ओ.यू.डी. के आंकड़ों के अनुसार 63 यू.एल.बी./पैरास्टेटल जो इस सुधार को 2010–11 तक लागू करने हेतु प्रतिबद्ध थी, में से 55 यू.एल.बी./पैरास्टेटल ही यह सुधार तब तक लागू कर पायी।

एम.ओ.यू.डी. ने उत्तर दिया (अप्रैल 2012) कि सुधार मूल्यांकन प्रतिवेदन या समीक्षा सभा के दौरान सम्प्रेषण के अनुसार कुछ शहर सुधार को पूरा कर पाये। यह भी सूचित किया गया कि कुछ शहर पी.पी.पी. के तहत परियोजनाओं पर विचार कर रहे हैं तथा यह बताया गया कि पी.पी.पी. सुधारों को प्रोत्साहित करने हेतु शहरों द्वारा किया गया ऐसा कार्य पर्याप्त होगा।

एम.ओ.यू.डी. ने आगे कहा (अप्रैल 2012) कि हरियाणा, तमिलनाडू तथा नागालैण्ड में पी.पी.पी. सैल/पृथक सैल स्थापित कर दिया गया था। मंत्रालय ने आगे बताया कि तिरुवनंतपुरम ने एम.ओ.ए. के हस्ताक्षरित होने से पूर्व ही यह सुधार कर लिया था।

एम.ओ.यू.डी. ने शहरों में पी.पी.पी. नीति के सूत्रीकरण, पी.पी.पी. सैल के निर्माण, पी.पी.पी. के अन्तर्गत परियोजनाओं को लागू करना तथा दूसरे घटकों जैसे कानूनी व विनियम ढांचे का निर्माण प्रक्रिया एवं दिशानिर्देश सूत्रबद्ध करने, निजी क्षेत्र के भागीदार के चयन की कार्य प्रणाली, मार्गदर्शन समाग्री की प्रगति तथा प्रसार, लेन–देन सलाहकार का चयन, में प्रगति के सम्बन्ध में स्पष्ट उत्तर नहीं दिया।

4.2 सुधारों को लागू करने में एम.ओ.डी.यू. का उत्तर

एम.ओ.यू.डी. ने अपने उत्तर (मई 2012) में यह स्वीकार किया कि 7 वर्षों में 23 सुधारों में से प्रत्येक को यू.एल.बी. तथा छोटे बड़े राज्यों में लागू करने की आवश्यकता बहुत ही महत्वाकांक्षी थी, विशेष रूप से अलग–अलग क्षमताओं की यू.एल.बी. के साथ। शहरी विकास मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि वह इस तथ्य को स्वीकार करें और प्रशंसा करें कि राज्यों तथा शहरों ने इन सुधारों को प्राप्त करने हेतु सामूहिक प्रयास किया। यह भी बताया कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. लागू होने के सात वर्षों में यू.एल.बी. में क्षमता और संसाधनों के रूप में बड़ी खामियां उजागर हुई जो शहरी सुधारों को लागू करने में बहुत ही अपर्याप्त हैं। यह भी कहा कि मंत्रालय ने क्षमता विस्तार हेतु अनेक पहल की है ताकि इस अन्तराल को पूरा किया जा सके। मिशन निदेशालय ने शासन एवं सुधार में एक रैपिड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है जिससे डी.पी.आर. तैयार करने में तथा परियोजना संचालन का पर्यवेक्षण व निरीक्षण में सहायता मिले। 1800 से अधिक यू.एल.बी./पैरास्टेटल स्टाफ तथा 2000 से अधिक चुने हुए प्रतिनिधियों को विभिन्न शहरों में ट्रेनिंग प्रदान की गई।

उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्यों को विभिन्न सुधारों को अच्छे तरीके से लागू करने की सलाह दी गई जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुधारों को लागू करने से परिकल्पित लाभों को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जाए। मिशन का वर्तमान कार्यकाल 31 मार्च 2012 में पूर्ण हुआ था। सरकार ने सुधारों को प्राप्त करने हेतु तथा 31 मार्च 2014 तक मिशन को 2 साल का विस्तार प्रदान किया है। राज्यों को यह सलाह दी गई है कि लम्बित सुधारों को बढ़ाई गई समय सीमा में प्राप्त करें।

एम.ओ.यू.डी. ने यह भी कहा (अप्रैल तथा मई 2012) कि मंत्रालय ने यूएल.बी. के संस्थागत, वित्तीय तथा संरचनात्मक शासन संरचना में सुधारों की परिकल्पना की थी ताकि उन्हे दक्ष, उत्तरदायी एवं पारदर्शी बनाया जा सके। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यद्यपि उन्होंने 23 सुधारों को लागू करने में काफी जोर दिया परन्तु इसे लागू करना एक बड़ी चुनौती थी। इसके अतिरिक्त, छोटे शहरों के पास अधिकतर वित्त तथा मानव संसाधन की अपर्याप्त क्षमता है जिससे सुधारों की धीमी गति रही। बड़े शहर धीरे-धीरे अधिक पेशेवर प्रबंधकीय कार्य पूर्वाभिमुखीकरण की ओर स्थानान्तरित हो रहे हैं ताकि सुधारों को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। मंत्रालय ने यह भी महसूस किया कि सुधारों को लागू करने के लिए राज्यों/यू.टी. का नेतृत्व तथा राजनैतिक इच्छा शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। तथ्य यह है कि सुधारों को लागू करने में निधि के प्रावधान का न होने का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

अनुशंसा संख्या 1:

भारत सरकार उन राज्यों को उचित प्रोत्साहन देने की सोचे जो सुधारों को लागू कर रहे हैं जैसा कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. के मार्गदर्शन और एम.ओ.ए. में परिकल्पित था। इसके अलावा, वित्त व मानव संसाधन क्षमता निर्माण को बढ़ावा दे ताकि राज्य लम्बित सुधारों को विस्तारित समय सीमा में (31 मार्च 2014 तक) प्राप्त कर लें।



अध्याय 5 शहरी विकास योजनायें एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन

जे.एन.एन.यू.आर.एम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्य/यू.टी./यू.एल.बी./पैरास्टेटल ने प्रत्येक चयनित मिशन शहर के लिए शहरी विकास योजना,(सी.डी.पी.²²) बनानी थी।

नियोजित शहरी परिपेक्ष्य ढांचे के लिए 20–25 साल की अवधि हेतु सी.डी.पी एक विस्तृत दस्तावेज बनाना था (पांच वर्षीय अद्यतन के साथ) जिसके लिए परियोजनायें चयनित की गयी थीं।

परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) बनाना अगला कदम था। परियोजनाओं का केन्द्रीय स्तर पर मुल्यांकन, के दौरान डी.पी.आर का सी.डी.पी के साथ निरीक्षण होना था। परियोजना प्रस्तावों को दर्शाना था कि यू.एल.बी. के पूँजीगत व्यय कार्यक्रम में परियोजनाओं तथा प्रस्तावित निवेशों को सी.डी.पी., व्यवसाय/मास्टर प्लान/लक्ष्य के रूप में, प्राथमिकत किये गये थे। इस प्रकार शहर ने मिशन निधि प्राप्त करने से पहले सी.डी.पी. और डी.पी.आर. तैयार करने थे।

प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए सभी सम्बन्धित जानकारी को दर्शाते हुए, विस्तृत नक्शे टोपोग्राफीकल सर्वे और मिट्टी की जाँच, आर्थिक एवं वित्तीय विश्लेषण, योजना और डिजायन मानदंडो, पर्यावरण प्रभावों का आंकलन, मौजूदा और प्रस्तावित फ्लाईऑवरों, सड़क नेटवर्क को दर्शाते हुए मानचित्र, दरों की सूची, विस्तृत माप और दरों को ग्रहण करने का आधार, संचालन और रख-रखाव खर्च, व्यय को चरणबद्ध करना इत्यादि, डी.पी.आर विस्तृत जानकारी, के साथ तैयार करने थे। एम.ओ.यू.डी. ने डी.पी.आर और सी.डी.पी बनाने के लिए टूलकिट्स भी बनायी थी।

5.1 शहरी विकास योजना और डी.पी.आर में संबंध बहुत से शहरों में नहीं थे

चयनित राज्यों/यू.टी. की लेखापरीक्षा समीक्षा दर्शाती है कि सी.डी.पी और डी.पी.आर हमेशा विस्तृत एवं पूरे नहीं थे और कुछ मामलों में व्यक्तिगत परियोजनाओं के डी.पी.आर. का सी.डी.पी. के साथ कोई सम्बन्ध नहीं था। सी.डी.पी और डी.पी.आर. में पायी गई कुछ कमियाँ निम्नलिखित पैराग्राफ में दी गई हैं।

कोहिमा, नागालैंड में, वर्ष 2006 के दौरान जल आपूर्ति, सीवरेज और सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन, पर्यटन, नाले, सड़क एवं यातायात आदि की कुछ परियोजनाओं के लिए कुल ₹ 999.94 करोड़ के निवेश के साथ सी.डी.पी. मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गयी थी। फिर भी, ₹ 75.68 करोड़ लागत के सड़कों एवं यातायात और एकीकृत सड़क की दो डी.पी.आर को छोड़कर एम.ओ.यू.डी. को प्रस्तुत की हुई थी, शेष घटकों की डी.पी.आर नहीं बनायी गयी थी। नागालैंड के एस.एल.एन.ए ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2011) में कहा कि अब तक ₹ 118.94 करोड़ की डी.पी.आर बनायी एवं अनुमोदित की गयी थी।

ओडिशा में, जे.एन.एन.यू.आर.एम में पुरी शहर को धार्मिक/ऐतिहासिक और पर्यटन की उपयोगिता के आधार पर और पूर्वी भारत के विश्वस्तरीय पर्यटन व्यापार शहर के रूप में प्रस्तुत करने के लिये चुना गया था। 2031 तक के तय समय के लिए कुल प्रस्तावित निवेश (₹ 1828 करोड़) की सी.डी.पी में 54.55 प्रतिशत (₹ 999 करोड़) विरासत संरक्षण परियोजनाओं की प्राथमिकता पर रखा गया था। तथापि, नवम्बर 2011 तक विरासत संरक्षण के लिए कोई परियोजना प्रस्तावित नहीं थी।

दिल्ली में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जी.एन.सी.टी.डी) के सी.डी.पी में प्रस्तावित निवेश योजना की ढांचागत विकास परियोजना के आधार पर कोई तंत्र सुनिश्चित नहीं किया गया था। यू.आई.जी. में शामिल की गयी परियोजनायें, जो सी.डी.पी. में शामिल थीं उनसे भिन्न थीं। सार्वजनिक कार्य विभाग की सभी परियोजनायें, राष्ट्रमंडल खेल 2010 (सी.डब्ल्यू.जी.) की आवश्यकता को देखते हुए शुरू की गयी

²² सी.डी.पी. तैयार करने हेतु एम.ओ.यू.डी. द्वारा जारी टूलकिट

थी और उन्हें बाद में जे.एन.एन.यू.आर.एम में स्पष्ट रूप से धन की आवश्यकता के लिए शामिल कर लिया गया। वित्त मंत्रालय ने (अक्टूबर 2009) एक बार छूट सहमति इन शर्तों के साथ दे दी कि : (i) सभी परियोजनायें राष्ट्रमंडल खेल 2010 से सम्बन्धित होनी चाहिए; (ii) परियोजनायें अन्यथा जे.एन.एन.यू.आर.एम निधि के लिए पात्र हों; और (iii) शामिल की गयी सभी परियोजनायें जे.एन.एन.यू.आर.एम. के सम्पूर्ण कार्यक्रम सीमा के अंदर होने चाहिये तथा जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत परियोजनाओं को स्वीकृत करने की प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना था। इसके बाद 24 परियोजनायें जे.एन.एन.यू.आर.एम के अन्तर्गत अनुमोदित की गयी लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं था कि इन परियोजनाओं की डी.पी.आर. बनायी गयी थी और उनमें वे विवरण थे जो होने चाहिए थे। संयोग से इन्हीं कारणों से ये परियोजनायें, एम.ओ.यू.डी. द्वारा प्रारम्भ में ही अस्वीकृत तक कर दी गयी थी। हमने यह भी पाया कि वे 24 परियोजनायें, जिनमें छूट दी गयी थी, दिसम्बर 2009 में चार यातायात के लिए पहले ही खोल दी गयी थी। ये परियोजनायें निम्न थीं (i) अफ्रीका ऐवेन्यू और अरुणा आसप अली रोड के फ्लाईओवर; (ii) विवेकानन्द मार्ग, नेल्सन मंडेला मार्ग, पूर्वी मार्ग के फ्लाईओवर; (iii) राजाराम कोहली मार्ग पर ग्रेड सेपरेटर, गीता कोलोनी दिल्ली के मारजीनल बन्द रोड के चौराहे का निर्माण; और (iv) मारजीवल बन्द रोड के टी जक्सन पर मुक्त यातायात हेतु ग्रेड सेपरेटर का निर्माण और पूर्वी दिल्ली के शास्त्री नगर के पास डिस्यूण्ड नहर पर मास्टर प्लान रोड। दूसरी परियोजनायें तैयार नहीं थी तथापि राष्ट्रमंडल खेल अक्टूबर 2010 में पूरे हो चुके थे।

जबकि तथ्यों को स्वीकारते हुए, दिल्ली के शहरी विकास विभाग ने कहा कि (13 अक्टूबर 2011) दिल्ली में परियोजनाओं की प्राथमिकतायें तोजी से बदल जा रही थी। इस कारण, कार्यान्वयन एजेन्सी ने वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार परियोजनायें प्रस्तुत की जोकि सी.डी.पी में मौजूद न होने की संभावना थी। शहरी विकास विभाग (7 अक्टूबर 2011) ने यह भी कहा कि अधिकतर परियोजनायें राष्ट्रमंडल के अन्तर्गत क्रियान्वयन की जा चुकी थी। इसलिए सी.डी.पी में प्रस्तावित परियोजनायें नहीं ली जा सकी। शहरी विकास विभाग का उत्तर यह दर्शाता है कि दिल्ली के जे.एन.एन.यू.आर.एम के अन्तर्गत परियोजनाओं की योजना के लिए सी.डी.पी को रणनीतिक दस्तावेजों के रूप में उपयोग नहीं किया गया था। एम.ओ.यू.डी. ने उत्तर (मई 2012) में स्पष्ट किया कि सी.सी.आई ने विशेष प्रकरण के रूप में 24 परियोजनायें विचारार्थ रखी और नियमों में ढील के साथ अनुमोदित की गयी। जो परियोजनायें अभी चल रही थीं, उन्हें जे.एन.एन.यू.आर.एम के अन्तर्गत सामान्य प्रस्तावित नियमों के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया गया था।

यह सुस्पष्ट था कि दिल्ली के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण और वर्तमान परियोजनाओं के कार्यान्वयन के प्रस्तावों के मध्य संबंध विच्छेद था। योजना के मूल उद्देश्यों को जिनमें एक नियोजित ढाँचे के तहत संरचना प्रदान करना था इस उपागम ने विफल कर दिया। चूंकि सभी परियोजनायें (चार को छोड़कर) राष्ट्रमंडल खेलों के समय तैयार नहीं थीं, इन परियोजनाओं को एक बार छूट के साथ लेने का उद्देश्य भी विफल रहा।

एम.ओ.यू.डी. ने (मई 2012) के उत्तर में कहा कि अधिकतर प्रदेशों और शहरों ने सी.डी.पी से निकले उन विस्तृत निवेश योजना को शामिल किया था जिनमें उन क्षेत्रों और सैक्टरों को प्राथमिकता दी गई थी यहाँ परियोजनायें लगाई जानी थीं। हालांकि डी.पी.आर का बनाना गहन पूँजीगत था, बहुत से राज्य और शहरों ने डी.पी.आर नहीं बनाये थे। आगे, इन कार्यों को करने के लिए, जे.एन.एन.यू.आर.एम के अन्तर्गत आवंटन पर्याप्त नहीं था। सी.डी.पी संरचना के अन्तर्गत, परियोजनाओं की प्राथमिकता राज्यों के विशेषाधिकार में थी। जी.ओ.आई: राज्य सरकार की सिफारिश पर राज्य के पूर्णरूप में आवंटन के अन्तर्गत इन परियोजनाओं पर विचार करती है।

एम.ओ.यू.डी. ने समापन सम्मेलन के दौरान कहा कि संशोधित सी.डी.पी बनाने के लिए सलाहकारों को सूचीबद्ध करने हेतु उचित उपाय किये गये हैं।

5.2 डी.पी.आर में जमीन उपलब्धता से संबंधित विस्तृत जानकारी न होने से परियोजनाओं का क्रियान्वयन बुरी तरह प्रभावित हुआ।

डी.पी.आर बनाने के लिए टूलकिट में यह जरूरी था कि जमीन का स्वामित्व स्पष्ट एवं बाधा रहित होना चाहिए। डी.पी.आर में उन उपयोगिताओं का मूल्यांकन जिन्हें स्थानान्तरित करना था तथा अनापत्तियाँ एवं एजेंसियों की सूची जिनसे यह अनापत्तियाँ प्राप्त की जानी थी, भी शामिल होने थे। हमने कुछ मामलों में पाया कि यह विवरण डी.पी.आर में शामिल नहीं थे।

वृहत् जम्मू शहर फेज—I डिवीजन 'E', के लिए विस्तृत सीवरेज परियोजना, कठूआ जम्मू एवं कश्मीर में ड्रेनेज परियोजना और रांची जल आपूर्ति परियोजना झारखंड में बाधारहित भूमि उपलब्धता की जानकारी इन सम्बन्धित डी.पी.आर में नहीं थीं। लेखापरीक्षा में देखा गया कि ये परियोजनाएं भूमि की उपलब्धता, अनापत्ति या भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुईं।

5.3 डी.पी.आर में अन्य त्रुटियाँ

सिक्किम राज्य में, केवल गंगटोक को मिशन शहर के रूप में चुना गया था। तथापि, एक बी.एस.यू.पी परियोजना रांगो में ₹ 25.17 करोड़ की लागत से प्रस्तावित थी। गंगटोक शब्द रांगो के लिए परियोजना में डी.पी.आर. में शामिल किया गया था। परन्तु ध्यान देने योग्य बात यह है कि रांगो को यू.आई.डी.एस.एस.टी. के अन्तर्गत सीवरेज योजना के क्रियान्वयन में भी शामिल किया गया था। एक मिशन शहर के लिए बनी परियोजना का एक मिशन रहित शहर में कार्यान्वयन ने न केवल मिशन के अंतर्गत शामिल शहरों में अवसंरचना सेवाओं के एकीकृत विकास के उद्देश्य को प्रभावित किया बल्कि मिशन शहर के लोगों को लाभान्वित होने से भी वंचित कर दिया।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने अप्रैल 2012 में लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया तथा स्पष्ट किया कि यह परियोजना, राज्य सरकार के यह विश्वास दिलाने के बाद कि रांगो को भी गंगटोक शहरी क्षेत्र के एक हिस्से के रूप में माना जाएगा, सी.एस.एम.सी. ने अनुमोदित की थी परन्तु यह वास्तविक रूप से अमल में नहीं हो सकी तथा इसके बारे में केन्द्र सरकार को अवगत नहीं कराया गया। यह भी कहा गया कि कार्योत्तर स्वीकृति आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत दी जाएगी जिसमें आवासीय भाग से संबंधित ए.सी.ए. के हिस्से को वापिस देना अनिवार्य होगा।

छत्तीसगढ़ में दो आवासीय परियोजनाओं बी.एस.यू.पी. रायपुर व आई.एच.एस.डी.पी., बिलासपुर में क्रांक्रीट सीमेंट कार्य के लिए डी.पी.आर. में लागत वृद्धि की गई जिससे रायपुर में लागत ₹ 2757 प्रति आवासीय इकाई तथा विलासपुर में लागत ₹ 2981 प्रति आवासीय इकाई बढ़ गई जिसका परिणाम यह हुआ कि इन दो परियोजनाओं में ₹ 4.41 करोड़ अधिक खर्च हुए।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने (अप्रैल 2012) जवाब दिया कि छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य सरकार व मूल्यांकन संस्था इस मामले पर विचार करेगी तथा छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने जून 2012 में जवाब दिया कि ठाईप में त्रुटि के कारण 0.20 प्रतिशत की जगह 20 प्रतिशत आवासीय प्रभार लिया गया जिसके कारण आवासीय इकाईयों के लागत में वृद्धि हो गई थी।

केरल में, अल्लपुङ्गा में यू.आई.डी.एस.एम.टी के अन्तर्गत कुछ आवश्यक घटकों जैसे पुश्ता दीवारों का निर्माण, प्रारम्भ करने के बाद पहले तीन साल के रख-रखाव लागत, दूषित जल उपचार तंत्र जिनकी कुल लागत ₹ 5.78 करोड़ थी, अनुमोदन के लिए भेजी डी.पी.आर के मूल अनुमानों में शामिल करने से रह गये। जिसके परिणामस्वरूप परियोजना लागत कम अनुमोदित हुई तथा फलस्वरूप ₹ 4.62 करोड़ तक का कम ए.सी.ए. दिया गया।

एम.ओ.यू.डी.पी. ने स्वीकार किया (मई 2012) कि सी.डी.पी में त्रुटियाँ रह गई थीं तथा कहा कि कुछ के अलावा इन सी.डी.पी में सीमाएं थीं कि उन्होंने अपने दृष्टिकोण में रणनीतिक सौच को शामिल नहीं

किया था। लेकिन इन्हें, अधिकांशतः जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत एक बार की अनिवार्य गतिविधियों के रूप में; परियोजनाओं के संकलन के रूप में देखा गया।

इसलिये एक आवश्यकता महसूस हुई कि शहरों को उनकी योजनाओं पर पुनर्विचार हेतु समर्थ एवं सुविधाजन्य बनाया जायें। मंत्रालय ने (मई 2012) शहरों को एक सुझाव जारी किया ताकि शहरों के वर्तमान सी.डी.पी. संशोधित किये जाये और नई सी.डी.पी. बनाई जाये।

डी.पी.आर पर आपत्तियों के बारे में, एम.ओ.यू.डी. ने अपने उत्तर (मई 2012) में योजना की दिशानिर्देशों (पैरा 10.2) को संदर्भित किया जहाँ परियोजना का तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन, या तो अपने में अन्तर गृह विशेषज्ञता या आउट सोर्सिंग, द्वारा, राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एजेन्सी की जिम्मेदारी थी।

लेखापरीक्षा का यह दृष्टिकोण था कि सी.डी.पी और डी.पी.आर. के बनाने व मूल्यांकन के समय आवश्यक कर्मठता दिखायी जाये।

राज्यों को डी.पी.आर की कमियों को दूर करने एवं अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए सलाह जारी की जाये।

अध्याय 6 आवासीय परियोजनाओं का कार्यान्वयन

शहरी गरीब को बुनियादी सेवाओं (बी.एस.यू.पी.) के अंतर्गत 65 मिशन शहरों तथा एकीकृत आवासीय एवं स्लम विकास कार्यक्रम (आई.एच.एस.डी.पी.) के अंतर्गत मिशन शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों व कस्बों के लिए आवासीय परियोजनाओं को लिया गया था। बी.एस.यू.पी. तथा आई.एच.डी.पी. का मूल उद्देश्य शहरी गरीबों को या तो विद्यमान स्थान अथवा एक नये स्थान पर स्वस्थ वातावरण में बुनियादी अवसंरचना की सुविधा प्रदान करना था। प्रारम्भ में बी.एस.यू.पी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना का उद्देश्य आवासीय इकाईयां बनाना था। परन्तु कुछ परियोजनाओं का उद्देश्य केवल बुनियादी अवसंरचनाओं में सुधार लाना था।

6.1 आवासीय परियोजनाओं की स्थिति

1517 परियोजनाओं (499—बी.एस.यू.पी तथा 1018 आई.एच.एस.डी.पी.) में से 82 परियोजनाओं को लेखापरीक्षा जांच के लिए चुना गया जिसमें से बी.एस.यू.पी. के अन्तर्गत 53 तथा आई.एच.एस.डी.पी. के अन्तर्गत 29 परियोजनाएं शामिल थी। यह पाया गया कि चुनी गई परियोजनाओं में से सात तो प्रारंभ भी नहीं हुई थी तथा एक परियोजना को छोड़ दिया गया था। चुनी गई परियोजनाओं में 2007–08 में अनुमोदित केवल एक परियोजना अर्थात् बवाना, नरेला और भोरगढ़ में शहरी गरीबों के लिए आवास परियोजना ही पूरी हो सकी थी। शेष 73 परियोजनाएं अभी भी अपूर्ण थीं।

यह पाया गया कि कुछ परियोजना ही संपूर्ण रूप से पूरी हुई थी तथा आवास निर्माण परियोजना भी केवल 26 प्रतिशत ही पूरी हो सकी थी। बी.एस.यू.पी के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाएं तथा आवासीय इकाईयों के पूर्ण होने की संख्या राज्यवार व शहरवार सूची परिशिष्ट-6.1 में दी गई है।

आवास इकाईयों की पूर्ण होने की स्थिति इस प्रकार है:—

तालिका संख्या 6.1: आवास इकाईयों की पूर्ण होने की स्थिति

	बी.एस.यू. पी. (प्रतिशत)	आई.एच.ए. एस.डी.पी. (प्रतिशत)	कुल (प्रतिशत)
निर्माण के लिए अनुमोदित कुल आवासीय इकाईयां (नई तथा उन्नतिकरण)	1066161	540756	1606917
पूर्ण आवासीय इकाईयां	296081 (27.77)	121421 (22.45)	417502 (25.98)
प्रगति पर आवासीय इकाईयां	307985 (28.89)	135580 (25.07)	443565 (27.60)
अधिगृहीत आवासीय इकाईयां	145592 (49.17) ²³	75219 (61.95) ²³	220811 (52.89) ²³

इस प्रकार स्वीकृत 16.07 लाख आवासीय इकाईयों में से सिर्फ 4.18 लाख आवासीय इकाईयां ही 31 मार्च 2011 तक पूर्ण हो पाई थीं। इसके अतिरिक्त इसमें से भी केवल 2.21 लाख (53 प्रतिशत) आवासीय इकाईयां ही अधिगृहीत हो सकी थीं।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने स्पष्ट किया (अप्रैल 2012) कि बी.एस.यू.पी अथवा आई.एच.एस.डी.पी के अन्तर्गत एक परियोजना में विभिन्न स्लमों का पुनर्विकास सम्मिलित है तथा ज्यों ही स्लम से संबंधित आवासों तथा अवसंरचना पूर्ण हुई, यद्यपि परियोजना पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई थी फिर भी लाभार्थियों द्वारा आवासों को अधिगृहीत कर लिया गया। इस प्रकार इकाईयों का पूर्ण होना मंत्रालय के लिए सबसे महत्वपूर्ण है।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने (जून 2012) में अद्यतन स्थिति बताते हुए कहा कि 16 लाख स्वीकृत आवासीय इकाईयों में से, 6.20 लाख (39 प्रतिशत) पूर्ण हो चुकी थीं तथा 3.75 लाख (पूर्ण इकाईयों की 60.48 प्रतिशत) जून 2012 तक अधिगृहीत की जा चुकी थीं। एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने परियोजना के प्रारम्भ न

²³ पूर्ण डी.यू. का प्रतिशत

करने के लिए अविवादित भूमि की अनुलब्धता को दोषी ठहराया। उसने आगे स्पष्ट किया गया कि आई.एच.एस.डी.पी. के अन्तर्गत केन्द्र के हिस्से ₹ 80,000 प्रति आवासीय इकाई की ऊपरी सीमा ने अनेक यू.एल.बी. को, प्राक्कलित लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, विचलित कर दिया।

6.2 प्रमुख राज्यों में आवासीय परियोजनाओं की प्रगति

मंत्रालय के अभिलेखों से यह पाया गया कि बी.एस.यू.पी तथा आई.एच.एस.डी.पी परियोजनाओं में लिए कुल स्वीकृत राशि का 69 प्रतिशत (जून 2011 के अनुसार, ₹ 11,349.48 करोड़ में से ₹ 7860.75 करोड़) केवल छ: राज्यों²⁴ को ही दे दिया गया था। इन राज्यों में, आवासीय परियोजना की प्रगति काफी धीमी थी तथा कोई भी आवासीय परियोजना पूर्ण नहीं हो पाई थी।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए ने जनवरी 2012 तक आवासीय इकाईयों की स्थिति प्रदान की। बी.एस.यू.पी. के संदर्भ में, इन छ: राज्यों को 714113 स्वीकृत आवासीय इकाइयों में से 314654 आवासीय इकाइयां पूरी की जा चुकी थी। जबकि आई.एच.एस.डी.पी. के अन्तर्गत 3,22,394 स्वीकृत आवासीय इकाइयों में से 108176 आवासीय इकाइयां पूरी की जा चुकी थी।

इस प्रकार मंत्रालय ने स्वयं स्वीकार किया कि जिन राज्यों ने ए.सी.ए. का अधिकांश हिस्सा प्राप्त किया था, बी.एस.यू.पी तथा आई.एच.एस.डी.पी. के अन्तर्गत क्रमशः केवल 44 तथा 34 प्रतिशत आवासीय इकाइयां पूरी की गईं।

आगे के पैरों में 82 चुनी हुई आवासीय परियोजनाओं की लेखापरीक्षा टिप्पणी दी गई है।

6.3 लाभार्थियों की पहचान

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशानिर्देशों के अनुसार बी.एस.यू.पी तथा आई.एच.एस.डी.पी. के अंतर्गत आवासीय परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर) को भारत सरकार की सी.एस.एम.सी./केन्द्रीय अनुमोदन कमेटी को भेजने से पहले सभी स्लमों का हाउसहोल्ड सर्वे आवश्यक था। किसी भी पुनर्वास परियोजना के लिए लाभार्थी की पुनर्वास हेतु सहमति आवश्यक थी। सी.एस.एम.सी. ने परियोजना को आरम्भ करने से पूर्व, जीवन—यापन या व्यवसाय की रूपरेखा सहित एक उचित सर्वे के संचालन द्वारा लाभार्थियों की पहचान करने पर बल दिया। पहचाने गए लाभार्थियों को अधिसूचित करना था तथा उनके नामों की सूची जे.एन.एन.यू.आर.एम./यू.एल.बी. की वेबसाइट पर भी देनी थी और उन्हें बायोमैट्रिक कार्ड जारी किए जाने थे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मकान वास्तव में लक्षित लाभार्थियों को ही प्रदान किए गए हैं।

इस परिपेक्ष्य में चयनित आवासीय परियोजनाओं की लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ निम्नलिखित हैं:—

- अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर की कारसिंगसा की बी.एस.यू.पी. परियोजना में लाभार्थियों का सर्वे नहीं किया गया था। एस.एल.एन.ए ने बताया (अक्टूबर 2011) कि सर्वे नवम्बर 2011 में किया जाएगा। एम.ओ.एच.यू.पी.ए. द्वारा अग्रेषित राज्य के जवाब (अप्रैल 2012) में 2007–08 में किए प्राथमिक सर्वे का उल्लेख किया गया था तथा कहा गया कि आँकड़ों को सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना, 2011 के समय राज्य के सभी कस्बों में कार्यान्वित करने हेतु अद्यतन कर दिया जाएगा।
- बिहार राज्य के पटना शहर में पटना चरण-IV बी.एस.यू.पी योजना में लाभार्थियों की बायोमैट्रिक पहचान नहीं की गई थी। एम.ओ.एच.यू.पी.ए ने राज्य सरकार के जवाब (मई 2012) को अग्रेषित किया जिसमें कहा गया था कि यह परियोजना लागू नहीं की गई थी इसलिए बायोमैट्रिक पहचान का सवाल ही नहीं उठता। परन्तु लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि यह परियोजना 2007–08 में ही स्वीकृत कर दी गई थी तथा पहली किश्त के रूप में 12 करोड़ रुपये भी प्रदान कर दिए थे।

²⁴ आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

- iii. हिमाचल प्रदेश में शिमला शहर के शहरी गरीबों के लिए आवासीय योजना (आशियाना-2) के लिए डी.पी.आर. में 384 संभावित शहरी परिवारों की सूची डी.पी.आर. में दी गई थी। यह 2004–05 में गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों के सर्वे पर आधारित थी। परन्तु कमिश्नर नगर पालिका शिमला ने 2007–08 में परियोजना के अनुमोदन कराने से पहले योग्य लाभार्थियों का कोई सर्वे नहीं किया।
- iv. गुजरात राज्य के जामनगर की एकीकृत आवासीय व स्लम विकास परियोजना में जामनगर नगरपालिका (जे.एम.सी.) ने सर्वे पूर्ण होने से पूर्व 864 आवासीय इकाइयों की डी.पी.आर. प्रस्तावित की। डी.पी.आर., सी.एस.एम.सी. द्वारा अनुमोदित कर दी गई। राज्य ने एम.ओ.एच.यू.पी.ए. के माध्यम से अपने जवाब (अप्रैल 2012) में कहा कि जे.एम.सी. द्वारा सामाजिक आर्थिक सर्वे किया गया था तथा डी.पी.आर. के प्रेषण के समय 414 लाभार्थियों की पहचान की गई थीं।
इस प्रकार गुजरात सरकार ने स्वीकार किया कि सभी लाभार्थियों की डी.पी.आर. के प्रेषण के समय पहचान नहीं की गई थी।
- v. कर्नाटक, रामनगर के एकीकृत आवासीय व स्लम विकास कार्यक्रम की डी.पी.आर. में 444 लाभार्थी शामिल थे परन्तु परियोजना में 1800 मकानों के निर्माण का प्रस्ताव था। बायोमैट्रिक कार्ड जारी करने का कार्य तीन विभिन्न कम्पनियों को दिया गया था पहले सितम्बर 2008 में फिर दिसम्बर 2009 में तथा अन्त में मार्च 2010 में, फिर परियोजना कार्यकारी संस्था ने इस कार्य को जुलाई 2010 में शुरू किया। पहली तथा दूसरी कम्पनियों द्वारा व्यक्तिगत डाटाबेस बनाया गया था परन्तु कर्नाटक स्लम विकास बोर्ड (के.एस.डी.बी) द्वारा नवम्बर 2011 तक एकीकृत डाटाबेस नहीं बनाया गया। के.एस.डी.बी द्वारा उठाए गए कदम विभिन्न कम्पनियों द्वारा किए गए कार्यों में पुनरावृति को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं थे क्योंकि बोर्ड के डाटाबेस तथा कम्पनियों द्वारा प्रदत्त लाभार्थियों की सूचियों में काफी अंतर था। कर्नाटक स्लम विकास बोर्ड ने जवाब दिया कि सभी लाभार्थियों की पहचान करने (बी.एस.यू.पी. या आई.एच.एस.डी.पी.) के बाद यह वर्तमान ऑकड़ों से मिला दिया जाएगा। लाभार्थियों (बी.एस.यू.पी./आई.एच.एस.डी.पी.) की अंतिम तथा पूर्ण सूची वेबसाईट पर नहीं दी गई तथा लाभार्थियों की सूची को अंतिम रूप देने तथा आवश्यक मूल्यांकन से पहले ही बोर्ड ने बायोमैट्रिक पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी। एम.ओ.एच.यू.पी.ए ने राज्य सरकार के जवाब (अप्रैल 2012) को अग्रेसित किया जिसमें कहा गया कि अब डाटाबेस बना लिया गया था तथा के.एस.डी.बी की वेबसाईट में लाभार्थियों की सूची डाल दी गई थी।
- vi. इम्फाल, मणिपुर के शहरी गरीबों की बुनियादी सेवाओं की परियोजना में लाभार्थी सर्वे, 2007 में ₹14.70 लाख के मूल्य पर किया गया था। फिर वहाँ एम.एल.ए तथा कॉन्सिलरों ने अपने लोगों को चयन में शामिल करने की सिफारिश की। इंफाल नगर पालिका ने चुने हुए सदस्यों की सिफारिश पर अनुशंसित लाभार्थियों का चयन कर लिया जिस कारण सर्वे पर किया गया खर्च निष्फल हो गया। राज्य सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट किया (अप्रैल 2012) कि डी.पी.आर. के प्रेषण की तीव्र आवश्यकता के कारण लाभार्थियों की पहचान के लिए समान्तर कार्यवाही की गई तथा सूची को अधिकारियों की एक समिति द्वारा अनुमोदन से पहले पुष्टि कराई गई।
जवाब अपर्याप्त है क्योंकि यह सर्वे पर किये गए खर्च ₹14.70 लाख का कोई तर्कसंगत कारण नहीं दर्शता।

- vii. कराईकोल, पुडुचेरी के आई.एच.एस.डी.पी. के अन्तर्गत 432 आवासों का निर्माण परियोजना में नवम्बर 2011 तक सभी 432 लाभार्थियों की पहचान नहीं की गई थी। यूटी. सरकार ने बताया (अप्रैल 2012) कि कार्य शुरू कर दिया गया था।
- viii. लखनऊ तथा गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश की बी.एस.यू.पी./आई.एच.एस.डी.पी परियोजनाओं के अन्तर्गत बने 295 आवासों को जिला प्राधिकरण के आदेश से उन लाभार्थियों को आवंटित कर दिया गया था जिसका नाम डी.पी.आर. में शामिल नहीं था। राज्य सरकार ने अपने (अप्रैल 2012) जवाब में कहा कि परियोजना हितकारी दृष्टिकोण के साथ शुरू हुई थी परन्तु कुछ लाभार्थियों ने अधिग्रहण नहीं लिया तथा अनिच्छा व्यक्त की। दूसरे स्लम से लाभार्थियों को पारदर्शी ढग से चुना गया तथा स्लम स्थान्तरित कर दी गई। उत्तर से स्पष्ट है कि डी.पी.आर. बनाते समय लाभार्थियों से सहमति नहीं ली गई।
- ix. कोच्चि चरण-II व्यक्तिगत मकान, केरल के अन्तर्गत परियोजना में लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि तीन कालोनियों (पन्नयापल्ली, पट्टाथपारम्मु, तथा चिलावनूर) के लाभार्थी संस्था के कर्मचारी थे जिनकी एक निश्चित मासिक आय थी तथा वे बी.एस.यू.पी योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र नहीं थे। केरल सरकार ने (अप्रैल 2012) जवाब दिया कि यू.एल.बी को मौजूदा नियमों के अन्तर्गत लाभार्थियों की सूची में बदलाव के लिए कहा गया है।
- x. कोहिमा, नागालैण्ड की शहरी गरीबी के लिए आवास परियोजना में यद्यपि कोहिमा में 3504 लाभार्थियों की पहचान कर ली गई बतायी थी परन्तु एस.एल.एन.ए ने (जून 2011) बताया कि चुने गए लाभार्थियों की सूची की प्रमाणिकता पर बायोमैट्रिक कार्ड जारी करने तथा वेबसाइट पर डालने से पहले समीक्षा की जाएगी। राज्य सरकार ने (अप्रैल 2012) जवाब दिया कि लाभार्थियों की पहचान प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जाना बाकी था।
- xi. हरियाणा, फरीदाबाद की शहरी नवीनीकरण परियोजना—डबुआ कॉलोनी 2006–07 में स्वीकृत परियोजना के मामले में अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ₹ 38.96 करोड़ की लागत पर पूर्ण 1834 आवासीय इकाइयों में से सिर्फ 202 डी.यू. लाभार्थियों को हस्तांतरित की गयीं थीं क्योंकि लाभार्थियों की पहचान प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। फरीदाबाद नगरपालिका ने (जून 2011) जवाब दिया कि लाभार्थियों की जल्द ही पहचान कर ली जाएगी।

सामाजिक-आर्थिक सर्वे के आधार पर, लाभार्थियों को बायोमैट्रिक पहचान पत्र जारी किये जाने थे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी आवासीय इकाइयों को बेचे नहीं और वे अन्यांत्र कहीं ना जा बसें। ऊपर उद्धृत मामले जहाँ लाभार्थियों की पहचान मानदंडों के अनुसार नहीं कराई गई, के अलावा, ऐसे भी निम्न मामले थे जहाँ जे.एन.एन.यू.आर.एम के तहत बायोमैट्रिक पहचान नहीं कराई गई। इनका व्यौरा इस प्रकार है:

- i. छत्तीसगढ़ में आवासीय परियोजनाओं के लिए हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड (एच.पी.एल.) को विभिन्न कार्य सौंपे गये जिनमें बायोमैट्रिक पहचान का कार्य भी शामिल था, जो नहीं किया गया। एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने एच.पी.एल. के उत्तर को भेजा (अप्रैल, 2012)। इस जवाब में, यह कहा गया कि बायोमैट्रिक पहचान का कार्य स्लम प्रोफाईल और अन्य स्पष्टीकरण, जो बार-बार एच.पी.एल. ने रायपुर नगर निगम से माँगा, के अनुमोदन के बाद ही पूरा किया जा सकता था। इस विषय में राज्य सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की।

इसके जवाब में एच.पी.एल ने स्वीकार किया कि बायोमैट्रिक पहचान डी.पी.आर स्तर पर नहीं की गई थी।

- ii. चयनित आवसीय परियोजनाओं अर्थात् बी.एस.यू.पी. के अंतर्गत मौजा बोइंचतला कोलकाता में राजारघाट कचहरीपाड़ा और हाटगाचिया क्षेत्र के स्लमवासियों हेतु एकीकृत आवास योजना, बी.एस.यू.पी. योजना कोलकाता शहर हेतु (पुनःस्थापित) योजना कोलकाता पश्चिम बंगाल एवं आसनसोल चरण-III (4626 डी.यू.), बर्धमान, पश्चिम बंगाल एवं सिलीगुड़ी चरण-I (1998 डी.यू. का निर्माण), आई.एच.एस.डी.पी., सिलीगुड़ी, में जून 2011 तक लाभार्थियों की बॉयोमैट्रिक पहचान नहीं की गई। मंत्रालय का जवाब प्रतिक्षित है।
- iii. बी.एस.यू.पी. के तहत तीन परियोजनाओं में से ऐजोल नगर में आवासों का निर्माण (9936 आवासीय इकाईयाँ) परमबकम चरण-I (10452 इकाईयाँ) एवं परमबकम चरण-II (9476 इकाईयाँ) चेन्नई, तमिलनाडू का सी.एस.एम.सी ने क्रमशः वर्ष 2006–07 एवं 2007–08 में अनुमोदन किया। इनमें से पहली दो परियोजनाओं में कार्य प्रगति पर था एवं एक में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। हालांकि इनमें से किसी भी परियोजनाओं के तहत लाभार्थियों की बॉयोमैट्रिक पहचान चेन्नई नगर निगम द्वारा पूरी नहीं की गई थी।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए द्वारा प्रेषित (अप्रैल 2012) राज्य सरकार के जवाब में यह कहा गया कि लाभार्थियों की बॉयोमैट्रिक पहचान का कार्य अभी जारी है।

योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु लाभार्थियों की सही ढंग से पहचान करना अत्यन्त महत्वपूर्ण है। लेखापरीक्षा जांच परिणाम अपात्र लाभार्थियों द्वारा योजना का लाभ, जोकि विशेषरूप से शहरी गरीबों के लिए थी, उठाने का जोखिम दर्शाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए सिर्फ पात्र लाभार्थियों को जे.एन.एल.यू.आर.एम. के तहत आवास मिले हैं, सरकार को और अधिक नवीन कदम जैसे स्थानीय अखबारों में विज्ञापन, सामाजिक लेखापरीक्षा आदि पर विचार करना चाहिए।

तथ्यों को स्वीकारते हुए, एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने (जून 2012) कहा कि योजनाओं के उद्देश्यों को समीक्षात्मक रूप से प्राप्त करने के लिये लाभार्थियों की पहचान एवं सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करवाना अत्यंत अनिवार्य है और इनमें कोई असहमति नहीं है।

अनुशंसा संख्या 2:

स्थानीय अखबार एवं स्थानीय केबल नेटवर्क द्वारा ऐसी योजनाओं को व्यापक प्रचार देने के प्रयास करने चाहिए ताकि पात्र लाभार्थी इन आवासीय परियोजनाओं में शामिल हो सकें।

6.4 भूमि की अनुपलब्धता के कारण देरी

इन परियोजनाओं का शुरू न होने एवं इनकी प्रगति में विलम्ब का एक प्रमुख कारण था भूमि की अनुपलब्धता। कुछ मामलों में भूमि केवल आंशिक रूप से ही उपलब्ध करायी गई। अतः सभी प्रस्तावित आवासीय इकाईयों का निर्माण नहीं किया जा सका। कुछ राज्यों/यू.टी. में यह भी देखा गया कि पहचान की गई भूमि पहले से ही औरें के कब्जे में थीं और इसलिये उपलब्ध नहीं थीं।

बसंतकुंज सैकटर 'ए' इलाका, लखनऊ, उत्तर प्रदेश की बी.एस.यू.पी परियोजना में, 1488 आवासों पर ₹ 6.17 करोड़ रुपये के बाद, किसानों के विरोध के कारण कार्य रोक दिया गया। ₹ 47.28 करोड़ की लागत से अवसंरचना विकास सहित 1712 आवासों के निर्माण के लिए मैसर्स एलडीको आवासीय उद्योग लिमिटेड के साथ करार किया गया (अगस्त, 2008)। यद्यपि कार्य दिसंबर 2008 में पुनः शुरू हुआ, यह मार्च 2009 में रोक दिया गया और अंततः समाप्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया (अप्रैल 2012) कि दिसम्बर 2011 में निविदाओं के पुनः आवंटन के बाद कार्य पुनरंभ कर दिया गया।

सी.एस.एम.सी की 26वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार, परियोजनाओं को मंजूरी से 12 से 18 माह में पूरा किया जाना आवश्यक था। तथापि लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मामलों में पाया कि भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण, आवास परियोजनाओं को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सका।

तालिका संख्या 6.2: भूमि की अनुपलब्धता के कारण देरी

क्रम सं.	परियोजना का नाम, शहर और राज्य	आवासीय इकाईयों की कुल संख्या	सी.एस.एम.सी. / सी.एस.सी. की स्वीकृति का वर्ष	31.3.2011 को पूर्णता की स्थिति
1.	आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	152	2007–08	64 – छत्त स्तर तक
2.	आशियाना-II, गरीबों हेतु आवासी योजना ढल्ली-2 शिमला शहर, हिमाचल प्रदेश की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	384	2007–08	जारी
3.	बी.एस.यू.पी. योजना पटना फेस-IV, पटना, बिहार की परियोजना रिपोर्ट	4112	2007–08	शुरू नहीं हुई
4.	स्लम पुनर्वास परियोजना, चंडीगढ़ फ्लैटों का निर्माण, चंडीगढ़	25728	2006–07	जारी
5.	आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना, दीमापुर, नागालैंड	2496	2006–07	जारी
6.	जे.एन.एन.यू.आर.एम. बी.एस.यू.पी., विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश, बी.एम.सी. सर्कल-I स्थित स्लम में शहरी गरीबों हेतु जी+3 गुप आवासीय और बुनियादी सेवाओं की डी.पी.आर.	15000	2007–08	जारी
7.	पुडुचेरी यूटी. के एस.सी. लाभारिथ्यों के लिए 1660 आवास, बुनियादी सुविधाओं सहित, का निर्माण	1660	2007–08	17 स्थानों में से 12 में निर्माण आरंभ नहीं हुआ।
8.	बी.एस.यू.पी. के अंतर्गत स्लम पुनर्स्थापना परियोजना नांगली सकरावती दिल्ली	480	2008–09	बंद कर दी
9.	बी.एस.यू.पी. परियोजना राँची, झारखण्ड	2538	2007–08	जारी
10.	बी.एस.यू.पी. फेस-I और II बैंगलोर कर्नाटक (11,603 और 3151, डी.यू. क्रमशः)	14754	2007–08	जारी
11.	बी.एस.यू.पी.-III, बीमापल्ली और बालानगर कॉलोनी तिरुवनंतपुरम, कर्ल	280	2007–08	शुरू नहीं हुई
12.	ग्वालियर, मध्यप्रदेश में आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना	4576	2006–07	जारी
13.	शहरी गरीबों के लिये आवास, कोहिमा, नागालैण्ड	3504	2006–07	जारी
14.	बी.एस.यू.पी.इन सीटू-विकास अजमेर-पुष्कर, राजस्थान कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश की 6 स्लम में बी.एस.यू.पी. पुनर्वास-2950 आवासीय इकाईयां	3437	2006–07	जारी
15.	मसूरी, उत्तराखण्ड में आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना	2950	2007–08	शुरू नहीं हुई
16.	तुरा, मेघालय में आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना,	96	2009–10	शुरू नहीं हुई
17.	लुधियाना, पंजाब में बी.एस.यू.पी. के अंतर्गत स्लम विकास के लिये डी.पी.आर.	456	2007–08	शुरू नहीं हुई
18.	4832	2007–08	जारी, 400 इकाईयों का कार्य अभी शुरू होना है।	

स्रोत : चयनित राज्यों/यूटी. की लेखापरीक्षा निष्कर्ष के अनुसार



हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में, निर्माणाधीन आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना के ब्लाक संख्या 1 से 6
(18 मई 2011)

फोटोग्राफ संख्या 6.1



हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश में, निर्माणाधीन आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना के ब्लाक संख्या 7 और 8 (18 मई 2011)

फोटोग्राफ संख्या 6.2



दीमापुर, नागालैंड में आई.एच.एस.डी.पी.
परियोजना—आरा—कारखाना बर्मा कैंप परियोजना के
रथल पर
फोटोग्राफ संख्या 6.3

तालिका संख्या 6.2 में दिये गये मामलों में एम.ओ.एच.यू.पी.ए द्वारा प्रेषित (अप्रैल—मई 2012) राज्य सरकारों के जवाब निम्न हैं:

नागालैंड सरकार ने सूचित किया कि एम.ओ.एच.यू.पी.ए द्वारा औपचारिक स्वीकृति और डी.पी.आर में प्रस्तावित भूमि ना उपलब्ध होने के कारण, विभाग द्वारा अनुबंध के आवंटन में विलंब हुआ। अतः विभाग ने डी.सी कार्यालय के माध्यम से भूमि की प्राप्ति की व्यवस्था की।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए द्वारा अग्रेषित (अप्रैल 2012) हिमाचल प्रदेश, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश, मेघालय एवं राजस्थान की राज्य सरकारों के जवाब में भी भूमि संबंधित समस्या को स्वीकार किया गया।

आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा नगर निगम के संदर्भ में, 6752 मकानों में से 832 का निर्माण कार्य शुरू हो गया है और बाकी के लिए जिला अधिकारी, विजयवाड़ा द्वारा भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि पूर्ण भूमि अधिग्रहण के पश्चात्, बाकी मकानों का निर्माण एक वर्ष के भीतर कर लिया जाएगा।

6.5 सहायक अवसंरचना और समुचित जीवनोपयुक्त परिस्थितियों का ना होना:-

आवास अपने आप में आवश्यक अवसंरचना जैसे पहुँच सड़कों, सामुदायिक शौचालय आदि के अभाव में अधूरा माना जाएगा। आवासों के आस—पास के क्षेत्र भी स्वच्छ और साफ होने चाहिए। चयनित आवास परियोजनाओं के रिकॉर्ड की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा में ऐसे मामले सामने आए जहाँ सहायक अवसंरचना और जीवन उपयुक्त परिस्थितियों का अभाव था। ये मामले निम्न प्रकार हैं:

- i. बी.एस.यू.पी., के अंतर्गत एकीकृत आवासीय एवं बुनियादी विकास परियोजना हैदराबाद (49000 आवास)’ और 4550 आवासों का निर्माण और अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करना, हैदराबाद आंध्र प्रदेश की परियोजनाओं में पाया गया कि:

(क) अहमदगुड़ा हैदराबाद आंध्र प्रदेश की एक कालोनी में 4512 आवासों को पूर्ण किया गया है और 3809 आवासों को सौंप दिया गया। तथापि, सिर्फ 1255 आवासों (मार्च 2011) में लाभार्थियों का कब्जा था। कालोनी के निकट एक कचरा के ढेर की उपस्थिति इसका कारण बताया गया।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए द्वारा अग्रेषित (अप्रैल 2012) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के जवाब में बताया गया कि स्थिति अब बेहतर है और 1700 डीयू में अब कब्जा दे दिया है।

लेखापरीक्षा का मानना है कि कब्जे में वृद्धि बहुत कम है व जीवन उपयुक्त परिस्थितियों में और सुधार लाना वांछित है।

(ख) अफजल सागर की एक अन्य कालोनी में, कालोनी के चारों तरफ मकानों के निर्माण के कारण, कॉलोनी में जाने के लिए सिर्फ एक ही संकीर्ण सड़क थी। इससे लोगों का आना-जाना कठिन हो गया और आपातकालीन स्थिति में ऐम्बुलेंस, पुलिस वैन या अग्निशमन इंजन को कालोनी में जाने में कठिनाई होगी। इसके अलावा, भौतिक परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि ज्यादातर मकानों की दूसरी मंजिलों से छत पर प्लस्टर ना होने के कारण व अभेदय कोटिंग की टूट-फूट के कारण छत से पानी टपक रहा था।

जवाब में, (अप्रैल 2012) आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया कि जहाँ आवास निर्माण किए गये वह एक इनसेटू स्लम थी और द्वितीय तल पर पानी टपकने की समस्या को ठीक कर दिया गया है।



अहमदगुडा कॉलोनी, आंध्र प्रदेश के निकट
कवरा स्थल

फोटोग्राफ संख्या 6.4



अफजल सागर कॉलोनी आंध्र प्रदेश के लिए
संकीर्ण पहुंच सड़क

फोटोग्राफ संख्या 6.5

- ii. भारत सरकार ने महाराष्ट्र में मुंबई की विभिन्न सात जगहों के वर्तमान ट्रांजिट कैम्प के पुनर्विकास के लिए 6832 स्थायी ट्रांजिट आश्रय आर.सी.सी. संरचनाओं सहित पुराने जीर्ण-शीर्ष भवन के लिए निर्माण की परियोजना को मंजूरी दी (दिसम्बर 2006)। मार्च 2011 तक, ₹ 45.12 करोड़ की लागत से 1455 स्थायी ट्रांजिट आश्रयों का निर्माण किया गया। अप्रैल 2011 तक इन्हें अवसंरचना कार्यों जिसमें पानी का कनेक्शन शामिल है के ना होने के कारण, प्रयोग में नहीं लाया जा सका। एम.ओ.एच.यू.पी.ए. द्वारा अग्रेषित (अप्रैल 2012) जवाब में, विभाग ने स्वीकार किया कि कुछ जगहों पर विलंब हुआ है और पूर्ण हुए मकान के लिए कब्जा प्रमाणपत्र व पानी के कनेक्शन के लिए कार्यवाही की जा रही थी।
- iii. 28 नवम्बर, 2007 को 11 स्थानों पर 4112 डी.यू. के निर्माण के लिए, बी.एस.यू.पी परियोजना (फेस-IV) पटना, बिहार की एक परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी गई जिसके लिए 15 जनवरी 2008 में ₹ 12 करोड़ की पहली किश्त जारी की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि सितम्बर 2011 तक चार स्थानों पर कार्य शुरू नहीं हो पाया था क्योंकि वहाँ झुग्गी वालों और लाभार्थियों का कब्जा था जिनका अस्थायी पुनर्स्थापन किया जाना बाकी था। दो स्थान जनता/अतिक्रमणियों द्वारा अधिकृत थे, तीन स्थानों पर भूमि की सतह नीची थी और दो स्थानों पर मुकदमा था।



बी.एस.यू.पी. फेस-IV परियोजना पटना, बिहार सलैमपुर दुमरा स्थल, निजी इमारत द्वारा कब्जे में

फोटोग्राफ संख्या 6.6



बी.एस.यू.पी. फेस-IV परियोजना पटना, बिहार – अब्दुल रहमानपुर स्थल–निचला स्थल, मुकदमेबाजी और जलमान (बी.एस.यू.पी. परियोजना बिहार)

फोटोग्राफ संख्या 6.7

बिहार की परियोजनाओं के संदर्भ में, एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने (अप्रैल 2012) बताया कि परियोजनाओं/आवासीय इकाईयों के शुरू न होने के विषय पर राज्यों से जिसमें बिहार शामिल है वर्चा की गई है और उन्हें सुझाया गया है कि परियोजनाएं/डी.यू. शुरू करें या ए.सी.ए को ब्याज सहित वापस करें यदि परियोजना डी.यू. को शुरू नहीं किया जा सकता है और निरस्त करना है। एम.ओ.एच.यू.पी.ए. द्वारा राज्य सरकार के जवाब को अग्रेषित किया (मई 2012) जिसमें राज्य सरकार ने माना कि एक–दो जगह पर भूमि की सतह नीची होने के कारण कार्य शुरू नहीं किया गया।

राज्य सरकार का जवाब माननीय नहीं है क्योंकि भूमि की सतह नीची होने के अलावा बाकी भूमि पर मुकदमे और अतिक्रमण थे।

- iv. हजारीबाग, झारखण्ड में ₹ 19.83 करोड़ की लागत से एक आई.एच.एस.डी.पी परियोजना मंजूर की गई। परियोजना जनवरी 2009 में मंजूर की गई जिसे 15 माह में पूरा करना था। मार्च 2011 तक एक भी इकाई पूरी नहीं हुई थी। यहाँ भी, यह देखा गया कि चयनित स्लमों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाए गये, जैसा कि निम्न तस्वीरों में दिखाया गया है:



फोटोग्राफ संख्या 6.8



फोटोग्राफ संख्या 6.9



फोटोग्राफ संख्या 6.10



फोटोग्राफ संख्या 6.11

आई.एच.एस.डी.पी परियोजना के तहत, हजारीबाग झारखंड के स्लमों में आवासीय इकाईयों में निर्माण की प्रगति

6.6 आवासीय इकाईयों के निर्माण की गुणवत्ता:

जे.एन.एन.यू.आर.एम के तहत निर्माण संबंधी मानदंड निर्धारित किए गए थे। सी.एस.एम.सी के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों व बाद के निर्देशों (दिसम्बर 2007) के अनुसार, प्रत्येक आवासीय इकाई में दो कमरे, बालकोनी, रसोई और अलग बाथरूम व शौचालय होने चाहिए। इसमें आवासीय इकाई का आकार एवं निर्माण गुणवत्ता मानक शामिल है। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अनेक परियोजनाओं के कार्यान्वयन में इन मापदंडों की अनदेखी की गई। ये लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ इस प्रकार हैं:-

तालिका संख्या 6.3: आवासीय इकाईयों के निर्माण की गुणवत्ता

क्र.सं.	परियोजना का नाम	टिप्पणी/निर्माण की गुणवत्ता
1.	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना तिरुपति, आंध्र प्रदेश	प्रत्येक आवासीय इकाई का अनुमोदित कालीन क्षेत्र 25.39 वर्ग मीटर होना चाहिए था। वास्तविक निर्माण में कालीन क्षेत्र 14.74 वर्ग मीटर व निर्भित क्षेत्र 20.96 वर्ग मीटर था। राज्य सरकार ने जवाब में बताया (अप्रैल 2012) कि यह धन के आभाव में था और सी.एस.एम.सी से विचलन का अनुमोदन ले लिया जाएगा।
2.	आवासीय और स्लम विकास परियोजना पैरोल (कटुआ), जमू कश्मीर	जमू-कश्मीर सरकार के 6 फरवरी 2009 के पत्र के अनुसार, जे.एन.एन.यू.आर.एम के लाभार्थियों को शहरी स्थानीय संस्था/बिल्डिंग सेंटर के इंजीनियरिंग विभाग के मार्गदर्शन में कम लागत वाली सामग्री और डिजाइन के प्रकार को तैयार करने एवं इसके स्थल प्लाट के क्षेत्र के अनुसार प्रयोग करना था। तथापि, लाभार्थियों का मार्गदर्शन नहीं हुआ क्योंकि शहरी स्थानीय संस्था को इन निर्देशों का पता ही नहीं था।
3.	रायपुर में बी.एस.यू.पी परियोजना और बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में आई.एच.एस.डी.पी फेस-1 परियोजना	घटिया किस्म (जंग और कम भार वाला) का स्टील इस्तेमाल किया गया था, किया गया काम मानदंडों से कम था और निर्माण कार्य की गुणवत्ता में कई तरह की कमियां थीं।
4.	रायपुर छत्तीसगढ़ में बी.एस.यू.पी परियोजना	डी.पी.आर के अनुसार, प्रत्येक डी.यू. का क्षेत्र 31.5 वर्ग मीटर था। जी.ओ.आई ने प्रति डी.यू. अनुमानित लागत ₹ 1.40 लाख अनुमोदित किया था। 544 डी.यू. के तीन निविदा आमंत्रित करते समय डी.यू. का आकार 6.13 वर्ग मीटर घटाकर 25.37 वर्ग मीटर प्रति डी.यू. कर दिया गया। विभाग ने समापन समेलन (अक्टूबर 2011) के दौरान बताया कि यह कमी जी.ओ.आई के अनुमोदन से की गई थी। यह भी कहा गया कि यह कमी बढ़ती कीमत को समायोजित करने और डी.यू. की संख्या में कमी को रोकने के लिए की गई थी।
5.	कोहिमा, नागालैंड में शहरी गरीबों के रहने के लिए परियोजना और	नागालैंड में, कोहिमा में बी.एस.यू.पी परियोजना में संयुक्त भौतिक जांच के दौरान यह पाया गया कि दो साथ लगे हुए डी.यू. की आंतरिक दिवार में एक

दीमापुर, नागलैंड में आई.एच.एस.डी.पी परियोजना

6. ऐजिल नगर, ओकिम, थोराईपककम, चैन्नई, तमिलनाडू में आवासों का निर्माण।

दरवाजे से जोड़ दिया गया। इस कारण से एक लाभकारी को दो रहने की इकाई मिलने का जोखिम पैदा हो गया। राज्य सरकार ने जवाब दिया (अप्रैल 2012) कि यह दरवाजा बंद कर दिया गया। आई.एच.एस.डी.पी परियोजना के संयुक्त भौतिक जांच के दौरान यह पाया गया कि वहां केवल एक ही कमरे का निर्माण किया गया था। भूतल क्षेत्र में कोई कमी न करने के बावजूद दोनों डी.पी.आर और आई.एच.एस.डी.पी के डिजाईन के अनुसार एक रसोई और शौचालय के आलावा दो कमरों का निर्माण किया जाना था। जबकि राज्य सरकार ने जवाब दिया (अप्रैल 2012) कि सी.एस.सी.ने अब इन परिवर्तनों को अनुमोदित कर दिया है।

तमिलनाडू में, ऐजिल नगर, ओकिम, थोराईपककम, चैन्नई, तमिलनाडू में आवासों के निर्माण के दौरान तमिलनाडू स्लम कलियरंस बोर्ड (टी.एन.एस.सी.बी) ने पाया कि खम्मे की नीव डालने में 200 मि.मी तक विचलन पाया गया निर्माण कार्य को मार्च 2011 से रोक दिया गया और इस पर ₹ 5.43 करोड़ का खर्च किया गया।

राज्य सरकार ने सूचित किया (अप्रैल 2012) कि ठेकेदार को संशोधित डिजाईन बता दिए गए थे। और कार्य प्रगति पर था।

स्रोत: चयनित राज्यों/यूटी सरकार के नमूना जांच पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर



नागलैंड-बी.एस.यू.पी परियोजना, कोहिमा: संयुक्त दिवार पर एक दरवाजे के साथ दो डी.यू. 03.06.2011 को ली गई फोटो

फोटोग्राफ संख्या 6.12



नागलैंड-बी.एस.यू.पी परियोजना कोहिमा: बर्मा कैम्प पर एक कमरे का निर्मित डी.यू. 08.06.2011 को ली गई फोटो

फोटोग्राफ संख्या 6.13

6.7 पूरी की गई आवासीय इकाईयां जो कि उपयोग में नहीं ली गईं :

चयनित परियोजनाओं में से, केवल 74 परियोजनाएं आंशिक रूप से पूरी कर ली गईं। जबकि, कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद भी आवासीय इकाईयां आवंटित नहीं की गईं। ये मामले निम्न हैं:-

तालिका संख्या 6.4: मामले जहां पूरी की गई आवासीय इकाईयां उपयोग में नहीं ली गईं।

क्र. परियोजना का नाम,	उपयोग में न ली गई आवासीय इकाईयों के विवरण
सं. शहर और राज्य	
1. मुम्बई, महाराष्ट्र में बी.एस.यू.पी परियोजना	मुम्बई में बी.एस.यू.की परियोजना के तहत इ.डब्ल्यू.एस योजना के अंतर्गत टूर्मे मंडाले मानखर्द में ₹ 29.85 करोड़ की लागत से निर्मित किए गए 735 आवास और एल.आई.जी योजना के अंतर्गत ₹ 6.39 करोड़ की लागत से निर्मित किए गए 93 आवासों को जून 2011 तक उपयोग में नहीं लाया गया। जबकि ये आवास भौतिक रूप से जनवरी 2010 में ही पूर्ण निर्मित हो गए थे। राज्य सरकार ने जवाब दिया (अप्रैल 2012) कि पहुँच मार्ग के पूरा होते ही ग्रेटर मुम्बई नगर निगम से कब्जा प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाएगा और लाभार्थियों को आवास आवंटित किए जाएंगे। यह कार्य तीन माह के अन्दर पूरा किए जाने की उम्मीद थी।

2. स्लम पुर्नवास परियोजना फेस-। -II, चंडीगढ़ चंडीगढ़ में (बी.एस.यू.) परियोजना के तहत, 8 स्थानों पर 25728 छोटे फ्लैटों का निर्माण कार्य किये जाने थे और 2304 फ्लैटों का कार्य प्रगति पर था। जिन पर आज तक कुल खर्च ₹ 258.87 करोड़ किया गया। तीन सैकटरों में यह पाया गया कि 2112 निर्मित आवासों में से केवल 1520 आवासों को आवंटित किया गया और 592 आवास खाली पड़े रहे। जबकि, दस्तावेजों की जांच ने दर्शाया कि लाभार्थियों की गलत पहचान और कार्यों का सम्बन्धित परस्पर व्याप्त आवंटन में देरी के मुख्य कारण थे क्योंकि आवंटन प्रक्रिया में एक से अधिक सम्बन्धित जैसे कि इस्टेट आफिस, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम भी आवंटन प्रक्रिया में शामिल थे। एच.यू.पी.ए मंत्रालय ने जवाब दिया (अप्रैल 2012) कि मामला चंडीगढ़ यूटी के साथ मिलकर देखा जाएगा। परिणामस्वरूप एच.यू.पी.ए मंत्रालय ने बताया (मई 2012) कि चंडीगढ़ यूटी और इस्टेट आफिस से लाभार्थियों की सूची प्राप्त कर ली गई है और खाली आवासीय इकाईयों का आवंटन प्रगति पर है।
3. एकीकृत आवासीय और अवसंरचना विकास योजना (49000 आवास) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश एकीकृत आवासीय और अवसंरचना विकास योजना (49000 आवास) हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में अबदुलापुरमेट और बोरमपेट कालोनियों के लिए क्रमशः 50 और 30 फ्लैट सामाजिक अवसंरचना सुविधाओं (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप-केन्द्र, आंगनवाड़ी, राशन दुकानें और पुलिस चौकी) हेतु चिन्हित किए गए। जबकि इस उद्देश्य के लिए केवल क्रमशः 16 और 6 आवास वास्तव में आवंटित किए गए। इन आवंटित आवासों में से भी इस उद्देश्य हेतु अब्दुलापुरमेट कालोनी में केवल 8 फ्लैट और बोरमपेट कालोनी में कोई भी फ्लैट नहीं वास्तव में इस उद्देश्य के लिये प्रयोग किये जा रहे थे। राज्य सरकार ने प्रमाणित किया (अप्रैल 2012) कि एक बार सामाजिक अवस्थापना सुविधाओं का निर्णय हो जाने पर इन आवासों को लाभार्थियों को सौंप दिया जाएगा। तथापि वे यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि निर्मित आवास खाली क्यों हैं?
4. पुड्ढेरी में एस.सी लाभार्थियों के लिए 1660 आवासों का निर्माण यद्यपि परियोजना में 262 आवासीय इकाईयों का निर्माण (पिटचावीरमपीट में 120 और अरियूर में 142) दिसम्बर 2010 में ही पूरा हो गया था। अवसंरचना कार्य न होने की वजह से आवास लाभार्थियों को नहीं सौंपें जा सके (जुलाई 2011)। इन पर ₹13.69 करोड़ का खर्च हुआ।
5. तिरुपति, आंध्र प्रदेश में आई.एच.एस.डी.पी के अंतर्गत 4087 आवासों का निर्माण और अवस्थापना का प्रावधान परियोजना, के डी.पी.आर. में परिकल्पित 4087 आवासों के निर्माण के विरुद्ध एक स्थान पर (दमनीदू) में केवल 528 आवास तैयार कर लिए गए थे जिनमें से केवल 124 आवासों को लाभार्थियों को सौंपा गया (अगस्त 2010)। आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया (अप्रैल 2012) कि लाभार्थियों को बैंक ऋण देने हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हैदराबाद के साथ एक नया एम.ओ.यू. पूरा किया गया और यह प्रक्रिया एक माह में कर दी जाएगी और टी.एम.सी लाभार्थियों को और अधिक बैंक ऋण उपलब्ध करायेगी तदनुसार, आवास एक वर्ष में पूरे निर्मित हो जाएंगे तथा पूर्ण आवासों के अधिग्रहण में सुधार हो सकेगा।

झोत: चयनित राज्यों/यूटी के नमूना जांच की लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर

इस तरह ये मामले दर्शाते हैं कि परियोजनाओं का पूरा होना जितना जरूरी था, वहीं इससे ज्यादा जरूरी, जिस पर कि आसानी से ध्यान दिया जा सकता था, वास्तविक आवंटन था। एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने जवाब दिया (अप्रैल 2012) कि मामला राज्य सरकार के साथ उठाया जायेगा।

अनुशंसा संख्या 3:

भारत सरकार को सभी आवासीय परियोजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए और पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटन के प्रयत्नों को बढ़ाना चाहिए। भारत सरकार को उन राज्यों को भी प्रोत्साहन देने पर विचार करना चाहिए जहाँ पर सुनित परिस्मृतियां अतिशीघ्र उपयोग में लाई गई हैं।

6.8 लाभार्थी अंशदान

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशानिर्देशों के अनुसार, आवासीय इकाईयों को लाभार्थियों को निःशुल्क आवंटित नहीं किया जाना चाहिए था। निर्माण लागत का कम से कम 12 प्रतिशत (एससी/एसटी/पीएच और ईडब्ल्यूएस के लिए 10 प्रतिशत) जो कि ₹ 40000 से अधिक न हो, लाभार्थी अंशदान के रूप में वसूल किया जाना चाहिए था।

लेखापरीक्षा में पाया कि कुछ राज्यों/यूटी में या तो लाभार्थी अंशदान नहीं लिया गया अथवा जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशा-निर्देशों से हटकर लिया गया था।

तालिका संख्या 6.5: लाभार्थी अंशदान

क्रम संख्या	परियोजना का नाम शहर और राज्य	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1.	कोहिमा में शहरी गरीबों के लिए आवास परियोजना (बी.एस.यू.पी) और दीमापुर, नागालैंड में आई.एच.एस.डी.पी परियोजना	नागालैंड, कोहिमा में बी.एस.यू.पी परियोजना के तहत ₹ 76,000 प्रत्येक डीयूके लिए वसूल किए जाने थे परन्तु इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। दीमापुर में आई.एच.एस.डी.पी परियोजना के संबंध में डी.पी.आर में प्रस्तावित ₹ 0.21 लाख की जगह विभाग ₹ 1,00,000 लाख प्रत्येक से एकत्र करने की अपेक्षा कर रहा है। राज्य सरकार ने (अप्रैल 2012) में जवाब दिया कि अंशदान एकत्र करने का तरीका पूर्ण किया जा रहा है।
2.	चंडीगढ़ में स्लम पुनर्वास योजना फेज-I एवं II,	चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ स्लम पुनर्वास नीति 2006 के अनुसार लाभार्थियों से ₹ 800 प्रतिमाह की दर से 20 वर्षों से अधिक से लाइसेंस फीस वसूल की जा रही थी। यह जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशानिर्देशों के विपरीत था जिसमें कि लाइसेंस फीस की ऐसी वसूली को नहीं दर्शाया गया था। चंडीगढ़ प्रशासन ने जवाब दिया (अप्रैल 2012 तथा मई 2012) कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. दिशा-निर्देश अंशदान के विशिष्ट तरीके या समयावधि की सुरक्षा की अवधि को नहीं दर्शाते। जबकि ऐसा करके टैन्योर की सुरक्षा का लाभ पर्याप्त रूप से विलम्बित हो गया जो जे.एन.यू.आर.एम के उद्देश्यों के विपरीत था।

स्रोत: चयनित राज्यों/यूटी. के नमूना जांच पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर

6.9 आवासीय परियोजनाओं से निधियों का विपथन

यह पाया गया कि अनेकों ऐसे मामले थे जहां निधियों का उपयोग जे.एन.एन.यू.आर.एम के स्वीकार्य उद्देश्यों से हटकर अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा ने अनेकों ऐसे मामले पाए जहां आवासीय योजनाओं में निधियों का विपथन था। यह मामले नीचे दर्शाये गए हैं।

तालिका संख्या 6.6: आवासीय परियोजनाओं में निधियों का विपथन

क्रम सं.	परियोजना का नाम, शहर और राज्य	विपथन की राशि (₹ करोड़ में)	लेखापरीक्षा टिप्पणी	एम.ओ.एच.यू.पी.ए/राज्य सरकार के उत्तर
1	आवासीय और अवस्थापना विकास फेस-I (आई.एच.एस.डी.पी) तिरुपति आंध्र प्रदेश	4.63	आंध्र प्रदेश सरकार के निर्देश पर शहरी परमानेट, हाउसिंग/इन्ड्रिमा हाउसिंग इनफरास्ट्रक्चर पर	एम.ओ.एच.यू.पी.ए ने जवाब दिया (अप्रैल 2012) कि राज्य, को तिरुपति के 4087 आवासों के लिए संशोधित डी.पी.आर. प्रस्तुत करने के लिए कहा और आई.एच.एस.डी.पी के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। एम.ओ.एच.यू.पी.ए ने जवाब दिया (अप्रैल 2012) कि दो वाहनों की खरीद पर वहन किया गया ₹ 0.19 करोड़ का खर्च तिरुपति नगर निगम द्वारा, 10.4.2012 को आई.एच.एस.डी.पी के खाते में जमा कर दिए गए थे।
		0.19	वाहनों की खरीद के लिए	

2	स्लम पुनर्वास योजना फेस-। एवं ॥ बी.एस.यू.पी., चंडीगढ़	0.22	बी.एस.यू.पी परियोजना के लिए डी.पी.आर. तैयार करने का खर्च जे.एन.एन. यू.आर.एम से किया गया। यह राशि जी.ओ.आई से मार्च 2011 तकप्रतिपूर्ति के रूप में नहीं मिली।	एम.ओ.एच.यू.पी.ए ने बताया (अप्रैल 2012) यदि तथ्यों में सच्चाई हुई तो चंडीगढ़ प्रशासन को राशि परियोजना खाते में तुरन्त स्थानांतरित करने के लिए कहा जाएगा।
3	दबुआ कालोनी फरीदाबाद, हरियाणा में बी.एस.यू.पी.के तहत 1968 डी.यू. का निर्माण	3.28	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड के एजेंसी चार्जिंज के लिए	नगर निगम, फरीदाबाद और निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय ने इसे स्वीकार किया (जून 2011) और जे.एन.एन.यू.आर.एम निधियाँ वापिस करने के लिए सहमत हुए।
4	बी.एस.यू.पी रांची, (फेस;II) झारखण्ड में शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं	0.61	परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जारी की गई निधियों में से बी.एस.यू.पी. की डी.पी.आर तैयार करने हेतु। भारत सरकार से खर्च की वसूली की प्रक्रिया यू. एल.बी (रांची नगर निगम) द्वारा शुरू नहीं की गई	जवाब में यू.एल.बी रांची (मई 2011) ने कहा कि भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त होने पर राशि की भरपाई कर दी जाएगी। आगे एम.ओ.एच.यू.पी.ए ने कहा (अप्रैल 2012) कि यदि तथ्य सही है तो राज्य सरकार को राशि, परियोजना खाते में, स्थानांतरित करने हेतु कहा जाएगा।
5	उत्तरी नागपुर क्षेत्र महाराष्ट्र में बी.एस.यू.पी. (इन-सीटू) परियोजना	0.56	परियोजना प्रबंधन सलाहकार को सलाहकार शुल्क के भुगतान हेतु	विभाग ने विपथन को स्वीकार किया और कहा (मई 2011) कि भारत सरकार से सलाहकार शुल्क की प्राप्ति पर राशि का समायोजन किया जाएगा। आगे एम.ओ.एच.यू.पी.ए ने कहा (अप्रैल 2012) कि यदि तथ्य सही हुए तो राज्य सरकार को राशि परियोजना खाते में वापिस स्थानांतरित करने के लिए कहा जाएगा।
6	मदुरई, तमिलनाडू में बी. एस.यू.पी (फेस-III) के तहत 10688 आवासों का निर्माण और बुनियादी सुविधाएं	0.29	बूचड़ खाने का निर्माण और मातृत्व केन्द्र के उपकरणों की खरीद हेतु	विभाग ने अपने उत्तर में कहा (मई 2011) कि बी.एस.यू.पी फेस-III परियोजना के खाते में राशि स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जाएगी। आगे एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने कहा (अप्रैल 2012) कि राज्य सरकार को तुरन्त सुझावी कार्यवाही करने के लिए कहा जाएगा।
7	पैरोल (करुआ), जम्मू एवं कश्मीर में आवासीय और स्लम विकास (आई.एच. एस.डी.पी.) परियोजना	0.08	अस्पताल, में टोल प्लाजा और समुदायिक शौचालयों एवं जानवरों के तालाब के निर्माण हेतु	कार्यकारी अधिकारी ने कहा (जुलाई 2011) कि वार्डों में जहां स्लम वासी थे, में भूमि उपलब्ध नहीं थी। निर्माण उन स्थानों पर किया गया जहां भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई जा सकती थी। एम.ओ.एच.यू.पी.ए ने आगे कहा (अप्रैल 2012) कि यदि तथ्य सही हुए तो राज्य सरकार को राशि परियोजना खाते में स्थानांतरित करने को कहा जाएगा।

स्रोत: चयनित राज्यों/यू.टी से लेखापरीक्षा निष्कर्ष

इस तरह इन मामलों में जहां निधियों का विपथन पाया गया वित्तीय अनुशासन बढ़ाने की जरूरत को
दर्शाता है। एम.ओ.एच.यू.पी.ए को इन मामलों की संवीक्षा करनी चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी
चाहिए।

6.10 अन्य अनियमिततायें

आवासीय परियोजनाओं की जांच के दौरान जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशा-निर्देशों के विपरीत खर्च,
मोबीलाईजेशन अग्रिम, अनियमित खर्चों इत्यादि के उदाहरण पाये गये। ये मामले निम्नानुसार हैं :

- आई.एच.डी.पी., जम्मू और कश्मीर में आवासीय और स्लम विकास पैरोल (करुआ),
परियोजना 2007–08 में स्वीकृत की गई थी। स्वीकृति के लगभग दो वर्ष बाद सरकार ने
(फरवरी 2009) लाभार्थियों की जांच हेतु एक समिति का गठन किया। कार्यकारी अधिकारी
(इ.ओ.) निगम कमेटी पैरोल द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सत्यापन नहीं किया गया तथा

₹ 1.22 करोड़ की राशि (फरवरी/मार्च 2010) को 407 लाभार्थियों में ₹ 30 हजार प्रति लाभार्थी बांटा गया। इओ. ने इसे उच्च अधिकारियों/राजनैतिक नेताओं के निदेशों पर डाला। ₹ 0.90 करोड़ की दूसरी किस्त ₹ 30,000/- प्रति व्यक्ति 300 लाभार्थियों (जुलाई 2010 से अप्रैल 2011) को बांटा गया जिसके लिए आय प्रमाणपत्र, राशन कार्ड की प्रति की जांच की गई परन्तु किसी भी मामले में भूमि पर स्वामित्व संबंधी दस्तावेज, जिस पर आवास बनना था, प्राप्त नहीं किया गया।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने (अप्रैल 2012) राज्य सरकार के उत्तर को अग्रेषित किया जिसमें राज्य सरकार ने कहा कि कार्यकारी अधिकारी पर राजनैतिक दबाव का कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं था, जिसके कारण कि नियमों, वांछित औपचारिकताओं को पूरा किये बिना रोकड़ बांटा जाये।

लेखापरीक्षा महसूस करता है कि राज्य सरकार उन परिस्थितियों का पता लगाये जिनमें कि अजांचित लाभार्थियों को नियमों एवं दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए रोकड़ बांटा गया और जवाबदेही तय करते हुए कार्यवाही की जानी चाहिए।

- ii. **बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना** के तहत डी.पी.आर तैयार करने का कार्य मैसर्स पालिवार ऐसोसियेट, रायपुर को ₹ 1.21 करोड़ में (जुलाई 2007) में सौंपा गया। यह कार्य बिना निविदा आमंत्रित किये, सौंपा गया। ₹ 48.04 लाख का भुगतान किया गया। एकिजट कान्फ्रेस (अक्टूबर 2011) के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा कि सलाहकार को ऐसा ही कार्य राज्यस्तर पर सौंपा गया था, इसलिए आई.एच.एस.डी.पी. बिलासपुर के लिए डी.पी.आर. तैयार करने का काम उसी सलाहकार को समान दर पर दिया गया ताकि विलम्ब न हो। एम.ओ.एच.यू.पी.ए. (अप्रैल 2012) ने अपने जवाब में कहा कि राज्य सरकार द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली गई है। किसी भी मामले में भारत सरकार द्वारा डी.पी.आर की लागत की प्रतिपूर्ति नहीं की जानी है यदि पारदर्शिता, निविदा प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया हो। अतः भारत सरकार द्वारा इस बारे में अनियमित खर्च का सवाल ही नहीं उठता और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भारत सरकार से ऐसा कोई व्यय नहीं हुआ है।
- iii. **जोधपुर राजस्थान में आई.एच.एस.डी.पी. फेज-II** में निर्माण कार्य के चार मामलों में ठेकेदारों को ₹ 43.19 लाख की निविदा प्रीमियम की मंजूरी दी गई जिसे अनियमित रूप से परियोजना लागत के नामे डाल दिया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमोदित परियोजना लागत के अतिरिक्त कोई भी अन्य व अधिक खर्च जैसे कि टैंडर प्रीमियम/लागत आधिक्य आदि को जोधपुर नगर निगम द्वारा (जे.ओ.एन.सी) अपनी आय से वहन किया जाना चाहिए था। एम.ओ.एच.यू.पी.ए. (अप्रैल 2012) ने जवाब दिया कि जे.ओ.एन.सी ने 9 अप्रैल 2012 को राशि जमा कर दी थी।
- iv. **आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में एकीकृत आवासीय और अवसंरचना विकास परियोजना** के तहत निर्माण किये जाने वाले 4900 आवासों में से 25761 आवास आंध्र प्रदेश आवास बोर्ड को आवंटित किए गए थे और कहा गया कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत ये पूरे किये गये थे, जो पहले ही आंध्र प्रदेश सरकार (जी.ओ.ए.पी) की योजना, राजीव गृह कल्पा (आर.जी.के) के तहत ले लिए गये थे और इनका निर्माण हुआ था जो पूरी तरह से लाभार्थियों द्वारा भुगतान किया जाना था। मई 2010 तक ए.पी.एच.बी को जे.एन.एन.यू.आर.एम निधियों में से ₹ 72.72 करोड़ जारी किए गए, जिनमें से ₹ 32.78 करोड़ आर.जी.के लाभार्थियों के योगदान की वापसी के लिए उपयोग किए गए क्योंकि बी.एस.यू.पी. के तहत योगदान आर.जी.के तहत योगदान से बहुत कम था। आर.जी.के के लाभार्थियों की आर्थिक स्थिति बी.एस.

यूपी हेतु लक्षित से बेहतर थी और इस तरह जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना के तहत शामिल न किए गए लाभार्थियों के लिए आवास निर्माण निधियों के विपथन के समकक्ष था। इस के अतिरिक्त लाभार्थी योगदान के रूप में रोकड़ राशि की वापसी अनियमित थी।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. द्वारा (अप्रैल 2012) भेजे गए जवाब में आंध्र प्रदेश सरकार ने बताया कि यह निर्णय खासतौर से लाभार्थियों का बोझ कम करने के लिए लिया गया। इसलिए लाभार्थियों का मूलधन और ब्याज कम करने के लिए भारत सरकार द्वारा राजसहायता और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा राजसहायता बैंकों को वापिस दी गई।

राज्य सरकार का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आर.जी.के योजना राज्य सरकार की योजना थी और इसके अनुसार राज्य सरकार को इस योजना का खर्च वहन करना था।

- v. रायपुर शहर में अलग-2 स्थानों पर स्लम में रह रहे शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सुविधाएं (स्थान 1 से 61), बी.एस.यू.पी (स्थान-1 रायपुर छत्तीसगढ़, 27976 डी.यू. और बिलासपुर में आर.एच.डी.पी परियोजना के तहत 7836 डी.यू निर्माण के लिए) हिन्चुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एच.पी.एल) को दिए गए। ₹ 61.96 करोड़ तीन²⁵ किस्तों में और ₹ 11.92 करोड़ क्रमशः भुगतान किए गए। एच.पी.एल ने बी.एस.यू.पी के लिए 7680 डी.यू. के निर्माण का कार्य मैसर्स विजेता कंस्ट्रक्शन कम्पनी, रायपुर को सौंपा (मई 2008) और आई.एच.एस.डी.पी के तहत 1566 डी.यू के निर्माण का कार्य मैसर्स बाबा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड गाजीयाबाद (मई 2008) को सौंपा। फर्म ने 5210 डी.यू के निर्माण का कार्य रायपुर में और 1566 डी.यू का बिलासपुर में शुरू किया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक (जून 2009) के दौरान एच.पी.एल. से अनियमित 16896 डी.यू निरस्त करने का निर्णय लिया गया जोकि सी.एम.डी.एच.पी.एल द्वारा सहमत किया गया। कार्यक्षेत्र कम होने के बाबजूद एच.पी.एल ने न तो बचे हुए डी.यू का कार्य शुरू किया न ही शुरू किये हुए डी.यू के निर्माण को पूरा किया और एच.पी.एल द्वारा कार्य छोड़ दिया। स्वतन्त्र निरीक्षण एवं अनुवीक्षण एजेंसी (टी.पी.आई.एम.ए.) द्वारा निरीक्षण किए जाने पर एच.पी.एल द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन (अगस्त 2010) ₹ 12.12 करोड़ और ₹ 11.66 करोड़ पाया गया इस तरह ₹ 50.53 करोड़ की राशि (₹ 49.84 करोड़ + ₹ 6853 लाख), एच.पी.एल से वसूली योग्य थी।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए ने (अप्रैल 2012) एच.पी.एल द्वारा दिया गया उत्तर भेजा जिसमें एच.पी.ए.ल. ने कहा कि एच.पी.एल. और कलाइन्ट के बीच आंकड़ों के अंतर के विवाद को, काम की कीमत के संबंध में, तीसरी पार्टी अर्थात् दिल्ली तकनीकी विद्यालय दिल्ली को दे दिया गया जिसके द्वारा कार्य किया गया जिसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित थी। जबकि समापन सम्मेलन (अक्टूबर 2011) में राज्य विभाग द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया और कहा गया कि मामले को भारत सरकार द्वारा देखा जाएगा। एम.ओ.एच.यू.पी.ए द्वारा कोई भी टिप्पणी नहीं की गई।

सच्चाई यह थी कि यह परियोजना छोड़ दी गई और लाभार्थी आवासीय योजना से वंचित रह गए।

6.11 निष्कर्ष

शहरी गरीबों हेतु आवास के निर्माण में एक साफ तथा आरामदायक पर्यावरण प्रदान करने के लिए साकल्यवादी सोच अपनानी चाहिए थी। यह बी.एस.यू.पी तथा आई.एच.एस.डी.पी का स्पष्ट उद्देश्य था

²⁵ 30.10.2007 - ₹ 8,69,12,100
07.06.2008 - ₹ 37,76,48,400
02.01.2010 - ₹ 18,50,00,000

परन्तु संरचनात्मक सुविधाएं, जो कि आवास के साथ दी जानी चाहिए थी, को साफतौर पर उपयुक्त ध्यान में नहीं रखा गया।

ऑडिट टिप्पणी के प्रत्युत्तर में (अप्रैल 2012) एम.ओ.एच.यू.पी.ए ने यह स्वीकार किया कि निर्धारित हद तक विभिन्न कारणों से परियोजना के क्रियान्वयन में देरी हुई तथा यह भी कहा गया कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना अपने आप में एक पहली योजना है तथा इस बड़े कार्य में शुरुआती वर्षों में क्रियान्वयन के मुद्दे सम्मिलित होते हैं।

यद्यपि, प्रारंभिक मिशन की अवधि पूरी हो चुकी है, यह ज्ञात होता है कि अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके हैं।

अनुशंसा संख्या 4 :

- भारत सरकार को परियोजनाओं के निष्पादन के अनुवीक्षण को बढ़ाना चाहिए ताकि अपात्र लाभार्थियों/योजनाओं हेतु विपथन न हो।



अध्याय 7 शहरी अवसंरचना परियोजनाओं का कार्यान्वयन

65 मिशन शहरों के लिए शहरी अवसंरचना व शासन (यू.आई.जी.) के अन्तर्गत तथा मिशन शहरों के अतिरिक्त छोटे व मंड़ौले शहरों एवं कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.टी.) के अन्तर्गत शहरी अवसंरचना परियोजना थी।

7.1 शहरी अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति

यू.आई.जी. के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों जहां सात मिशन शहर थे, एक भी परियोजना पूर्ण नहीं हुई थीं। दिल्ली में, संस्थीकृत की गई 28 परियोजनाओं में से केवल चार परियोजनाएं ही पूर्ण हुई थीं। राज्यों जिनमें तुलनात्मक रूप से काफी ज्यादा परियोजनाएं पूर्ण हुई वे गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश थे। आंध्र प्रदेश में, 50 परियोजनाओं में से, 17 परियोजनाएं पूर्ण हुईं। गुजरात में, 71 परियोजनाओं में से 33 पूर्ण हुईं। यू.आई.जी. के अन्तर्गत अनुमोदित परियोजनाओं और पूर्ण परियोजनाओं की संख्या की राज्य-वार और शहर-वार सूची परिशिष्ट 7.1 में दी गई है।

इसी प्रकार, यू.आई.डी.एस.एस.टी. के अन्तर्गत शहरी अवसंरचना परियोजनाओं में, 766 अनुमोदित परियोजनाओं में से केवल 126 परियोजनाएं ही पूर्ण हुई थीं।

एम.ओ.यू.डी. ने (अप्रैल/मई 2012) राज्य सरकार/यू.एल.बी. के द्वारा नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विभिन्न समस्याओं को उद्धृत किया। इन समस्याओं में जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से अनापत्ति की प्राप्ति में देरी, यू.एल.बी. की क्षमता में कमी, और भूमि का अधिग्रहण शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि निधि का प्रवाह, राज्यों और यू.एल.बी. के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के समयानुसार सुधारों के लक्ष्यों की प्राप्ति पर आधारित था।

संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा ने यू.आई.जी. के अन्तर्गत 532 परियोजनाओं में से 97 परियोजनाएं और यू.आई.डी.एस.एस.एस.टी. के अंतर्गत 766 परियोजनाओं में से 37 परियोजनाओं का चयन किया। विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत इन परियोजनाओं का क्षेत्र के अनुसार विघटन नीचे दिया गया है:

तालिका 7.1: शहरी अवसंरचना परियोजनाओं का सैकटर के अनुसार विघटन

क्रम संख्या	सैकटर	यू.आई.जी.		यू.आई.डी.एस.एस.एस.टी.		कुल कुल चयनित
		कुल	चयनित	कुल	चयनित	
1	जल आपूर्ति	152	21	418	16	570 37
2	ठोस कचरा प्रबन्धन	43	6	56	5	99 11
3	मल-निर्यास	109	49	97	7	206 56
4	जल-निकास	70	3	64	5	134 8
5	सड़के और फलाईओवर, एम.आर.टी.एस. और अन्य शहरी परिवहन	133 (97+21+15)	15 (10+4+1)	109	4	242 19
6	अन्य विविध परियोजनाएं जैसे शहरी नवीनीकरण। पारंपरिक क्षेत्र, पार्किंग स्थानों का पी.पी.सी. के आधार पर विकास। जलाशयों का संरक्षण	25 (11+5+5+4)	3 (1+1+1)	22	.	47 3
7	कुल परियोजनायें	532**	97*	766	37	1298 134

*4 वापिस ली हुई परियोजनाएं शामिल हैं;

** 13 वापिस ली हुई परियोजनाएं शामिल नहीं हैं

विभिन्न सैकटरों के अन्तर्गत 134 चयनित परियोजनाओं से सम्बन्धित लेखापरीक्षा टिप्पणियां अनुवर्ती पैरों में हैं।

7.2 जल आपूर्ति परियोजनाएं

एम.ओ.यू.डी. द्वारा मई 2008 में शहरी अवसंरचना सेवाओं में निवेश की आवश्यकताओं के आकलन के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारत के शहरों में जल की आपूर्ति के सम्बन्ध में अपर्याप्त समावेश, पारी से आपूर्ति, कम दबाव को प्रमुख रूप से उजागर किया। शहरी जनसंख्या में तेजी से वृद्धि और शहरी सीमा के लगातार विस्तारण से भारतीय शहरों में जल के वितरण की चुनौती तेजी से बढ़ रही है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. में राज्यों/यू.टी. के लिए जल आपूर्ति परियोजना को शामिल किया गया जिसमें जल आपूर्ति के संवर्धन, मौजूदा प्रणाली में सुधार, वितरण तंत्र आदि शामिल हैं।

7.2.1 चयनित परियोजनाओं के पूर्ण होने की स्थिति

चुनी गए राज्यों/यू.टी. में, 134 अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में से 37 जल आपूर्ति परियोजनाएं चुनी गई जिसमें से 21 परियोजनाएं यू.आई.जी. के अन्तर्गत और 16 परियोजनाएं यू.आई.डी.एस.एस.टी. के अन्तर्गत थीं। इन चयनित परियोजनाओं में से 5 परियोजनाएं मार्च 2011 तक शुरू भी नहीं की गई थीं और एक परियोजना वापिस ले ली गई थी। चुनी गई 37 परियोजनाओं में से केवल तीन परियोजनाएं ही पूर्ण थीं। शेष 28 परियोजनाएं, समापन के विभिन्न स्तरों पर थी।

7.2.2 जल आपूर्ति परियोजनाओं के निष्पादन में देरी

केन्द्रीय जन स्वास्थ्य एवं वातावरणिक अभियान्त्रिक संगठन (सी.पी.एच.ई.ओ.) की तकनीकी टिप्पणी के अनुसार योजना के कार्यान्वयन से पूर्व रेलवे/राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से, जहां आवश्यकता है, परियोजना की अनापत्ति/अनुमोदन प्राप्त करना था।



चयनित अनेक जल आपूर्ति परियोजनाओं के संदर्भ में यह देखा गया कि परियोजना के समापन में देरी इसलिए थी क्योंकि यह अनुमतियां या तो ली नहीं गई थीं या समय पर नहीं ली गई थीं। भूमि-अधिग्रहण में देरी और धीमी निविदा प्रक्रिया के कारण भी जल आपूर्ति परियोजनाओं में देरी थी। लेखापरीक्षा ने देरी के निम्नलिखित मामलों को पाया:

तालिका संख्या 7.2: जल आपूर्ति परियोजनाओं के निष्पादन में देरी

क्रम संख्या	परियोजना का नाम, क्षेत्र, शहर और राज्य	देरी का कारण	परियोजना की स्थिति
1.	जी.पी.एम.सी. के 32 बाह्य क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का संवर्धन, यू.आई.जी., विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश	रेलवे, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.), विशाखापट्टनम स्टील प्लाट, राजस्व प्राधिकरणों आदि से अनुमति की आवश्यकता थी	2007.08 में परियोजना संस्थीकृत हुई। जून 2011 तक, 53 जल टैकों/उच्चस्तरीय भंडारण जलाशय/भूमिगत भंडारण जलाशयों में से 36 पूर्ण नहीं हुए थे। जून 2011 को 2 जलाशयों के संदर्भ में कार्य प्रारंभ किया जाना था।
2.	जल आपूर्ति योजना का संवर्धन जिसमें रायपुर नगर निगम के विस्तारित क्षेत्र भी शामिल है, यू.आई.जी., रायपुर, छत्तीसगढ़	एन.एच.ए.आई. और विधानसभा की अनुमति की आवश्यकता थी	2006–07 में परियोजना संस्थीकृत की गई। परियोजना के 29 सघटकों में से 12 अभी पूर्ण किए जाने थे।
3.	फरीदाबाद शहर के लिए जल आपूर्ति का संवर्धन, यू.आई.जी., फरीदाबाद, हरियाणा	एन.एच.ए.आई. रेलवे, उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, हरियाणा सिंचाई विभाग और हरियाणा पी.डब्ल्यू.डी. से अनुमति की आवश्यकता थी	2008–09 में परियोजना संस्थीकृत की गई। 132.50 किलोमीटर लम्बाई में से केवल 32.57 किलोमीटर पाईप बिछाया गया था।


4.	रांची के लिए जल आपूर्ति परियोजना, यूआई.जी., रांची झारखंड	राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग, रेलवे और अन्य विभागों से अनुमति की आवश्यकता थी।	2008–09 में परियोजना संस्थीकृत की गई। जुलाई 2011 तक परियोजना अपूर्ण थी। रामपुर में भूमिगत जलाशय-3 (यू.जी.आर.) का निर्माण 3 तिपुदाना और हटिया में यू.जी.आर.-3 से 2 उत्थापित सेवा जलाशयों (ई.एस.आर.) को मुख्य पाइपलाइनों का बिछाना और तिपुदाना और हटिया और कुसाई वितरण नेटवर्क में मुख्य पाइपलाइन का काम रुका पड़ा था।
5.	शहरी जल आपूर्ति योजना का संवर्धन, यूआई.जी. एस.एस.एम.टी., 8, पंचायतों से लगा हुआ, अलापूझा नगर निगम, केरल	एन.एच.ए.आई. से अनुमति प्राप्त नहीं हुई थी जिसके कारण अनुमोदित लागत से विचलन अनिवार्य हो गया। निविदा प्रक्रिया में देरी।	परियोजना 2006–07 में संस्थीकृत की गई। अगस्त 2011 तक परियोजना अपूर्ण थी।
6.	यानम ²⁶ शहर के लिए जल आपूर्ति का संवर्धन, यूआई.जी.एस.एस.एम.टी., यानम शहर, पुडुचेरी	आंध्र प्रदेश सरकार से अनुमति की आवश्यकता थी	परियोजना 2009–10 में संस्थीकृत की गई। आंध्र प्रदेश सरकार ने 2011 में आपत्ति उठाई।
7.	जल आपूर्ति में सुधार, यूआई.जी. तिरुवनंतपुरम, केरल	सड़क काटने, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि में पाइप बिछाने के लिए अनुमति न मिलने और भूमि अधिग्रहण के कारण मार्च 2011 तक 25 संघटकों में से 10 संघटकों को पचांट नहीं किए गए थे।	2006–07 में परियोजना संस्थीकृत की गई। तिरुवनंतपुरम में जल आपूर्ति की वितरण प्रणाली के सशक्तीकरण के काम में देरी हो गई।
8.	जल आपूर्ति परियोजना, यूआई.जी.एस.एस.एम.टी., खंडवा, मध्य प्रदेश	रेलवे और वन विभाग से अनुमति की आवश्यकता थी	2007–08 में परियोजना संस्थीकृत की गई। परियोजना अभी तक अपूर्ण थी।
9.	गुवाहाटी महानगर विकास क्षेत्र में दक्षिण गुवाहाटी, पश्चिम जल आपूर्ति योजना, गुवाहाटी, यूआई.जी., गुवाहाटी, आसाम	रेलवे और भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण से अनुमति प्रतीक्षित थी और भूमि अधिग्रहण मामले।	2007–08 में परियोजना संस्थीकृत की गई। परियोजना अभी तक अपूर्ण थी।
10.	जल आपूर्ति परियोजना, यूआई.जी.एस.एस.एम.टी., औरंगाबाद, महाराष्ट्र	निविदाप्रक्रिया में देरी हुई	2007–08 में परियोजना संस्थीकृत की गई। यद्यपि (जून 2009) ₹ 359.67 करोड़ में परियोजना संस्थीकृत की गई थी, कार्य अभी अवार्ड किया जाना था। औरंगाबाद नगर निगम ने बताया (मई 2011) कि परियोजना का पी.पी.पी. नमूना में परिवर्तन के कारण निविदा प्रक्रिया और निष्पादन देरी से था।
11.	ईटानगर के लिए जल आपूर्ति संवर्धन, यूआई.जी. ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश	संबंधित कार्य पूर्ण नहीं था।	2006–07 में परियोजना संस्थीकृत की गई। प्रारंभिक बिंदू जल अभिक्रिया प्लांट के निर्माण में अपूर्ण होने के कारण और डी.आई. पाइप के बिछाने के कारण, मई 2009 से दिसम्बर 2010 के बीच में ₹ 475.00 लाख की लागत से निर्मित 10 भंडारण टैंक अनुपयोगित पड़े रहे।

²⁶ यानम, आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में 30 वर्ग किलोमीटर की एक बस्ती है।



फोटोग्राफ संख्या 7.1 और 7.2:

मिशन शहर ईटानगर में जल आपूर्ति संवर्धन के अन्तर्गत निर्मित भंडारण टैंक अनुपयोगित पड़े रहे, ईटानगर यूआई.जी. अरुणाचल प्रदेश



फोटोग्राफ संख्या 7.3 और 7.4

आंध्र प्रदेश – निवासी अभी तक जल आपूर्ति के लिए टैंकरों और बोरवेल पर निर्भर थे

एम.ओ.यू.डी. ने अपने जवाब में बताया (मई 2012) कि परियोजना के निष्पादन के लिए अनिवार्य अनापत्ति लेना यू.एल.बी./राज्य की जिम्मेवारी है। यदि अनापत्ति प्रतीक्षित थी, यह मूल्यांकन एजेंसी की रिपोर्ट में उल्लिखित हो और सी.एस.एम.सी. कार्यकृत में प्रदर्शित हो। बाद के स्तरों में भी इसकी जांच सी.एस.एम.सी./आई.आर.एम.ए. द्वारा की गई। लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए विशिष्ट मामलों के सम्बन्ध में, राज्यों को आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करने की सलाह मुहिया की जा रही थी ताकि परियोजनाएं समय पर पूर्ण हो सकें। इसके अलावा, संस्वीकृति के स्तर पर ही इस मुद्दे की ओर ध्यान देने हेतु, राज्यों को एक जांच सूची भेजी जा रही थी जिसमें आने वाली बाधाओं की पहचान और उनके समाधान की रणनीति भी शामिल है। एम.ओ.यू.डी. ने यह भी बताया कि परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के कारणों में से एक निविदाओं के निर्णय करने में देरी प्रमुख है।

अनुशंसा संख्या 5:

भारत सरकार द्वारा देरी और उसके कारणों का सूक्ष्मता से अनुवीक्षण किया जाना चाहिए और परियोजनाओं के समय पर पूर्ण करने को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

7.2.3 मशीनरी और अन्य मुद्दों की खरीद एवं उपयोग न करने के कारण धन का अवरोधन
लेखापरीक्षा कुछ मामलों के सम्पर्क में आया जहां परियोजना के कार्यान्वयन हेतु खरीदी गई मशीनें एवं उपकरण उपयोग में नहीं लाए गए। अतः इस निष्क्रिय निवेश के कारण धन का अवरोधन हुआ।

तालिका संख्या 7.3: मशीनरी और अन्य मुद्दों की खरीद एवं उपयोग न होने के कारण धन का अवरोधन

क्रम संख्या	परियोजना	उपयोग न की गई मद्दें	धनराशि (₹ करोड़ में)	उपयोग न होने के कारण
1	जल आपूर्ति यूआई. डी.एस.एस.टी., यारगोल, कर्नाटक	प्रत्यस्थ लोहा एवं पोलिविनाईल क्लोराईड पाईप	7.42	ओवरहैड टैंक हेतु जमीन की अनुपलब्धता के कारण उपयोग न होना
2	कानपुर के पुराने आंतरिक क्षेत्र हेतु यूआई.जी. कानपुर, उत्तर प्रदेश हेतु जल आपूर्ति कार्य	प्लान्ट/मशीनरी एवं ऊर्जा कनैक्शन	31.00	सिविल कार्य के समाप्ति के बाद सारी मशीनरी स्थापित की जानी थी। राज्य में समाप्त सम्मेलन (नवम्बर 2011) के दौरान प्रबंधक निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम ने बताया कि सिविल कार्य पूरा न होने से सारा प्लान्ट/मशीनरी स्टोर में पड़ी रही।

स्रोत: चुने हुए राज्यों एवं यूटी. की लेखापरीक्षा टिप्पणी से

कर्नाटक सरकार के जवाब में जो कि एम.ओ.यू.डी. द्वारा अग्रेषित किया था (मई 2012), यह कहा गया कि बैराज के निर्माण हेतु जमीन का अधिग्रहण राजस्व विभाग के पास लम्बित था एवं वन भूमि का मामला भारत सरकार के पास लम्बित था।

उत्तर प्रदेश के संबंध में, एम.ओ.यू.डी. ने (मई 2012) बताया कि यह मामला राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

धन के अवरोधन से संबंधित लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए विषयों में परियोजनाओं के समय पर समाप्ति के महत्व को दुबारा उठाया। सही रूपरेखा एवं सुचारू क्रियान्वयन के द्वारा, धन के अवरोधन के इस तरह के मामलों को टाला जा सकता है।

7.2.4 अन्य विसंगतियां

- मंगन, यूआई.डी.एस.एस.टी., सिक्किम में जल आपूर्ति बढ़ाने की परियोजना में ई.पी.ए.बी.एक्स. स्थापित करने, कैलेन्डरों की छपाई, जल आपूर्ति परियोजना के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु ₹ 21.36 लाख का खर्च मंगन के बाहर किया गया।
- जे.एन.एन.यू.आर.एम. दिशा निर्देशों के पैरा 7.1 के उल्लंघन में, अजमेर पुष्कर जल आपूर्ति परियोजना, यूआई.जी., राजस्थान में स्वच्छ जलाशय एवं पम्प हाउस निर्माण हेतु सरस्वती नगर में शहरी सुधार ट्रस्ट से ₹ 20.55 लाख में भूमि खरीदी गई थी।
- जल आपूर्ति, यूआई.डी.एस.एस.टी., उदयपुर, राजस्थान में सरकारी मकानों की मरम्मत हेतु ₹ 6.93 लाख का खर्च मिशन फंड से किया गया।
- दक्षिण गुवाहाटी पश्चिम जल आपूर्ति योजना, यूआई.जी., गुवाहाटी, असम में एस.एल. एस.सी. ने निर्देश दिया कि फेस-1 के कार्य के मूल्य (₹ 313.27 करोड़) के 10 प्रतिशत का छह प्रतिशत ब्याज पर मोबिलाईजेशन अग्रिम दिया जाए। गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण ने निर्माण कम्पनी को कुल ₹ 69.94 करोड़ दो किश्तों में (मार्च 2009 एवं अप्रैल 2010),

केवल ₹ 31.33 करोड़ स्वीकृत राशि के बदले भुगतान किया। छह प्रतिशत वार्षिक दर का ब्याज (₹ 3.78 करोड़ लगभग) भी नहीं वसूला गया।

एम.ओ.यू.डी. ने बताया (मई 2012) कि क्रम संख्या (i) से (iv) में दिए गए मामले संबंधित राज्यों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिए गए थे।

- v. कुछ परियोजनाओं के संबंध में निम्नलिखित मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि जहां उत्पाद शुल्क के भुगतान में छूट थी वहां भी इसका भुगतान कर दिया गया। नीचे की सारणी में ऐसे मामलों की सूची दी गई है:

तालिका संख्या 7.4: भुल्क पर किए गए अनियमित खर्चों के मामले

क्रम संख्या	राज्य का नाम	भुल्क	छूट का लाभ ना लेने की राशि
1.	जल आपूर्ति यूआई.डी.एस. एस.एम.टी. वारंगल, आंध्र प्रदेश	उत्पाद शुल्क	ठेकेदार को एम.एस. पाईप पर ₹ 5.51 करोड़ (जून 2011 तक) का अधिक उत्पाद शुल्क का भुगतान किया गया और इसे पाईपों की कीमत के मौलिक दर के अनुमानों में शामिल किया गया था। कार्यपालक इंजीनियर (सार्वजनिक स्वास्थ्य) ने बताया (मई 2011) कि सप्लायर को उत्पाद शुल्कों के भुगतान का सबूत एवं सी.ई.एन.वी.ए.टी. विवरण देने को कहा गया था। तत्पश्चात् आवश्यक वसूली की जाएगी।
2.	आस पास के क्षेत्रों में जल आपूर्ति की बढ़ोतरी, यूआई.जी., विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश	उत्पाद शुल्क	ठेकेदार को पैकेज - I में जी.वी.एम.सी. द्वारा ₹ 2.44 करोड़ उत्पाद शुल्क का अधिक भुगतान किया गया और इसे पाईपों की कीमत के मौलिक दर के अनुमानों में शामिल किया गया था। कार्यपालक इंजीनियर (पी.एस.) जल आपूर्ति, विशाखापट्टनम ने बताया (जून 2011) कि उत्पाद शुल्क में छूट को ठेकेदार के अगले रनिंग बिलों से वसूल किया जाएगा।
3.	जल आपूर्ति योजना यूआई. जी., रायपुर छत्तीसगढ़	उत्पाद शुल्क	छूट दिए गए उत्पाद शुल्क को मूल्य विश्लेषण में शामिल करने के कारण ठेकेदार को ₹ 7.68 करोड़ का अधिक भुगतान

उपरीलिखित छत्तीसगढ़ के मामले में, विभाग सहमत नहीं था क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि पी.एच.ई. विभाग के एस.ओ.आर. में उत्पाद शुल्क के बिना पाईपों का कोई अलग मूल्य नहीं था। विभाग इस विषय में न तो कोई प्रतिपूर्ति करेगा और न ही ठेकेदार से राशि वापसी की मांग करेगा और इस विषय में कोई दावा भी नहीं देखेगा।

लेखापरीक्षा इससे इस कारण सहमत नहीं था कि ठेकेदार के द्वारा छूट का लाभ लेने के कारण उत्पाद शुल्क को वसूला नहीं जा सकता था और यह अस्पष्टता अनुबन्ध का हिस्सा नहीं होनी चाहिये थी। जिसकी वजह से ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया। इसकी प्रतिक्रिया में, पी.एच.ई. सचिव ने समापन सम्मेलन में बताया (29 अक्टूबर 2011) कि इस विषय की समीक्षा की जाएगी एवं आगे की प्रतिक्रिया लेखापरीक्षा को सूचित कर दी जाएगी।

उपरोक्त मामले यह भी निर्दिष्ट करते हैं कि अनियमित भुगतानों से बचने हेतु एम.ओ.यू.डी. को ऐसे विषयों पर स्पष्टता देनी चाहिए।

7.2.5 एम.ओ.यू.डी. द्वारा स्थापित निर्देशचिन्ह

एम.ओ.यू.डी. ने 2008–09 में जल आपूर्ति के विषय में संकेतक एवं निर्देशचिन्ह प्रस्तुत किए हैं। ये निर्देशचिन्ह 100 प्रतिशत जल आपूर्ति संयोजन, लगातार 24 घंटे आपूर्ति एवं 100 प्रतिशत शुद्धता सुनिश्चित करते हैं।

प्रस्तावित संकेतक	राष्ट्रीय निर्देशचिन्ह
जल आपूर्ति सेवाएं	
जल आपूर्ति कनैक्शन का विस्तार	100 प्रतिशत
पर कैपीटा जल की आपूर्ति	135 लीटर पर कैपीटा / दिन
जल कनैक्शन की मीटरिंग का प्रसार	100 प्रतिशत
गैर-राजस्व जल (एन.आर.डब्ल्यू) का प्रसार	20 प्रतिशत
जल आपूर्ति की निरन्तरता	24 घंटे
आपूर्ति जल की शुद्धता	100 प्रतिशत
ग्राहकों की शिकायतों को सुधारने में दक्षता	80 प्रतिशत
जल आपूर्ति सेवाओं में मूल्य की वसूली	100 प्रतिशत
जल आपूर्ति संबंधित प्रभार संग्रहण में दक्षता	90 प्रतिशत

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दायरे में 65 मिशन शहरों में से 5 (कोलकाता, आसनसोल, धनबाद, वृहत्, मुम्बई एवं पटना) को 24×7 जल आपूर्ति तन्त्र हेतु लक्षित किया गया था। तथापि, यह पाया गया कि यह शहर इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। मुख्य क्षेत्रों में दैनिक जल आपूर्ति को 24×7 जल आपूर्ति योजना में बदलाव वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं किया जा सका। यह डेढ़ घन्टे (आसनसोल) से आठ घंटे प्रतिदिन (कोलकाता में दक्षिण दमदम में) की कम मात्रा पर ठहरी रही। 135 एल.पी.सी.डी. की पर कैपीटा जल आपूर्ति किसी भी यू.एल.बी. (पश्चिम बंगाल) में प्राप्त नहीं की जा सकी। इसकी भिन्नता दम दम में 68 एल.पी.सी.डी. से आसनसोल में 90.19 एल.पी.सी.डी. के मध्य रही। जल संबंधी प्रभार के संग्रहण में दक्षता आसनसोल में 66.9 प्रतिशत (अधिकतम) से 56.77 प्रतिशत (न्यूनतम) कोलकाता नगर निगम में थी। 31 मार्च 2011 को जल आपूर्ति की कीमत की वसूली के.एम.सी. में 16.20 प्रतिशत (अधिकतम) और आसनसोल में 10.9 प्रतिशत (न्यूनतम) के मध्य थी।

मार्च 2011 तक, पटना में जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत स्वीकृत किसी भी जल आपूर्ति परियोजना को पूरा नहीं किया। वृहत् मुम्बई में, जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत आठ जल आपूर्ति परियोजनाएं स्वीकृत की गई थी। यद्यपि केवल एक परियोजना को पूरा किया गया था। धनबाद में भी जे.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत स्वीकृत जल आपूर्ति परियोजना अधूरी थी।

एम.ओ.यू.डी. ने बताया कि मंत्रालय का निदेशचिन्हों की तरफ बढ़ने का प्रयत्न था और यह उद्धिग्नता परियोजना की तैयारी एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल की गई थी।

7.3 ठोस कचरा प्रबंधन

ठोस कचरे में नगरपालिका ठोस कचरा जैसे प्लास्टिक कचरा, निर्माण एवं तोड़-फोड़ कचरा, खतरनाक ठोस कचरा, जैविक कचरा एवं विद्युतीय कचरा शामिल है। शहरी ठोस कचरा प्रबंधन का समग्र लक्ष्य शहरी आबादी द्वारा उत्पन्न ठोस कचरे को संचयन, उपचार एवं निस्तारण उच्च संभावित साधन द्वारा पर्यावरण एवं सामाजिक संतुष्टि के ढंग से किया जाना चाहिए। ठोस कचरा प्रबंधन की परियोजनाओं के

अन्तर्गत कार्य जैसे ठोस कचरा प्रबंधन संयत्रों का निर्माण, कचरों के संग्रहण एवं वियोजन की व्यवस्था शामिल थे।



जिला सांख्यिकीय कार्यालय, पटना के समक्ष कचरे का क्षेपण

फोटोग्राफ़ संख्या 7.5

7.3.1 चयनित परियोजनाओं के समापन की स्थिति

चयनित राज्यों/यू.टी. में 11 ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाएं चयनित की गयी थीं, जिसमें से छह परियोजनाएं यू.आई.जी. एवं पांच परियोजनाएं यू.आई.डी.एस.एम.टी. के अन्तर्गत थीं।

इन चयनित परियोजनाओं में, दो परियोजनाएं नगरपालिका ठोस कचरा प्रबंधन, पटना शहर के लिए यू.आई.जी., पटना, बिहार एवं एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना यू.आई.जी., हरिद्वार, उत्तराखण्ड तक शुरू नहीं हुई थी। शेष नौ परियोजनाएं, यद्यपि शुरू हो गई, पूर्ण नहीं हुई थी।

एकीकृत ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना हरिद्वार, उत्तराखण्ड के संबंध में एम.ओ.यू.डी. ने बताया (मई 2012) कि कार्य आदेश जारी कर दिया गया है।

7.3.2 पर्यावरणीय अनापत्ति एवं भूमि की उपलब्धता के अभाव में परियोजनाओं के समापन में देरी

ठोस कचरा प्रबंधन के संबंध में भूमि की उपलब्धता का अभाव एवं अनापत्ति की प्रतीक्षा देरी के कारण थे। लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित मामलों में, जैसाकि नीचे की सारणी में दिखाए गया है, पाया।

तालिका संख्या 7.5: ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं में देरी

क्रम संख्या	परियोजना	परियोजना की स्थिति
1	ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना यू.आई.डी.एस.एम.टी., हजारीबाग, झारखण्ड	परियोजना मार्च 2008 में स्वीकृत की गई थी। स्थानान्तरणीय स्टेशन एवं भराई हेतु जमीन की उपलब्धता के अभाव में परियोजना शुरू नहीं की गई।
2	ठोस कचरा प्रबंधन यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी., तुरा, मेघालय	परियोजना सितम्बर 2008 में स्वीकृत की गई थी। इस परियोजना हेतु पर्यावरण एवं जंगल काटने की अनुमति सितम्बर 2011 तक प्राप्त नहीं की गई। फिर भी, वाहनों की खरीद हेतु सप्लायर को ₹ 0.75 करोड़ का अग्रिम भुगतान किया गया।
3	ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना, यू.आई.जी., शिमला, हिमाचल प्रदेश	परियोजना मार्च 2007 में स्वीकृत की गई थी एवं जनवरी 2010 तक समाप्त हेतु अनुबद्ध थी। नगरपालिका कमिशनर, शिमला ने बताया (अक्टूबर 2011) कि स्थान की अनापत्ति न मिलने एवं जनता के विरोध के कारण परियोजना में देरी हुई थी।

एम.ओ.यू.डी. ने कहा (मई 2012), कि राज्यों को यह सलाह दी गई कि लेखापरीक्षा द्वारा दर्शायें गये मुद्दों का आवश्यक रूप से निपटान करने को प्राथमिकता दी जाये।

7.3.3 उपयोग में न लायी गई मशीनरी की खरीद पर निधियों का अवरोधन

लेखापरीक्षा ने कुछ मामले देखें, जहाँ इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए खरीदी गई मशीनरी, उपकरण बेकार पड़े थे।

तालिका सं. 7.6 : निधियों के अवरोधन के उदाहरण

क्र.सं.	परियोजना	बेकार पड़े समान	राशि (करोड़ ₹ में)	बेकार रहने का कारण
1	ठोस कचरा प्रबंधन, यू.आई.डी.एस.एस.टी., हजारीबाग, झारखण्ड	19833 घरेलू कूड़ेदान	0.54	इन कूड़ेदानों के द्वारा इकट्ठा किए गए कूड़े को कम्पोस्ट संयंत्र में प्रतिपादित किया जाना था, परन्तु जैसा कि यू.एल.बी. हजारीबाग द्वारा सूचित किया गया (मई 2011), भूमि उपलब्ध न होने कि वजह से संयंत्र का निर्माण कार्य नहीं किया जा सका, कूड़ेदानों को आवासधारियों में नहीं बाँटा गया।
2	ठोस कचरा प्रबंधन, यू.आई.डी.एस.एस.टी., हजारीबाग, झारखण्ड	स्वच्छता वाहन	0.03	स्टाफ की कमी
3	ठोस कचरा प्रबंधन, यू.आई.डी.एस.एस.टी., रोहतक, हरियाणा	दो जे.सी.बी. वाहन तथा एक स्कीड स्टीर लोडर	0.29	वाहन को आवश्यकता से पहले ही खरीदा गया था। खरीदे जाने के बाद से वाहन उपयोग में नहीं लाया गया था। जे.सी.बी. ट्रकों को भी आवश्यकता के बिना खरीदा गया था तथा ये भी उपयोग में नहीं लाये गये थे। रोहतक नगर निगम ने यह सूचित किया (मई 2011) कि ये वाहन उनके द्वारा नहीं मांगे गए थे तथा एन.बी.सी.सी.एल. द्वारा उनके अपने स्तर पर खरीदे गये थे।
4	ठोस कचरा प्रबंधन, यू.आई.जी. इम्फाल, मणिपुर	17 वाहन तथा 30 कूड़ेदान जून 2009 तथा नवम्बर 2009 के बीच खरीदे गए तथा इम्फाल नगर पालिका को दे दिए गए।	2.55	चूंकि ठोस कचरा संयंत्र का निर्माण कार्य मार्च 2011 तक पूरा नहीं हो पाया था, समय से पहले की गई खरीददारी के कारण निधियों का अवरोधन हुआ।

7.3.4 अन्य अनियमिततायें

रोहतक, हरियाणा में, ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना पर ₹ 1.76 करोड़ की राशि का खर्च किया गया। निर्धारित स्थल पर कार्य पहले ही प्रगति पर होने के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्थल को बदल दिया गया (मार्च 2009)। लेखापरीक्षा के प्रश्न के जवाब में, नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड (एन.बी.सी.सी) ने कहा (मई 2011) कि ₹ 1.45 करोड़ पूर्व स्थल पर भूमि स्थान जो कचरे से भरा हुआ था को ठीक करने के लिए सेनेटरी लेन्डफिल के निर्माण पर खर्च हुए जिसका पहले ही डी.पी.आर. अनुमोदित था और बेकार नहीं था। आगे, यह भी कहा गया कि चार दीवारी बनाने के लिए ₹ 30.46 लाख का किया गया खर्च व्यर्थ था हालांकि यह खर्च हरियाणा अरबन डेवलपमेंट अथोरिटी द्वारा वहन किया जाएगा। एन.बी.सी.सी. ने यह भी कहा कि निर्माण कार्य को एक नए स्थल पर शुरू किया गया था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि खर्च नए स्थल पर दुबारा करना होगा। इसके अतिरिक्त, विभाग का नए स्थल पर बिना पर्यावरण क्लीयरेंस के निर्माण कार्य शुरू करना भी उचित नहीं था।



एस.डब्ल्यू.एम. परियोजना का छोड़ा हुआ पुराना स्थल,
जिन्द रोड, रोहतक

फोटोग्राफ संख्या 7.6

7.4 सीवरेज

भारतीय शहरों में स्वच्छता एक गंभीर चुनौती है। बहुत ही बेकार सीवरेज नेटवर्क के कारण बड़ी मात्रा में शहरी गरीब लोग अभी भी सार्वजनिक टायलेट पर निर्भर हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या ने मौजूदा तथा पुरानी सीवरेज पद्धति पर भार डाला हुआ है। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत सीवरेज से संबंधित परियोजनाओं जैसे अन्डर ग्राउण्ड सीवरेज सिस्टम, वर्तमान सीवरेज सिस्टम में सुधार, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवरेज लाइन डालना आदि सम्मिलित था।

7.4.1 चयनित परियोजनाओं के पूरा होने की स्थिति

चुनिंदा राज्यों/यूटी. में 49 परियोजनाएं यूआई.जी. के अंतर्गत तथा सात यूआई.डी.एस.एम.टी. के अंतर्गत चुनी गयी। इन चुनी हुई परियोजनाओं में से, तीन शुरू ही नहीं की गई थी, एक परियोजना छोड़ दी गई तथा पाँच परियोजनाएं टाल दी गई। कुल 56 चुनिंदा परियोजनाओं में से केवल चार परियोजनाएं पूर्ण हुईं। बची हुई 43 परियोजनाएं पूर्ण होने के विभिन्न स्तरों पर थीं।

एम.ओ.यू.डी. ने मार्च 2007 में, ₹ 9.42 करोड़ की, मोती दमन तथा नानी दमन में भूमिगत सीवरेज सिस्टम, परियोजना के निर्माण को अनुमोदित किया। 2009 में, ए.सी.ए. ₹ 0.31 करोड़ जारी किया गया परन्तु परियोजना मार्च 2011 तक शुरू नहीं हो पायी थी। परियोजना को अंततः अप्रैल 2011 में वापस ले लिया गया।

एम.ओ.यू.डी अपने प्रत्युत्तर में (अप्रैल / मई 2012) परियोजना के शुरू न होने के कारण को स्पष्ट न कर सका।



फोटोग्राफ संख्या 7.7



फोटोग्राफ संख्या 7.8

गैर उपचारित जल को प्राकृतिक प्रवाह/नदी में बहाया जा रहा था जिससे दमन में अस्वच्छ पर्यावरण तथा प्रदूषण उत्पन्न हुआ।

7.4.2 सीवरेज परियोजनाओं की धीमी प्रगति

निम्नलिखित मामलों में यह पाया गया कि सीवरेज परियोजनाओं का निर्माण कार्य परियोजनाओं की निर्धारित अवधि के दौरान नहीं किया गया।

तालिका सं. 7.7 : सीवरेज परियोजनाओं की धीमी प्रगति

क्रम सं.	परियोजनाये	देरी का कारण	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	फरीदाबाद, हरियाणा में यू.आई.जी., सीवरेज सिस्टम तथा सीवरेज उपचार के कार्यों में सुधार	पुल के निर्माण तथा पाइपलाइन को पार करने की अनुमति यू.पी. सरकार से प्राप्त की जानी थी। एन.एच.-2 के साथ-साथ सीवर लाइन बिछाने की अनुमति भी एन.एच.ए.आई. से भी प्राप्त नहीं हुई थी।	₹ 103.83 करोड़ की परियोजना को 22 जनवरी 2007 में अनुमोदित किया गया था जिसको जनवरी 2010 तक पूर्ण किया जाना था। परियोजना के शुरू होने से पहले विभिन्न एजेंसियों से पूर्व अनुमोदन समाशोधन न प्राप्त करने के कारण परियोजना समय से पूर्ण नहीं हो पाई।
2	ग्रेटर जम्मू यू.आई.जी. जम्मू जम्मू तथा कश्मीर के लिए विस्तृत सीवरेज योजना, भाग ए.	विभिन्न एजेंसियों से जनसुविधाओं के स्थानान्तरण और क्लीयरेंस लेने में त्रुटियाँ।	₹ 129.23 करोड़ की परियोजना को (दिसम्बर 2006) अनुमोदित किया गया। इसके विभिन्न घटकों को मई 2009 एवं मार्च 2010 के बीच पूर्ण किया जाना था। जिसकी मौजूदा स्थिति यह थी कि कोई भी घटक मार्च 2011 तक पूर्ण नहीं किया गया था। असल में, एक घटक, नामतः सीवर लाइन के संदर्भ में केवल 27 प्रतिशत कार्य मार्च 2011 तक पूरा किया गया था।
3.	सीवरेज परियोजना यू.आई.डी. एस.एस.एम.टी., अकोला, महाराष्ट्र	ठेकेदार ने निर्माण कार्य को शुरू नहीं किया। प्रत्युत्तर में, अकोला एम.सी. ने यह बताया कि यह मामला, कमिशनर, निदेशालय म्यूनिसिपल प्रशासन, मुद्रवर्झ निविदा प्रक्रिया की शिकायत के संदर्भ में विलम्बित है।	₹ 132.75 करोड़ की लागत की परियोजना को मार्च 2009 में अनुमोदित किया गया जिसके विपरीत (मार्च 2010) ठेकेदार को ₹ 315.70 करोड़ में कार्य आवंटित किया गया। फरवरी 2010 में ए.सी.ए. द्वारा ₹ 4998 करोड़ की राशि अकोला नगर निगम को जारी की गई, वह एक वर्ष से अधिक तक उपयोग में नहीं लाई गई। (मई 2011)
4	एकीकृत सीवरेज परियोजना, यू.आई.जी., भुवनेश्वर, ओडिशा	भूमि अधिग्रहण में देरी हुई जिसके परिणामस्वरूप, परियोजना के सभी भागों के लिए निविदा आमंत्रित नहीं की जा सकी।	31 मार्च 2011 ₹ 90.45 करोड़ उपयोग किया गया। 193 कि.मी. में से केवल 68 कि.मी. की सीवरेज लाइन बिछाई गई।
5	पांच नगर पंचायतों में चिट्ठलापककम, मदमबककम, सेम्बाककम, पेरुगलथूर तथा पीरकनकरानई यू.आई.जी., चैन्नई, तमिलनाडू विस्तृत सीवरेज योजना देना।	सीवरेज पर्यांग स्टेशनों को बनाने के लिए भूमि अधिग्रहण करने में, स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय अव्यवहार्य परियोजना, स्थानीय निकाय की खराब वित्तीय स्थिति, भूमि के पुर्नवर्गीकरण में देरी, सार्वजनिक आपत्तियों तथा चैन्नई मैटरोपालिटन विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के पुर्नवर्गीकरण को मना करने, क्योंकि वह स्थल पार्क ²⁷ चिह्नित था, में देरी हुई।	₹ 212.76 करोड़ की ये परियोजनाएं जनवरी 2009 में स्वीकृत हुई थी। भारत सरकार ने (नवम्बर 2010) सभी पांच नगर पंचायतों में योजना के कार्यान्वयन को वापिस ले लिया। इस प्रकार डी.पी.आर. की तैयारी पर किया गया ₹ 4.71 करोड़ का खर्च व्यर्थ गया।
6	फेस -III एरिया के लिए भूमिगत सीवरेज योजना तथा मौजूदा सीवरेज सिस्टम का नवीकरण, यू.आई.जी. मदुरई, तमिलनाडू	निर्माण कार्य की धीमी गति और अन्तर्जुडाव सुविधा का बैमेल उपलब्धि	भारत सरकार ने मदुरई कारपोरेशन के लिए ₹ 229.34 करोड़ की तीन पैकेज में मूलभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर सुविधाओं को प्रदान करने के लिए परियोजना का अनुमोदन किया। अवनिपुरम तथा सकीमगलम में दो सीवरेज उपचार संयंत्र (क्रमशः नवम्बर तथा दिसम्बर 2010) में पूरे किये

²⁷ सेंबाककम, पीरकनकरानई एवं पेरुगलथूर कस्बा पंचायतों में पर्यांग स्टेशन के निर्माण हेतु चिह्नित स्थानों के संबंध में।


7

सीवरेज तथा सीवरेज उपचार विभाग ने ठेकेदार को साफ स्थल संयंत्र प्रदान करना, यू.आई.जी. स्थानान्तरित नहीं किया। लुधियाना, पंजाब



पी.एच.ई., बी.एस.एन.एल. (जम्मू तथा कश्मीर) द्वारा भूमिगत उपयोगिताओं के अस्थानान्तरण के कारण निर्माण रुका कार्य स्थगन

फोटोग्राफ नं. 7.9



मदुरई, तमில்நாடு में सीवरेज पानी का बैगाई नदी में प्रवाह

फोटोग्राफ संख्या 7.11

एम.ओ.यू.डी. ने अपने जवाब में बताया कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाएं, राज्य सरकार/यू.एल.बी. द्वारा क्रियान्वित की गई थीं। परियोजना के कार्यान्वयन में विभिन्न बाधाएं जैसे भूमि पर अनाधिकृत कब्जा, भूमि अधिग्रहण, कोर्ट केस, विभिन्न प्राधिकरणों से मंजूरी, जनोपयोगी

गए परन्तु कार्य निर्वाह की धीमी गति तथा भारी बारिश के कारण सीवर लाइन का कार्य पूरा नहीं किया जा सका। अन्तर्जुड़ाव सुविधाएं बनाने में बेमेल के कारण सीवेज का पानी सीवेज फार्म, लैगून तथा बैगाई नदी में चला गया तथा एस.टी.पी. को ₹ 112.58 करोड़ की लागत पर बनाए गए एस.टी.पी. का उपयोग नहीं हुआ।

₹ 241.39 करोड़ की परियोजना को मार्च 2008 में स्वीकृत किया गया था तथा जोकि 24 माह में पूरा किया जाना था।

कार्य की प्रगति धीमी थी तथा अगस्त 2011 तक ₹ 4.03 करोड़ का खर्च किया गया था। ठेकेदार ने यह भी सूचित किया कि वह आगे के क्रियान्वयन की योजना करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि न तो आकृति एवं डिजायन प्रदान किया गया था न ही विभाग द्वारा प्राथमिकताएं निर्धारित की गई थीं।



विद्युत विकास विभाग, (जम्मू कश्मीर) द्वारा विद्युत खंभों के स्थानान्तरण न करने के कारण रुका निर्माण कार्य

फोटोग्राफ नं. 7.10



तिगाँव रोड, फरीदाबाद के मिर्जापुर एस.टी.पी. पर बहता सीवरेज का पानी

फोटोग्राफ संख्या 7.12

सुविधाओं के स्थानांतरण आदि सूचित की गई थी। जी.ओ.आई ने राज्यों से अनुरोध किया कि मार्गरोधक अवरोध को दूर करें जैसा कि लेखापरीक्षा में दर्शाया गया है। परियोजनाओं के पूर्ण करने को प्राथमिकता दें।

7.4.3 अन्य अनियमितताएं

- i. **सफाई तथा सीवरेज तंत्र, बिलासपुर, यू.आई.डी.एस.एम.टी., छत्तीसगढ़** के सम्बन्ध में यह पाया गया कि 9782.231 घनमीटर कठोर चट्टान, जो पाइप डालने के लिए खुदाई करते समय निकाला गया था, वह स्थल पर सामग्री अभिलेख में नहीं लिया गया था। राज्य लोक निर्माण विभाग, दर अनुसूची 2010 के अनुसार कठोर चट्टान की सप्लाई की कीमत ₹ 639.00 प्रति क्यूबिक मीटर थी। ₹ 62.51 लाख²⁸ के चट्टान की कीमत कार्य के लेखा में नहीं ली गई थी। समापन सम्मेलन के दौरान, (29 अक्टूबर 2011) विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार किया तथा कहा कि उत्खनित कठोर चट्टान ठेकेदार द्वारा उसी कार्य में उपयोग में लायी गयी और वे उसकी कीमत को वसूल करने के लिए सहमत हैं।
- ii. **सीवरेज परियोजना, यू.आई.डी.एस.एम.टी., मसूरी, उत्तराखण्ड** में एक करोड़ रुपए का ब्याज रहित मोबीलाइजेशन अग्रिम, मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में सीवर लाइन डालने के लिए उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा ठेकेदार को दिया गया। यह उत्तराखण्ड खरीद नियम 2008, जिसके तहत जब तक कि धन राशि की कटौती और समायोजन न हो जाए तब तक मोबीलाइजेशन अग्रिम पर ब्याज लगाना अपेक्षित था, के विपरीत था।
- iii. **यू.आई.डी.एस.एम.टी.—सैनेटरी एवं सीवरेज तंत्र, बिलासपुर, छत्तीसगढ़** और **सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट**²⁹ के सम्बन्ध में यह पाया गया कि ₹ 26.13 करोड़ मोबीलाइजेशन अग्रिम के रूप में दो ठेकेदारों को दिया गया परन्तु यह अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नहीं था। दोनों ही मामलों में समझौते में मोबीलाइजेशन एडवांस पर ब्याज की वसूली के नियम मौजूद नहीं थे। पहली परियोजना के संदर्भ में, जून 2011 को 16वें आर.ए. बिल के भुगतान से ₹ 5.25 करोड़ की राशि वसूली गई थी तथा ₹ 17.05 करोड़ ठेकेदार (मै. सिम्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कोलकाता) से वसूले जाने थे। दूसरे ठेकेदार (मै. जियो मिलर एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड, नई दिल्ली) के सम्बन्ध में, 11वें आर.ए. बिल के भुगतान से ₹ 3.20 करोड़ की वसूली की गई तथा ₹ 64.73 लाख की राशि अप्रैल 2011 तक वसूली के लिए अपेक्षित थी। इस प्रकार मोबीलाइजेशन अग्रिम के देने के परिणामस्वरूप ठेकेदारों को ₹ 26.15 करोड़ की अनुचित सहायता तथा 14 प्रतिशत वार्षिक दर पर ₹ 8.63 करोड़ के ब्याज का नुकसान हुआ।
- iv. अहमदाबाद नगर निगम गुजरात के एस.टी.पी. के कार्य के संबंध में लेखापरीक्षा ने यह पाया कि अप्रैल 2007 में पिराना में पुराने स्थल पर 60 एम.एल.डी. क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) के निर्माण के लिए मूल्य की बोलियां खोलीं। ₹ 21.75 करोड़ पूर्वानुमानित

²⁸ ₹ 639/क्यू. मीटर *9782.231 क्यू. मीटर = ₹ 62.51 लाख

²⁹ दोमुहानी एवं घिलाती के स्थान पर सभी संबंधित तथा विद्युत उपकरणों एवं सहायिक उपकरणों सहित विधि कार्यों के साथ-साथ 54 एम.एल.डी. एवं 17 एम.एल.डी. क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए क्रय, निर्माण एवं संचालन संबंधित कार्य।

लागत के विपरीत, एल-1³⁰ एजेंसी के द्वारा ₹ 24.70 करोड़ (ओ. एण्ड एम. लागत तथा पावर लोडिंग³¹ सम्मिलित) की बोली लगाई गई। बातचीत से प्रस्ताव को ₹ 22.84 करोड़ पर (प्रचलित बाजार मूल्य से 2.15 प्रतिशत अधिक) तय किया परन्तु नगर निगम के द्वारा यह कहकर अस्वीकार कर (मई 2007) दिया गया कि यह अधिक मूल्य है। दूसरे प्रयास पर, जुलाई 2007 में बोली खोलने पर एल.1 एजेंसी³² ने ₹ 24.66 करोड़ (निर्माण तथा ओ. एण्ड एम. लागत) की बोली लगाई जिसे बातचीत से कम करके ₹ 24.11 करोड़ पर लाया गया। एम.सी. (जुलाई 2007) के प्रस्ताव पर स्थायी समिति ने इस निविदा (जुलाई 2007) को स्वीकार कर लिया तथा प्रस्ताव—पत्र जारी (अगस्त 2007) कर दिया। इस प्रकार निविदा जोकि ₹ 22.84 करोड़ के मूल्यों पर (जो कि सिर्फ प्रचलित बाजार मूल्यों से 2.15 प्रतिशत अधिक था) विवेकहीन रूप से अस्वीकृत की गई और दूसरे प्रस्ताव को 90 दिनों से भी कम दिनों में ₹ 24.11 करोड़ (जुलाई 2007) में स्वीकार किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ का अपरिहार्य व्यय हुआ।

अहमदाबाद नगर निगम ने कहा (जून 2011) कि निविदाओं को पुनः आमंत्रित करने का निर्णय इस आशय से किया गया कि प्रचलित बाजार मूल्यों पर निविदाएं प्राप्त होंगी। ए.एम.सी. का जवाब स्वीकार्य नहीं था क्योंकि पहले आमंत्रण के दौरान एल.1 एजेंसी के द्वारा जो बोली लगाई गई थी वह बाजारीय मूल्यों से सिर्फ 2.15 प्रतिशत अधिक थी।

7.4.4 100 प्रतिशत जनसंख्या तथा क्षेत्र के कवरेज के लिए एम.ओ.यू.डी. के द्वारा लक्षित शहरों में सीवरेज परियोजनाओं की स्थिति

जे.एन.एन.यू.आर.एम. सीवरेज परियोजनाओं के लिए 100 प्रतिशत जनसंख्या व क्षेत्र कवरेज के लिए एम.ओ.यू.डी. ने सिर्फ 15 शहरों को लक्षित किया (नैनीताल, वडोदरा, अहमदाबाद, पटना, देहरादून, नान्देड़, इन्दौर, जबलपुर, भुवनेश्वर, बोधगया, सूरत, अजमेर—पुष्कर, बैंगलोर, जयपुर और चेन्नई)। सिर्फ चार परियोजनाएं (6 में से) और छः परियोजनाएं (9 में से) क्रमशः अहमदाबाद तथा सूरत में पूर्ण की गई। अन्य 13 शहरों के संबंध में कोई भी सीवरेज परियोजना पूर्ण नहीं हुई। यद्यपि पटना को जे.एन.एन.यू.आर.एम. सीवरेज परियोजना के 100 प्रतिशत कवरेज के लिए लक्षित किया गया था परन्तु दिलचस्प यह है कि पटना के लिए मार्च 2011 तक कोई भी सीवरेज परियोजना अनुमोदित नहीं की गई।

7.5 बरसाती पानी के नाले

बरसात का पानी दो कारणों से चिंता का कारण है पहले मात्रा तथा उसके बहने के समय (बाढ़ नियंत्रण तथा जलापूर्ति) और दूसरा दूषित करने वाले तत्व जोकि पानी में रहते हैं।

बरसात का पानी एक संसाधन भी है और इसकी महत्ता बढ़ रही है क्योंकि विश्व की बढ़ती जनसंख्या आसानी से उपलब्ध पानी की उपलब्धता की मांग को बढ़ा रही है।

बरसाती पानी के नाले परियोजनाओं को भी जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत लाया गया। बरसाती पानी के नाले परियोजाओं के अन्तर्गत प्राथमिक तथा द्वितीय बरसाती पानी के नाले के पुर्णनिर्माण जैसा कार्य सम्मिलित है।

7.5.1 चयनित परियोजनाओं के पूर्ण होने की स्थिति

चयनित राज्यों/यूटी., में 8 बरसाती पानी के नाले परियोजनाओं को चुना गया। तीन यूआई.जी. के अन्तर्गत तथा पांच यूआई.डी.एस.एस.एम.टी. के अन्तर्गत थे। इन चुनी गई परियोजनाओं में से, एक

³⁰ रामके इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

³¹ ठेकेदार द्वारा आपूर्तित एवं स्थापित मैकेनिकल उपकरणों पर ओ. एण्ड एम. अवधि के दौरान ए.एम.सी. द्वारा बहन योग्य ऊर्जा पर किया गया व्यय, तथापि, राशि ए.एम.सी. द्वारा बहन की जाएगी।

³² श्री राम ई.पी.सी. लिमिटेड

परियोजना जो असम में यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. (बरपेटा प्रोजेक्ट) के अन्तर्गत थी, जिसके लिए (फरवरी 2009 तक) ₹ 18.72 करोड़ स्वीकृत किए गए, को शुरू नहीं किया गया था (मई 2011)। एम.ओ.यू.डी. ने परियोजना चालू न होने का कारण (मई 2012) नहीं दिया। शेष 7 परियोजनाएं पूर्ण होने के विभिन्न चरणों में थीं।

7.5.2 देरी तथा कमियां

लेखापरीक्षा ने बरसाती पानी के नाले परियोजनाओं में निम्नांकित कमियां तथा देरी पाई।

तालिका 7.8: बरसाती पानी परियोजना में कमियां तथा देरियां

क्रम संख्या	परियोजना	लेखापरीक्षा की टिप्पणियां
1	बरपेटा बरसाती पानी नाला यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी., बरपेटा, असम	परियोजना को फरवरी 2011, तक पूर्ण करने के लिए ₹ 18.72 करोड़ की राशि, फरवरी 2009 में स्वीकृत की। मई 2011 तक परियोजना शुरू नहीं की गई। शुरूआती डी.पी.आर. में दिये गए कुछ नालों को शामिल करने के स्थानों में संशोधन किया गया।
2	बरसाती पानी के नाले, यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी., हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	परियोजना को ₹ 3.34 करोड़ में दिसम्बर 2006 में स्वीकृत किया गया। मई 2011 तक परियोजना पूर्ण नहीं की गयी थी तथा ₹ 4.81 करोड़ खर्च कर दिए गए। यह पाया गया कि अनुमोदित पांच कार्य के अलावा आतरिक्त 47 बरसाती पानी के नालों का कार्य अन्य क्षेत्रों में जो कि डी.पी.आर. में अनुमोदित नहीं किए गए, भारत सरकार की स्वीकृति के बिना, ₹ 1.19 करोड़ की लागत पर निष्पादित किए। कार्यकारी अधिकारी (ई.ओ.), एम.सी. हमीरपुर ने स्वीकार किया गया कि इन कार्यों का क्रियान्वयन विभिन्न वार्डों के पार्शदों के मौखिक सुझाव/मांग पर किया गया।

7.6 सड़क / उपरिगामीपुल बी.आर.टी.एस., एम.आर.टी.एस. सहित रेल उपरिगामी पुलों तथा अन्य शहरी परिवहन

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत सड़क उपरिगामी पुलों/रेल उपरिगामी पुल तीव्र बस परिवहन प्रणाली एम.आर.टी.एस. तथा अन्य शहरी परिवहन से सम्बन्धित 242 परियोजनाएं (133 परियोजनाएं यू.आई.जी. के अन्तर्गत तथा 109 यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अन्तर्गत) की गईं।

7.6.1 चयनित परियोजनाओं के पूर्ण होने की स्थिति

इस श्रेणी में 19 परियोजनाएं चुनी गई थीं जिसमें चार एम.आर.टी.एस., 14 सड़कें व उपरिगामी पुल और एक अन्य परिवहन परियोजना समिलित थे, यू.आई.जी. के अन्तर्गत 15 तथा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. के अन्तर्गत 4 थीं। इन परियोजनाओं में से एक परियोजना को छोड़ दिया गया तथा दो परियोजनाएं वापस ले ली गईं। तीन परियोजनाएं पूर्ण हुई थीं। शेष 13 परियोजनाएं पूर्ण होने की विभिन्न स्तरों पर थीं।

7.6.2 बी.आर.टी.एस. एवं एम.आर.टी.एस.

तीव्र बस परिवहन प्रणाली परियोजना के अन्तर्गत जुड़े मार्ग नेटवर्क के लिए तीव्र बस पारगमन गलियारा बनाना था। बी.आर.टी.एस. परियोजना का लक्ष्य बसों के लिए तीव्र पारगमन सेवाएं तथा पथयात्री तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित पथयात्री पथ तथा फुट ओवर ब्रिज उपलब्ध कराना था। निम्नांकित बी.आर.टी.एस./एम.आर.टी.एस. परियोजनाओं को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत चुना गया जो कि 31 मार्च 2011 तक पूर्ण नहीं की गई थीं।

- (1) विशाखापट्टनम हेतु बी.आर.टी.एस., (i) सुरंग सहित सिमहाचालाम पारगमन गलियारा (ii) 2007–08 में स्वीकृत पेन्दुरथी पारगमन गलियारा यू.आई.जी., विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश।
- (2) 2007–08 में स्वीकृत बी.आर.टी.एस. फेस-। (ब्लू गलियारा भाग-। का विकास) यू.आई.जी., राजकोट, गुजरात।
- (3) 2006–07 में स्वीकृत बी.आर.टी.एस. पाइलट परियोजना, यू.आई.जी., इन्दौर, मध्य प्रदेश।

(4) 2006–07 में स्वीकृत बी.आर.टी.एस. (राष्ट्रमण्डल युवा खेल 2008 के लिए सरंचना विकास के लिए, यूआई.जी., पूना, महाराष्ट्र।

7.6.3 दिल्ली में सड़क परियोजनाओं के पूर्ण होने में देरी

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एस.एल.एस.सी. के द्वारा अनुमोदित सड़क और पुल परियोजनाओं में से चार परियोजनाओं को विस्तृत जांच के लिए चुना गया :

तालिका 7.9: सड़क परियोजनाएं

(₹ करोड़ में)

परियोजना	अनुमोदित	व्यय हुआ (तक)	पूर्ण करने की अनुमानित तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि
आर.ओ.बी. और आर.यू.बी. रेलवे स्तर पर सड़क संख्या 68 नंदनगढ़ी के समीप यूआई.जी., दिल्ली	102.86	108.19 (जुलाई 2012)	20 अप्रैल 2011	प्रगति में
फलाईओवर, अफ्रीका अवेन्यू तथा अरुणा आसफ अली रोड पर विवेकानन्द मार्ग, नेल्सन मंडेला मार्ग, पूर्वी मार्ग, यूआई.जी., दिल्ली	253.22	225.53 (मार्च 2012)	18 फरवरी 2009	15 अक्टूबर 2010
जी.टी. रोड तथा रोड नं. 56 अपसरा बोर्डर के समीप, यूआई.जी., दिल्ली पर ग्रेड सेपरेटर का निर्माण	141.47	220.40 (मार्च 2012)	09 जून 2010	22 नवम्बर 2011
पुलों का निर्माण तथा इसकी पहुंच मौजूदा यमुना नदी के प्रवाह के ब्रिजों पर, वजीराबाद, यूआई.जी., दिल्ली	1087.40	लगभग 381.23 (मई 2012) मुख्य पुल	17 दिसम्बर 2011 19 दिसम्बर 2013	प्रगति में प्रगति में

ऊपर दी गई सारणी में यह देखा जा सकता है कि चार चयनित परियोजनाओं में से दो को पूर्ण करने में 16 से 19 महीने की देरी हुई। दो अन्य परियोजनाओं का कार्य प्रगति में है तथा इनके पूर्ण होने की अनुमानित तारीख क्रमशः 20 अप्रैल 2011 तथा 17 दिसम्बर 2011 है।

कुछ निम्नांकित कमियां इन प्रोजेक्टों के निर्माण में देखी गईं:

i) ठेकेदारों को अनुचित लाभ

इन दो परियोजनाओं में, रिंग रोड आई.आई.टी. गेट से एन.एच.-8 चौराहे के लिए गलियारे का सुधार तथा जी.टी. रोड तथा रोड नं. 56 अपसरा बोर्डर के समीप ग्रेड सेपरेटर के निर्माण, लोक निर्माण विभाग ने निर्माण स्थलों पर बैरीकेडिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ठेकेदारों को ₹ 1.52 करोड़ का भुगतान किया। पी.डब्ल्यू.डी. ने ठेकेदारों को कार्य पूर्ण करने के उपरान्त बैरीकेडिंग सामान को अपने साथ ले जाने की अनुमति दे दी, यद्यपि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (जी.एन.सी.टी.डी.) सरकार की सम्पत्ति थी क्योंकि इसकी कीमत ठेकेदारों को पहले ही दे दी गई थी।

पी.डब्ल्यू.डी. ने (जनवरी 2012) कहा कि गलियारा सुधार के मामले में, आई.आई.टी. गेट से एन.एच.-8 के प्रतिच्छेदन पर बैरीकेडिंग के अंतिम उपयोग या स्वामित्व को परिभाषित नहीं किया गया था। प्रभारी अभियन्ता ने कार्य के पूरा होने के पश्चात् ठेकेदारों को बेरिकेडिंग हटाने की अनुमति दी। दिया गया उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बैरीकेडिंग के लिए जो भुगतान पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा किया गया था वह मद् अनुबंध प्रमात्रा बिल की मात्रा में शामिल था। इसलिए यह जी.एन.सी.टी.डी. की सम्पत्ति थी।

ii) अनुज्ञेय न्यायोचित लागत से ज्यादा लागत पर ठेके को सौंपना

सी.पी.डब्ल्यू.डी. कार्य नियम पुस्तिका, मदों का बाजारी मूल्य निकालने के लिये, मदों की लागत का केवल 15 प्रतिशत ठेकेदारों के लाभ एवं उपरिव्यय (सी.पी. एवं ओ.एच.) के लिये जोड़े जाना बताता है। यद्यपि दो परियोजनाओं नामतः (i) आर.यू.बी. और आर.ओ.बी. रोड न. 68 रेलवे लेवल क्रासिंग नंदनगढ़ी के पास तथा (ii) वजीराबाद, दिल्ली के मौजूदा पुल जो यमुना नदी डाउनस्ट्रीम पर है उस पर पुल एवं उसके पहुंच मार्ग का निर्माण के मामले में यह देखा गया कि यूआई.जी., डी.टी.टी.डी.सी. ने इन कार्यों की न्यायसंगत लागत निकालते समय, 37.50 प्रतिशत लागत में सी.पी. एवं ओ.एच. के लिये शामिल किया।

डी.टी.टी.डी.सी. ने अपने उत्तर (जनवरी 2012) में कहा कि सी.पी. एवं ओ.एच. का प्रतिशत सङ्क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की डाटा बुक से लिया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सी.पी. डब्ल्यू.डी. कार्य नियम पुस्तिका सी.पी. एवं ओ.एच. के लिए केवल 15 प्रतिशत की अनुमति देती है और यह निर्णय दिसम्बर 2007 में महानिदेशक (कार्य) द्वारा एम.ओ.आर.टी.एच. से जानकारी एवं सिफारिशों मिलने के बाद लिया गया था।

7.6.4 अन्य अनियमितता

यूआई.जी. कोहिमा नागालैंड सङ्क परिवहन परियोजना में नवम्बर 2008 में थिजामा रोड पर पैदल पथ के निर्माण का कार्य आदेश ₹ 61.59 लाख में 12 महीनों के अन्दर पूरा करने के लिए सौंपा गया था। कार्य नवम्बर 2009 में पूरा हुआ। फरवरी 2010 में ठेकेदार को ₹ 61.57 लाख का भुगतान किया गया। नागालैंड सरकार ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार करते हुए (दिसम्बर 2011) कहा कि थिजामा पर पैदलपथ का निर्माण करने की बजाय बाईंबिल रोड से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक पैदलपथ का निर्माण किया गया एवं थिजामा का कार्य बाद के स्तर पर राज्य सरकार के कोष से किया जाएगा।

लेखापरीक्षा का मानना है कि यह विचलन भारत सरकार के अनुमोदन के बिना किया गया था। इसके अलावा, जिस तरीके से थिजामा रोड कार्य के लिए एम.बी. संख्या 343 (पृष्ठ 186–193) में दर्ज माप के आधार पर भुगतान किया गया, की जांच की जानी चाहिए।



थिजामा रोड का वित्र न. 7.13 (पैरा 7.6.4 में देखें)

7.7 विविध अवसरंचना परियोजनाएं

चयनित परियोजनाओं की सूची में, पूर्व पैराग्राफ में शामिल क्षेत्रों के अलावा तीन परियोजनाएं थीं जिनका चयन किया गया। इसमें शहरी नवीकरण, पार्किंग स्थल और जल निकायों के संरक्षण की परियोजनाएं शामिल थीं। नमूना परियोजनाओं की स्थिति निम्नवत है:

- i. दिल्ली में बहुस्तर भूमिगत पारंपरिक कार पार्किंग स्थल का विकास (ए.एल.-ब्लाक शालीमार बाग, शिव मार्कट, पीतम पूरा, क्यू.यू. पीतम पुरा, सैन्ट्रल मार्किट अशोक विहार, मोहम्मदपुर गांव, मालवीय नगर मार्किट, पी.वी.आर. बसंत लोक, पी.वी.आर. साकेत, जी-8 राजौरी गार्डन, ब्लाक 10 सुभाष नगर, सी-4, जनकपुरी, अजमल खान पार्क, करोल बाग, कृष्ण मार्किट, कालका जी, हौजरानी, न्यू फैंडस कॉलोनी, जंगपुरा भोगल), यू.आई.जी. के अन्तर्गत वर्ष 2009-10 में ₹ 469.80 करोड़ की अनुमोदित लागत तथा अक्टूबर 2010 तक पूरा करने के लिए मंजूर किया, जिसके विरुद्ध सितम्बर 2011 तक ₹ 35.29 करोड़ का खर्च किया गया। नवम्बर 2011 तक, परियोजना अधूरी थी।
- ii. 2007-08 के दौरान दरगाह क्षेत्र, अजमेर-पुष्कर, राजस्थान के शहरी नवीकरण ₹ 38.41 करोड़ की अनुमोदित लागत एवं फरवरी 2010 तक परियोजना को पूरा करने के लिए मंजूर किया गया, जिसके विरुद्ध मार्च 2011 तक केन्द्र ने ₹ 7.68 करोड़ की राशि जारी की। मार्च 2011 तक परियोजना को पूरा नहीं किया जा सका।
- iii. वर्ष 2008-09 में इमफाल शहर मणीपुर में नामबुल नदी फँट एवं नागा नाला के सुधार के विकास का कार्य ₹ 25.65 करोड़ की अनुमोदित लागत के साथ मंजूर किया गया एवं फरवरी 2011 तक परियोजना पूरी करने के विरुद्ध केन्द्र ने 31 मार्च 2011 तक ₹ 5.77 करोड़ जारी किये। मार्च 2011 तक परियोजना पूरी नहीं हो पायी।

7.8 शहरी अवसरंचना परियोजना में निधियों का विपथन

यह देखा गया कि कई मामलों में निधियों का विपथन जे.एन.यू.आर.एम. के स्वीकार्य उद्देश्यों से अलग उद्देश्यों के लिये किया गया। लेखापरीक्षा ने कई मामले ऐसे देखे जहां शहरी अवसरंचना परियोजनाओं में निधियों का विपथन किया गया था। इन मामलों को नीचे दिया गया है:

तालिका 7.10: शहरी अवसरंचना परियोजनाओं में निधियों का विपथन

क्रम संख्या	परियोजना/राज्य/यू.टी. का नाम	राशि का विपथन	विपथन का उद्देश्य	विपथन पर विभाग की प्रतिक्रिया
1	जे.एन.एन.यू.आर.एम. निधि यू.आई.जी. हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	78.38	गोदावरी पेयजल आपूर्ति योजना फैज-1 (मौलाना अब्दुल कलाम, हैदराबाद, सुजाला सरावती योजना – एम.ए.के.एच.एस.एस.) के बिलों का भुगतान जो जे.एन.एन.यू.आर.एम. का हिस्सा नहीं थी	लेखापरीक्षा जांच की प्रतिक्रिया में, एच.एम.डब्लू.एस.एस.बी. ने कहा कि निधियों का विपथन आंध्र प्रदेश सरकार की अनुमति लेने के बाद किया गया था।
2	जल आपूर्ति परियोजना, यू.आई.डी.एस.एम.टी., वारंगल, आंध्र प्रदेश	0.82	वारंगल में जे.एन.एन.यू.आर.एम. जल आपूर्ति परियोजना के तहत जारी की गई राशि से अभियंता/जन स्वास्थ विभाग द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला भवन के निर्माण के लिए ₹ 82.42 लाख दिये गये (जिसे डी.पी.आर. में शामिल नहीं किया गया था।)	कार्यपालक अभियन्ता, स्वास्थ्य मंडल वारंगल ने (मई 2011) में कहा कि गुणवत्ता नियंत्रण विभाग की प्रयोगशाला गुणवत्ता नियंत्रण स्टाफ सभी को बिल्डिंग में शामिल किया गया। योजना के स्थापित होने एवं पूरा होने के बाद विभाग द्वारा प्रयोगशाला को गुणवत्ता परीक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निधियां जल आपूर्ति के सुधार के विशेष उद्देश्य के लिये थीं।
3	स्वच्छता एवं सीवरेज सिस्टम यू.आई.डी.एस.एम.टी. विलासपुर, छत्तीसगढ़	8.01	बिलासपुर नगर निगम के गैर जे.एन.एन.यू.आर.एम. कार्यों के लिए	विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया और कहा कि विपथित राशि को समायोजित कर लिया गया था तथापि विभाग विपथित राशि के अर्जित व्याज की वसूली पर चुप है।

4	ठोस कचरा प्रबंधन परियोजना यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी., रोहतक, लेझंग / सीवरेज सिस्टम, बिछाना / सुधार यू.आई.जी. फरीदाबाद, जल आपूर्ति परियोजना विस्तार, यू.आई.जी., फरीदाबाद, हरियाणा	21.23	एम.बी.सी.सी. एल को एंजेसी प्रभार के लिए	नगर निगम, फरीदाबाद और निदेशक, यू.एल.बी. ने इस बिन्दु को माना (क्रमपंजीय: जून 2011 एवं अक्टूबर 2011 में) और जे.एन.एन.यू.आर.एम. निधि को वापिस करने पर सहमत हुए।
5	जल आपूर्ति विस्तार यू.आई.जी., फरीदाबाद, सीवर लाइन बिछाना / सुधार, पुराना फरीदाबाद, यू.आई.जी., हरियाणा	2.93	कार्य जो कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत शामिल नहीं थे।	समापन सम्मेलन के दौरान विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार किया।
6	ठोस कचरा प्रबंधन यू.आई.डी.एस.एम.टी., हजारीबाग, झारखंड	0.06	निगम स्टाफ को वेतन के भुगतान के लिए	विभाग से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई।
7	निकासी यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी., सीलीगुरी, वेस्ट बंगाल	1.34	अन्य कार्यों के लिए कोलतार एवं सीमेंट की खरीद के लिए	एस.यू.डी.ए. के प्रतिनिधि ने समापन सम्मेलन में कहा कि (दिसंबर 2011) इस मामले की जांच की जाएगी।
8	ठोस कचरा प्रबंधन, यू.आई.जी., शिमला, हिमाचल प्रदेश	1.91	प्रतिपूरक वनारोपण के लिए	उत्तर प्रतीक्षित है।

स्रोत: चयनित राज्यों/यू.टी. के लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.8.1 निजी भूमि के अधिग्रहण एवं अतिक्रमण करने वालों के स्थानांतरण के लिए विपथन

जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी राज्यों अर्थात् हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू कश्मीर की परियोजनाओं तथा योजनाओं में निजी भूमि के अधिग्रहण को छोड़कर, परियोजना के लिए निजी भूमि अधिग्रहण योजना का वित्तोषण नहीं किया जाना था। निम्नलिखित मामलों में लेखापरीक्षा ने पाया कि दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया था:

- हरियाणा** के फरीदाबाद टाउन के जल आपूर्ति के विस्तार परियोजना को 14 जनवरी 2009 को मंजूर किया और 23 फरवरी 2009 को ₹ 61.69 करोड़ की पहली किश्त जारी की गई। परियोजना के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया कि छ: रेडियल कलेक्टर कुओं के निर्माण के लिए निजी भूमि का अधिग्रहण एन.बी.सी.सी.एल. द्वारा जे.एन.एन.यू.आर.एम. निधि में से किया गया। भूमि का अधिग्रहण मैसर्स एडवासड इन्फारेक प्रा लिमिटेड मैसर्स केदार नाथ खंडेलवाल एवं मैसर्स ज्योति बिल्ड टैक प्रा लिमिटेड से ₹ 203.86 लाख में किया गया। इसके उत्तर में, इस अनियमितता को (जून 2011) स्वीकार किया गया एवं यह कहा गया कि निधि की कमी के कारण पालिका को कठिन वित्तीयस्थिति का सामना करना पड़ रहा था एवं इस राशि की प्रतिपूर्ति जे.एन.एन.यू.आर.एम. को राज्य सरकार की निधि से की जायेगी।
- असम** में गुवाहाटी में जल आपूर्ति परियोजना, के संदर्भ में लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि मार्च 2011 तक कार्यान्वयन एजेंसी, गुवाहाटी महानगर विकास प्राधिकरण (जी.एम.डी.ए.) ने ₹ 2.62 करोड़ भूमि मुआवजे के लिए व्यय किये जबकि डी.पी.आर. की अनुमानित लागत में भूमि मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं था।
- ओडिशा** में, एच.यू.डी. विभाग की स्वीकृति के साथ ओडिशा जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड ने (फरवरी 2011) में भुवनेश्वर की अनुमोदित परियोजनाओं के भूमि अधिग्रहण मुआवजे के लिए ₹ 18.73 करोड़ की मिशन निधि का विपथन किया जिसकी 2010–11 के राज्य बजट

में राज्य सरकार द्वारा निधि का प्रावधान अपर्याप्त था। 2011–12 के लिए राज्य योजना के तहत यह विपथन धन की प्राप्ति पर प्रतिपूर्ति करना प्रस्तावित किया गया था।

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, कब्जा करने वालों के पुर्नस्थापन के मुआवजा प्रभार के लिए निधि के उपयोग का कोई प्रावधान नहीं है।

- iv. तमिलनाडू में, ताम्बरन नगर पालिका में यू.जी.एस.एस. के कार्यान्वयन के संदर्भ में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एस.टी.पी.) के निर्माण के लिए निर्धारित राशि से ₹ 32.20 लाख फरवरी 2011 में भूमि पर कब्जा करने वालों के पुर्नस्थापन के मुआवजा प्रभार के लिए व्यय किया गया। अपने उत्तर में, ताम्बरन नगर पालिका ने कहा कि (जुलाई 2011) विपथित राशि को जे.एन.एन.यू.आर.एम. खाते में वापिस कर दिया जाएगा।

एम.ओ.यू.डी. ने सूचित किया कि यह मामला राज्यों को सौंपा गया था।

उपर्युक्त मामले जहां विपथन देखा गया है, वित्तीय अनुशासन को मजबूत बनाने की जरूरत की ओर संकेत करते हैं।

अनुशंसा संख्या 6:

वित्तीय अनुशासन के माध्यम से अनियमित व्यय और निधियों के विपथन के संदर्भ में एक शून्य सहनशीलता की नीति को लागू करना चाहिए

अध्याय 8 वित्तीय प्रबंधन

मिशन के तहत निधि राज्य सरकारों या नामित एस.एल.एन.ए को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए) के रूप में दी जानी थी। राज्य सरकार/एस.एल.एन.ए को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में अपना आनुपातिक हिस्सा मिला कर इसे यू.एल.बी./कार्यान्वयन एजेंसियों को देना था।

इस अध्याय में हमने ए.सी.ए के जारी करने ए.सी.ए के उपयोग और उसमें पाई गई अनियमितताओं का उल्लेख किया है।

8.1 प्रतिबद्ध ए.सी.ए का धीमी गति से जारी करना

योजना आयोग ने कुल ₹ 66,084.66 करोड़ का आबंटन (मिशन अवधि 2005–06 से 2011–12) यू.आई.जी, यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी, बी.एस.यू.पी और आई.एच.एस.डी.पी परियोजनाओं के लिए किया, जैसाकि प्रस्तावना पाठ के पैरा संख्या 1.5 की तालिका संख्या 1.3 और 1.4 में वर्णित है। यद्यपि 31 मार्च 2011 तक भारत सरकार ने आबंटित ₹ 37,070.15 करोड़ में से ₹ 32,934.39 करोड़ को जारी किया। इस प्रकार यह देखा गया कि योजना आयोग द्वारा कुल आबंटित राशि का केवल 49.84 प्रतिशत ही यू.आई.जी, यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी, बी.एस.यू.पी और आई.एच.एस.डी.पी को जारी किया।

एम.ओ.यू.डी ने यू.आई.डी/यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी के मामले में उत्तर दिया (अप्रैल/मई 2012) कि निधियों का जारी करने के लक्ष्यों की प्राप्ति राज्य सरकारों की कुशलता और उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रस्तुति पर निर्भर है। यह सूचित किया कि वर्ष 2011–12 तक कुल आबंटन ₹ 23461.26 करोड़ का 82.68 प्रतिशत यू.आई.जी के संबंध में ₹ 18541.14 करोड़ 2005–06 से 2011–12 तक वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किये गये थे और ₹ 846.05 करोड़ वित्त मंत्रालय द्वारा जारी करना लंबित था। एम.ओ.यू.डी ने यू.आई.जी के संबंध में जारी करने की स्थिति के बारे में बताया जबकि यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी के संबंध में जारी करने की स्थिति पर टिप्पणी नहीं की।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए, (अक्तूबर 2011) ने बी.एस.यू.पी/आई.एच.एस.डी.पी के संबंध में कहा कि लक्ष्यों की उपलब्धि/निधियों का राज्य सरकारों को जारी करना उनके उपयोग और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। उन्होंने पाया कि कई राज्यों और शहरों में कार्यक्रम को पूरी तरह लागू करने की क्षमता का अभाव है, एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने आगे सूचित किया कि राज्यों द्वारा मुकदमे रहित जमीन की कमी, लाभार्थियों की ओर से योगदान की इच्छा की कमी, इन–सीटू परियोजनाओं में बाहर जाने की अनिच्छा, लागत में वृद्धि और शहरी स्थानीय निकायों की अक्षमता के लिए अपने शेयर को पूरा करने के संबंध में बदलाव की अनिच्छा की सूचना दी। एम.ओ.एच.यू.पी.ए, ए.सी.ए की अंतिम किस्त राज्य/यू.टी. सरकारों को जारी करने से पहले संतोषजनक भौतिक प्रगति और परियोजनाओं की गुणवत्ता पर जोर दे रहा था। मंत्रालय ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बहुधा समीक्षा का आयोजन भी किया।

इसके अलावा एम.ओ.एच.यू.पी.ए ने आई.एच.एस.डी.पी के संबंध में 31 मार्च 2011 तक ₹ 544.71 करोड़ आबंटन से अधिक जारी किये।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए ने लक्ष्यों और आकड़ों की पुष्टि (अक्तूबर 2011) करते हुआ कहा कि आई.एच.एस.डी.पी परियोजनाओं के संबंध में बताया कि ए.सी.ए का बी.एस.यू.पी से आई.एच.एस.डी.पी में स्थानातरण, राज्य सरकारों की प्रार्थना पर किया।

8.2 परियोजना के अनुमोदन के बाद ए.सी.ए के जारी करने में बिलम्ब

दिशानिर्देश में परियोजना के अनुमोदन होने के बाद जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं थी। एम.ओ.एच.यू.पी.ए की भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट (31 मार्च 2011) की जांच से पता चला कि

केन्द्र सरकार से संबंधित एस.एल.एन.ए को धन राशि जारी करने में समय लगा। समय की गणना सी.एस.एम.सी की बैठक की उस तिथि से की गई है जिसमें परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया था।

- बी.एस.यू.पी के अधीन 53 परख—जांच मामलों में से 15 मामलों में पाया गया कि परियोजनाओं की अनुमोदन की तिथि से पहली किस्त जारी करने में दो से 15 माह तक का समय लगा (परिशिष्ट 8.1)

उदाहरण के तौर पर बी.एस.यू.पी स्थल पुनर्वास परियोजना के तहत निर्मित 19360 आवासीय इकाईयां, फेस-II चंडीगढ़ जिसका अनुमोदन 14 दिसंबर 2006 को हुआ था उसकी पहली किस्त 25 मार्च 2008 यानि 15 महीनों के बाद जारी हुई थी।

- आई.एच.एस.डी.पी के अधीन 29 मामलों में से 21 मामलों में पाया गया कि परियोजनाओं की अनुमोदन की तिथि से पहली किस्त जारी करने में एक से आठ माह का समय लगा (परिशिष्ट 8.2)

एम.ओ.एच.यू.पी.ए ने बताया (अप्रैल 2012) कि सिवाय एक चंडीगढ़ मामले को छोड़ कर, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता को जारी करने में दो से छः माह का विलम्ब रहा।

- इसी तरह एम.ओ.यू.डी के रिकार्ड की जांच से पता चला है कि मार्च 2011 तक यूआई.जी के तहत अनुमोदित 532 परियोजनाओं में से 31 परियोजनाओं में परियोजना के अनुमोदन की तिथि में पहली किस्त के जारी होने में चार से 15 माह का समय लगा। विवरण को परिशिष्ट 8.3 में दिखाया गया है।

उदाहरण के लिए, दिल्ली में 20 एम.जी.डी एस.टी.पी की निलोठी और पप्पनकलौं में स्थापना करने, जिसका अनुमोदन 29 दिसम्बर 2008 का हुआ था और पहली किस्त 15 मार्च 2010 अर्थात् परियोजना के अनुमोदन की तिथि से 15 माह बाद जारी की गई।

एम.ओ.यू.डी (मई 2012) ने कहा कि विशिष्ट मामलों में उत्तर तैयार किया जा रहा था।

- यूआई.डी.एस.एम.टी के तहत, एम.ओ.यू.डी में लेखापरीक्षा जांच में पाया कि विस्तृत जांच के लिए चयनित 35 परियोजनाओं में 20 परियोजनाओं में, परियोजनाओं की अनुमोदन की तिथि से राशि के जारी होने में तीन से 27 माह का विलम्ब लगा जिन्हें परिशिष्ट 8.4 में दर्शाया गया है।

उदाहरण के लिए चुम्केदीमा (नागालैंड) सड़क परियोजना जिसका अनुमोदन 24 मई 2007 को हुआ और पहली किस्त 27 माह बाद यानि 7 सितम्बर 2009 को जारी हुई। महाराष्ट्र में औरगांबाद के लिए एक जल आपूर्ति परियोजना 4 मई 2007 को अनुमोदित हुई और उसकी पहली किस्त 18 मार्च 2009 यानि 21 महीनों के बाद जारी हुई।

यूआई.डी.एस.एम.टी के संबंध में एम.ओ.यू.डी ने कहा (मई 2012) कि विलम्ब का कारण या तो राज्यों द्वारा अपेक्षित औपचारिकताएं पूरा न करना या उनके आबंटन के निःशेषण के कारण है। यह कहा गया कि फरवरी 2009 में आबंटन उपलब्ध कराया गया था।

तथापि वास्तविकता यह है कि राशि जारी करने में 27 माह तक की देरी रही।

8.3 राज्य सरकार द्वारा आनुपातिक शेयर का जारी करना

जे.एन.एन.यू.आर.एम के तहत परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए) वित्त मंत्रालय/गृह मंत्रालय द्वारा, एम.ओ.यू.डी और एम.ओ.एच.यू.पी.ए की सिफारिश के आधार पर सीधे ही राज्यों/यूटी. को जारी की जाती है। राज्य सरकारों को वही राशि अपने आनुपातिक शेयर के साथ तुरन्त कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी करना आवश्यक था।

एस.एल.एन.ए. और यूएल.बी के रिकॉर्ड की जांच से पता चला है कि कुछ राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वयन एजेंसियों को अपना आनुपातिक शेयर जारी करने में देरी हुई। एम.ओ.यू.डी (मई 2012) ने कहा कि राज्यों को हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि वह अपना हिस्सा समय पर मौजूदा जे.एन.एन.यू.आर.एम के दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी करें।

8.4 यूएल.बी./पैरास्टेटल द्वारा परियोजना लागत का साझा करना

जे.एन.एन.यू.आर.एम के दिशा-निर्देशों के अनुसार यूएल.बी./पैरास्टेटल को परियोजनाओं के निष्पादन में व्यय को साझा करना था। लागत को जनसत्त्वा के आधार पर बॉटा जाना चाहिए था। परियोजनाओं के लिए धन के पैटर्न के बारे में साझा मापदंड इस रिपोर्ट की तालिका सं. 1.2 में दिया है।

जे.एन.एन.यू.आर.एम परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धन राशि उपलब्ध हो। चयनित राज्यों/यूटी. के रिकॉर्ड की जांच में पाया कि यूएल.बी. को आनुपातिक शेयर जारी करने में निम्न कमियाँ पाई गईं।

- I. **बिहार** में राज्य सरकार (मार्च 2006) ने यूएल.बी. का शेयर दिया जाने का फैसला किया जब तक यूएल.बी आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो।
- II. **उत्तराखण्ड** में यह पाया गया कि यूएल.बी./पैरास्टेटल ने अपनी 10 प्रतिशत हिस्सेदारी ₹ 40.65 करोड़ की राशि को नहीं दिया।
- III. **हरियाणा** में 2006–07 और 2010–11 के बीच ₹ 102.43 करोड़ यूएल.बी शेयर के अनुपात में केवल ₹ 57.54 करोड़ की राशि जारी की इसलिए ₹ 44.89 करोड़ के कम यूएल.बी शेयर जारी किए। इस का कारण नगर निगम, फरीदाबाद, हरियाणा (मई 2011) ने बताया कि वह मुश्किल वित्तीय स्थिति का सामना कर रही थी और उन्होंने ऋण ले कर अपने शेयर का प्रबंधन किया और अब शीघ्र ही अपना शेयर जारी करेगा।
- IV. **कर्नाटक** में बैंगलौर जल आपूर्ति सीवरेज बोर्ड (बी.डब्ल्यू.एस.एस.बी.) द्वारा कार्यान्वित 49 परियोजनाओं के लिए ₹ 585.00 करोड़ का यूएल.बी. शेयर कम जारी हुआ।
- V. अकोला, **महाराष्ट्र** में भूमिगत सीवरेज परियोजना का कार्य ₹ 315.70 करोड़ में ठेकेदार को दिया गया (मार्च 2010)। अकोला नगर निगम को ₹ 196.23 करोड़ का योगदान करना था हालांकि 2008–09 और 2009–10 के बजट जांच से पता चला कि अकोला नगर निगम की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी और प्रतिबद्ध व्यय को पूरा करने के बाद अधिशेष निधि के रूप में निगम के पास क्रमशः केवल ₹ 2.88 करोड़ और ₹ 0.65 करोड़ थे। यह स्पष्ट था कि निगम अपने संसाधनों द्वारा काम को कार्यान्वयन करने की स्थिति में नहीं था। परियोजना के निष्पादन हेतु धन के जुटाव करने पर अकोला नगर निगम (मई 2011) ने कोई विशिष्ट जवाब नहीं दिया।
- VI. **पुडुचेरी** में, यूआई.जी. बी.एस.यू.पी और आई.एच.एस.डी.पी के अन्तर्गत किसी भी परियोजना के लिए यूएल.बी द्वारा आनुपातिक शेयर जारी नहीं किया गया।
- VII. **राजस्थान** में, यूएल.बी ने आनुपातिक शेयर ₹ 5.08 करोड़ जारी नहीं किए (आई.एच.एस.डी.पी. फेस-II जोधपुर में)।
- VIII. **तमिलनाडू** में, यूआई.डी.एस.एस.टी के अन्तर्गत व्यापक जल आपूर्ति योजना (रामनद) जो पांच नगर पालिकाओं, 11 शहर पचायतों और 3163 ग्रामीण बस्तियों के लिए रामनाथपुरम तथा परमाकुडी स्थानीय निकायों ने अपना शेष शेयर जो क्रमशः ₹ 3.39 करोड़ और ₹ 0.55 करोड़ था, जारी नहीं किया था।

एम.ओ.यू.डी (मई 2012) ने जवाब में कहा कि भारत सरकार सुनिश्चित कर रही थी कि राज्य सरकार द्वारा राज्य/यूएल.बी शेयर को केन्द्र सरकार के हिस्से के साथ साथ परियोजना के खाते में जारी करना था। इसके आगे की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए) की किश्ते भी राज्य और यूएल.बी के शेयर के कम जारी के मामले में जारी नहीं की थी।

8.5 आवर्ती कोष का सृजन

जे.एन.एन.यू.आर.एम के तहत प्रत्येक घटक के लिए एक आवर्ती कोष का सृजन करना था। यूआई.जी/यूआई.डी.एस.एस.एम.टी के संदर्भ में, एस.एल.एन.ए का सॉफ्ट ऋण या अनुदान सहऋण यूएल.बी/पैरास्टेटल एजेंसी को इस तरीके से स्वीकृत करना था कि केन्द्रीय तथा राज्य के मिले जुले अनुदान के 25 प्रतिशत को वसूल करके उसे संरचना परियोजनाओं में आगे निवेश के वित्तपोषण के लिए बाजार निधियां जुटाने की दृष्टि से आवर्ती कोष में मिला दिया जाए।

बी.एस.यू.पी के संदर्भ में, जब भी एस.एल.एन.ए ने कार्यान्वयन एजेंसियों को शुल्म ऋण अथवा अनुदान ऋण के रूप में निधियां जारी की। इसे यह सुनिश्चित करना था कि जारी की गई निधियों का न्यूनतम 10 प्रतिशत (केन्द्रीय एवं राज्य निधियों) वसूल कर आवर्ती कोष में जमा और अनुरक्षित किया जाएगा जो कि बी.एस.यू.पी के अन्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियों के रखरखाव एवं संचालन व्ययों को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि एस.एल.एन.ए. ने 25 राज्यों में आवर्ती कोष का सृजन नहीं किया। यह आंध्रप्रदेश तथा आंशिक रूप से दो राज्यों (तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल) में स्थापित किया था। दो राज्यों असम और उत्तरप्रदेश में, हालांकि इसे बनाया गया था परन्तु इसका उपयोग क्रमशः डी.पी.आर/परियोजना प्रबंधन परामर्श शुल्क की तैयारी के लिए खर्च पूरा करने के लिए उपयोग किया गया था।

एम.ओ.यू.डी (मई 2012) ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार करते हुए कहा कि कई राज्यों द्वारा कोष का सृजन नहीं किया था।

8.6 निधियों का अवरोधन

राज्य सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए) राशि के साथ उनके आनुपातिक शेयर को कार्यान्वयन एजेंसियों को तुरन्त जारी करना आवश्यक था। परियोजनाओं के रिकार्ड की जांच से पता चला कि कई मामलों में एस.एल.एन.ए. या यूएल.बी. ने निधियों का अवरोधन किया था।

तालिका सं. 8.1 निधियों के अवरोधन के मामले

(₹ करोड़ में)

परियोजना का नाम	राशि	लेखापरीक्षा अवलोकन	शहरी विकास मंत्रालय/आवासीय शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय का जवाब
डी.एन.एस.की सिल्वासा, यूआई.डी एस.एस.एम.टी, दादरा और नगर हवेली के लिए जल की आपूर्ति	26.63	जुलाई 2011 तक कार्य शुरू नहीं हुआ	
बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम चरण-1 (ब्लू कोरिडोर पार्ट-1 के विकास) यूआई.जी.राजकोट, गुजरात	पांच माह के लिए 18.81 एक वर्ष के लिए 5.20	कार्य दिसम्बर 2011 तक शुरू नहीं हुआ था	गुजरात के मामले में, शहरी विकास मंत्रालय ने (मई 2012) गुजरात का जवाब अग्रेषित करते हुए कहा कि राशि का उपयोग निविदाओं की पुनः प्रक्रिया की जरूरत महसूस करने कारण हुई हालांकि, परियोजना को अब पूरा कर लिया गया है और राशि का पूरा उपयोग कर लिया है।

यू.आई.जी., यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी. और बी.एस.यू. पी परियोजनाएं, बिहार	447.30	बिहार शहरी अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (बी.यू. आई.डी.सी.ओ) (₹ 105.88 करोड़), पटना नगर निगम (पी. एम.सी) (₹ 23.09 करोड़), डुडको (₹ 6.87 करोड़) और बिहार शहरी विकास प्राधिकरण (बी.यू.डी.ए) (₹ 311.46 करोड़) द्वारा अवरोधन किया गया	आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने (अप्रैल 2012) बिहार के सम्बंध में कहा कि वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी निर्देशानुसार शुरू नहीं की गई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता व्याज के साथ वापिस करना आवश्यक होगा इसके अतिरिक्त, एम.ओ.एच. यू.पी.ए. ने राज्य सरकार के जवाब (मई 2012) को अंग्रेजित किया। उत्तर में यह कहा गया कि सभी यू.आई.जी., यू.आई.डी.एस एस.एम.टी. और अन्य देशी से शुरू हुई योजनाओं पर धन का उपयोग किया जा रहा है।
झारखण्ड धनबाद जल आपूर्ति परियोजना की उन्नति	99.12	परियोजना के अकार्यान्वित होने के कारण राशि अनुपयोगी रही	
मल-निर्यास व एस.टी.पी. परियोजना, यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी. जालंधर पंजाब	0.45	राज्य हिस्सा अटल जमा में रखा गया	
आवासीय परियोजना, आई. एच.एस.डी.पी. मंसूरी, उत्तराखण्ड	23.71	भूमि की समस्या के कारण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। कार्यान्वयन समिति द्वारा निधि रोक दी गई।	हरियाणा के सम्बन्ध में एम.ओ.एच.यू.पी.ए. (अप्रैल 2012) में उत्तर दिया कि शुरू की गई परियोजनाओं का विषय पहले ही राज्य सरकार के साथ लिया गया है। नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
शहरी गरीबों के लिये घर व पिछड़े क्षेत्र में रहने वालों का पुर्ववास, आई. एच.एस.डी.पी. दूरा, मेघालय	2.08	परियोजना को भूमि के अतिक्रमण के कारण शुरू नहीं किया गया।	उत्तराखण्ड के विषय में एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने (अप्रैल 2012) राज्य सरकार का उत्तर प्रेषित किया कि आई.एच.एस.डी.पी. स्थल पर गैर कानूनन रह रहे परिवारों को हटा दिया गया है व स्थल पर रह रहे एन.पी.पी. कर्मचारियों को किसी अन्य स्थल पर स्थानांतरित किया गया है व यू.पी.आर.एन.एन. द्वारा कार्य शुरू किया जा चुका है।
एकीकृत गृह विकास परियोजना बेरहामपुर आई. एच.एस.डी.पी. बेरहामपुर शहर ओडिशा	2.60	भूमि की समस्या के कारण परियोजना शुरू नहीं की गई।	
कुल	11.33	अगस्त 2011 को कार्य शुरू नहीं किया गया था	
	637.23		

अन्य मामलों में एम.ओ.यू.डी. ने बताया कि (मई 2012) जबकि प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों की है, एम.ओ.यू.डी. ने मामला राज्यों को संदर्भित किया।

8.7 व्याज का उपयोग

मंत्रालय द्वारा जारी जे.एन.एन.यू.आर.एम के दिशानिर्देशों में, बैंक में जमा राशि पर अर्जित व्याज की उपयोगिता के बारे में कोई विशेष रणनीति शामिल नहीं थी।

जैसा कि इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है, ऐसे कई मामले थे, जहां जारी निधियों का उपयोग का कई कारणों से नहीं हुआ जैसे कि कार्य देने में देरी, कार्य शुरू करने में देरी व कार्य पूर्ण करने में देरी आदि। जैसे कि पैरा 8.6 में, कई मामलों में निधियां बैंक खाते में रोक दी गई।

जब यह मुद्दा मंत्रालय के ध्यान में लाया गया, एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने उत्तर दिया (29 सितम्बर/5 अक्टूबर 2011) कि ए.सी.ए. की राशि पर अर्जित ब्याज की उपयोगिता के लिये कोई रणनीति शामिल नहीं थी और यह कहा कि एम.ओ.एच.यू.पी.ए. के दायरे के भीतर नहीं था। वित्त मंत्रालय ने सितम्बर 2011 में ए.सी.ए. की अप्रयुक्त राशि के समायोजन के लिये निर्देश जारी किया था। अनुपयोगी ए.सी.ए. पर ब्याज ए.सी.ए. के जारी करने की तिथि से सम्बन्धित राज्यों से अपनी अंतिम समायोजन/वसूली की तारीख तक लिया जाना था। वित्त मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार इन सम्बन्धित राज्यों को सूचना दी जानी थी जहां परियोजनायें गैर स्टार्टर के रूप में पहचानी गई थी एवं जहां ए.सी.ए. ब्याज सहित सम्बन्धित मंत्रालय को समयोजित/वसूली करना निश्चित किया गया।

लेखापरीक्षा की राय है कि ऐसे निर्देशों पर चिन्तन योजना के शुभांग के समय किया गया होता, तो वित्तीय अनुशासन की एक अच्छी स्थिति सुनिश्चित हो सकती थी व इससे परियोजनाओं के पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 30 राज्यों/यूटी. में से 22 ने 31 मार्च 2011 तक जैसे नीचे दिखाया गया है, बैंक में जमा राशि पर ₹ 210.35 करोड़ ब्याज अर्जित किया एवं शेष 8 राज्यों में लेखापरीक्षा के दौरान ब्याज की राशि की गणना नहीं की जा सकी क्योंकि राशि लेखापरीक्षा को नहीं दिखाई गई या राशि गैर ब्याजी खाते में जमा करवाई गई थी।

तालिका 8.2: राज्यों और 31 मार्च 2011 तक अर्जित ब्याज की राशि

क्रम संख्या	राज्य का नाम	जे.एन.एन.यू.आर.एम. निधियों पर अर्जित ब्याज की राशि (₹ करोड़ में)
1	आंध्र प्रदेश	6.32
2	अरुणाचल प्रदेश	राशि दिखाई नहीं गई
3	অসম	1.72
4	बिहार	22.04
5	चंडीगढ़	15.40
6	छत्तीसगढ़	राशि दिखाई नहीं गई
7	दादर व नागर हवेली	कोई अवलोकन नहीं
8	दमन व दीव	राशि दिखाई नहीं गई
9	दिल्ली	10.73
10	गुजरात	2.18
11	हरियाणा	2.43
12	हिमाचल प्रदेश	5.27
13	जम्मू एवं कश्मीर	11.05
14	झारखंड	5.09
15	कर्नाटक	71.28
16	केरल	6.99
17	मध्य प्रदेश	10.41
18	महाराष्ट्र	19.35

19	मणिपुर	0.47
20	मेघालय	2.62
21	नागालैंड	निधियां गैर ब्याजी खाते में जमा करवाई गई।
22	ओडिशा	0.62
23	पुडूचेरी	कोई टिप्पणी नहीं
24	पंजाब	परियोजना कार्यन्वित एजेंसी द्वारा अलग बैंक खाते में नहीं रखा गया (निकास सम्मेलन में चर्चा हुई)
25	राजस्थान	2.28
26	सिकिंग	0.16
27	तमिल नाडू	1.28
28	उत्तर प्रदेश	11.18
29	उत्तराखण्ड	1.43
30	पश्चिम बंगाल	राशि दिखाई नहीं गई
कुल		210.35 करोड़

एम.ओ.यू.डी. ने (अप्रैल 2012) सूचित किया कि मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार राज्यों ने ₹ 226.58 करोड़ ब्याज, 31 दिसम्बर 2011 तक अर्जित किया। तथापि, मंत्रालय ने इस राशि के प्रयोग का विवरण/समायोजन की स्थिति को सूचित नहीं किया। एम.ओ.यू.डी. (मई 2012) में एम.ओ.एफ. ने ऐसी परियोजनाओं को निर्देश जारी किया जहां पर कार्य शुरू नहीं हुआ, सूचना राज्यों को दी कि अप्रायोगिक ए.सी.ए. एवं उस पर ब्याज का समायोजन किया जाए। जहां तक कि चल रही परियोजनाओं पर अर्जित ब्याज का सम्बन्ध है, मामले को आन्तरिक वित विभाग की सलाह पर वित मंत्रालय (व्यय विभाग) को भेजा।

तथापि, वित मंत्रालय ने ऐसे निर्देश केवल सितम्बर 2011 में जारी किये और एम.ओ.यू.डी. ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित ब्याज समायोजन के दृष्टान्तों का ब्यौरा नहीं दिया।

आगे कुछ मामलों में लेखापरीक्षा जांच में यह पाया गया कि ब्याज राशि का उपयोग भी ऐसे उद्देश्यों के लिये किया जिनका उल्लेख जे.एन.एन.यू.आर.एम. दिशानिर्देशों में नहीं था। कुछ ऐसे मामले नीचे उल्लेखित हैं:

- झारखण्ड में, अर्जित किये गये ब्याज में से ₹ 2.26 करोड़ की राशि प्रशासनिक खर्चों और आय कर भुगतान के लिये किया। विभाग ने (नवम्बर 2011) प्रत्युत्तर में कहा कि एस.एल.एन.ए. जोकि जी.आर.डी.ए. लिमिटेड, झारखण्ड सरकार की स्वामित्व एजेंसी, कम्पनी अधिनियम के तहत पंजीकृत है और जमाओं पर अर्जित ब्याज जी.आर.डी.ए. लिमिटेड की आय का भाग है जिसके आधार से वह कर भुगतान की उत्तरदायी है। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जी.आर.डी.ए., न कि एस.एल.एन.ए. अपनी आय से आयकर देने के लिए उत्तरदायी है और जे.एन.एन.यू.आर.एम. निधि/जमाओं पर अर्जित ब्याज को जी.आर.डी.ए. लिमिटेड की आय के रूप में नहीं लिया जा सकता और प्रशासनिक खर्चों और आय कर भुगतान के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
- जम्मू व कश्मीर में, मार्च 2011 तक, ₹ 1.03 करोड़ ब्याज की राशि का उपयोग कार्यालय खर्चों और कर्मचारी वेतन के लिये किया।

- iii. कर्नाटक में, ₹ 5.50 करोड़ अर्जित ब्याज राशि का उपयोग, कर्नाटक विकास बोर्ड द्वारा ड्राफ्ट परियोजना रिपोर्ट और आई.ई.सी. गतिविधियों पर खर्च किया।
- iv. मध्य प्रदेश में, ₹ 0.13 करोड़ की राशि का खर्च इन्दौर नगर निगम दायित्वों पर किया गया।
- v. तमिलनाडू में, ₹ 1.28 करोड़ प्राप्त ब्याज राशि परियोजना पर ही खर्च की गयी।
- vi. मेघालय में, एस.एल.एन.ए. (एम.ओ.डी.ए.) द्वारा ₹ 0.78 करोड़ की राशि का उपयोग कर्मचारियों के वेतन और अन्य खर्चों के लिए किया गया।

उपरोक्त ब्याज इस्तेमाल के उदाहरण यह दर्शाते हैं कि यहां पर ब्याज के इस्तेमाल में कोई समानता नहीं है।

अनुशंसा संख्या 7:

निधि प्रवाह वितरण व्यवस्था, अर्थात् केन्द्र से एस.एल.एन.ए./राज्यों/यूटी. के माध्यम से कार्यान्वयन एजेन्सियों को उनकी परियोजनाओं की भूस्तरीय स्थिति के समय और मात्रा के अनुसार, युक्तिसंगत बनाया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि न्यूनतम अव्ययित/अतिरिक्त राशि सरकारी खातों से बाहर रहे।

8.8 बीच में छोड़ी हुई/वापिस ली हुई परियोजनाओं से संबंधित ए.सी.ए. का अप्रत्यर्पण

लेखापरीक्षा के सामने ऐसे मामले आये जहां परियोजनाओं को बीच में छोड़ दिया/वापिस ली गयी और राज्य सरकारों/यूएल.बी./कार्यान्वयन एजेन्सियों को दी गयी ए.सी.ए. राशि अप्रयुक्त रही और भारत सरकार को वापिस नहीं की गई।

8.8.1 बीच में छोड़ी हुई परियोजनाओं के लिए जारी ₹ 44.79 करोड़ ए.सी.ए. अप्रत्यर्पण

उत्तर प्रदेश में रामपुर में सड़क और फलाईआवेर की परियोजना के लिये (सितम्बर 2006) ₹ 89.58 करोड़ की मंजूरी दी थी। सरकार द्वारा ₹ 44.79 करोड़ की राशि (फरवरी 2007) में जारी की। एस.एल.एन.ए. ने केवल ₹ 8.45 करोड़ (अप्रैल 2008) नगर पालिका परिषद, रामपुर (एन.पी.पी.) को जारी किये। तदनन्तर, इस परियोजना को एन.एच.ए.आई. ने ले लिया और तत्पश्चात् जून 2010 में राज्य स्तरीय संवीकृति समिति द्वारा परियोजना को बीच में छोड़ दिया। नगर पालिका परिषद ने ₹ 9.24 करोड़ की राशि ब्याज सहित एस.एल.एन.ए. को वापिस कर दी। तथापि एस.एल.एन.ए. ने ए.सी.ए. की राशि को वापस नहीं किया और इसे अपने खाते में रखा (मई 2011)।

नवम्बर 2011 में राज्य सरकारों के साथ की गयी समापन सम्मेलन के दौरान यह बताया गया कि जी.ओ.आई. को निवेदन किया जा रहा है कि कोष का उपयोग जे.एन.एन.यू.आर.एम. के तहत राज्य की अन्य परियोजनाओं में करने की अनुमति दी जाये।

तथापि एम.ओ.यू.डी. ने अपने उत्तर में राशि वसूली के बारे में कोई सूचना नहीं दी। तथापि वास्तविकता यह है कि अनुचित योजना के कारण कुल राशि ₹ 44.79 करोड़ चार वर्ष से अधिक समय तक बाधित थी और ₹ 1.34 करोड़ डी.पी.आर. बनाने पर निष्फल व्यय हुआ।

एम.ओ.यू.डी. ने बताया (मई 2012) कि एम.ओ.एफ. ने सितम्बर 2011 में निर्णय लिया कि अप्रयुक्त ए.सी.ए. पर ए.सी.ए. जारी करने की तिथि से उसके अन्तिम समायोजन/वापसी के तिथि तक सम्बन्धित राज्य से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज लिया जाये। यद्यपि इसके उत्तर में एम.ओ.यू.डी. ने उक्त मामले में कितनी राशि वापिस हुई, सूचित नहीं किया।

एम.ओ.यू.डी. में समापन सम्मेलन (जून 2012) के दौरान सूचित किया कि वित्त मंत्रालय ने रामपुर सड़क परियोजना की अप्रायोगिक राशि को बरेली जल आपूर्ति परियोजना में प्रयोग करने की अनुमति दे दी। ब्याज वसूली से सम्बन्धित मामला वित्त मंत्रालय में लम्बित है।

8.8.2 वापिस ली हुई परियोजनाओं से संबंधित ₹ 309.29 करोड़ ए.सी.ए. का अप्रत्यर्पण

जैसा कि पीछे बताया गया है कि 2010–11 तक 766 परियोजनाएं ₹ 12933.05 करोड़ की यूआई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत स्वीकृत की गयी। जिसमें से 42 परियोजनाएं जिन्हें पहली किस्त सितम्बर 2006 और मार्च 2009 के बीच जारी की। 42 परियोजनाओं में से 6 परियोजनायें ऐसी थीं जिसके लिये पहली किस्त 2006 व 2007 में जारी की गई। ये परियोजनायें तथापि मार्च 2011 तक शुरू नहीं हुई। एम.ओ.यू.डी. ने (अप्रैल 2011) इन शुरू नहीं हुई परियोजनाओं को एम.ओ.एफ एवं संबंधित एस.एल.एन.ए. को वापिस लेने का निर्णय भेजा। इसने आगे एम.ओ.एफ से इन परियोजनाओं के ₹ 305.53 करोड़ यूआई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत जारी ए.सी.ए. की पहली किस्त वापिस लेने की प्रार्थना की।

लेखापरीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित किया गया कि दमन व द्वीप के सम्बन्ध में जिसकी शुरू नहीं हुई परियोजना थी व ₹ 0.31 करोड़ का ए.सी.ए. जोकि 13 फरवरी 2009 को पहली किस्त के तौर पर जारी किया गया, 5 अप्रैल 2011 को वापिस ले लिया गया। इसलिये भारत सरकार को ऐसी सभी वापिस ली गई परियोजनाओं की समीक्षा ₹ 309.29 करोड़ ब्याज सहित (₹ 3.76 करोड़ डी.पी.आर. के सम्मिलित) की वापिसी सुनिश्चित करने हेतु की। समायिक निर्णय लेने हेतु भारत सरकार को अन्य शुरू नहीं हुई परियोजनाओं की समीक्षा करनी चाहिये।

इस प्रकार, यह महसूस किया गया कि शुरू नहीं हुई परियोजनाओं को वापिस लेने का निर्णय बहुत विलम्ब से था इसके इलावा एम.ओ.यू.डी. ने डी.पी.आर. इत्यादि के लिए जारी ₹ 3.76 व ए.सी.ए. पर ब्याज की वापिसी राज्यों द्वारा रखी गई।

ए.सी.ए. की वापिसी का दिशानिर्देशों में स्पष्ट खण्ड सम्मिलित होना चाहिए यदि परियोजना अवधि के आधार पर उचित समय में परियोजना शुरू नहीं होती, तो ए.सी.ए. वापिस किया जाये। लेखापरीक्षा ने पाया कि संस्वीकृत आदेशों में देर से शुरू हुई/शुरू नहीं हुई परियोजनाओं के लिए ऐसी किसी भी शर्त को शामिल नहीं किया गया था।

एम.ओ.यू.डी. ने अपने उत्तर में (मई 2012) में वापिसी/मूल राशि का समायोजन/उस पर ब्याज इत्यादि का कोई व्यौरा नहीं दिया।

8.9 केन्द्रीय सहायता जारी करने में दिशानिर्देशों का अपालन

आई.एच.एस.डी.पी. परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय अनुदान की पात्रता के लिये, राज्य अंश को पृथक खाते में जमा कराना चाहिए। 50 प्रतिशत ए.सी.ए. की राशि राज्य अंश के सत्यापन और त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के हस्ताक्षर के पश्चात् राज्य नोडल एजेन्सी को जारी किया जाना था। द्वितीय किश्त कार्य की प्रगति के आधार पर जारी की जानी थी।

परख जांच की गई 29 परियोजनाओं की मूल्यांकन टिप्पणी, बैठक के कार्यवृत्त और अनुशंसा तथा एम.ओ.एच.यू.पी.ए. की रिलीज फाइलों की संवीक्षा से पता चला कि ए.सी.ए. के जारी करने की उपरोक्त शर्तें किसी भी स्वीकृत परियोजनाओं में सत्यापित नहीं की गयी। लेखापरीक्षा को जांच के लिये सौंपे गये दस्तावेजों में कहीं भी राज्य अंश का पृथक खाते में जमा होने का प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। लेखापरीक्षा द्वारा बताये जाने पर एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने राज्यों से सूचना मांगी और लेखापरीक्षा को सूचित किया कि राज्यों ने शर्तों को पूरा करने की पुष्टि की है। तथापि, तथ्य यह है कि पहली किस्त जारी करने से पहले शर्तों को सत्यापित नहीं किया गया।

8.10 केन्द्रीय स्तर पर व्यय का आधिक्य

नियम 56 (3) सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार व्यय का आधिक्य वित्तीय मर्यादाओं का उल्लंघन है जिससे बचना चाहिए। मार्च माह में व्यय 15 प्रतिशत और वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में 33 प्रतिशत तक प्रतिबन्धित होना चाहिए। वित्त मंत्रालय (एम.ओ.एफ.) एवं गृह मंत्रालय द्वारा 2005–06 से 2010–11 तक विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत जारी निधियों की मंजूरी

आदेशों के विश्लेषण से पता चला कि उपरोक्त प्रावधानों का वर्ष 2005–11 में अनुपालन नहीं किया गया और भारी मात्रा में निधियों को वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में जारी किया गया। विशेष रूप से उस वर्ष के मार्च माह में जारी किया जोकि निम्नलिखित है।

**तालिका संख्या 8.3: केन्द्रीय स्तर पर जारी निधियों के व्यय का आधिक्य को दर्शाती विवरणी
(₹ करोड़ में)**

वर्ष	कुल जारी ए. सी.ए.	अन्तिम तिमाही में जारी	प्रतिशत	मार्च माह में जारी	प्रतिशत
यू.आई.जी. (एम.ओ.यू.डी.)					
2005–06	90.11	90.11	100.00	90.11	100.00
2006–07	1262.96	561.41	44.45	232.16	18.38
2007–08	2529.84	1357.58	53.66	758.74	29.99
2008–09	4544.47	1749.13	38.49	446.05	9.82
2009–10	3977.88	1050.9	26.42	734.82	18.47
2010–11	1930.93	1201.13	62.20	849.13	43.98
कुल	14336.19	6010.26	41.92	3111.01	21.70
यू.आई.डी.एस.एस.टी. (एम.ओ.यू.डी.)					
2005–06	87.47	87.47	100.00	87.47	100.00
2006–07	1248.97	921.43	73.78	657.17	52.62
2007–08	1204.00	627.58	52.12	532.20	44.20
2008–09	3280.26	2621.27	79.91	1524.97	46.49
2009–10	298.82	249.76	83.58	213.28	71.37
2010–11	1223.44	232.67	19.02	216.26	17.68
कुल	7342.96	4740.18	64.55	3231.35	44.00
बी.एस.यू.पी. (एम.ओ.एच.यू.पी.ए.)					
2005–06	72.14	72.14	100.00	72.14	100.00
2006–07	901.78	560.92	62.20	429.22	47.60
2007–08	1192.80	844.81	70.83	434.41	36.42
2008–09	1582.92	1148.83	72.58	927.20	58.58
2009–10	1338.37	790.69	59.08	414.31	30.96
2010–11	1925.40	872.40	45.32	699.03	36.31
कुल	7013.41	4289.88	61.16	2976.31	42.43
आई.एच.एस.डी.पी. (एम.ओ.एच.यू.पी.ए.)					
2005–06	0	0	0	0	0
2006–07	492.62	470.04	95.42	328.20	66.62
2007–08	792.24	401.27	50.65	156.47	19.75
2008–09	1296.20	887.84	68.50	809.41	62.44
2009–10	780.72	333.21	42.68	160.66	20.58
2010–11	880.25	581.33	66.04	432.96	49.19
कुल	4242.03	2673.69	63.02	1887.70	44.50

जैसे कि एम.ओ.एफ./एम.एच.ए. द्वारा निधियों को वर्ष के अन्त में जारी किये जाने के फलस्वरूप राज्य/यू.टी. सरकारों द्वारा कार्यान्वयन एजेन्सियों को बहुत विलम्ब से निधियों को जारी किया।

एम.ओ.यू.डी. ने अपने जवाब (मई 2012) में कहा कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. को दिसम्बर 2005 में शुरू करने के लिए वर्ष 2005–06 के लिए आवंटित ₹ 90 करोड़ अन्तिम तिमाही में उपलब्ध कराये गए। वित्तीय वर्ष 2006–07, 2007–08, 2008–09 में अतिरिक्त आवंटन क्रमशः ₹ 300 करोड़, ₹ 500 करोड़ एवं ₹ 2400 करोड़ की निधियों को अन्तिम तिमाही में सौंपा जिसके कारण अधिकतम उपयोग अन्तिम तिमाही में हुआ। एम.ओ.यू.डी. ने आगे कहा कि सुधारों की धीमी प्रगति के कारण निधियों की निर्मुक्ति को रोक दिया और उद्देश्यों में ढील देने की अनुमति पर अधिकतम निधियों को मार्च 2011 की अन्तिम तिमाही में जारी कर दिया।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने जवाब दिया (अप्रैल 2012) कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. अपनी कार्य प्रणाली के अनुसार चल रही थी इसलिए इस योजना के हित में स्वीकृत परियोजना के अग्रिम ए.सी.ए. के कुछ भाग और अगली किस्त को पिछली रिलीज और सुधारों की प्रगति की उपयोगिता पर जारी करने की अनुमति दी। एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने यह भी स्पष्ट किया कि ज्यों ही नई परियोजनाएं अनुमोदित की गई या राज्यों से उपयोगिता प्रमाण पत्र, यह ध्यान रखे बिना कि वे वित्तीय वर्ष के मार्च या मई के मास में प्राप्त किए जा रहे थे, प्राप्त होने पर निधियां निर्मुक्त की जा रही थी, उसने पुनः बताया कि निर्मुक्तियां मांग पर आधारित थीं जबकि एक राज्य को सात वर्षों के लिए कुल आवंटन से सीमित थीं।

यह जवाब लेखापरीक्षा में स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय वर्ष के अन्त में निधियों की मांग करने तथा निधियां जारी करने के स्थान पर यह गतिविधि पूरे वर्ष निरन्तर चलनी चाहिए थी। जवाब से यह भी ज्ञात होता है कि परियोजनाएं वित्तीय वर्ष के अन्त में भी स्वीकृत की गयी थीं इस कारण प्रथम किस्त अन्तिम तिमाही या मार्च में निर्मुक्त की गयी।

8.11 उपयोगिता प्रमाण पत्र

जी.एफ.आर. 2005 के नियम 212(1)के अनुसार मंत्रालय द्वारा दिये गये अनुदान, जिस उद्देश्य के लिए वह स्वीकृत किया गया था, का वास्तविक उपयोग का प्रमाण पत्र उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 12 महीने के भीतर अनुदायी संस्थान/संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आवर्ती अनुदान के संदर्भ में, सम्बंधित मंत्रालय या विभाग को, अगले वित्तीय वर्ष के अनुदानों के संदर्भ में केवल अस्थायी आधार पर उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ही अनुवर्ती वित्तीय वर्ष के लिए कोई भी संरक्षित धनराशि निर्मुक्त करनी चाहिए। जे.एन.एन.यू.आर.एम. के दिशानिर्देशानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की कार्यप्रणाली सामान्य वित्तीय नियमानुसार देखी जानी थी।

8.11.1 शहरी विकास मंत्रालय – यू.आई.जी. – ₹ 2436.78 करोड़

यू.आई.जी. के संदर्भ में ₹ 11,967.93 करोड़ की राशि वाले 1167 उपयोगिता प्रमाण पत्र मई 2012 तक देय थे। इन 1167 उपयोगिता प्रमाण पत्रों में से ₹ 9,531.15 करोड़ की राशि वाले केवल 952 उपयोगिता प्रमाण पत्र ही मंत्रालय को प्राप्त हुए। इस प्रकार ₹ 2,436.78 करोड़ की राशि वाले 215 उपयोगिता प्रमाण पत्र मई 2012 तक बकाया थे। यह भी देखा गया कि ₹ 1,194.87 करोड़ राशि वाले 78 उपयोगिता प्रमाण पत्र राज्यों/यू.टी. को जारी की गई प्रथम किस्त से सम्बन्धित थे।

यू.आई.जी. से सम्बंधित कुल देय, प्राप्त और बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका संख्या 8.4: देय, प्राप्त और बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण

किस्त	देय	उपयोगिता	प्राप्त	प्राप्त	बकाया	बकाया
	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	पत्रों की राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि
प्रथम किस्त	518	5836.30	440	4641.43	78	1194.87
द्वितीय किस्त	316	3315.59	309	3124.86	7	190.73
तृतीय किस्त	222	2143.21	203	1764.86	19	378.35
चतुर्थ किस्त	111	672.83	111	672.83
कुल योग	1167	11967.93	952	9531.15	215	2436.78

8.11.2 शहरी विकास मंत्रालय –यू.आई.डी.एस.एम.टी.– ₹ 2036.66 करोड़

लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि यू.आई.डी.एस.एस.टी. से सम्बन्धित केवल 60 प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण पत्र मार्च 2011 तक प्राप्त हुए थे। उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति नीचे दी गई है।

2010–11 तक जारी निधि	₹ 7342.98 करोड़
देय उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	747
देय उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि	₹ 5088.36 करोड़
प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	476
प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि	₹ 3051.70 करोड़
बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की संख्या	271
बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की राशि	₹ 2036.66 करोड़

राज्य-वार निर्मुक्त निधियों, देय उपयोगिता प्रमाण पत्रों, एम.ओ.यू.डी. में प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र परिशिष्ट 8.5 में दिये गये हैं। मेघालय, उत्तराखण्ड और दादर एवं नागर हवेली से कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ। यद्यपि ₹ 6.45 करोड़, ₹ 24.69 करोड़ और ₹ 0.26 करोड़ की राशि वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रमशः इन्हीं तीन राज्यों से बकाया थे। नौ अन्य राज्यों (असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब एवं राजस्थान) के सम्बन्ध में प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्रतिशतता 50 प्रतिशत से कम (4.92 प्रतिशत से लेकर 46.32 प्रतिशत तक) थी।

विस्तृत जांच के लिए चयनित 35 परियोजनाओं के संदर्भ में लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि 17 परियोजनाओं के संदर्भ में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये गये थे। यद्यपि पांच राज्यों में पांच परियोजनाओं के संदर्भ में व्यय हुआ, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है (31 मार्च 2011 तक की स्थिति):

तालिका संख्या 8.5: पांच राज्यों की पांच परियोजनाओं पर व्यय होने पर भी उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए

भाहर का नाम	राज्य का नाम	जारी राशि	व्यय	(₹ करोड़ में)
रोहतक	हरियाणा	8.25	4.87	
एलापुज्जा	केरल	38.14	7.19	
पटियाला	पंजाब	36.54	22.11	
गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	37.70	18.70	
मसूरी	उत्तराखण्ड	24.69	2.76	

एम.ओ.यू.डी. ने (मई 2012) में जवाब दिया कि राज्यों/यू.टी. से अपेक्षित उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की मांग की गयी और विविध परामर्शदायी भी जारी की गयी थी।

इसके बावजूद लेखापरीक्षा ने पाया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की स्थिति वास्तव में खराब थी।

8.11.3 शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय—बी.एस.यू.पी.—₹ 3054.05 करोड़

₹ 6981.09 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2011 को देय थे। इनके विरुद्ध ₹ 3927.04 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र मंत्रालय में प्राप्त हुए। इस प्रकार ₹ 3054.05 करोड़ राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे। जिनका विवरण परिशिष्ट 8.6 में दिया गया है।

8.11.4 शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय—आई.एच.एस.डी.पी. — ₹ 2504.64 करोड़


₹ 4241.74 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र 31 मार्च 2011 को बकाया थे। इनके विरुद्ध ₹ 1737.08 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण पत्र एम.ओ.एच.यू.पी.ए. में प्राप्त हुए थे। इस प्रकार ₹ 2504.64 करोड़ की राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र बकाया थे। जिनका विवरण परिशिष्ट 8.7 में दिया गया है।

8.11.5 शहरी आवास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय—क्षमता निर्माण — ₹ 2.34 करोड़

यह भी पाया गया कि ₹ 2.34 करोड़ की राशि क्षमता निर्माण के लिए बहुत से राज्यों को अनुदान सहायता के रूप में वर्ष 2006–07 और 2008–09 के दौरान एम.ओ.एच.यू.पी.ए. द्वारा जारी की गयी थी जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्र 1 अक्टूबर 2011 तक बकाया थे।

अनुशंसा संख्या 8:

समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के प्रावधानों का बार बार ध्यान दिलाया जाना चाहिए और भारत सरकार द्वारा राज्यों/यू.टी. को उसका कड़ाई से पालन करने का परामर्श दिया जाना चाहिये।



अध्याय 9 अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन

9.1 केन्द्रीय स्तर पर अनुवेक्षण

योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार, एम.ओ.यू.डी. और एम.ओ.एच.यू.पी.ए. द्वारा उनसे संबंधित संघटकों को प्रत्येक राज्य/यूटी. के लिए मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारियों द्वारा अनुवीक्षण और मूल्यांकन किया जाना था।

एम.ओ.यू.डी. में एक मिशन निदेशालय था जो केवल जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिये बनाया गया था। निदेशालय में अक्टूबर 2010 को तीन निदेशक थे जो सभी राज्यों/यूटी. जहाँ जे.एन.एन.यू.आर.एम. की योजना लागू की जा रही थी, के लिये जिम्मेदार थे। उनको सौंपे गये राज्यों/यूटी. के संबंध में, निदेशकों को सी.डी.पी. की जाँच, सी.एस.एम.सी., के विचार के लिये डी.पी.आर. की जाँच, मूल्यांकन एजेंसियों के प्रतिवेदनों की जाँच, सुधारों की संवीक्षा, परियोजनों के लागू होने का अनुवेक्षण का कार्य भी सौंपा गया था।

9.1.1 स्टाफ की कमी के कारण मंत्रालयों का अपर्याप्त अनुवेक्षण

जे.एन.एन.यू.आर.एम. निदेशालय बनाते समय अतिरिक्त स्टाफ को भर्ती नहीं किया गया था। (स्टाफ की सही तरीके से गणना नहीं की गयी थी) और मंत्रालय में जो नियुक्त स्टाफ था उन्हें ही आन्तरिक रूप से निदेशालय में नियुक्त किया गया था। मंत्रालय ने महसूस किया कि निदेशालय के बढ़ते कार्य के अनुरूप स्टाफ नहीं रखा गया था। एम.ओ.यू.डी. के अभिलेखों से यह भी पाया गया कि उन्होंने मंत्रालय के प्रशासनिक खण्ड को 2008 में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे उसके बाद कुछ नियुक्तियाँ हुई। यहां यह जानना उल्लेनीय है कि अतिरिक्त स्टाफ के लिये प्रस्ताव 2008 में रखा गया था, जबकि योजना 2005 में लागू की गयी थी।

इस प्रकार की परियोजनाओं के अनुवीक्षण एवं निरीक्षण के लिए साधन नहीं जुटाये गये और यह अचम्बा है कि मिशन के शुरू में ही मिशन निदेशालय मजबूत नहीं किया गया था। केवल अभी अप्रैल 2011 में, मार्च 2012 तक अस्थायी रूप से केवल 18 पदों का सृजन किया गया जिनमें दो निदेशक/उप-सचिव शामिल थे।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. में, एक मिशन निदेशक का पद, दो निदेशक के पद/उप-सचिव (डी.एस.), एक उप-निदेशक (डी.डी.) का पद, और दो अवर सचिवों (यू.एस.) के पद, के प्रस्ताव के विरुद्ध प्रत्येक एक पद का सृजन किया था। अगस्त 2007 तक एक डी.एस./निदेशक, एम.ओ.एच.यू.पी.ए. में अपने कार्य के साथ जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अतिरिक्त प्रभार को संभाल रहा था। आई.एच.एस.डी.पी. को लागू करने के लिये, यह निर्णय लिया गया था कि वर्तमान अधिकारियों एवं स्टाफ जोकि राष्ट्रीय स्लम विकास कार्यक्रम (एन.एस.डी.पी.) एवं बालमीकि अम्बेडकर आवास योजना (वी.ए.एम.वी.ए.वाई.) का था, को प्रयोग में लाया जायेगा क्योंकि आई.एच.एस.डी.पी. में ये दोनों योजनाएं समाहित थीं। यद्यपि, एन.एस.डी.पी. स्टाफ नियुक्त नहीं किया गया था एवं पी.ए.एस. वी.ए.वाई. से चार स्टाफ मेंबर प्रत्येक अनुभाग अधिकारी ग्रेड का, सहायक एल.डी.सी. एवं चपरासी नियुक्त किये गये थे।

लेखापरीक्षा में पाया कि मंत्रालय को समस्त देश में इस तरह की योजना को कार्यान्वित करने से पहले अनुमान, अपना कर्तव्य और अच्छी तैयारी करनी थी। यह परियोजनाओं को प्रभावी रूप से अनुवेक्षण एवं पूर्णता को सुनिश्चित कर सकते थे।

एम.ओ.यू.डी. ने अपने जवाब (मई 2012) में लेखा परीक्षा अभ्युक्तियों को नोट कर लिया था।

9.1.2 राज्यों द्वारा त्रिमासिक प्रगति रिपोर्टों को भेजने में देरी

योजना में प्रावधान है कि एस.एल.एन.ए. त्रिमासिक प्रगति रिपोर्टों (क्यू.पी.आर.) को एम.ओ.यू.डी. एवं एम.ओ.एच.यू.पी.ए. को भेजेगा। परियोजनाओं के लिये अनुवर्ती राशि भेजते समय क्यू.पी.आर. को इनपुट की

तरह प्रयोग करना था। लेखापरीक्षा में पाया कि क्यू.पी.आर. प्राप्ति में देरी हुई। कुछ मामलों में क्यू.पी.आर कभी भी प्राप्त नहीं हुई।

एम.ओ.यू.डी. ने जबाब दिया (अप्रैल 2012) कि ज्यादातर राज्यों में क्यू.पी.आर. प्राप्त हो गयी थीं। यद्यपि, कुछ राज्य स्टाफ की कमी के कारण क्यू.पी.आर. भेजने में अनियमित थे और मंत्रालय द्वारा उनके साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्यवाही की गई।

9.1.3 परियोजनाओं की सम्पूर्णता रिपोर्ट को समय से नहीं माँगा

स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति अनुवेक्षण के लिये यह सुनिश्चित किया गया था कि परियोजना की सम्पूर्णता पर राज्य सरकार के माध्यम से नोडल एजेंसी इस संबंध में सम्पूर्णता रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। यद्यपि, लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया कि वे मंत्रालय को नहीं भेजे जा रहे थे। मंत्रालय के अभिलेखों के अनुसार यू.आई.जी. के अन्तर्गत 105 परियोजनाएं मार्च 2011 तक पूरी हो चुकी थीं जबकि तीन राज्यों / यूटी. (दिल्ली, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश) की केवल 10 परियोजनाओं की सम्पूर्णता की स्थिति मंत्रालय में प्राप्त हुई थी (मई 2010)। यह भी पाया गया कि एम.ओ.यू.डी. ने राज्यों के साथ सम्पूर्णता रिपोर्ट को माँगने के मामले में तत्परता नहीं दिखाई एवं केवल 1 नवम्बर 2011 को राज्यों (उन राज्यों एवं उन परियोजनाओं के लिये जिनके लिये सभी चार किस्तों की राशि भेज दी गई थीं) को वित्तीय क्लोजर प्रमाण-पत्र / सम्पूर्णता प्रमाण-पत्र या परियोजना की वर्तमान स्थिति जैसा मामला हो, को भेजने के लिये याद दिलाया। इस तरह एम.ओ.यू.डी. ने अनुवीक्षण के लिए एक टूल की तरह 'सम्पूर्णता रिपोर्ट' की जाँच नहीं की।

एम.ओ.यू.डी. ने जबाब (मई 2012) दिया कि औपचारिक सम्पूर्णता प्रमाण-पत्र सामान्यतः परियोजना का द्रायल रन सफल होने के बाद जारी किया जाता है एवं केवल कुछ ही पूर्ण परियोजनाएं ही द्रायल रन में सफल हुईं।

लेखापरीक्षा में जबाब स्वीकारीय नहीं है क्योंकि एम.ओ.यू.डी. को आवश्यक द्रायल रनों और सम्पूर्णता रिपोर्टों को तुरंत भेजने के लिये राज्यों से कहना चाहिये था।

9.1.4 तकनीकी सलाहकार ग्रुप के संस्थापन के उद्देश्य की अनुपलब्धि

शहरी शासन के सुधार हेतु, सामुहिक कार्यवाही संचालित करने में सिविल सोसायटी से अनुभव प्राप्त एक तकनीकी सलाहकार की अध्यक्षता में एक सलाहकार ग्रुप राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाना था। तकनीकी सलाहकार ग्रुप (टी.ए.जी.) को यू.आई.जी. के लिये 27 फरवरी 2006 को गठित किया एवं यह कहा कि राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार (एन.टी.ए.) जो टी.ए.जी. का अध्यक्ष था, सी.एस.एम.सी. के लिये विशेष रूप से आमंत्रित होगा।

माह में कम से कम एक बार टी.ए.जी. की बैठक वांछित थी यानि एक वर्ष में 12 बैठकें। यद्यपि, मार्च 2006 से मार्च 2011 के दौरान 60 वांछित बैठकों में से केवल 37 बैठकें ही टी.ए.जी. द्वारा की गयीं।

प्रत्येक मिशन शहर में मिशन की सहायता के लिये जन हिस्सेदारी को बढ़ावा देने हेतु एक सिटी वालेंटियर तकनीकी क्रोपस (सी.वी.टी.सी.) का गठन वांछित था। तथापि, अगस्त 2011 तक 65 मिशन सिटी में से, सी.वी.टी.सी. केवल 14 मिशन सिटी में आया।

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. की सी.एस.एम.सी. की बैठकों के लिये एम.ओ.यू.डी. द्वारा विशेष आमंत्रित के रूप में एन.टी.ए. का गठन करना था। तथापि, एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने सूचित किया (जुलाई 2011) कि बी.एस.यू.पी./आई.एच.एस.डी.पी. की सी.एस.एम.सी./सी.एस.सी. बैठकों में एन.टी.ए. को आमंत्रित नहीं किया गया।

जे.एन.एन.यू.आर.एम. योजना हेतु उद्देश्यों की पूर्ति के स्तर को देखने एवं यह आंकने के लिए कि क्या उन पर किये गये खर्च का उनके द्वारा प्रदत्त योगदान से मेल खाता है, मंत्रालय ने टी.ए.जी. की कार्यप्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए।

एम.ओ.यू.डी. ने उत्तर दिया (अप्रैल 2012) कि जैसा संभव था टी.ए.जी. मिला एवं टी.ए.जी. ने सी.एस.एम. सी. की बैठकों में उनकी उपलब्धता के आधार पर भाग लिया। यह कहा कि टी.ए.जी. ने सी.वी.टी.सी. के प्रोत्साहन में बहुत प्रयास किये। लेखापरीक्षा में जबाव स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि वास्तव में केवल 14 मिशन सिटी में ही सी.वी.टी.सी. का गठन हुआ।

9.2 राज्य स्तर पर अनुवीक्षण

9.2.1 स्वतंत्र समीक्षा एवं अनुवीक्षण एजेंसी तथा थर्ड पार्टी निरीक्षण एवं अनुवीक्षण एजेंसी

मिशन शहरों में समीक्षा एवं अनुवीक्षण प्रक्रम तथा सभी लाइफ साइकिल परियोजना विकास परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को स्तर तक रखने के लिये (पूर्व-कन्सट्रक्शन, कन्सट्रक्शन, कमिशनिंग एवं ट्रायल रन एवं पोस्ट-कन्सट्रक्शन), एम.ओ.यू.डी. ने थर्ड पार्टी अनुवीक्षण के लिये राज्य स्तर का उत्सर्जन किया एवं एस.एल.एन.ए. के माध्यम से जे.एन.एन.यू.आर.एम. उप-मिशन-। (यू.आई.जी.) के अधीन स्वीकृत परियोजना की स्वतंत्र समीक्षा एवं अनुवीक्षण एजेंसियों को नियुक्त करना था। उसी तरह, एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने भी बी.एस.यू.पी. एवं आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं की समीक्षा एवं अनुवीक्षण के लिये थर्ड पार्टी निरीक्षण एवं अनुवीक्षण एजेंसियों (टी.पी.आई.एम.ए.) को इस तरह के प्रक्रम के लिये नियुक्त किया था। यह आवश्यक था कि प्रत्येक परियोजना आई.आर.एम.ए. / टी.पी.आई.एम.ए. द्वारा कवर हो और शहरी, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर समस्त परियोजनाओं के लाइफ साइकिल विकास का सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स को मूल स्तर पर प्रतिक्रिया की जानकारी हो।

एम.ओ.यू.डी. की लेखापरीक्षा के दौरान यह सुनिश्चित था कि यू.आई.जी. एवं यू.आई.डी.एस.एस.टी. के अधीन परियोजनाओं की थर्ड पार्टी अनुवीक्षण के लिये केवल 27 राज्यों/यू.टी. में आई.आर.एम.ए. को नियुक्त किया गया। यह बिहार, दादर व नागर हवेली, दमन व द्वीप, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, नागालैण्ड में नियुक्त नहीं किये गये। अण्डमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप में यू.आई.जी. एवं यू.आई.डी.एस. एस.एम.टी. के अन्तर्गत कोई भी परियोजना स्वीकृत नहीं हुई। एम.ओ.यू.डी. ने केवल आई.आर.एम.ए. के लिये 'आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति' के समय मार्गनिर्देशिका के आधार पर मूल्यांकन किया एवं अन्य मार्गनिर्देशों जैसे परियोजना लागू करने के मामले/प्रतिबंध को निर्धारित करने के लिये एस.एल.एन.ए. / डी.ई.ए. द्वारा जो सूचना दी गई, की क्रास-जॉच सुनिश्चित नहीं की गई और प्रतिवेदनों का अधिक के आधार पर सुधारात्मक समीक्षा की।

94 परियोजनाओं में से विस्तृत जॉच के लिये, एम.ओ.यू.डी. ने केवल दो आई.आर.एम.ए. रिपोर्ट, अजमेर-पुष्कर, को प्रस्तुत किया और एक रिपोर्ट इन्दौर से संबंधित थी। समस्त लाइफ साइकिल के लिये विकास परियोजना में आई.आर.एम.ए. की सेवाएँ वांछित हैं। आई.आर.एम.ए. का कार्य जे.एन.एन.यू.आर.एम. द्वारा परियोजना की स्वीकृत तिथि से आरम्भ होता है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि परियोजना बहुत समय पहले ही स्वीकृत हो चुकी थी; आई.आर.एम.ए. को चार वर्ष की देरी से नियुक्ति की स्वीकृति मिली। राज्य जिन में पहली परियोजना संस्वीकृति की तिथि से तीन वर्ष अथवा अधिक का विलम्ब था के उदाहरणों का विवरण निम्न है :

तालिका सं. 9.1 : आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति में देरी

क्रम सं.	राज्य के नाम	परियोजना का नाम	सी.एस.एम.सी. द्वारा प्रथम परियोजना की स्वीकृति की तिथि	आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति की तिथि	प्रथम परियोजना की स्वीकृति एवं आई.आर.एम.ए. की स्वीकृति के बीच समय का अंतर
1.	असम	गुवाहाटी के लिये ठोस कचरा प्रबन्धन परियोजनाएँ	22.01.2007	29.09.2010	3 वर्ष 8 माह
2.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ में हरित क्षेत्रों की सिंचाई के लिये तृतीयक सीवेज की हारवेस्टिंग द्वारा पेयजल का संरक्षण	25.08.2006	30.10.2009	3 वर्ष 2 माह
3.	छत्तीसगढ़	आर.एम.सी. के विस्तृत क्षेत्र सहित जल आपूर्ति योजना का संवर्धन	08.09.2006	30.10.2009	3 वर्ष 1 माह
4.	हरियाणा	फरीदाबाद में सीवर व्यवस्था एवं सीवर ट्रीटमेंट निर्माण कार्यों की रिवेम्पिंग	22.01.2007	17.02.2011	4 वर्ष
5.	पंजाब	अमृतसर के लिये जल आपूर्ति, सीवर एवं सीवर ट्रीटमैन्ट	19.09.2006	30.10.2009	3 वर्ष 1 माह

स्रोत : एम.ओ.यू.डी. द्वारा भेजी गयी सूचना

आई.आर.एम.ए. के प्रक्रम को अच्छी श्रेणी की परियोजना के प्रयोग को; जैसे—समय एवं कीमत नियंत्रण; क्रय कीमत मूल्य; बजटिंग प्लानिंग में सुधार; एवं परियोजनाओं में निधियों का प्रवाह तथा परियोजना की प्रगति की माप एवं प्रभाव को एम.ओ.यू.डी. ने प्रभावी रूप से प्रयोग में नहीं लिया।

जनवरी 2012 तक 21 राज्यों/यू.टी. में टी.पी.आई.एम.ए. नियुक्त किये एवं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, झारखण्ड, मेघालय, पंजाब एवं सिविकम में उन्हें नियुक्त नहीं किया गया। यह महसूस किया गया कि 58 बी.एस.यू.पी. परियोजनाओं में से आठ और एम.ओ.एच.यू.पी.ए. में 30 परियोजनाओं के लिए टी.पी.आई.एम.ए. को राज्य ने नियुक्त नहीं किया। टी.पी.आई.एम.ए. की अनुमति तिथि से तीन वर्ष से अधिक की देरी के बाद टी.पी.आई.एम.ए. को नियुक्त किया जैसे दिल्ली के लिये बवाना, नरेला, एवं भोरगढ़ में शहरी गरीबों के लिये आवास की परियोजना 13 जून 2007 को स्वीकृत हुई थी जबकि टी.पी.आई.एम.ए. को 31 जनवरी 2011 को नियुक्त किया गया।

दो एजेंसियों के अतिरिक्त विभिन्न राज्यों/यू.टी. से नमूना के आधार पर 126 परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय टी.पी.आई.एम.ए. को नियुक्त किया गया। उसके बाद केन्द्रीय टी.पी.आई.एम.ए. को, 4 उत्तर-पूर्वी राज्यों, नामतः—अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, और सिविकम, को आगे बढ़ाया गया। केन्द्रीय टी.पी.आई.एम.ए. को चंडीगढ़ केन्द्र शासित प्रदेश को पूर्णरूप से कवर किया गया। झारखण्ड, गोवा, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नागर हवेली एवं दमन दीव, अभी तक टी.पी.आई.एम.ए. की जाँच से बाहर थे। एम.ओ.एच.यू.पी.ए. ने जवाब में कहा (जनवरी 2012) कि वे सभी परियोजनाओं के लिये टी.पी.आई.एम.ए. की नियुक्ति के लिये राज्यों के साथ सम्पर्क बनाये हुए थे।

इसके अतिरिक्त जाँच बताती है कि नमूना जाँच में बी.एस.यू.पी. की 58 परियोजनाओं एवं आई.एच.एस.डी.पी. की 30 परियोजनाओं में से क्रमशः 29 परियोजनाओं एवं 19 परियोजनाओं की टी.पी.आई.एम.ए. की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी।

एम.ओ.यू.डी. ने उत्तर दिया (अप्रैल 2012) कि राज्य सरकार द्वारा तृतीय दल अनुवीक्षण के लिये एजेंसियाँ नियुक्त की जानी थीं। यह कहा कि देरी से नियुक्ति के बहुत से कारण थे जैसे राज्यों द्वारा प्रचार न करना एवं राज्यों द्वारा एम.ओ.यू.डी. की अनुमति के लिये परियोजनाओं को लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं करना।

दिल्ली के विषय में एम.ओ.यू.डी. ने जबाब दिया (मई 2012) कि जनवरी 2010 में, जी.एन.सी.टी.डी. ने अतिरिक्त एजेंसी जैसे आई.आर.एम.ए. को परियोजनाओं के लिये सुझाव का प्रस्ताव रखा जिससे एम.ओ.यू.डी. सहमत नहीं था। तदनन्तर एम.ओ.यू.डी. प्रत्येक परियोजना के लिये अतिरिक्त आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति के लिये सहमत हुआ। यहां तक कि एम.ओ.यू.डी. में, जी.एन.सी.टी.डी. से प्राप्त प्रस्तावों को मार्गनिर्देशिकाओं के अनुसार सही नहीं पाया गया।

राज्यों/यू.टी. में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया कि कुछ मामलों में आई.आर.एम.ए. एवं टी.पी.आई.एम.ए. की नियुक्ति देरी से की गई। कुछ मामलों में आई.आर.एम.ए. एवं टी.पी.आई.एम.ए. द्वारा संबंधित क्षेत्रों का समुचित दौरा और उनकी रिपोर्टों को प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, ऐसे मामले भी थे जहाँ उनकी अनुशंसाओं को कार्यान्वयित नहीं किया गया।

ये मामले निम्न प्रकार हैं :

- i. **आन्ध्र प्रदेश** में, नमूना जाँच की गई कुछ परियोजनाओं के कार्यान्वयन की अनुवीक्षण के लिये टी.पी.आई.एम.ए./आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति क्रमशः अगस्त 2009 और अगस्त 2008 में परियोजनाओं की स्वीकृति (मार्च 2006 एवं फरवरी 2007) के काफी बाद में की गयी। परिणामस्वरूप, परियोजनाओं के निर्माण से पूर्व की अवस्था को वे अपने कार्य में कवर नहीं कर सके।
- ii. **अरुणाचल प्रदेश** में, एम.ओ.यू.डी. द्वारा चयनित एजेंसियों की सूची से, आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति अक्टूबर 2009 तक के विलम्ब से की गयी जब कि जल आपूर्ति से संबंधित परियोजना की स्वीकृति 2006–07 में दी गयी थी। इस प्रकार आई.आर.एम.ए., निर्माण–पूर्व के चरण में डी.पी.आर. दस्तावेजों, विस्तृत अभिकल्प चित्रांकन अभिकल्प एवं निर्माण विशिष्ट, निविदा दस्तावेजों आदि की समीक्षा में शामिल नहीं हुई। आई.आर.एम.ए. दल ने अप्रैल 2011 में कुछ परियोजना स्थलों का दौरा किया। यह भी स्पष्ट नहीं था कि क्या आई.आर.एम.ए. ने अन्य परियोजनाओं का भी निरीक्षण किया था क्योंकि संबंधित पी.ई.ए./एस.एल.एन.ए. ने संबंधित अभिलेखों को उपलब्ध नहीं किया।
- iii. **बिहार** में, आई.आर.एम.ए. के गठन से संबंधित आदेश 6 जून 2011 को जारी किया गया था परंतु विभाग के पास कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं था।
- iv. **चण्डीगढ़** में, आई.आर.एम.ए. ने “हरित क्षेत्रों की सिंचाई के लिए तृतीयक उपचारित मल के दोहन द्वारा पेयजल संरक्षण” की समीक्षा की थी तथा समीक्षा प्रतिवेदन दिसम्बर 2011 में प्रस्तुत किया था। आई.आर.एम.ए. ने डी.पी.आर. दस्तावेजों, विस्तृत अभिकल्प आरेख, अभिकल्प एवं विनिर्माण विशिष्टियों, निविदा दस्तावेजों इत्यादि का मूल्यांकन किया लेकिन भौतिक/वित्तीय प्रगति, गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के निष्पादन, वित्तीय निष्पादन, तथा सांविधिक आवश्यकताओं के अनुपालन की समीक्षा नहीं की क्योंकि कोई आवधिक प्रतिवेदन आई.आर.ए. द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, अन्य परियोजना उचित अनुवीक्षण तथा “दूर संवेदी कम्प्यूटरीकृत निगरानी तंत्र के साथ स्वचालितीकरण के लिए जल आपूर्ति अवसंरचना का उन्नीकरण” की समीक्षा तथा अनुवीक्षण आई.आर.एम.ए. द्वारा नहीं किया गया था। इस प्रकार यू.एल.बी./एस.एल.एन.ए. तथा मिशन निदेशालय आई.आर.एम.ए. द्वारा उपलब्ध कराये गये इनपुट से लाभान्वित नहीं हो पाये। बी.एस.यू.पी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं की अनुवीक्षण के लिए टी.पी.आई.एम.ए. की नियुक्ति फरवरी 2010 में की गयी।
- v. **हरियाणा** में, यह पाया गया कि यू.आई.जी., यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. एवं बी.एस.यू.पी. परियोजनाओं के संदर्भ में आई.आर.एम.ए./टी.पी.आई.एम.ए. जून 2009 तक के विलम्ब से

नियुक्त की गयी। इसी प्रकार, आई.एच.एस.डी.पी., परियोजनाओं को अनुवीक्षण के लिए टी.पी.आई.एम.ए. की नियुक्ति अक्टूबर 2010 में की गयी थी जबकि आई.एच.एस.डी.पी., यूआई.डी.एस.एस.एम.टी., बी.एस.यू.पी. तथा यूआई.जी. घटकों के तहत परियोजनाओं को सी.एस.एम.सी. द्वारा अगस्त 2006 और जनवरी 2009 के बीच स्वीकृत किया गया।

- vi. हिमाचल प्रदेश में, यह पाया गया कि आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति जून 2011 तक नहीं की गयी थी हालाँकि, टी.पी.आई.एम.ए. की नियुक्ति मार्च 2011 में विलम्ब से गयी थी। एस.एल.एन.ए. द्वारा तृतीय दल अनुवीक्षण एजेंसियों की गैर नियुक्ति/नियुक्ति में विलम्ब के कारणों को लेखापरीक्षा को नहीं भेजे गये।
- vii. जम्मू और काश्मीर, में आई.आर.एम.ए. की नियुक्ति फरवरी 2011 में यूआई.जी. और यूआई.डी.एस.एस.एम.टी. के तहत परियोजनाओं के अनुवीक्षण के लिए की गयी थी। टी.पी.आई.एम.ए. सितम्बर 2011 तक स्थापित नहीं की गयी।
- viii. झारखण्ड में, सी.एस.एम.सी. ने अपनी 78वीं बैठक (अक्टूबर 2009) में आई.आर.एम.ए. के रूप में नेशनल कन्सल्टेन्सी फॉर प्लानिंग एण्ड इंजीनियरिंग (एन.सी.पी.ई.)। हैदराबाद की नियुक्ति का अनुमोदन किया हालाँकि, जी.आर.डी.ए. तथा एन.सी.पी.ई के बीच सहमति 20 मई 2011 को कार्यान्वित की गयी। इस प्रकार, आई.आर.एम.ए. अंततः राज्य सरकार द्वारा ठेका करार के अनुमोदन में विलम्ब के कारण, सी.एस.एम.सी. के अनुमोदन के 19 महीने के पश्चात् झारखण्ड में अस्तित्व में आयी। एन.सी.पी.ई. हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने, डेस्क समीक्षा के लिए, अनुमोदित डी.पी.आर. तकनीकी स्वीकृति, निविदा दस्तावेजों, परियोजना सहमतियों एवं निधि निर्गत होने के पत्रों आदि प्राप्त करने के लिए जुलाई 2011 में जी.आर.डी.ए. तथा यू.एल.बी. का दौरा किया। तथापि, निदेशक एन.सी.पी.ई. (जुलाई 2011) के बताये अनुसार, दौरे के दौरान वांछित सहयोग नहीं दिया गया तथा उपर्युक्त प्रलेख उपलब्ध नहीं कराये गये।
- ix. मणिपुर में, आई.आर.एम.ए. और टी.पी.आई.एम.ए. के प्रतिवेदनों को मंत्रालयों को राज्य सरकार द्वारा मार्च 2011 में अग्रेषित किये गये तथापि यूआई.जी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. के तहत परियोजनाओं का अनुमोदन मई 2007 तथा मार्च 2008 में किया गया।
- x. मेघालय में, बी.एस.यू.पी. के लिए डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. एवं एच.यू.डी.सी.ओ. को टी.पी.आई.एम.ए. के रूप में संस्थापित किया गया। डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस. द्वारा अक्टूबर 2010 में तथा एच.यू.डी.सी.ओ. द्वारा जनवरी 2011 में निरीक्षण किया। उनके प्रतिवेदन प्रतिक्षित हैं। यूआई.जी. के लिए टेक्ट्रा टेक को 23 नवम्बर 2009 को जून 2008 में प्रथम परियोजना के स्वीकृति के तिथि से 17 महीनों के विलम्ब से नियुक्त किया गया।
- xi. नागालैण्ड में, विभाग ने मैसर्स टेक्ट्रा टेक को आई.आर.एम.ए. के रूप में यूआई.जी. के अनुवीक्षण एवं मूल्यांकन के लिए 2010–11 में नियुक्त किया। हालाँकि, आई.आर.एम.ए. ने किसी स्थल का दौरा नहीं किया, और सितम्बर 2011 तक कोई प्रतिवेदन तैयार/प्रस्तुत नहीं किया। वाटर एण्ड पावर कन्सल्टेन्सी सर्विसेस (इण्डिया) लिमिटेड (डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस.) को बी.एस.यू.पी. तथा आई.एच.एस.डी.पी. परियोजनाओं के लिए टी.पी.आई.एम.ए. के रूप में जनवरी 2010 में नियुक्त किया गया। टी.पी.आई.एम.ए. को परियोजनाओं की समीक्षा के लिए राज्य के चार दौरे किये। हालाँकि, मात्र दो प्रतिवेदन (द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदन) विभाग के पास उपलब्ध थे। यह कहा गया था कि प्रथम एवं चतुर्थ दौरे के प्रतिवेदन विभाग को प्रस्तुत नहीं किये गये।

9.2.2 कार्यक्रम प्रबंधन इकाई तथा परियोजना कार्यान्वयन इकाई

योजना में एस.एल.एन.ए. को उनकी परियोजना मूल्यांकन, परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की अनुवीक्षण, सुधारों के कार्यान्वयन की अनुवीक्षण की भूमिका तथा जिम्मेदारियों के निर्वाह में सहायता करने, तकनीकी तथा परामर्शी सहायता आदि प्रदान करने, एस.एल.एन.ए. की क्षमता संवर्धन में सहायता करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पी.एम.यू.) के सृजन का प्रावधान था।

उसी प्रकार परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पी.आई.यू.), यू.एल.वी. के दक्षता समिक्षण के संवर्धन एवं प्रतिपूर्ति के लिए, कार्यकारी एकांकों के रूप में सृजित किये जाने थे। पी.एम.यू. तथा पी.आई.यू. से एस.एल.एन.ए. तथा यू.एल.वी. की क्षमता का संवर्धन अभिप्रायित था। हालाँकि, हमने पाया कि ये विशिष्टीकृत इकाइयां स्थापित भी नहीं की गयी थीं। राज्यों/यू.टी. में जहाँ ये स्थापित थे, वहाँ भी उनकी भूमिका सीमित थी।

9.2.3 कार्यक्रम अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन तंत्र (पी.एम.ई.एस.)

मिशन निदेशालय, एम.ओ.यू.डी. ने जे.एन.एन.यू.आर.एम. के लिए वेब समर्थित कार्यक्रम अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन तंत्र (पी.एम.ई.एस.) कार्यान्वित किया। ऐसा कहा गया कि पी.एम.ई.एस., जे.एन.एन.यू.आर.एम. परियोजनाओं के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के पक्षों को जोकि पी.ई.ए. तथा आई.आर.एम.ए. दोनों द्वारा प्रतिवेदित किये, अभिग्रहण के लिए अभिकलिप्त किये जाने थे। पी.एम.ई.एस. में विविध मोड़यूल जैसे सी.डी.पी., डी.पी.आर., मूल्यांकन इत्यादि शामिल थे और कथनानुसार ये आपस में अंतर्संबंधित थे। जिस समय 2008 में पी.एम.ई.एस. प्रचालन में किया गया, जे.एन.एन.यू.आर.एम. (यू.आई.जी.) के तहत 300 परियोजनाएं पहले ही अनुमोदित की जा चुकी थीं। राज्यों/यू.टी. में लेखापरीक्षा ने यह दर्शाया कि राज्यों/यू.टी. ने पी.एम.ई.एस. का प्रयोग बहुत कम किया।

एम.ओ.यू.डी. ने अपने प्रत्युत्तर (अप्रैल 2012) में लेखापरीक्षा टिप्पणियों की पुष्टि की तथा सूचित किया कि 31 मार्च 2012 से पी.एम.ई.एस. को बन्द कर दिया गया था। एम.ओ.यू.डी. ने उत्तर दिया कि पी.एम.ई.एस. की खामियों का परियोजना अनुवीक्षण तथा सूचना तंत्र (पी.एम.आई.एस.) में ध्यान रखा जायेगा।

9.2.4 राज्य स्तरीय संचालन समिति (यू.आई.जी. एवं बी.एस.यू.पी.)/राज्य स्तरीय समन्वय समिति (आई.एच.एस.डी.पी.)/राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (यू.आई.डी.एस.एम.टी.)

यू.आई.जी. तथा बी.एस.यू.पी. के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति की प्राथमिक भूमिका जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत परियोजनाओं पर निर्णय लेना तथा उन्हें प्राथमिकृत करना था। इसकी परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण तथा राज्यों/यू.टी. में शहरी सुधार की प्रगति की समीक्षा में भी एक भूमिका थी। यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की जितनी बार आवश्यकता हो, उतनी बार किन्तु बिना रुकावट के कम से कम वर्ष में तीन बार बैठक होगी तथा चालू परियोजनाओं की समीक्षा तथा नयी परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान करेगी। आई.एच.एस.डी.पी. दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस.एल.सी.सी.) उतनी बार जितनी आवश्यकता हो परन्तु एक तिमाही में एक बार चालू परियोजनाओं की समीक्षा तथा नयी परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए बैठक करेगी।

चयनित राज्यों/यू.टी. की लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि राज्यों में शहरी सुधार के प्रगति की समीक्षा हेतु तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण हेतु राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति/एस.एल.सी.सी. की पर्याप्त बैठकें आयोजित नहीं की गयीं। हरियाणा में, 2007–11 के दौरान राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की मात्र चार तथा राज्य स्तरीय संचालन समिति की एक बैठक आयोजित की गयी। दिल्ली में परियोजनाओं का राज्य स्तरीय अनुवीक्षण तंत्र अस्तित्व में नहीं था। दिल्ली में, यह देखा गया कि राज्य/यू.एल.वी. स्तर पर सुधारों के अनुवीक्षण के लिए कोई प्रक्रम नहीं था। मध्य प्रदेश में, यू.आई.जी. और बी.एस.यू.पी. के संदर्भ में, 2007–11 के दौरान एस.एल.एस.सी. की मात्र दो बैठक की गयी। 2009–10 के बाद पुङ्क्षेपी में एस.एल.एस.सी. की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी। असम में परियोजना कार्यों की प्रगति के मूल्यांकन पर चर्चा हुई। परन्तु परियोजना कार्यों की गति बढ़ाने हेतु

सुझाव/उठाये गये कदम, अभिलेख में नहीं पाये गये या अभिलेखित नहीं किया गया। उसी प्रकार, दमन और दीव में, तथापि यूटी. प्रशासक की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर बहुत सी बैठकें, 2008–09 से 2010–11 के बीच आयोजित की गयीं, पर परियोजना का प्रारम्भ होना अभी बाकी है।

एम.ओ.यू.डी. ने प्रत्युत्तर दिया (मई 2012) कि एस.एल.एस.सी की बैठकें कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और उन्हें निर्बाधरूप से परियोजनाओं के कार्यान्वयन के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों के सुधार अनुवीक्षण तथा समीक्षा के लिए बैठकें आयोजित करने के लिए परामर्श दिया गया था।

अनुशंसा संख्या 9:

सरकार जी.ओ.आई. एवं राज्य/यू.टी. दोनों स्तरों पर योजना के अनुवीक्षण की खामियों की पहचान करें तथा उनका अगले दो वर्षों के दौरान समाधान करें।

अध्याय 10 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

10.1 निष्कर्ष

- जे.एन.एन.यू.आर.एम का प्रारम्भ दिसम्बर 2005 में, सुधार प्रेरित, पूरे देश के शहरों में तेजी से विकास, शहरी अवसंरचना की दक्षता पर ध्यान देना, सेवा प्रदाता क्रियाविधि, सामुदायिक सहभागिता, यू.एल.बी./पैरास्टेटल एजेन्सियों का नागरिकों के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया था। इसमें कुल ₹ 1,00,000 करोड़ से अधिक के निवेश का प्रावधान था, जिसमें शहरी अवसंरचना तथा सेवा प्रदाता की कमियों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार का हिस्सा ₹ 50,000 करोड़ था। मिशन की अवधि सात वर्षों (2005–12) की थी। एम.ओ.यू.डी. यू.आई.जी. और यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी के लिए नोडल मंत्रालय था तथा एम.ओ.एच.यू.पी.ए बी.एस.यू.पी तथा आई.एच.एस.डी.पी के लिए नोडल मंत्रालय था।
- हमने पाया कि 2005 से 2011 के बीच कार्यान्वयन करने के लिए कुल 1517 और 1298 क्रमशः आवास निर्माण तथा शहरी अवसंरचना के लिए परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था। तथापि 31 मार्च 2011 तक आवास परियोजनाओं के सम्बन्ध में 1517 अनुमोदित परियोजनाओं में से केवल 22 परियोजनाएं ही पूरी हुई थीं। इन आवास निर्माण परियोजनाओं में आवास इकाइयों की स्थिति थोड़ी बेहतर थी परन्तु कुल अनुमोदित आवास इकाइयों में से केवल 26 प्रतिशत ही पूरी की गयी। शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के सम्बन्ध में, हमने पाया कि 1298 अनुमोदित परियोजनाओं में से केवल 231 परियोजनाएं (18 प्रतिशत) पूरी की गई।
- आवास निर्माण तथा शहरी अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन के अलावा इसका उद्देश्य यू.एल.बी. को उसके संरचना, संघटक, वित्तीय संसाधनों, कार्यों तथा शक्तियों के रूप में मजबूत करना था। योजना में यह आवश्यक था कि प्रत्येक राज्य सरकार, यू.एल.बी तथा केन्द्र सरकार समझौता ज्ञापन में शामिल होंगे जिसमें वे 74वें संविधान संशोधन के अनुसार पारदर्शिता बढ़ाने तथा अच्छा शासन देने के संरेखण में आवश्यक एवं वैकल्पिक सुधार लागू करने के लिए अपनी वचनबद्धता इंगित करें। जबकि, चयनित राज्य/यू.टी. में हमने पाया कि सभी आवश्यक एवं वैकल्पिक सुधार, जैसा कि समझौता ज्ञापन में वचनबद्धता की गई थी, लागू नहीं किये गये थे। इस प्रकार यू.एल.बी की संरचना में संस्थागत, वित्तीय एवं संरचनात्मक सुधार, शासन तथा उनको दक्ष, उत्तरदायी तथा पारदर्शी बनाने का उद्देश्य, जैसी कल्पना की गई थी, पूरा नहीं किया जा सका।
- 2005–06 से 2010–11 की अवधि में 216 चयनित परियोजनाओं के कार्यान्वयन को लागू करने की योजना में लेखापरीक्षा के दौरान कई कमियां इंगित की गईं। यह पाया गया कि 216 चयनित परियोजनाओं में से केवल 11 परियोजनाएं ही पूरी की गईं। अधिकांश परियोजनाएं अपूर्ण थीं। इसमें विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के तैयार करने और उसके मूल्यांकन में कमी, जमीन की अनुपलब्धता, लागत में वृद्धि, डिजाईन एवं क्षेत्र में परिवर्तन इत्यादि शामिल थे। आवासीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में बहुत सी आवास इकाईयां मुख्यतः जमीन की उपलब्धता के अभाव में अपूर्ण रह गईं। कुछ मामलों में लाभार्थी पहचाने नहीं गये तथा लाभार्थियों की चयन प्रक्रिया में कमी थी, परिणामस्वरूप जे.एन.एन.यू.आर.एम का लाभ अपात्र लाभार्थियों को प्राप्त होने का खतरा था। ऐसी आवास इकाईयां जो पूरी हो गई थीं, हमनें ऐसे उदाहरण पाये कि उन्हें अभी तक कब्जे में नहीं लिया। जलापूर्ति सीवेरज, बरसाती पानी के नाले, सड़कें तथा ऊपरिगामी पुल से सम्बंधित परियोजनाओं में जमीन की अनुपलब्धता तथा अनापति की प्राप्ति के अभाव के कारण देरी हुई। कार्य को सौंपने में कमियां थीं। कुछ मामलों में अनाधिकृत तथा अनियमित खर्च और यहां तक कि ठेकदारों के लिए अनुचित पक्षपात के उदाहरण भी प्रकाश में आए। परियोजनाओं को लागू करने में देरी, मशीनरी/उपकरण खरीदने और उनके उपयोग नहीं किये जाने के कारण निधियों के अवरुद्ध

होने के अनेक मामले थे। निधियों के अवरुद्ध होने के कारण इंगित करते हैं कि कार्यकारी एजेंसियों ने परियोजनाओं की योजना ठीक ढंग से नहीं बनायी।

- राज्यों में फेमवर्क में एस.एल.एन.ए के गठन और विशिष्टीकृत निकाय जैसे कि कार्यक्रम प्रबंधन इकाई और परियोजना कार्यान्वयन इकाई को स्थापित करने का वर्णन था। हमने पाया कि एस.एल.एन.ए को अत्यधिक देरी के बाद नियुक्त किया गया तथा यहां कर्मचारियों की कमी जारी थी। पी.एम.यू. तथा पी.आई.यू. का उद्देश्य एस.एल.एन.ए. एवं यू.एल.बी. की दक्षता बढ़ाना था, तथापि, हमने पाया कि कुछ राज्यों में ये विशिष्टीकृत इकाइयां स्थापित नहीं की गई थीं। यहां तक कि ऐसे राज्यों/यू.टी. जहां वे स्थापित की गई थी, में उनका कार्य सीमित रहा।
- केन्द्र सरकार को जैसा कि योजना आयोग ने प्रावधान किया था, अपने हिस्से का विनियोजन करना था। फिर भी हमने पाया कि, योजना आयोग द्वारा विनियोजित कुल ₹ 66084.66 करोड़ में से जी.ओ.आई ने ₹ 37070.15 करोड़ विनियोजित किये जिसमें से 31 मार्च 2011 तक ₹ 32,934.59 करोड़ ही जारी किये गये। इन निधियों को राज्यों को जारी करने में देरी थी तथा दिशानिर्देशों में निधियों के जारी करने हेतु निर्धारित समय सीमा से सम्बंधित कोई निर्देश नहीं था। निधियों का प्रवाह प्रदर्शित करता है कि वर्ष की अन्तिम तिमाही में खासकर मार्च के महीने में खर्च का आधिक्य रहा। योजना में यह प्रावधान था कि यू.एल.बी./पैरास्टेटल को परियोजना के कार्यान्वयन में अपने हिस्से का खर्च करना चाहिए। फिर भी, अधिकतर राज्यों/यू.टी. में, यह देखा गया कि यू.एल.बी. का हिस्सा या तो जारी नहीं किया गया या निर्धारित मात्रा से कम जारी किया गया।
- यह भी पाया किया गया कि जे.एन.एन.यू.आर.एम के दिशानिर्देशों में कमी थी क्योंकि वे राज्यों को निधियों के रखने तथा उन पर प्राप्त ब्याज के उपयोग के सम्बंध में, पर्याप्त सलाह नहीं देते। राज्यों/यू.टी. में निधियों पर अर्जित ब्याज के उपयोग में एकरूपता नहीं थी और लगभग सभी राज्यों में आवर्ती कोष नहीं बनाया गया। ₹ 10032.13 करोड़ मूल्य के उपयोगिता प्रमाण पत्र एम.ओ.एच.यू.पी.ए. एवं एम.ओ.यू.डी. में प्राप्त नहीं किये गये थे।
- मंत्रालयों द्वारा अनुवीक्षण तथा मूल्यांकन के सम्बन्ध में, हमने पाया कि मंत्रालय खुद में इस परिमाण की परियोजनाओं का निरीक्षण और अनुवीक्षण करने के लिए स्टाफ एवं तकनीकी रूप में सज्जित नहीं थे, उनका अधिक जनशक्ति जुटाने का प्रयास देरी से और न के बराबर था। प्रौद्योगिकी के उपयोग हेतु यद्यपि एम.ओ.यू.डी. ने निगरानी तथा मूल्यांकन के लिए वेब आधारित कार्यक्रम, जो जे.एन.एन.यू.आर.एम परियोजनाओं की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति वास्तव में अंकित कर सकें, का प्रावधान किया। हमने पाया कि प्रणाली सफल नहीं हुई। हमने पाया कि अन्य दल अनुवीक्षण निरीक्षण तथा प्रक्रिया, जैसा कि योजना में प्रावधान था, कई राज्यों में, उपयुक्त तरीके से लागू नहीं किया गया।

अनुशंसाएं

- भारत सरकार उन राज्यों को उचित प्रोत्साहन देने की सोचे जो सुधारों को लागू कर रहे हैं जैसा कि जे.एन.एन.यू.आर.एम. के मार्गदर्शन और एम.ओ.ए. में परिकल्पित था। इसके अलावा, वित्त व मानव संसाधन क्षमता निर्माण को बढ़ावा दे ताकि राज्य लम्बित सुधारों को विस्तारित समय सीमा में (31 मार्च 2014 तक) प्राप्त कर लें।
- स्थानीय अखबार एवं स्थानीय केबल नेटवर्क द्वारा ऐसी योजनाओं को व्यापक प्रचार देने के प्रयास करने चाहिए ताकि पात्र लाभार्थी इन आवासीय परियोजनाओं में शामिल हो सकें।
- भारत सरकार को सभी आवासीय परियोजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए और पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटन के प्रयत्नों को बढ़ाना चाहिए। भारत सरकार को उन राज्यों को भी प्रोत्साहन देने पर विचार करना चाहिए जहाँ पर सृजित परिस्मृतियां अतिशीघ्र उपयोग में लाई गई हैं।

- भारत सरकार ने परियोजनाओं के निष्पादन के अनुबीक्षण को बढ़ाना चाहिए ताकि अपात्र लाभार्थियों/योजनाओं हेतु विपथन न हो।
- भारत सरकार द्वारा देरी और उसके कारणों का सूक्ष्मता से अनुबीक्षण किया जाना चाहिए और परियोजनाओं के समय पर पूर्ण करने को उचित महत्व दिया जाना चाहिए।
- शहरी विकास मंत्रालय और आवास एवं शहरी गरिबी उपशमन मंत्रालय दोनों को वित्तीय अनुशासन के माध्यम से अनियमित व्यय और निधियों के विपथन के संदर्भ में एक शून्य सहनशीलता की नीति को लागू करना चाहिए।
- निधि प्रवाह वितरण व्यवस्था, अर्थात् केन्द्र से एस.एल.एन.ए./राज्यों/यूटी. के माध्यम से कार्यान्वयन एजेन्सियों को उनकी परियोजनाओं की भूस्तरीय स्थिति के समय और मात्रा के अनुसार, युक्तिसंगत बनाया जाये और यह सुनिश्चित किया जाये कि न्यूनतम अव्ययित/अतिरिक्त राशि सरकारी खातों से बाहर रहे।
- समय से उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने के प्रावधानों का बार बार ध्यान दिलाया जाना चाहिए और भारत सरकार द्वारा राज्यों/यूटी. को उसका कड़ाई से पालन करने का परामर्श दिया जाना चाहिए।
- सरकार जी.ओ.आई. एवं राज्य/यूटी. दोनों स्तरों पर योजना के अनुबीक्षण की खामियों की पहचान करे तथा उनका अगले दो वर्षों के दौरान समाधान करें।

मानन बजाज

(आनन्द मोहन बजाज)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा
आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय


नई दिल्ली
दिनांक : 3 सितंबर, 2012

प्रतिहस्ताक्षरित


विनोद राय

(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक : 4 सितंबर, 2012



परिशिष्ट



परिशिष्ट 6.1
संदर्भ पैरा— 6.1

31 मार्च 2011 को बी.एस.यू.पी के अन्तर्गत आवासीय इकाइयों (स्वीकृत/प्रगति पर/पूर्ण) की राज्यवार एवं शहरवार अनुमोदित परियोजनाओं की स्थिति:-

क्रम संख्या	राज्य	शहर	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत आवासीय इकाइयों की संख्या	पूर्ण आवासीय इकाइयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	17	78746	48873
2.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	8	31525	10976
3.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	12	24423	21315
4.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	2	852	60
5.	असम	गुवाहाटी	2	2260	352
6.	बिहार	बौद्धगया	1	2000	0
7.	बिहार	पटना	17	20372	0
8.	चंडीगढ़ (यू.टी.)	चंडीगढ़	2	25728	2112
9.	छत्तीसगढ़	रायपुर	6	30000	0
10.	दिल्ली (एन.सी.टी.)	एन.सी.टी दिल्ली	20	83380	13528
11.	गोवा	पणजी	1	155	0
12.	गुजरात	अहमदाबाद	3	32640	26022
13.	गुजरात	राजकोट	3	8664	4976
14.	गुजरात	सूरत	12	46856	17280
15.	गुजरात	वडोदरा	3	18428	7088
16.	हरियाणा	फरीदाबाद	2	3248	2196
17.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2	636	0
18.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	3	1455	0
19.	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर	2	5222	0
20.	झारखण्ड	धनबाद	5	3620	0
21.	झारखण्ड	जमशेदपुर	3	3676	0
22.	झारखण्ड	रांची	6	8928	0
23.	कर्नाटक	बैंगलौर	14	19984	5794
24.	कर्नाटक	मैसूर	4	8134	3082

25.	केरल	कोच्ची	3	10390	4296
26.	केरल	तिरुवनन्तपुरम	4	13187	4542
27.	मध्यप्रदेश	भोपाल	14	23609	4104
28.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	3	8017	816
29.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	4	8500	0
30.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	1	1320	0
31.	महाराष्ट्र	नागपुर	10	16186	56
32.	महाराष्ट्र	नांदेड़	10	26307	4478
33.	महाराष्ट्र	नासिक	8	16000	2333
34.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	13	66698	20317
35.	महाराष्ट्र	पुणे	19	57650	10420
36.	मणिपुर	इम्फाल	1	1250	0
37.	मेघालय	शिलांग	3	768	16
38.	मिजोरम	आइजोल	4	1096	135
39.	नागालैंड	कोहिमा	1	3504	750
40.	ओडिशा	भुवनेश्वर	4	2153	686
41.	ओडिशा	पुरी	2	355	9
42.	पुडूचेरी	पुडूचेरी	3	2964	262
43.	पंजाब	अमृतसर	1	320	0
44.	पंजाब	लुधियाना	1	4832	800
45.	राजस्थान	अजमेर	1	5337	651
46.	राजस्थान	जयपुर	3	17814	0
47.	सिक्किम	गंगटोक	3	254	0
48.	तमिलनाडू	चென்னை	23	37787	3500
49.	तमिलनाडू	कोयम्बटूर	17	27637	4934
50.	तमिलनाडू	मदुराई	11	25894	9049
51.	त्रिपुरा	अगरतला	1	256	256
52.	उत्तर प्रदेश	आगरा	10	16793	504
53.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	5	1635	1151
54.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	14	14346	2579
55.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	8	14044	1842
56.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	7	4598	5231

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) की नियादन लेखापरीक्षा

57.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	13	10613	2307
58.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	10	5963	712
59.	उत्तराखण्ड	देहरादून	9	1362	45
60.	उत्तराखण्ड	हरिद्वार	1	96	0
61.	उत्तराखण्ड	नैनीताल	2	341	0
62.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	11	24344	5371
63.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	91	131009	40275
	जोड़		499	1066161	296081

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. से प्राप्त आंकड़े

परिशिष्ट 7.1

संदर्भ पैरा— 7.1

31 मार्च 2011 को यूआई.जी. के तहत राज्य एवं शहर-वार संस्थीकृत और पूर्ण परियोजनाओं की सूचीः—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	शहर का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	22	8
2.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	2	—
3.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	13	4
4.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	13	5
5.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	3	—
6.	असम	गुवाहाटी	2	—
7.	बिहार	बोधगया	2	—
8.	बिहार	पटना	6	—
9.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	3	—
10.	छत्तीसगढ़	रायपुर	1	—
11.	दिल्ली	दिल्ली	28	4
12.	गोवा	पणजी	शून्य	शून्य
13.	गुजरात	अहमदाबाद	26	18
14.	गुजरात	पौरबंदर	1	—
15.	गुजरात	राजकोट	6	1
16.	गुजरात	सूरत	25	3
17.	गुजरात	वडोदरा	13	1
18.	हरियाणा	फरीदाबाद	4	—
19.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	4	—
20.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	1	—
21.	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर	3	—
22.	झारखण्ड	धनबाद	2	—
23.	झारखण्ड	जमशेदपुर	1	—
24.	झारखण्ड	रांची	2	—
25.	कर्नाटक	बैंगलौर	38	16
26.	कर्नाटक	मैसूर	8	0
27.	केरल	कोचीन	6	—
28.	केरल	तिरुवनन्तपुरम	5	—
29.	मध्य प्रदेश	भोपाल	7	3
30.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	10	1
31.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	4	—
32.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	2	—
33.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	25	2
34.	महाराष्ट्र	नागपुर	17	3

35.	महाराष्ट्र	नांदेड़	11	2
36.	महाराष्ट्र	नासिक	6	1
37.	महाराष्ट्र	पुणे	20	2
38.	मणिपुर	इम्फाल	3	—
39.	मेघालय	शिलांग	2	—
40.	मिजोरम	आइजोल	1	—
41.	नागालैंड	कोहिमा	2	—
42.	ओडिशा	भुवनेश्वर	3	—
43.	ओडिशा	पुरी	2	—
44.	पुडूचेरी	पुडूचेरी	2	—
45.	पजांब	अमृतसर	5	—
46.	पजांब	तुधियाना	1	0
47.	राजस्थान	अजमेर—पुष्कर	4	—
48.	राजस्थान	जयपुर	9	—
49.	सिकिम	गंगटोक	2	—
50.	तमिलनाडू	चेन्नई	35	5
51.	तमिलनाडू	कोयम्बटूर	5	—
52.	तमिलनाडू	मदुरई	8	5
53.	त्रिपुरा	अगरतला	2	—
54.	उत्तर प्रदेश	आगरा	4	—
55.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	4	—
56.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	6	—
57.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	7	—
58.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	3	—
59.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	3	—
60.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	6	—
61.	उत्तराखण्ड	देहरादून	5	—
62.	उत्तराखण्ड	हरिद्वार	5	—
63.	उत्तराखण्ड	नैनीताल	3	—
64.	पश्चिम बंगाल	आसनसोল	9	2
65.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	49	9
		जोड़	532*	105

*इनमें 13 वापिस ली गई परियोजनायें शामिल नहीं हैं।

परिशिष्ट 8.1
संदर्भ पैरा—8.2

बी.एस.यू.पी परियोजनाओं के मामलों में प्रथम किस्त को जारी करने में हुई देरी का विवरण

क्र.स.	राज्य	शहर	परियोजना	अनुमेदित/सी.एस.एम.सी. मीटिंग तिथि	प्रथम किस्त स्वीकृति तिथि	प्रथम किस्त जारी करने की तिथि	देरी (महीनों में)
1.	दिल्ली (एन.सी.टी)	दिल्ली कैंट	समसपुर दिल्ली (बी.एस.आई.आई.डी.सी) में स्लम विस्थापन परियोजना	6 दिसम्बर 2007	6 दिसम्बर 2007	11 फरवरी 2008	2
2.	दिल्ली (एन.सी.टी)	दिल्ली कैंट	डेरामंडी नई दिल्ली (बी.एस.आई.आई.डी.सी) में स्लम विस्थापन परियोजना	6 दिसम्बर 2007	6 दिसम्बर 2007	11 फरवरी 2008	2
3.	चंडीगढ़ (यू.टी)	चंडीगढ़	चंडीगढ़ स्लम पुनर्वास परियोजना चंडीगढ़ में 19360 फ्लैटों का निर्माण (फेस-II)	14 दिसम्बर 2006	14 दिसम्बर 2006	25 मार्च 2008	15
4.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	बी.एस.यू.पी जम्मू शहर (आर.ई.वी) के तहत राजीव नगर के स्लम निवासियों का पुनर्वास	7 नवम्बर 2007	7 नवम्बर 2007	4 जनवरी 2008	2
5.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	एकीकरण पुनर्वास परियोजना लखनऊ	29 दिसम्बर 2006	29 दिसम्बर 2006	7 मार्च 2007	2
6.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	बी.एस.यू.पी लखनऊ फेस-II का कार्यान्वयन	13 सितम्बर 2007	13 सितम्बर 2007	4 जनवरी 2008	4
7.	सिक्किम	गंगटोक	रंगपो गंगटोक नोटिफाइड स्लम क्षेत्र के लिये एकीकरण हाऊसिंग एवं स्लम विकास हेतु	28 जनवरी 2009	28 जनवरी 2009	14 जुलाई 2009	6
8.	तमिलनाडू	मदुराई	10688 घरों का निर्माण और मदुराई कारपोरेशन के लिये मूलभूत सुविधायें (फेस-III)	29 अक्टूबर 2007	29 अक्टूबर 2007	4 जनवरी 2008	2
9.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बी.एस.यू.पी के तहत मौजा बोइनचतला में स्थित राजरघाट, कछारीपारा हटगछिया क्षेत्र में स्लम निवासियों के लिए एकीकरण हाउसिंग परियोजना	19 अक्टूबर 2007	19 अक्टूबर 2007	4 जनवरी 2008	2
10.	केरल	तिरुवनंतपुरम	तिरुवनंतपुरम में बी.एस.यू.पी (फेस-III)	27 दिसम्बर 2007	27 दिसम्बर 2007	5 फरवरी 2008	2

11.	केरल	कोच्ची	केरल कोच्ची में बी.एस.यू.पी फेस-II	27 दिसम्बर 2007	27 दिसम्बर 2007	5 फरवरी 2008	2
12.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	चिह्नित स्लमों (हाऊसिंग विकास) के स्लम पुनर्विकास एवं पुनर्वास	26 फरवरी 2009	26 फरवरी 2009	14 जुलाई 2009	5
13.	दिल्ली (एन.सी.टी)	दिल्ली कैंट	बी.एस.यू.पी के तहत कंजावला घोघा एवं बापरोला में स्लम पुनर्स्थापन परियोजना	13 जून 2007	13 जून 2007	30 अक्टूबर 2007	4
14.	दिल्ली (एन.सी.टी)	दिल्ली कैंट	बी.एस.यू.पी के तहत बवाना, नरेला और भोरगढ़, दिल्ली में शहरी गरीबों के लिए हाऊसिंग	13 जून 2007	13 जून 2007	30 अक्टूबर 2007	4
15.	हरियाणा	फरीदाबाद	शहरी नवीनीकरण परियोजना दबुआ कलोनी	28 नवम्बर 2006	28 नवम्बर 2006	31 मार्च 2007	4

परिशिष्ट 8.2

संदर्भ –पैरा 8.2

आई.एच.एस.डी.पी परियोजनाओं के मामले में प्रथम किस्त के जारी होने में हुई देरी की विवरणी

क्र.सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	अनुमोदन सी.एस.सी. मीटिंग की तिथि	प्रथम किस्त स्वीकृति करने की तिथि	प्रथम किस्त जारी करने की तिथि	देरी (महीनों में)
1	जम्मू एवं कश्मीर	पैरोल	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, पैरोल, जम्मू एवं कश्मीर	27 अप्रैल 07	27 अप्रैल 07	28 दिसम्बर 07	8
2	हरियाणा एवं	भिवानी	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, भिवानी, हरियाणा	28 अगस्त 06	28 अगस्त 06	31 मार्च 07	7
3	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, बिलासपुर (फेस-II) छत्तीसगढ़	28 सितम्बर 06	28 सितम्बर 06	31 मार्च 07	6
4	केरल	अलापुङ्गा	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, अलापुङ्गा, केरल	27 अप्रैल 07	27 अप्रैल 07	03 अक्टूबर 07	6
5	महाराष्ट्र	अकोला	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, अकोला, शहर (फेज-III) महाराष्ट्र	28 फरवरी 09	28 फरवरी 09	14 जुलाई 09	5
6	मणिपुर	मोईरंग	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, मोईरंग मणिपुर	11 फरवरी 09	11 फरवरी 09	14 जुलाई 09	5
7	ओडिशा	बरहमपुर	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, बरहमपुर ओडिशा	24 फरवरी 09	24 फरवरी 09	14 जुलाई 09	5
8	त्रिपुरा	बिलोनिया	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, बिलोनिया नगर, त्रिपुरा	11 फरवरी 09	11 फरवरी 09	14 जुलाई 09	5
9	तमिलनाडू	पुददूकोटटाई	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, पुददूकोटटाई, तमिलनाडू	27 फरवरी 07	27 फरवरी 07	28 जून 07	4
10	पश्चिम बंगाल	सिलीगुरी	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, सिलीगुरी, पश्चिम बंगाल	28 नवम्बर 06	28 नवम्बर 06	31 मार्च 07	4

11	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	18 मई 07	18 मई 07	06 अगस्त 07	3
12	नागालैंड	दीमापुर	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना दीमापुर, नागालैंड	29 दिसम्बर 06	29 दिसम्बर 06	31 मार्च 07	3
13	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	28 नवम्बर 06	28 नवम्बर 06	26 फरवरी 07	3
14	झारखण्ड	हजारी बाग	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, हजारी बाग, झारखण्ड	21 जनवरी 09	21 जनवरी 09	06 मार्च 09	2
15	অসম	কোকরাঙ্গার	আই.এচ.এস.ডী.পী পরিযোজনা, কোকরাঙ্গার, অসম	18 দিসেম্বর 09	18 দিসেম্বর 09	18 ফরবরী 10	2
16	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना ग्वालियर, मध्य प्रदेश	29 दिसम्बर 06	29 दिसम्बर 06	26 फरवरी 07	2
17	मध्य प्रदेश	खंडवा	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, खंडवा (परियोजना-I) मध्य प्रदेश	29 दिसम्बर .06	29 दिसम्बर 06	28 फरवरी 07	2
18	महाराष्ट्र	अमरावती	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, अमरावती, फेज-II, अमरावती, महाराष्ट्र	28 जनवरी 09	28 जनवरी .09	06 मार्च 09	2
19	ਪंजाब	जालंधर	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, जालंधर फेज-II जालंधर, पंजाब	29 जनवरी 08	29 जनवरी 08	05 मार्च 08	2
20	राजस्थान	जोधपुर	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, जोधपुर, राजस्थान	27 फरवरी .08	27 फरवरी 08	22 अप्रैल 08	2
21	सिक्किम	सिंगटम	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, सिंगटम, सिक्किम	18 दिसम्बर 09	18 दिसम्बर 09	09 फरवरी 10	2

परिशिष्ट 8.3

संदर्भ –पैरा 8.2

यूआई.जी परियोजनाओं के मामले में प्रथम किस्त के जारी होने में देरी की विवरणी

क्रम संख्या	राज्य का नाम	शहर	परियोजना शीर्षक	सैकटर	सी.एस.एम.सी / सी.सी.ई.ए / सी.सी.आई मिटिंग / परियोजना अनुमोदन की तिथि	प्रथम ए.सी.ए जारी करने की तिथि	देरी (महीनों में)
1.	दिल्ली	दिल्ली	निलोटी एवं पप्पनकला में 20 एम.जी.डी एस.टी. पी का गठन	सीवरेज	29 दिसम्बर 08	15 मार्च 10	15
2.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद में ठोस कचरा प्रबंधन मैनेजमेंट	ठोस कचरा प्रबंधन	22 जनवरी 09	24 फरवरी 10	13
3.	गुजरात	अहमदाबाद	पानी की पकड़ एवं निकास के लिए जल क्षेत्रों का विकास एवं बाढ़ बचाव परियोजना	ड्रेनेज / स्ट्रोम वाटर इनस्	18 जनवरी 08	31 दिसम्बर 08	11
4.	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर के लिये वाटर सप्लाई परियोजना	वाटर सप्लाई	7 मार्च 08	22 जनवरी 09	10
5.	पुडूचेरी	पुडूचेरी	पुडूचेरी के शहरी क्षेत्र के लिए व्यापार सिवरेज योजना	सिवरेज	20 अप्रैल 07	25 फरवरी 08	10
6.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	चंडीगढ़ में हरित क्षेत्र की सिंचाई के लिए सिवरेज का संचालन एवं हारवैस्टिंग	जल आपूर्ति	25 अगस्त 06	23 मई 07	9
7.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	24X7 पेयजल के द्वारा जल आपूर्ति हेतु संचयन रिमोट कम्प्यूटर द्वारा सरविलैंस सिस्टम के साथ उचित निगरानी व स्वचालित जल आपूर्ति संरचना का उत्थान	जल आपूर्ति	25 अगस्त 06	23 मई 07	9
8.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	विकेंद्रीकृत पद्धति पर आधारित भूमिगत सीवरेज परियोजना	सिवरेज	6 दिसम्बर 07	2 सितम्बर 08	9

9.	ओडिशा	पुरी	पुरी शहर के लिए 24x7 पाइप द्वारा जल आपूर्ति	जल आपूर्ति	18 जुलाई 08	23 फरवरी 09	7
10.	मणिपुर	ईफाल	ईफाल के लिए सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट	सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट	18 मई 07	20 दिसम्बर 07	7
11.	दिल्ली	दिल्ली	कनाट प्लेस, नई दिल्ली शहरी नवीकरण तथा धरोहर संचय का पुनर्संचालन	शहरी नवीकरण	29 अगस्त 08	27 फरवरी 09	6
12.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट, परियोजना, ग्रेटर मुम्बई	सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट	23 नवम्बर 07	29 मई 08	6
13.	मेघालय	शिलांग	शिलांग फेस-1 के लिये ड्रेनेज मास्टर प्लान	ड्रेनेज/स्ट्रोम वाटर ड्रेनस	19 जून 08	26 दिसम्बर 08	6
14.	केरल	तिरुवनन्तपुरम	तिरुवनन्तपुरम में सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट	सौलिड वैस्ट मैनेजमेंट	18 जनवरी 08	18 जुलाई 08	6
15.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	टी.एस.आर से येनडाडा तथा कोमाडी जंक्शन तक जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए जल आपूर्ति पाइपलाइन देना	जल आपूर्ति	10 मई 06	5 अक्टूबर 06	5
16.	तमिलनाडू	मदुरई	मदुरई शहरी समूह क्षेत्र को सयुक्त जल आपूर्ति परियोजना	जल आपूर्ति	21 फरवरी 09	20 जुलाई 09	5
17.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	अजमेर-पुष्कर को जल आपूर्ति	जल आपूर्ति	28 दिसम्बर 07	29 मई 08	5
18.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद शहरी क्षेत्र के सिरगमपल्ली नगर पालिका क्षेत्र हेतु सिवरेज मास्टर प्लान का कार्यान्वयन	सिवरेज	6 दिसम्बर 07	29 मई 08	5
19.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	पानीहाटी नगर पालिका कोलकाता क्षेत्र हेतु 24x7 जल आपूर्ति योजना	जल आपूर्ति	23 सितम्बर 10	1 फरवरी 11	5
20.	गुजरात	सूरत	नये क्षेत्र हेतु स्टोरम जल निष्पादन पद्धति	ड्रेनेज/स्टोरम वाटर ड्रेनस	28 जनवरी 08	29 मई 08	4
21.	गुजरात	सूरत	नये पूर्वी जोन क्षेत्र हेतु सिवरेज तथा सिवरेज ट्रीटमैन्ट सिस्टम	सिवरेज	28 जनवरी 08	29 मई 08	4
22.	महाराष्ट्र	नागपुर	पी.पी.पी ढांचे के तहत नागपुर शहर हेतु 24X7 जल आपूर्ति कार्यान्वयन के लिए पुनः विस्थापन योजना	जल आपूर्ति	13 फरवरी 09	3 जून 09	4

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) की निष्पादन लेखापरीक्षा

23.	महाराष्ट्र	नागपुर	आनन्द टाकिज के पास पुल के नीचे सड़क निर्माण	सड़क / फ्लाई ओवर / आर.ओ.बी	22 जनवरी 07	8 मई 07	4
24.	महाराष्ट्र	नागपुर	इतवाड़ी के पास पुल के ऊपर सड़क निर्माण	सड़क / फ्लाई ओवर / आर.ओ.बी	22 जनवरी 07	8 मई 07	4
25.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ के लिये पानी की आपूर्ति (फेस-I, फेस-II)	जल आपूर्ति	21 फरवरी 09	3 जून 09	4
26.	बिहार	पटना	पटना शहर हेतु जल आपूर्ति में सुधार तथा बढ़ोतरी	जल आपूर्ति	21 फरवरी 09	3 जून 09	4
27.	असम	गुवाहाटी	गुवाहाटी हेतु सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट	सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट	22 जनवरी 07	8 मई 07	4
28.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	राजधानी कॉम्प्लैक्स हेतु वैज्ञानिक तरीके से नगर पालिका सौलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट का गठन	सौलिड वैस्ट मैनेजमेंट	22 फरवरी 07	28 जून 07	4
29.	महाराष्ट्र	नागपुर	मस्करथ में पुल के ऊपर सड़क का निर्माण	सड़क / फ्लाई ओवर / आर.ओ.बी	22 जनवरी 07	8 मई 07	4
30.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा शहर के उत्तरी भाग हेतु सिवरेज प्रदान करना	सिवरेज	13 फरवरी 09	3 जून 09	4
31.	महाराष्ट्र	नागपुर	46 कलस्टरों में एन.आई.टी क्षेत्र हेतु (फेस-II) तृतीय वितरण नेट वर्क में जल आपूर्ति योजना	जल आपूर्ति	13 फरवरी 09	3 जून 09	4

परिशिष्ट 8.4

संदर्भ — पैरा 8.2

यू.आई.डी.एस.एस.टी परियोजना हेतु पहली किस्त जारी करने में हुई देरी की विवरणी

क्र.स.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	स्वीकृत की तिथि	पहली किस्त जारी करने की तिथि	देरी (महीनों में)
1	आन्ध्र प्रदेश	वारंगल (एम.सी)	जल आपूर्ति	16446.00	23 जनवरी 07	31 मार्च 07	1
2	अरुणाचल प्रदेश	सिप्पा	स्टोरम वाटर ड्रेनज	1380.00	19 फरवरी 08	18 मार्च 09	3
3	অসম	বারপেটা	স্টোরম বাটার ড্রেনজ	1871.96	17 ফরবৰী 09	17 ফরবৰী 09	—
4	बिहार	मुजफ्फरपुर	जल आपूर्ति	9872.25	13 अगस्त 08	18 मार्च 09	6
5	चंडीगढ़	बिलासपुर	जल आपूर्ति	4142.60	31 अगस्त 06	07 दिसम्बर 09	4
6	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	सैनटरी सिवरेज सिस्टम	19025.00	14 दिसम्बर 07	26 मार्च 08	2
7	ગुজરात	जामनगर	जल आपूर्ति	2015.31	11 अক्टুবৰ 06	13 ফরবৰী 08	3
8	हरियाणा	रोहतक	एस डब्ल्यू एम	1988.16	21 अगस्त 07	31 मार्च 08	6
9	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	स्टोरम वाटर ड्रेनज	1234.65	19 दिसम्बर 06	31 मार्च 07	4
10	झारखण्ड	হাজাৰিবাবগ	এস ডব্ল্যু এম	569.17	14 ফরবৰী 08	26 মার্চ 08	—
11	জम्मू एवं कश्मीर	कटुआ	ড্রেনজ	4089.00	29 दिसम्बर 06	31 मार्च 07	2
12	कर्नाटक	यारगोल	जल आपूर्ति	7992.00	15 फरवरी 07	26 मार्च 08	12
13	केरल	അലപ്പുഞ്ഞ	জল আপূর্তি	9194.00	21 মার্চ 07	31 মার্চ 07	—
14	मध्य प्रदेश	खण्डवा	जल आपूर्ति	10672.30	27 सितम्बর 07	31 मार्च 08	5
15	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	सिवरेज	6650.00	27 मई 07	17 फरवरी 09	16
16	महाराष्ट्र	अकोला	सिवरेज	13275.00	04 मई 07	31 मार्च 09	21

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) की निष्पादन लेखापरीक्षा

17	महाराष्ट्र	ओरंगाबाद	जल आपूर्ति	35967.00	04 मई .04	18 मार्च 09	21
18	मणिपुर	मोइरंग	जल आपूर्ति	1779.00	11 मई 07	17 फरवरी 09	20
19	नागालैंड	चुमुकेड़िमा	सड़कों का उन्नतिकरण	423.89	24 मई 07	07 सितम्बर 09	27
20	ओडिशा	कटक	सड़कों का उन्नतिकरण	5074.12	22 मई .07	31 मार्च 07	—
21	पंजाब	पटियाला	सिवरेज	8940.00	22 फरवरी 08	18 मार्च 09	—
22	राजस्थान	उदयपुर	जल आपूर्ति	5395.00	12 जनवरी 07	31 मार्च 07	1
23	सिक्किम	मनगान	जल आपूर्ति	1580.00	30 नवम्बर 07	26 मार्च 08	3
24	तमिलनाडू	परमाकुड़ी	जल आपूर्ति	5824.30	24 फरवरी 07	31 मार्च 07	—
25	तमिलनाडू	रामनाथापुरम	जल आपूर्ति	4770.00	24 फरवरी 07	31 मार्च 07	—
26	त्रिपुरा	बिलोनिया	सड़क तथा स्ट्रोम वाटर इंजेनियरिंग	4311.33	10 अगस्त 07	29 दिसम्बर 07	3
27	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	सड़क तथा फ्लाईओवर	9087.67	09 अगस्त 06	13 फरवरी 07	4
28	उत्तर प्रदेश	रामपुर	सड़क तथा फ्लाईओवर	8958.00	08 सितम्बर 06	13 फरवरी 07	4
29	उत्तराखण्ड	मसूरी	सिवरेज	6173.25	05 फरवरी 09	18 मार्च 09	—
30	पश्चिम बंगाल	सिलीगुड़ी	इंजेनियरिंग	3386.39	22 फरवरी 07	06 अगस्त 07	5
31	मेघालय	तुरा	एस डब्ल्यू एम	833.10	25 सितम्बर 08	18 मार्च 09	5
32	मिजोरम	लुगलई	जल आपूर्ति	867.44	12 दिसम्बर 08	18 मार्च 09	2
33	पुडूचेरी	यानम	जल आपूर्ति	3918.00	23 फरवरी 09	28 मई 09	2
34	दादर एवं नागर हेवेली	सिलवासा/अमली	जल आपूर्ति	745.89	02 मार्च 07	28 जून 09	21
35	दमन एण्ड दीव	मोती एवं नन्दी दमन	भूमिगत सिवरेज	942.37	02 मार्च 07	13 फरवरी 09	22

परिशिष्ट 8.5

संदर्भ – पैरा 8.11.2

31.03.2011 को यूआईडीएसएमटी के अन्तर्गत राज्य-वार निधियों की निकासी, देय यूसीज, प्राप्त यूसीज एवं बकाया यूसीज का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2010–11 तक राशि जारी	यूसीज देय			यूसीज प्राप्त			मंत्रालय में यूसीज स्वीकार्य		यूसीज बकाया	लगाई गई राशि
			संख्या	राशि खर्च/लगाई की	प्राप्त	राशि लगाई	दूसरी किस्त ¹ जारी	जारी राशि				
1	अंडमान व निकोबार द्वीप	00	00	00	0	00	00	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1731.76	84	983.77	71	858.41	64	723.92	13	125.36		
3	अरुणाचल प्रदेश	17.71	9	17.71	9	17.71	0	0	0	0	0	0
4	অসম	99.56	30	92.36	5	16.45	2	4.72	25	75.91		
5	बिहार	106.74	11	104.46	1	5.14	0	0	10	99.32		
6	चंडीगढ़	00	0	00	0	00	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	91.84	4	67.37	4	67.37	3	24.47	0	0		
8	दिल्ली	00	0	00	0	00	0	0	0	0	0	0
9	गोवा	3.37	0	00	0	00	0	0	0	0	0	0
10	ગુજરાત	279.47	52	176.19	43	143.34	32	102.77	9	32.85		
11	हरियाणा	67.15	8	67.15	4	43.26	0	0	4	23.89		
12	हिमाचल प्रदेश	11.80	5	8.08	4	2.95	4	2.95	1	5.13		
13	जम्मू एवं कश्मीर	183.54	35	139.19	19	59.61	0	0	16	79.58		
14	झारखण्ड	40.00	5	39.69	3	34.04	0	0	2	4.55		
15	केरल	173.41	25	170.31	1	16.07	0	0	24	154.24		
16	कर्नाटक	468.62	38	272.99	28	211.15	15	123.80	10	61.84		

जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) की निष्पादन लेखापरीक्षा

17	लक्ष्मीप	00	0	00	0	00	0	0	0	
18	मध्यप्रदेश	352.64	47	305.40	23	98.57	13	046.86	24	206.83
19	महाराष्ट्र	1470.65	94	1076.87	59	606.67	36	348.60	35	470.20
20	मणिपुर	28.45	5	28.25	5	28.25	0	0	0	0
21	मेघालय	6.45	2	6.45	0	00	0	0	2	6.45
22	मिज़ोरम	7.00	2	6.99	2	6.99	0	0	0	0
23	नागालैंड	1.91	0	00	1	1.91	0	0	-1	-1.91
24	ओडिशा	91.70	16	89.47	7	41.44	0	0	9	48.03
25	पुडूचेरी	15.67	0	00	1	15.67	0	0	-1	-15.67
26	पंजाब	179.36	17	158.31	4	40.36	1	19.82	13	117.95
27	राजस्थान	284.22	37	243.97	27	101.39	15	37.52	10	142.58
28	सिकिम	18.20	5	18.21	5	17.97	0	0	0	0.24
29	तमिलनाडू	559.65	123	353.09	96	207.31	95	206.56	27	145.78
30	त्रिपुरा	35.82	4	35.17	2	24.88	0	0	0	10.29
31	उत्तरप्रदेश	755.93	60	448.35	33	281.44	26	224.94	27	166.91
32	उत्तराखण्ड	24.69	1	24.69	0	00	0	0	1	24.69
33	पश्चिम बंगाल	227.83	26	154.04	19	103.35	13	70.10	7	51.05
34	दादरा एवं नागर हवेली	7.46	1	0.26	0	00	0	0	1	0.26
35	दमन व दीव	0.31	1	0.31	0	00	0	0	1	0.31
	जोड़	7342.96	747	5088.36	476	3051.70	319	1937.03	271	2036.66

परिशिष्ट 8.6

संदर्भ – पैरा 8.11.3

31.03.2011 को बी.एस.यू.पी के बारे में जारी ए.सी.ए के उपयोगिता प्रमाण पत्र की विस्तृत विवरणीः—

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	राज्य/केन्द्र शासित का नाम	अनुमोदित परियोजनाएं	जारी किए गए ए सी ए जिनके लिये उपयोगिता प्रमाण पत्र देय	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	37	1053.97	863.33	190.64
3	अरुणाचल प्रदेश	2	12.67	1.68	10.99
4	असम	2	48.80	24.40	24.40
5	बिहार	18	78.19	0	78.19
6	चंडीगढ़ (यू.टी.)	2	227.22	174.06	53.16
7	छत्तीसगढ़	6	169.29	78.05	91.24
8	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0
9	दमन व दीव	0	0	0	0
10	दिल्ली	20	357.19	61.72	295.47
11	गोवा	1	1.15	0	1.15
12	गुजरात	21	656.68	519.73	136.95
13	हरियाणा	2	31.18	27.28	3.90
14	हिमाचल प्रदेश	2	4.57	0	4.57
15	जम्मू एवं कश्मीर	5	36.80	3.19	33.61
16	झारखण्ड	14	82.18	0	82.18
17	कर्नाटक	18	214.46	127.81	86.65
18	केरल	7	125.37	66.98	58.39
19	लक्ष्मीप	0	0	0	0
20	मध्यप्रदेश	22	193.74	115.88	77.86
21	महाराष्ट्र	60	1436.07	664.25	771.82
22	मणिपुर	1	10.98	0	10.98

23	मेघालय	3	16.03	11.89	4.14
24	मिजोरम	4	27.26	7.23	20.03
25	नागालैंड	1	79.20	52.81	26.39
26	ओडिशा	6	23.49	9.96	13.53
27	पुडूचरी	3	22.93	2.13	20.80
28	पंजाब	2	26.39	17.35	9.04
29	राजस्थान	4	85.47	21.14	64.33
30	सिकिम	3	15.23	7.97	7.26
31	तमिलनाडू	51	562.05	362.26	199.79
32	त्रिपुरा	1	13.96	12.21	1.75
33	उत्तरप्रदेश	67	639.51	360.57	278.94
34	उत्तराखण्ड	12	17.61	1.28	16.33
35	पश्चिम बंगाल	102	711.46	331.89	379.57
	योग	499	6981.09	3927.04	3054.05

परिशिष्ट 8.7

संदर्भ – पैरा 8.11.4

31.03.2011 तक जारी आई.एच.एस.डी.पी के बारे में ए.सी.ए के उपयोगिता प्रमाण पत्र की विस्तृत विवरणीः—

(₹ करोड़ में)


क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	जारी किए गए ए सी ए जिनके लिये उपयोगिता प्रमाण पत्र देय है	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2	5.53	0	5.53
2	आंध्र प्रदेश	77	614.37	401.75	212.62
3	अरुणाचल प्रदेश	1	4.48	0	4.48
4	असम	16	35.11	0	35.11
5	बिहार	25	81.24	0	81.24
6	चंडीगढ़ (यू.टी.)		0	0	0
7	छत्तीसगढ़	18	118.31	83.52	34.79
8	दादर एवं नागर हवेली	2	1.67	0	1.67
9	दमन व दीव	1	0.29	0	0.29
10	दिल्ली	0	0	0	0
11	गोवा	0	0	0	0
12	गुजरात	38	125.81	49.99	75.82
13	हरियाणा	18	124.66	59.42	65.24
14	हिमाचल प्रदेश	8	24.39	0	24.39
15	जम्मू एवं कश्मीर	50	44.91	17.72	27.19
16	झारखण्ड	10	55.05	0	55.05
17	कर्नाटक	34	149.18	126.4	22.78
18	केरल	53	130.70	59.50	71.20
19	लक्ष्मीप	0	0	0	0
20	मध्यप्रदेश	49	115.73	18.73	97.00
21	महाराष्ट्र	102	674.47	101.97	572.50
22	मणिपुर	6	16.33	9.28	7.05

23	मेघालय	3	11.21	0	11.21
24	मिजोरम	8	14.89	0	14.89
25	नागालैंड	2	29.92	10.88	19.04
26	ओडिशा	34	92.90	13.51	79.39
27	पुर्णचेरी	1	2.74	0	2.74
28	पजांब	14	66.77	0	66.77
29	राजस्थान	57	312.69	71.54	241.15
30	सिक्किम	1	8.96	0	8.96
31	तमिलनाडू	84	316.55	211.69	104.86
32	त्रिपुरा	5	34.55	23.28	11.27
33	उत्तरप्रदेश	158	484.25	170.19	314.06
34	उत्तराखण्ड	21	45.28	0	45.28
35	पश्चिम बंगाल	120	498.79	307.72	191.07
	योग	1018	4241.74	1737.08	2504.64

शब्दावली

क्र.सं.	संक्षिप्त रूप	पूर्ण आकार
1.	ए.सी.ए.	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
2.	ए.एम.सी.	औरंगाबाद नगर निगम
3.	ए.ओ.एस.जी.	वार्षिक संचालन सहायता अनुदान
4.	बी.एम.टी.पी.सी.	भवन पदार्थ और तकनीकी संस्थापन परिषद्
5.	बी.आर.टी.एस.	तीव्र बस परिवहन प्रणाली
6.	बी.एस.यू.पी.	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाएं
7.	सी.सी.आई.	अवसंरचना के लिए मंत्री मंडलीय समिति
8.	सी.डी.पी.	शहरी विकास योजना
9.	सी.पी.एच.ई.ई.ओ.	केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरिंग संगठन
10.	सी.पी.एल.	सामुदायिक हिस्सेदारी कानून
11.	सी.पी.डब्ल्यू.डी.	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
12.	सी.एस.सी.	केन्द्रीय संस्थीकृत समिति
13.	सी.एस.एम.सी.	केन्द्रीय संस्थीकृत और निगरानी समिति
14.	सी.वी.टी.सी.	शहरी स्वैच्छिक तकनीकी दस्ता
15.	सी.डब्ल्यू.जी.	राष्ट्रमंडल रवेल 2010
16.	डी.पी.सी.	जिला योजना कमेटी
17.	डी.पी.आर.एस	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
18.	डी.टी.टी.डी.सी.	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम
19.	डी.यू.एस.	आवासीय इकाइयाँ
20.	ई.सी.	अनुमानित लागत
21.	ई.एल.एस.आर.	छपरी सतह संग्रहण भंडार
22.	ई.ओ.	कार्यकारी अधिकारी
23.	ई.डब्ल्यू.एस.	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग
24.	एफ.ए.आर.	फर्श क्षेत्र अनुपात
25.	जी.डी.डी.	गोवाहाटी विकास विभाग
26.	जी.एम.सी.	गोवाहाटी नगर निगम
27.	जी.एम.डी.ए.	गोहाटी महानगर विकास प्राधिकरण
28.	जी.एन.सी.टी.डी.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
29.	जी.ओ.आई.	भारत सरकार
30.	जी.वी.एम.सी.	ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम
31.	एच.एम.डब्ल्यू.एस.एस.बी.	हैदराबाद महानगर जल वितरण एवं मल व्यनन संस्थान
32.	एच.यू.डी.सी.ओ.	गृह एवं शहरी विकास निगम
33.	आई.एच.एस.डी.पी.	एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम
34.	आई.आर.एम.ए.	स्वतंत्र समीक्षा एवं अनुवीक्षण अनुवीक्षण
35.	जे.एम.सी.	जामनगर नगर निगम
36.	जे.एन.एन.यू.आर.एम.	जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन
37.	जे.ओ.एम.सी.	जोधपुर नगर निगम
38.	के.डी.डब्ल्यू.एस.पी.	कृष्णा पेय जल वितरण योजना
39.	एल.आई.जी.	मध्यम आय वर्ग
40.	एल.ओ.आई.	सारण पत्र
41.	एम.एल. डी.	प्रतिदिन दस लाख लीटर
42.	एम.ओ.ए.	समझौता ज्ञापन
43.	एम.ओ.एफ.	वित्त मंत्रालय

44.	एम.ओ.एच.यू.पी.ए.	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
45.	एम.ओ.यू.डी	शहरी विकास मंत्रालय
46.	एम.आर.टी.एस.	तीव्र परिवहन तंत्र
47.	एन.ए.बी.ए.आर.डी.	कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक
48.	एन.सी.पी.ई.	योजना एवं इंजीनियरिंग के लिए राष्ट्रीय परामर्श
49.	एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संस्थान
50.	एन.एच.ए.आई	भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
51.	एन.आई.टी.	निविदा मांग सूचना
52.	एन.टी.ए.	राष्ट्रीय संचालन दल
53.	एन.टी.ए.	राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार
54.	एन.यू.एच.एण्ड.एच.पी.	राष्ट्रीय शहरी गृह एवं आवास नीति, 2007
55.	ओ.एण्ड.एम.	संचालन एवं रखरखाव
56.	ओ.डब्ल्यू.एस.बी.	ओडिशा जल आपूर्ति एवं मल बोर्ड
57.	पी.डी.एल.	समुदाय सहभागिता कानून
58.	पी.आई.यू.	परियोजना कार्यान्वयन की इकाई
59.	पी.एम.सी	पटना नगर निगम
60.	पी.एम.ई.एस.	प्रोग्राम की देख रेख एवं मूल्यांकन समिति
61.	पी.एम.यू.	प्रोग्राम प्रबंधन इकाई
62.	पी.पी.पी.	सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी
63.	क्यू.पी.आर.एस.	त्रिमासिक प्रगति रिपोर्ट
64.	आर.सी.सी.	रीएनफोर्सड़ सिमेन्ट कंक्रीट
65.	आर.ओ.बी.	रेलवे उपरिगामी पुल
66.	एस.एल.सी.सी.	राज्य स्तरीय संचालन समिति
67.	एस.एल.एन.ए.	राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी
68.	एस.एल.एस.सी.	राज्य स्तरीय संचालन समिति
69.	एस.टी.पी.	मल उपचार संयन्त्र
70.	टी.ए.जी.	तकनीकी सलाहकार समूह
71.	टी.एम.सी.	तिरुपति नगर निगम
72.	टी.एन.एस.सी.बी.	तमिलनाडू रुम सुधार बोर्ड
73.	टी.पी.आई.एम.ए.	तृतीय निरीक्षण एवं अनुवीक्षण एजेंसी
74.	यू.ए.एस.	शहरी समूह
75.	यू.डी.डी.	शहरी विकास विभाग
76.	यू.जी.एस.एस.	भूमिगत मल व्यनन तंत्र
77.	यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.	छोटे और मछोले कसबों के लिए शहरी संरचना विकास योजना
78.	यू.आई.जी.	शहरी अवसंरचना और गवर्नेंस
79.	यू.एल.बी.	शहरी स्थानीय बॉर्डी
80.	बी.एम.सी.	विजयवाड़ा नगर निगम
81.	डब्ल्यू.ए.पी.सी.ओ.एस.	जल एवं विद्युत परामर्श कार्य सेवा
82.	यू.टी.	केन्द्र शासित प्रदेश
83.	डब्ल्यू.एम.पी.	वारंगल नगर निगम



© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
2012-13
www.saiindia.gov.in